राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६९ का ३२ वां दिवस [संख्या २६

मंगलवार,
दिनांक मार्च २५, १९६९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. ७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पुनर्वास, सहकारी, स्वायत्त शासन, यातायात, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, सिंचाई एवं विद्युत्–विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

दुकानों का आवंटन, जयपुर

५४७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) त्रिपोलिया बाजार, जयपुर से हटाई गई थड़ियों तथा कमला नेहरू बाजार में उन्हें आवंटित की गई दुकानों की संख्या क्या हैं ?

(२) यह आवंटन किसने किया था ?

(३) क्या यह सही है कि लगभग ३२ थड़ी मालिकों, जिन्हें कमला नेहरू बाजार में दुकानें दी गई हैं को थड़ी होल्डर्स एसोसिएशन द्वारा इस आवंटन का अधिकारी नहीं बताया गया था ?

(४) अब और भी आवंटन हेतु कितनी दुकानें उपलब्ध है ?

(५) सरकार इन दुकानों को शेष रहे थड़ी-धारियों को आवंटित क्यों नहीं करती ?

(६) उन थड़ी-धारियों की संख्या क्या है जिनके विषय में ऐसे आवंटन किए जाने हेतु विचार किया जायगा ?

(७) उन अपंजीयत थड़ी-धारियों की संख्या क्या है जो वर्तमान में खाली दुकानों के आवंटन के अधिकारी नहीं हैं ?

(८) क्या यह सही है कि इस आवंटन को पूरा करने हेतु जयपुर यातायात सलाहकार समिति ने दिनांक २३–५–६२ की अपनी बैठक में एक समिति बनाई थी जिसके जिलाधीश, अधीक्षक, आरक्षी, जयपुर तथा जयपुर नगरपालिका तथा नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष सदस्य हैं ? यदि हां, तो यह आवंटन इस समिति द्वारा क्यों नहीं किया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : अध्यक्ष महोदय, इसके पूरे फैक्ट्स मेरे पास

Page No. 2

(श्री अमृतलाल यादव)

नहीं है। इसलिए मुझे अगले टर्न पर जवाब देने की इजाजत दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको एडजॉर्न कीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो कमला नेहरू मार्केट के बारे में पूछा है, एक्चूअली "कमला" शब्द इसमें गलत दे दिया। मेरा मतलब नेहरू मार्केट से है। अब सरकार टेक्नीकल ग्राउन्ड पर कहेगी कि कमला नेहरू मार्केट में कोई एलाटमेंट नहीं हुआ। कमला नेहरू मार्केट का आधार लेकर एस्केप करना चाहेगी, वह उस बारे में गड़बड़ी नहीं करेंगे तो ....

श्री अमृतलाल यादव : गड़बड़ की बात मैं नहीं मानता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम से कम जवाव देने की स्थिति में आप नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते हैं नेहरू मार्केट।

श्री अमृतलाल यादव : मैं जवाव देने की स्थिति में हूं।

(१) त्रिपोलिया बाजार जयपुर से हटाई गई थड़ियों की संख्या ११७ है, इसमें से किसी को कमला नेहरू बाजार में कोई दूकान नहीं दी गयी।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर वही बात आ गई। त्रिपोलिया बाजार से हटाई गई हैं वे कमला नेहरू मार्केट में नहीं लेकिन नेहरू मार्केट की अलॉट की गई हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उनको इतना भी मालूम नहीं कि कौनसा कमला नेहरू मार्केट है और कौनसा नेहरू मार्केट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह टाइपिंग एरर हो सकती है। उस समय तो केवल दस्तखत किए जाते हैं। जब मैंने सवाल पढ़ा तो मैंने देखा कि कमला नेहरू मार्केट कैसे हो गया। लेकिन यह बात सरकार को शोभा नहीं देती, जब आपको मालूम है कि जो थड़ियां त्रिपोलिया बाजार से हटाई गई हैं वे नेहरू बाजार को एलॉट की गई हैं। सिर्फ "कमला" शब्द पर सारे सवाल से बचना चाहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : आप तो हमेशा बाल की खाल निकालते हैं, जब हमारा टर्न आता है तो दबाने की बात करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दबाने का क्या सवाल है। आप सवाल को टालना चाहते हैं, यह इसी बात से साबित है। अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है, आपकी मन्शा इससे साफ है।

श्री अध्यक्ष : तकनीकी दृष्टिकोण से मंत्री महोदय की जीत हो गई।

श्री अमृतलाल यादव : मेरी दूसरी तरह से भी जीत है।

(श्री अमृतलाल यादव)

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर से थड़ियां जो हटायीं उनकी संख्या ११७, उनमें से हमने ९९ को नेहरू बाजार में दूकानें दीं और १८ दूकानें बचीं उनको हमने आदर्शनगर और कमला नेहरू बाजार में अलॉट कीं। कुल मिलाकर जो १८ थड़ियां बचीं थीं उनको भी हमने दूकानें दे दीं। इसका मतलब यह है कि ११७ थडियां हटायीं गयीं उन ११७ को ही हमने दूकानें दे दीं। इसमें कोई ग्रिवान्स रहने का सवाल नहीं रहता। टेक्निकली 'कमला नेहरू' नाम से कोई नहीं कहना चाहता था लेकिन उन्होंने जो लिखा उसको पॉइन्ट आउट करना चाहता था।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेकण्ड क्वेश्चन का तो बतायें।

श्री अमृतलाल यादव : (४) अब आवंटन हेतु ७० दूकानें उपलब्ध हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सेकन्ड क्वेश्चन का तो जवाब दीजिये। यह तो चौथे नम्बर का जवाब दे रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मुझे पूरा जवाब देने दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पहले नं० २ और ३ का जवाब दे दीजिये। यह तो नम्बर ४ का जवाब दे रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : नं २ व ३ का 'जी नहीं' 'जी नहीं' जवाब दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके बाद तो क्वेश्चन रीओपन हो गया था।

श्री अमृतलाल यादव : ११७ थड़ियां हटायीं गयीं। दूकानें उनको दे दी गईं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेकन्ड क्वेश्चन है, "आवंटन किसने किया" ?

श्री अमृतलाल यादव : "आवंटन किसने किया," यह प्रश्न नीचे आ रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वेश्चन तीन का जवाब दे दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव : "क्या यह सही है कि लगभग ३२ थड़ी मालिकों, जिन्हें कमला नेहरू बाजार में दूकानें दी गई हैं, को थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन द्वारा इस आवंटन का अधिकारी नहीं बताया गया था ?" दो और तीन का जवाब नीचे ८ में आ जावेगा। अगर नहीं आवेगा तो आप जो पूछेंगे उसका जवाब दे दूंगा बाद में।

(४) अब आटवंन हेतु ७० दूकानें उपलब्ध हैं।

(५) ७० दूकानों का अधिकार हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग से लिया गया है जिनके आवंटन की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(६) ऐसे थड़ी धारियों की संख्या ४९२ है।

(७) ५७६ ऐसे अपंजीयत थड़ीधारी हैं जो दूकानों के अधिकारी नहीं हैं।

(८) जो हां, नेहरू बाजार में दूकानों के निर्मित होने पर राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर पुर्नविचार कर जयपुर याता-

(श्री अमृतलाल यादव)

यात सलाहकार समिति बनाई गई। समिति के बजाय एक अन्य समिति आवंटन हेतु निर्मित की, जिसके संयोजन जिलाधीश, जयपुर व सदस्य प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर थे। अतएव जयपुर यातायात सलाहकार समिति द्वारा बनाई गई समिति द्वारा आवंटन नहीं किया गया।

इसमें अब कुछ पूछना है आपको तो वह पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नम्बर ३ का जवाब दे दीजिये, "क्या यह सही है कि लगभग ३२ थड़ी मालिकों, जिन्हें कमला नेहरू बाजार में दुकानें दी गई हैं, को थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन द्वारा इस आवन्टन का अधिकारी नहीं बताया गया था ?"

श्री अमृतलाल यादव : थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन द्वारा अधिकारी बताया था या नहीं उनके बताने से काम नहीं चलता। दो तरह की चीजें हैं माननीय अध्यक्ष। एक आॅथोराइज्ड और दूसरी अनअथोराइज्ड थड़ी होल्डर्स। पहले जो आॅथोराइज्ड थड़ी होल्डर्स हैं उनको देते है। जिनकी रजिस्टर्ड थड़ी है उनके लिये हमारे पास दुकानें हो तो देते हैं, बाध्य नहीं है उनके लिये कि उनको दें ही। उन्होंने कह दिया इस वजह से मान लिया यह हमारे लिये आवश्यक नहीं है। गवर्नमन्ट ने इस पर विचार किया है, जिनको इसके लिये अधिकारी माना है उनको दी गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके उत्तर से क्या यह-माना जाय कि उन ३२ व्यक्तियों के लिये थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन ने सिफारिश नहीं की थी ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपका कहने का मतलब यह है कि थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन की राय इस सम्बन्ध में कोई वकत नहीं रखती ?

श्री अमृतलाल यादव : कोई आॅर्गेनाइजेशन एडवाइज़री केपेसिटी रखता है उस पर विचार करना, आवश्यक वजन देना उसमें गवर्नमन्ट को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह कहे उसको मान लेना गवर्नमन्ट के लिये बाध्य नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन की राय के अतिरिक्त और कौनसा अलाॅटमेन्ट करने का आधार है ? उसने यह कहा कि इन ३२ व्यक्तियों को दूकानें न दी जांय क्योंकि ये वास्तविक अधिकारी नहीं हैं उसके बावजूद भी उनको गवर्नमन्ट ने दूकानें दीं।

श्री अमृतलाल यादव : गवर्नमन्ट का अपना अधिकार है। गवर्नमन्ट ने तय किया। रूल्स बनाये, कमेटी बनायी, जो कुछ गवर्नमन्ट को अधिकार है वह किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट ने रूल्स बनाये हैं निश्चित कह रहे हैं कि गवर्नमेन्ट ने रूल्स बनाये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : जनरल बात कही है मैंने। इसमें रूल्स की कौनसी बात है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर हाउस को मुगालता देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अमृतलाल यादव : जो इन्फोर्मेशन सीक करना चाहते थे वह मैंने आपको दे दी यदि आप परेशान करना चाहते हैं तो वह बात अलग है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परेशान तो आप उन गरीबों को कर रहे हैं जिनका वाजिब हक है और जिनको दूकानें नहीं मिली हैं । जिनको जायत नहीं था उनको दी और जिनको जायज था उनको नहीं दी यह भी सदन में रखने की आवश्यकता है । रूल्स बना दिये कहा, लेकिन रूल्स बने नहीं जयपुर ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी में थड़ियां हटाने का निर्णय दिया उसमें एक एड्वाइजरी कमेटी का निर्माण किया जिसके चेयरमेन खुद प्लानिंग मिनिस्टर उस समय के होम मिनिस्ट थे । उस कमेटी को डिज़ोल्व क्यों किया ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य, जोरज-बरदस्ती से कुछ कराना चाहेंगे तो नहीं करेंगे । वाजिब सुझाव देंगे तो उसकी कद्र करेंगे तो उनके साथ पूरी सहानुभूति रख कर उस पर विचार करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको कोई मुगालता हो रहा है कि जोर-जबरदस्ती से कराना चाहते हैं । मैं तो आप से निवेदन कर रहा था कि जो एक एडवाइजरी कमेटी खुद प्लानिंग मिनिस्टर के चेयरमेनशिप में बनी थी उसको क्यों डिज़ोल्व किया ?

श्री अमृतलाल यादव : यह डिवाइड एन्ड रूल की पॉलिसी तो अंग्रेज की थी । यातायात मंत्री ने कमेटी बनायी, ट्रैफिक जेम होता था इसलिये थड़ियां हटायीं थी । लेकिन रिहेबिलीटेशन अलॉटमेंन्ट करे वह उसने किया और वाजिब किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन सवाल इतना-सा है कि उस कमेटी को डिज़ोल्व क्यों किया ?

श्री अमृतलाल यादव : We don't recognise the other committee.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कमेटी बनाई थी उस समय श्री मथुरादासजी माथुर उसके चेयरमैन थे । इन्कार कर दें । उस कमेटी को गवर्नमेंट रेकोग्नाइज न करे । मुझे इस बात की खुशी है कि मथुरादासजी की बनायी हुई कमेटी को भंग कर दिया और उसके बजाय एक दूसरी समिति बना दी जिसके संयोजक जिलाधीश, जयपुर और एडमिनिस्ट्रेटर, जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल थे । इस कमेटी ने अलॉटमेंट किया तो क्या आधार था गवर्नमेंट के लिए ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य के लिए यह भी निवेदन कर दूं कि और दूकानें बन रही हैं, और भी अलॉटमेंट होने हैं । न केवल क्लेमेंट को, और न केवल रजिस्टर्ड थड़ी होल्डर को, बल्कि अन-रजिस्टर्ड थड़ी होल्डर को भी देते हैं और देंगे । माननीय सदस्य सुझाव देंगे, थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन या और कोई कमेटी सुझाव देगी उनके सुझाव को ज्यादा वजन दूंगा लेकिन हमारे भी कुछ नियम हैं, कुछ सीमा है और हमारी लिमिटेशन्स को देखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल ३२ आदमियों के बारे में मैंने निवेदन किया, मेरा मतलब यह नहीं है कि जिनको दुकानें मिल गयी हैं उनको डिस्लोज किया जाय, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर कोई कमेटी बनती है, वह कोई स्केन्डल करती है कि जिनको जायज है उनको दुकानें न मिले और जिनको जायज नहीं हैं उनको दूकानें मिल जायं। थड़ी हौल्डर्स को लिंक रोड़ पर पटक रखा है उनको दूकानें नेहरू मार्केट में मिलनी चाहिये, आज उन दूकानों की दस दस हजार की गुडविल है, जिन लोगों का जायज हक है उनको वहां दूकानें न देकर नये लोगों को दे दी, उन लोगों को दे दी जिनके लिए थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन ने रिकमन्डेशन नहीं की, कहने के लिए कह देते हैं कि नियमों के अनुसार दी, कहीं कोई नियम नहीं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने उन लोगों को दुकानें दे दीं।

थड़ी होल्डर्स एसोसियेशन द्वारा जो गम्भीर गड़बड़ी की गई है उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि थड़ियों के अलॉटमेंट में गड़बड़ी हुई है, इसके बारे में जो मेरे पास तथ्य हैं, वह मैं मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। क्या वे उस सम्बन्ध में जानकारी करके कार्यवाही करेंगे, यह मैं आश्वासन चाहता हूं।

श्री अमृतलाल यादव : इसके लिए मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

सहकारी समिति में गबन, ग्राम गादोला

५४८. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला चित्तोड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़, पंचायत समिति क्षेत्र प्रतापगढ़, ग्राम गादोला ग्राम सेवा सहकारी समिति गादोला के अध्यक्ष श्री बगदीराम गाथरी द्वारा सहकारी समिति में करीब ८ हजार रुपये की धनराशि सदस्यों से वसूल कर सहकारी रकम का गबन किया ? यदि हां तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि इसके खिलाफ पुलिस एवं सहकारी समितियां, चित्तोड़गढ़ ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस मामले की जानकारी सहकारी सहायक रजिस्ट्रार चित्तौड़गढ़ को थी ? यदि हो, तो उन्होंने अपने स्तर पर क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, श्री बगदीराम गाथरी द्वारा माह अप्रेल ६४ से माह जून ६४ तक भिन्न भिन्न तारीखों में किया है ?

(२) यह सही नहीं है कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट के पास श्री बगदीराम गाथरी द्वारा काटी गई रसीदों की जांच के लिये भेजी गई हैं जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पुलिस में मामला देने के बाद ऑडिट की कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी हां ! सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति का ऑडिट करवाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक ऑडिट इसलिए नहीं हो सका कि समिति का कुछ

(श्री भीमसिंह)

रेकार्ड श्री बगदी राम गाथरी के पास होना बताया है। श्री बगदीराम गाथरी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उसका यह कहना है कि समस्त रेकार्ड पुलिस ने ले लिया है।

श्री हरलाल मीणा : कितनी धनराशि का गबन किया था इसने ?

श्री भीमसिंह : ८४१३ रू० ६५ पैसे।

श्री हरलाल मीणा : आपने दो साल निकाल दिये अभी तक जांच क्यों पूरी नहीं कर सके ?

श्री भीमसिंह : पुलिस को मामला दे दिया गया है।

श्री देवीलाल (सराड़ा सु.) : यह गबन की जानकारी विभाग को कब मिली ?

श्री भीमसिंह : २८–११–६४ को ?

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा–सु०) : इतने दिनों तक कार्यवाही नहीं कर सके इसका क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : कार्यवाही की गई है पुलिस को यह मामला ३०-११-६४ को दे दिया गया। कागजात जब्त करके दुबारा चैकिंग किया गया और हैन्ड राइटिंग एक्स-पर्ट के पास वे रसीदें भेजी गई है। पुलिस उस पर कार्यवाही कर रही है।

श्री देवीलाल : यह मामला पुलिस को कब दिया गया ?

श्री भीमसिंह : ३०-११-६४ को।

श्री ललितमोहन : इस सम्बन्ध में कार्य-वाही कब तक हो जायगी ?

श्री भीमसिंह : इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसने गबन की कार्यवाही ६४ में की उसके बाद यह मामला पुलिस को दिया जाता है इतने साल हो जाने के बाद आज तक इस सम्बन्ध में ढ़िलाई से कार्यवाही हो रही है। वह कागजों को इधर-उधर कर देता है जो इन्क्वायरी करने वहां जाता है उसको न मालूम क्या मन्तर फूंक देता है या पैसे खिला देता है कि लोग वापिस लौट आते हैं। मैं जानना चाहता हूं, कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायगी।

श्री भीमसिंह : पुलिस द्वारा इसको एक्सपीडाइट करवाने के लिये हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री हरलाल मीणा : सदस्यों से वसूली करके यह शख्स हजारों रुपया खा गया। सदस्यों को अब रकम नहीं मिल रही है जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता गबन का।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रविशंकर याज्ञनिक।

चेयरमैन, नगरपालिका पिंडवाड़ा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

५४९. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

(१) क्या यह सही है कि मोतीसिंह राणावत निवासी नया साण्वाड़ा ने एक दरख्वास्त चेयरमैन नगरपालिका पिंडवाड़ा के खिलाफ पद का दुरुपयोग, रेकार्ड बदलना एवं गबन के बारे में आई० जी० पी० भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान को दी थी उसकी प्रतिलिपि वास्ते कार्यवाही के स्वायत्त शासन मंत्री जी को भी दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सही है कि पब्लिक पिंडवाड़ा की ओर से एक दरख्वास्त दिनांक २७-१२-६५ को स्वायत्त शासन मंत्रीजी को इस आशय की दी गई थी कि चेयरमेन नगरपालिका की ज्यादती और उसके विरुद्ध गम्भीर आरोपों को देखते हुए नगरपालिका का कार्यकाल जो दिनांक ३१-१-६६ को समाप्त होता था, नहीं बढ़ाया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए जांच निष्पक्षता से हो, इसके लिए क्या सरकार चेयरमैन नगरपालिका, पिंडवाड़ा (जिला सिरोही) को ससपेन्ड करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) आरोपों की गम्भीरता को देखते एवं निष्पक्ष जांच के लिए क्या राज्य सरकार नगरपालिका पिंडवाड़ा को सुपरसीड कर उसके स्थान पर प्रशासक नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। जिलाधीश को जांच करने हेतु लिखा गया है।

(२) जी हां। जिलाधीश से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(३) क्रमांक २ के उत्तर के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : यह जांच के लिए आपने कब भेजी कितना समय हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : २८-१-६६ को भेजी थी।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : जांच रिपोर्ट नहीं आवे तब तक आपने इसको सस्पैंड क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : जबतक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती हम किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में असमर्थ हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रार्थना पत्र के अन्दर यह साफ लिखा था कि नगरपालिका की मियाद ३१—१—६६ को समाप्त होती है उस व्यक्ति के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं ऐसी स्थिति के अन्दर उसको गौर से नहीं देखना और उसको मियाद बढ़ा देने के क्या कारण हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक नगरपालिका की मियाद बढ़ाने का प्रश्न है मैंने यह बात पहले भी साफ कही थी हम नगर पालिकों के बीच में डिसक्री मिनेट नहीं करेंगे यदि सभी की मयाद बढ़ती है तो सभी की बढ़ायेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स की मयाद बढ़ाते हैं तो सभी की बढ़ायेंगे। इसलिए इस नगरपालिका की भी यूकिफार्म पालिसी के आधार पर ही मियाद बढ़ाई गई है। यह आरोप चेयरमेन के खिलाफ था चेयरमेन के खिलाफ नगरपालिका एक्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

की धारा ६३ की धारा के अन्तर्गत जांच करने से पहले कोई एक्शन नहीं ले सकते ।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : इसके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं चेयरमेन ने रिकार्ड को फाड़ दिया दूसरा हिसाब बना दिया, कई चीजें दर्ज कर दीं उसके उस पर हस्ताक्षर हैं फिर भी उनको सस्पेंड नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

मेवाड़ सुगर मिल्स, भोपाल सागर को भूमि

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)]: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. मेवाड़ शुगरमिल्स, भोपाल सागर को कुल कितनी जमीन २ कब कब अलॉटहुई और किन किन शर्तों पर हुई ?

२. उस जमीन में क्या शर्तों के अनु-सार ही फसल बोई गई ?

उप मंत्रि उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर को कुल २८५१)।।२ बीघा जमीन अलॉट हुई । सन् १६३२ में मेवाड़ राज्य के समय राज्य श्री महकमाखास उदयपुर आदेश संख्या ७५५१४ द्वारा तहसील कपासन एरीया में १२५७):।२ बीगा तथा तहसील सलूम्बर व सराड़ा में भी सन् १६३२ में मेवाड़ राज्य श्री महकमाखास उदयपुर आदेश संख्या ७३२७ बहारा १५६४ बीगा भूमि अलॉट हुई, उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) गन्ने की खेती के अलावा दूसरी काश्त भी की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्ताकालय में रखी गई ।)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या यह सही है कि इस शुगरमिल को जमीन दी गई वह गन्ने की काश्त के लिए दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : गन्ने की काश्त के लिए दी गई ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या यह सही है कि गन्ने के अलावा वहां चावल की खेती की जा रही है ?

श्री चंदनमल वैद : यह मैंने भी स्वीकार किया है कि दूसरी काश्त भी करते हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : शर्त के मुताबिक गन्ने की खेती के अलावा दूसरी काश्त नहीं कर सकता । जब उसने दूसरी काश्त की है तो सरकार उस जमीन को वापिस क्यों नहीं लेती है ?

श्री चंदनमल वैद : सन् ३२ की बात है इस पर सरकार विचार करेगी ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जब इस बारे में पहले प्रश्न उठाया गया था तो उद्योग मंत्री ने जवाब दिया कि मैं जांच करके जवाब दूंगा जिसका जवाब आजतक नहीं

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

मिला। अब फिर कह रहे हैं कलेक्टर द्वारा जांच कार्यवाही चल रही शर्तों का उल्लंघन पाया जायगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री चन्दनमल वैद : कितनी जमीन पर क्या क्या काश्त कर रहे हैं यह मैं बताऊंगा यह पहले कहा था। अब जब कि यह पता चला कि वे गन्ने के अलावा दूसरी भी काश्त कर रहे हैं तो यह सारा कानूनी मसला बन जाता है। सन् ३२ में उनको जमीन दी गई थी किन किन शर्तों पर दी गई, उसके बाद हमने टेनेन्सी कानून बनाया उसमें काफी परिवर्तन कर लिये, अब उनको क्या हक प्राप्त हो गये, ये सारे मसले हैं, जो देखने को हैं। इस पर विचार होने के बाद ही हम सही नतीजे पर पहुँच सकेंगे कि अब क्या कार्यवाही करनी है।

श्री उदयलाल बंदिया (लसाड़िया) : इस कम्पनी के साथ जो एग्रीमेन्ट हुआ है वह सदन की मेज पर रख दीजिए ?

श्री चंदनमल वैद : वह रख दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह सरकार को सब से पहले कब मालूम पडा कि इसमें गन्ने के अलावा दूसरी खेती भी होती है ?

श्री चंदनमल वैद : तारीख तो मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो साल तीन साल आप अन्दाजा ही बता दीजिए कि इतने साल पहले हमें मालूम हो गया था ?

श्री चंदनमल वैद : उनके पास जो जमीन है उसमें सरकार द्वारा भी दी हुई है और अपने आप भी उन्होंने खरीदी है। अब यह देखना है कि सरकार द्वारा कितनी दी हुई है और उन्होंने बाद में खरीदी कितनी है। किस जमीन पर दूसरी खेती हो रही है। इनकी जमीन चित्तोड़ जिले में है, उदयपुर जिले में भी है। इसलिए सारी जानकारी हासिल करना आवश्यक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न तो बिल्कुल साफ है। वह अपनी जमीन में काश्त कर रहा है या सरकार की जमीन में कर रहा है। यह आपकी जांच का सवाल है। पर यह आपके ध्यान में कब आई कि जो जमीन दी गई है और जिस काश्त के लिये दी गई है, उसमें वह दूसरी तरह की काश्त कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह तो कह चुके कि उनको मालूम नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने निवेदन किया कि तारीख का पता नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर साफ कह दीजिये कि जब यह बात आपके ध्यान में आई तो उस दिन से लेकर आज दिन तक कोई कार्यवाही की है क्या ?

श्री चन्दमल वैद : सम्बन्धित जिलाधीश से सारी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री चौसरसिंह बावेल : आप यह भी जानकारी दें कि व्यक्तिगत तौर पर पैसा लेकर जमीन उसमें से उसने बेची है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : यह भी केस है कि आया उसने सरकार द्वारा दी हुई जमीन में से जमीन बेची है या उनकी स्वयं की कोई जमीन बेची है। यह ३२ में दी गई थी सरकार द्वारा और उसमें यह शर्त थी कि इसको और ट्रांसफर करेंगे, बेचेंगे या दूसरे किसी और उपयोग में लेंगे तो सरकार से अनुमति प्राप्त करेंगे। अब उतनी पुरानी चीज का पता बिना पूरे रिकार्ड देखे लग नहीं सकता। तो रिकार्ड से पता लगाने के लिए हमने कलेक्टर को लिखा है कि अगर सरकार के द्वारा दी हुई जमीन उन्होंने बेची है तो पूर्व अनुमति उसके लिए प्राप्त की है या नहीं। यह काफी उलझा हुआ मामला हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये और स्वयं को देखने के लिए समय भी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तक सरकार कलेक्टर को चिट्ठी लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी !

श्री चौसरसिंह बावेल (बैंगू) : माननीय अध्यक्ष जी,....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं। माननीय सदस्य।

उदयपुर सलूम्बर रूट पर चलने वाली बस

५५१. **श्री देवीलाल मीणा** (सराडा—सु०) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर सलूम्बर रूट पर चलने वाली गाड़ी आर. जे. आर. १४१५ की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि इस गाड़ी में हमेशा क्षमता से अधिक सवारियां रहती हैं ?

(३) इस गाड़ी के मालिक के विरुद्ध एस. डी. एम., कोर्ट सलूम्बर, सिटी मजिस्ट्रेट उदयपुर व मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सलूम्बर की अदालतों में कितने केस १ जनवरी, १६६४ से ३० दिसम्बर, १६६४ तक चालान किये गये ?

उप मंत्री, यातायात, (श्री भीमसिंह): (१) आर. जे. आर. १४१५ की सीटिंग कैपेसिटी ३८ सीट की है।

(२) जब जब क्षमता से अधिक सवारियां पाई गईं, चालान हुए हैं।

(३) जो ८ चालान हुए हैं उनका स्टेटमेंट विवरण सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री देवीलाल मीणा : इतने चालान होने पर यह अब भी बाज नहीं आता तो परमिट उसका रद्द क्यों नही करते ?

श्री भीमसिंह : बाज आने का प्रश्न नहीं है। आइन्दा कसूर करेगा तो फिर सजा मिलेगी।

श्री देवीलाल मीणा : जितने चालान होते हैं तो उतनी सवारियां और भर लेता

(श्री देवीलाल मीणा)

है और जुर्माना भर देता है उसे पूरा कर लेता है। ३८ सवारियों की गाड़ी में साठ सत्तर सत्तर आदमी ले जाता है तो पैसेन्जरों को कितनी तकलीफ होती है। मैं इस गाड़ी में कई बार गया हूं। तो मैंने देखा है। लोग काफी परेशान हुए हैं। और यह व्यक्ति अभी तक बाज नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री भीमसिंह : यदि लगातार कसूर करता जावेगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कितनी बार और नियमों का उल्लघंन करेगा तो कार्यवाही करेंगे आप ?

श्री भीमसिंह : हम तो कार्यवाही बराबर करते हैं।

श्री देवीलाल मीणा : आठ बार चालान हो गया, फिर भी बराबर कसूर करता जाता है, तो आप इसका लाइसेन्स कैंसिल क्यों नहीं कर देते ?

श्री भीमसिंह : अब लाइसेन्स कैंसिल करने का अधिकार सरकार को नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पर सरकार दर्खास्त तो कर सकती है कि इस कारण इसका लाइसेन्स कैंसिल कर दिया जाय।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सरकार कर सकती है ऐसा, और करती भी है स्टेट रोडवेज की तरफ से करती है कई बार कि फलां ओवरलोडिंग करते हैं उनके परमिट कैंसिल किए जाय।

यातायात मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : यहां रोडवेज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर इस तरह की स्थिति में सरकार यहां भी कर सकती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कर सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : हमने आठ बार शिकायत की है। अब आर.टी.ओ. जुर्माना कर के छोड़ दे यह उसकी इच्छा पर है। वह परमिट कैंसिल भी कर सकता है, सस्पैण्ड भी कर सकता है। उसको अधिकार है। हम भी इस्तदुआ कर देगें कि इसको बन्द कर दिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अगर आर टी ओ की जगह होते तो जरूर इस हालत में उसका परमिट कैंसिल कर देते।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो हूं नहीं, मैं होता तो ओवरलोडिंग बन्द कर देता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो ऐसे आर टी ओ के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये जो न ओवरलोडिंग बन्द कर सकता है और न उसके परमिट को कैंसिल करता है।

श्री भीमसिंह : अक्टूबर, ६५ में इसका केस पुट अप भी किया था और नेक्स्ट हीयरिंग के लिये उसका केस अभी भी रक्खा हुआ है आर टी ओ के पास।

श्री अध्यक्ष : क्या पेश किया है ?

श्री भीमसिंह : यह लगातार मुतवातिर ओवरलोडिंग करता है। आर. टी. ओ. ने अक्टूबर में इस पर कन्सीडर किया है और दूसरी हियरिंग के लिये यह पेन्डिंग में रखा हुआ है केस उनके पास।

श्री अध्यक्ष : कम से कम यातायात विभाग यह तो कह सकता है कि अगर उधर इतना ओवरलोडिंग होता है और यातायात अधिक है तो एक गाड़ी और लगाई जावे। आठ बार चालान कर दिया, फिर भी ओवरलोडिंग करता है तो इसका अर्थ यह है कि उधर गाड़ियों की कमी है, और यातायात अधिक है।

श्री भीमसिंह : इसकी सर्वे कराकर सरकार और गाड़ियां लगाने का प्रबन्ध कर देगी।

श्री देवीलाल मीणा : अधिक सवारियों के कारण अभी होली के पहले भी एक्सीडेन्ट होते होते बची है यह गाड़ी।

श्री मथुरादास माथुर : है किसकी गाड़ी यह ?

श्री अध्यक्ष : आपके साथी मामले को उठा रहे हैं, इसलिये वह खतरा तो है नहीं।

प्रश्न संख्या ५५२

श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५५३

श्री भानुप्रसाद कराड़िया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

सहकारी समिति, दुवावा, तहसील गंगरार, के विरुद्ध बीज का दुरुपयोग करने की शिकायत

५५४. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दुवावा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ की सहकारी समिति को कृषि विभाग द्वारा बीज के लिये कोई गेहूं दिया गया था ? अगर हां, तो कब और कितना ?

(२) क्या यह सही है कि इस समिति का गठन अवैध रूप से हुआ है और इसका सेक्रेटरी बसी का निवासी है और उसके सदस्य जो कृषक हैं, उनका बोहरा है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीज किसानों के उपयोग के लिये दिया गया था ? अगर हां, तो अब तक कितने किसानों ने इसका उपयोग किया और समिति को कितना बाढ़ी का लाभ हुआ ? अगर लाभ नहीं हुआ, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इस बीज का दुरूपयोग करने बाबत राज्य सरकार के समक्ष कोई शिकायत हुई है ? अगर हां, तो कब कब और उसका निर्णय क्या रहा ?

(५) क्या यह सही है कि सेक्रेटरी द्वारा फर्जी फार्म भरे जाकर गेहूं का दुरूपयोग किये जाने की भी कोई शिकायत हुई है ? अगर हां, तो कब और उनका निर्णय क्या रहा है ?

(६) क्या विभाग द्वारा इस समिति का ऑडिट हो चुका है ? अगर हां, तो कब

Page No. 14

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

और ऑडिट एतराज में क्या गेहूं का उल्लेख है ?

(७) क्या यह सही है कि समिति का गठन तारीख २–६–५७ को हुआ और अब तक सहकारी विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा इसका चुनाव नहीं हो पाया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(८) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर अथवा असिस्टेण्ट रजिस्ट्रार ने भी इसका निरीक्षण किया है ? अगर हां, तो कब और चुनाव व बीज के गेहूं सम्बन्धी कार्यवाही में क्या-क्या कदम उठाया गया ?

उप-मन्त्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, दिनॉक २०–१०–५८ को कृषि विभाग द्वारा ६४ मन ३० सेर १२ छटांक गेहूं बीज के लिये समिति ने लिया।

(२) जी नहीं, समिति का गठन नियमानुसार हुआ। सयिति का सेक्रेटरी बस्सी का निवासी है। परन्तु यह समिति के कार्य-क्षेत्र का कृषक होने के नाते समिति का सदस्य बना और समिति का सदस्य होने के नाते समिति का मन्त्री चुना गया। समिति के रेकार्ड से कोई जानकारी नहीं मिलती है कि यह समिति के सदस्यों का बोहरा है।

(३) जी हां, जिन सदस्यों को यह बीज वितरण किया गया उनकी सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है, सन् १९५८–५९ में समिति को १७ मन २० सेर १४ छटांक बाढ़ी का लाभ हुआ।

(४) जी हां, शिकायत दिनांक ११–४–६२, २०–३–६३, १६–९–६३ २२–११–६३ व १४–२–६४ को प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच की जाकर मामला पुलिस में दिया गया।

(५) जी हां, मामला पुलिस के विचाराधीन है।

(६) जी हां, ऑडिट वर्ष १९५८–५९ से ३०–६–६५ तक का किया जा चुका है। जिसमें सदस्यों व असदस्यों में बकाया बीज मय बाढ़ी के वसूल किये जाने को लिखा है।

(७) जी नहीं, समिति का गठन २–६–५७ को न होकर ६–८–५७ को हुआ, और समिति का आखिरी चुनाव दिनांक १४–१२–६५ को कराया गया।

(८) जी हां, निरीक्षक द्वारा निरीक्षण दिनांक २३–११–६१ को किया गया और समिति का चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए गये। निरीक्षण के समय श्री रामजस ने १३ सदस्यों व असदस्यों के जिम्मे बकाया गेहूं जमा कराने की जिम्मेदारी ली। जो ५० मन २० सेर असल तथा ४३ मन २३ सेर ४ छटांक बाड़ी कुल ९८ मन १३ सेर ४ छटांक होती है। इसकी वसूली श्री रामजस भूतपूर्व मंत्री से करने को लिखा और बाद वसूली उसे वेचकर रकम पंचायत समिति में जमा करवाने के लिए लिखा गया। इसके अलावा अन्य बाकीदारों से भी बीज मय बाढ़ी के वसूल करने के लिए लिखा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि रामजस जो है वह कौनसे क्षेत्र का किसान है और उसके पास कितनी जमीन है ?

श्री भीमसिंह : मैंने जैसा निवेदन किया कि वह समिति का सदस्य है और वहां पर जमीन काश्त के लिये देने का बताया नहीं है । यदि माननीय प्रश्नकर्त्ता अगर यह मदद करके साबित करेंगे कि जमीन उसके पास नहीं है बोगस है तो आगे कार्यवाही की जावेगी ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : वह बस्सी का रहने वाला है । वह कृषक नहीं है, समिति बोगस बना रखी है । वह तो बोहरा है । सरकार ने अब यह कहा है कि वह कृषक है तो वह सरकार उससे मालूम करे या अपने रिकार्ड से मालूम करे कि उसके पास कितनी जमीन है कौनसे खसरा नम्बर की है ? कहां है ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि उसकी जमीन कहां है कितनी है यह रेकार्ड हमारे पास नहीं है । जो फेक्ट हमारे सामने आये हैं उसमें उसे कृषक बताया है । अगर माननीय सदस्य को इसकी परसनल जानकारी है कि उसके पास जमीन नहीं है और वह कृषक नहीं है तो इस बारे में कार्यवाही की जावेगी । वे इसकी डिटेल बतावें तो अच्छा हो ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : डिटेल ६२ से बताई जा रही है । आप यह कहते हैं, पुलिस को मामला सौंपा गया तो फिर क्या चार्जेज हैं जिनके आधार पर पुलिस को मामला सौंपा गया है ?

श्री भीमसिंह : ऑडिट की रिपोर्ट पर यह केस पुलिस को दिया गया था । कृषक नहीं है, इसके बारे में तो आपने जानकारी नहीं दी थी । पर ऑडिट ने जैसे कहा वैसे गबन के मामले में बीज के वितरण में गड़-बड़ी के कारण पुलिस को सौंपा गया था । आपने ये फिगर्स जरूर दिए थे ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : यह कृषक नहीं है, यह जानकारी सरकार को करनी चाहिये । मैं पूछ रहा हूं मामला पुलिस में कब दिया गया ? और इसके खिलाफ क्या चार्जेज हैं आपके ?

श्री भीमसिंह : चार्जेज मैंने निवेदन किया कि प्राइमा फेसी ऐसा मालूम पड़ता है कि गेहूं के बीज के वितरण में गड़बड़ी और गबन किया, यह प्राइमा फेसी चार्ज होने पर ही पुलिस को दिया गया है ।

प्रश्न संख्या ५५५

श्री अध्यक्ष : विजयसिंह झाला !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्रीमति सुमित्रा !

राजकीय विद्युत् मण्डल द्वारा सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति

५५६. श्रीमति सुमित्रा (झुनझुनू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान राजकीय विद्युत मण्डल ने माह जनवरी, फरवरी, १९६५ में कितने सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की ?

Page No. 16

(श्रीमती सुमित्रा)

(२) उन चयन किए गए सहायक अभियन्ताओं के प्रत्येक की क्या शैक्षणिक योग्यता है और उनका कितने समय का अनुभव है ?

(३) क्या इस पद पर नियुक्ति हेतु पोस्टें एडवर्टाइज की गई थीं ? यदि हां, तो एडवर्टाइजमेंट में क्या योग्यताएं व अनुभव रखा गया था ?

(४) क्या विभाग में पहले से ऐसी ही योग्यता रखने वाली अधिकारी जूनियर इन्जिनीयर के पद पर कार्य कर रहे थे ?

(५) यदि हां, तो पहले से कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमोशन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं ?

उपमन्त्री, विद्युत् (चन्दनमल बैद) : (१) राजस्थान राजकीय विद्युत् मण्डल ने माह जनवरी, फरवरी, १९६५ में कुल ८ सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की ।

(२) प्रत्येक सहायक अभियन्ता की शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव का व्यौरा सदन की मेज पर दिया गया है ।

(३) जी हां, इस पद पर नियुक्ति हेतु पोस्टें एडवर्टाइज़ की गई थीं । योगताएं तथा अनुभव जो कि इस एडवर्टाइज़मेंट में दी गई थीं वह सदन की मेज पर दी गई हैं ।

(४) जी हां ।

(५) इस चयन के लिए विभागीय कर्मचारियों जो कि ऐसी योग्यताएं रखते थे से भी प्रार्थना पत्र भेजने के लिए आग्रह किया गया था और ऐसे वहुत से कर्मचारियों का चयन भी हुआ । मण्डल ने सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति के लिए नियम भी बनाये थे इसलिये जो जूनियर इन्जिनियर इन नियमों के तथा अपनी कार्यकुशलता और गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर उपयुक्त पाये गये, उनको पदोन्नत भी किया गया और जो उपयुक्त नहीं पाये गये उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने जूनियर इन्जीनियर्स हैं जो इस विभाग में कार्य कर रहे थे और जिनको अयोग्य समझकर इस सिलेक्शन में बुलाया नहीं गया ?

श्री चन्दनमल बैद : ५३ ।

श्रीमती सुमित्रा : यह गलत सूचना है आप फिर से देखिये ।

श्री चन्दनमल बैद : ८३ एप्लीकेशन्स हमारे पास डिपार्टमेन्ट....

श्रीमती सुमित्रा : मैंने एप्लीकेशन के लिए नहीं पूछा है । आप पहले मेरा प्रश्न समझ लीजिए फिर उसका जवाब दीजिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :हियर ! हियर !! खूब डांटा !!!

श्रीमती सुमित्रा : ऐसे कितने जूनियर इन्जीनियर्स डिग्री हौल्डर्स थे जिनको अयोग्य समझकर इस साक्षात्कार के लिए नहीं

(श्रीमती सुमित्रा)

बुलाया गया ? और यह संख्या ५३ नहीं हो सकती, मुझे मालूम है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ कि जब हमने एडवर्टाइजमेन्ट किया था तो उसमें लिख दिया था कि इस योग्यता को रखने वाले हमारे डिपार्टमेन्ट में जो काम कर रहे हैं वे आवेदन—पत्र दे सकते हैं और जिन्होंने आवेदन पत्र दिये उन सारों के ऊपर विचार किया गया और उनमें से सिलेक्ट किए गए कि किस किस को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाये ।

श्रीमती सुमित्रा : मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है । मैं बिल्कुल स्पष्ट पूछना चाहती हूं कि ऐसे कितने जूनियर इन्जीनियर्स आपके विभाग में कार्य कर रहे हैं जिनको अयोग्य समझकर इस साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया ?

श्री चन्दनमल बैद : ८३ की एप्लीकेशन आई थी जो हमारे डिपार्टमेन्ट में काम करते हैं और ८३ में से कुछ को सिलेक्ट किया और कुछ को रिजेक्ट किया और जिनको सिलेक्ट किया उनको सिलेक्शन के लिए बुलाया । इसलिए उन साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्रीमती सुमित्रा : मंत्री महोदय बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं । मैं पूछ रही हूं कि ऐसे कितने जूनियर इन्जीनियर्स जो डिग्री होल्डर्स थे और जो इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहे थे लेकिन उनको अयोग्य समझकर नहीं बुलाया । ऐसे ५३ नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि जिन्होंने दरख्वास्तें दीं उनकी संख्या ८३ है ।

श्रीमती सुमित्रा : मैं एप्लीकेशन्स के बारे में नहीं पूछ रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : बाकी ने एप्लाई ही नहीं किया उनका क्या किया जाये ।

श्री सुमित्रा : ऐसे कितने जूनियर इन्जीनियर्स थे ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सही ढंग से नहीं पूछ रही हैं । उन्होंने प्रक्रिया बताई कि किस तरह से सिलेक्शन हुआ । जो विभाग में काम कर रहे थे उनको भी मौका दिया गया ।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मौका देने का तो सवाल नहीं है । जब साक्षात्कार को ही नहीं बुलायेंगे तो क्या होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : ८३ ने आवेदन—पत्र दिये और उसमें से ५३ को रिजेक्ट किया और ३० को सिलेक्ट किया ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : कुल कितने जूनियर इन्जीनियर्स हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : ८३ ने एप्लाई किया और जिन्होंने एप्लाई नहीं किया उनको बुलाने का प्रश्न ही नहीं होता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि २१—२—६४ को जो जूनियर इन्जीनियर्स हैं उनके लिए एक सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की थी ?

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह लिस्ट तैयार हुई थी, उसके बाद में भी इन्टरव्यूज के लिए कुछ जूनियर इन्जीनियर्स को बुलाया था और फिर कुछ इस प्रकार की सीनियोरिटी लिस्ट बनी थी लेकिन दुबारा उसको कैंसिल कर दिया।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत !

बस परिचालकों को नौकरी से हटाये जाने के आधार

५५७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) यातायात निगम द्वारा डिपोवार वर्ष १९६५-६६ में कितने परिचालकों को नौकरी से टिकट न काटने व कम दूरी के टिकट काटने के मामलों की वजह से हटाया गया ?

(२) परिचालकों को भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाने पर नौकरी से हटाने व न हटाने का क्या आधार व नियम हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जिन परिचालकों को टिकट न काटने व कम दूरी के टिकट काटने के मामलों में सेवा से हटाया गया है उनकी डिपोवार सूची परिचालक के नाम तथा उनके खिलाफ पकड़े गये मामलों की संख्या सहित सदन के पटल पर रख दी गई है।

(२) परिचालकों को भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाने पर नियम १२ व ३६ राजस्थान राज्य पथ परिवहन कर्मचारी एवं वर्कशाप कर्मचारी स्थायी आदेश के अन्तर्गत, जांच के बाद हटाये जाने की कार्यवाही की जाती है। तथा इन्हीं नियमों के तहत सभी कर्मचारियों को सेवा से भी हटाया गया है। न हटाये जाने वाले कर्मचारियों के मुकदमें भी इन्हीं नियमों के अनुसार तय किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग २ में पूछा है कि परिचालकों को भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाने पर नौकरी से हटाने व न हटाने का क्या आधार व नियम है। जो मंत्री महोदय ने नियम बताये हैं १२ व ३६, तो नियम ३६ में केवल पेनल्टी है और नियम १२ के अन्दर नोटिस देने का प्रावधान है, लेकिन ३६ में १ से लेकर ८ तरह की पेनल्टी है। तो जो ऑथोरिटीज पेनेलाइज करती हैं वह किन हालतों में किस किस तरह की पेनल्टी इम्पोज़ करती हैं इसके लिए नियम हैं, अगर नहीं हैं तो फिर इसके बारे में सरकार क्या सोचती है ?

श्री भीमसिंह : पेनल्टी किसी पर जैसी हालत होती है और जैसा केस होता है उसी के अनुसार होती है मेजर और माईनर। तो जो डिसाइड करते हैं वे देखते हैं। किसी ने एक हजार का घोटाला किया और किसी ने एक रुपये का किया तो वह तो उसको देखकर ही तेनल्टी लगाते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : जो इन्होंने सूचना दी है इसमें कई आदमी ऐसे हैं कि

(श्री तेजाराम गहलोत)

जिनको एक एक बार के जुर्माने में हटा दिया और कई परिचालक ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ३०-३० और ४०-४० भ्रष्टाचार के मुकदमें थे उनको नहीं हटाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह पूछना है कि कुछ व्यक्तियों ने टिकट नहीं काटा, उनको हटा दिया गया और कुछ ने कई बार टिकट नहीं काटा और फिर हटाया । इसमें दो तरह का व्यवहार क्यों किया गया ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : सुबूत नहीं हो सका ।

श्री अध्यक्ष : सुबूत नहीं हो सका, ऐसा नहीं कहना चाहिए था ।

श्री मथुरादास माथुर : जो सूची दी है उसमें जिनके खिलाफ एक्शन है वह सब दिया है ।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं निवेदन कर दूं कि मंत्री महोदय कहते हैं कि सुबूत नहीं होता.....

श्री अध्यक्ष : सुबूत लेने का सवाल नहीं है ।

श्री तेजाराम गहलोत : आप कहते हैं कि सुबूत नहीं होता तो विभाग के इन्सपेक्टर्स हैं वे नोट लगाते हैं कि गाड़ी में इतने टिकट कम लिए गए और इतने पाये गये लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चेक करता है वह गलत हो ।

श्री मथुरादास माथुर : ये जो कम्पलेन्ट्स आती हैं सही नहीं आती हैं, वह आज एक सोर्स है । वे जो शिकायत करते हैं उसकी जांच होती है । यह माना जा सकता है कि डिपार्टमेन्ट का इन्सपेक्टर झूठी शिकायत भी कर दे तो जांच तो करनी ही पड़ेगी । जो रूल्स बने हुए हैं उसके मुताबिक उनको नोटिस देना पड़ेगा । इसमें हजारों बरी हो जाते हैं । वही पुलिस तो केसेज का चालान करती है और वही छोड़ भी देती है ।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं जानना चाहूंगा कि वे कहते हैं कि सुबूत नहीं होता है, तो जब इन्सपेक्टर चार्ज लगाता है तो उसकी जांच के अन्दर आप किसी को बुलाते हैं ? उसमें पैसेंजर्स के तो नाम होते नहीं हैं । जब इन्क्वायरी होती है तो इन्सपेक्टर और परिचालक के अलावा तीसरे को तो बुलाते नहीं हैं फिर आप किस की जांच करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कह दिया है कि आपके दिमाग में वेबिल के ऊपर दस्तखतों वाली बात है । मेरे पास एम० एल० ए० की भी कम्पलेन्ट्स हैं उसमें एवीडेन्स लेनी पड़ेगी । इस लिए नेचर आफ कम्प्लेन्ट्स कई तरह की होती हैं और उसकी सीरियसनैस के ऊपर फैसला होता है और उसमें भी कम्पलेन्ट्स कई तरह की होती हैं और उसमें भी ऐसा होता है कि कम्प्लेन्ट कर दी, उसके बावजूद भी अगर डिफेन्ड करता है कि मैंने नहीं किया और यह शिकायत गलत है तो उसकी एवीडेन्स ली जाती है ।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं चाहूंगा कि यह नियम बहुत डिफेक्टिव है और सरकार

(श्री तेजाराम गहलोत)

को सोचना चाहिए कम से कम दूसरों की शिकायतों पर ग्राप गवाह बुलायेंगे लेकिन ग्रापके इन्सपेक्टर्स सैकड़ों ऐसे हैं कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं। जो ग्रापने सूची दी है इसमें जोधपुर में नम्बर ४ पर भीमराज बताया है, मैं साबित कर सकता हूं कि ग्रापके डिपार्टमेन्ट में १०० से ऊपर चार्जेज होंगे तब हटाया है ग्रौर किसी को एक कम्प्लेन्ट के ऊपर ही हटा दिया है। ग्रापने सूची एक की दी है।

श्री मथुरादास माथुर : एक में ही डिसमिस हो गया तो झगड़ा खत्म हो गया।

प्रश्न संख्या ५५८

श्री ग्रध्यक्ष : श्री चौथमल वर्मा !

(ग्रनुपस्थित, कृपया ग्रागे देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान !

सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत

५५६. **श्री जोधसिंह चौहान :** (गिरवा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर के सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग वहां तीन साल से भी ज्यादा ग्रर्से से हैं ग्रौर उनके खिलाफ काफी शिकायतें हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास ने यह ग्रादेश दिया था कि उक्त इन्जीनीयर को उदयपुर में कभी नहीं रखा जाये ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, उनके खिलाफ कुछ शिकायत ग्राई है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : वह कितने साल से उदयपुर में है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह उदयपुर में- उनका ट्रान्सफर १५ जुलाई ६१ से हुग्रा था— ४॥ साल से।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): यह किस प्रकार की शिकायत ग्राई कोई भ्रष्टाचार की थी या ग्रन्य तरह की ?

श्री परसराम मदेरणा : उनके खिलाफ शिकायत समय-समय पर ग्राती रही है। पहली शिकायत ६२ में ग्राई थी। चीफ इन्जीनियर द्वारा इन्क्वायरी करने के बाद में पाया गया कि कोई केस नहीं बनता है। लेबर ग्रौर महकमें में कर्मचारियों को स्ट्रांगली डील करता है ग्रौर एडमिनिस्ट्रेशन को टोन-ग्रप करना चाहते है इसलिए लोग नाराज हैं यह कम्पलेन्ट की है। उन्होंने रिटायर्ड ग्रादमी को री-एम्पलॉय कर लिया यह भी कम्पलेंट थी जो गलत पाई गई। उसके बाद में पी० डबल्यू० डी० कर्मचारियों के लीफलेट मिले थे वह भी इन्क्वायरी कर ली गई ग्रौर यह कम्पलेन्ट भी निराधर पाई गई। उसके बाद में पी. डबल्यू. डी. कर्मचारी संघ के प्रेसीडेंट ने एण्टी करप्शन को शिकायत की ग्रौर एण्टी करप्श्न ने उसकी इन्क्वायरी की ग्रौर उनके खिलाफ जो चौदह एलीगेशन्स लगाए थे उसमें से सात एलीगेशन्स तो फालतू पाए गए, ६ एली-

(श्री परसराम मदेरणा)

गेशन डिपार्टमेंट के दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ थे और एक-एलीगेशन्स के सम्बन्ध में अभी हाल में २९-९-६५ को एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने गर्वनमेंट के पास में लिख कर भेजा कि वे कुछ चीफ इंजीनियर से टेक्निकल पोइण्टस पर कमेंट जानना चाहते हैं, इसलिए हमने वह कागजात चीफ इंजीनियर के पास भेज दिये हैं वहां से कमेंट प्राप्त होने पर एण्टी करप्शन को भेज दिए जायेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार इनका तबादला करेगी, क्योंकि इनको तीन साल से ज्यादा हो गया है।

श्री परसराम मदेरणा : तीन साल से अधिक भी रहते हैं तो इसमें कोई गैर मुनासिब नहीं है। यह सरकारी आज्ञा ३१-१०-६३ के अनुसार एक आफिसर कम से कम तीन साल एक ही पोस्ट पर एक ही जगह रहे। इससे यह गैर वाजिब नहीं है कि एक आदमी एक जगह पर पांच साल तक रह सके। अभी तक इनको पांच साल कम्पलीट नहीं हुए हैं और इसीलिए ये वहां पर हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

बिना टिकट बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही

५६०. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) रोडवेज के कोटा डिपो के विभिन्न मार्गों पर अब तक अलग-अलग कितने कितने टिकट लैस पैसेन्जर्स विभागीय तौर पर रेकार्ड किये गये हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि कारपोरेशन बनने के पहले से नौकरी पर लगाये गये कर्मचारी इस विभाग में डेपुटेशन पर ही माने गये हैं और जनरल मैनेजर इस स्टाफ को निलम्बित भी नहीं कर सकता ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) कोटा डिपो के विभिन्न मार्गों पर कुल ७९ केस पकड़े गये हैं। अलग अलग व्यक्तियों के नाम व उनके खिलाफ पकड़े गये मामलों की संख्या उन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना सहित, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(२) जी हां। राज्य कर्मचारी अभी डेपुटेशन पर हैं परन्तु इसके यह मायने नहीं कि इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही नहीं की जाती या नहीं की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : आपने जो ७९ केसेज पकड़े जाने की बात बताई है तो ये कौनसे पीरियड तक के केसेज हैं ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, पीरियड की डेट तो मांगी नहीं थी। डेट इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : इसमें पीरियड मांगने का क्या सवाल है। जब प्रश्न पूछा गया है तो यह तो आपको बताना चाहिए कि यह कौन से पीरियड के केसेज हैं।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वहां पर इसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार होरहा है....

श्री जुझारसिंह : आपने यह जो ७६ केसेज बताए हैं तो ये केसेज तो एक महीने के भी हो सकते हैं, दो महीने के भी हो सकते हैं और छः महीने और बारह महीने के भी हो सकते हैं और जब से रोडवेज बनी उस टाईम से भी बताए जा सकते हैं। मेरे प्रश्न करने का उद्देश्य यही है कि वहां पर भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा हैं। आपने जब इसका पीरियड ही नहीं बताया तो यह कैसे मालूम होगा कि यह जो ७६ मामले हैं वे कितने समय के हैं। मेरी जानकारी में वहां पर टिकट-लैस ट्रैवलिंग के मामले बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए जब तक इसका पीरियड मालूम न हो यह कैसे मालूम हो कि वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर आप उसको बतायें तो मुझे सहूलियत होगी।

श्री भोमसिंह : अध्यक्ष महोदय, पीरियड माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो उनको बता देंगे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है उसके अनुसार २६ कर्मचारियों के लिए ७६ केसेज पकड़े गए हैं। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी के विरुद्ध एक से अधिक मामले हैं। इसमें मैं यह भी माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो ७६ केसेज पकड़े गए हैं वे एक ही समय के हैं या अलग अलग टाइम के हैं?

श्री भोमसिंह : एक ही समय में ता इतने केसेज़ हो नहीं सकते, अलग अलग टाइम के ही होंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसका मतलब है कि एक कर्मचारी के विरुद्ध एक से अधिक केसेज हैं तो उनकी इन हरकतों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री भोमसिंह : चार्ज शीट दिए गए हैं।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : उनको मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया?

श्री भोमसिंह : चार्ज शीट देकर ही इन्क्वायरी की जाती है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको सस्पेंड भी किया जाता है।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : यह चार्ज शीटें कब तक चलती रहेंगी?

श्री तेजाराम गहलोत : मेरे पास में जो सूचना आई है उसमें तो डिफाल्टर्स के नाम दर्ज हैं।

श्री भोमसिंह : वह अलग प्रश्न था यह अलग प्रश्न है।

यातायात मंत्री (मथुरादास माथुर) : आपने जो प्रश्न पूछा था उसमें आपने कितने आदमियों को मोत्तिल किया है, यह था। इसमें कितने केसेज़ पकड़े गए हैं और कितनों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, यह है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जिन लोगों को सस्पैंड किया जाता है उनको भी प्राइमाफेसी केस बनने पर ही किया

Page No. 23

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जाता है और जब आप चार्ज शीट देते हैं तो भी कोई केस बनने पर ही तो चार्ज शीट देते हैं। तो इसमें आपके पास फैक्ट्स तो सामने आते ही हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : सस्पेंड तब किया जाता है जब कि प्राइमाफेसी केस प्रूव होना चाहिए। जो ७६ केसेज दिखते हैं उनके बारे में जहां तक मैं समझता हूं रोड कारपोरेशन बना तब के ये ७६ केसेज दिखते हैं अब अगर डेट चाहते हैं तो जांच करके डेट बता देंगे। अगर प्राईमाफेसि केस दिखता है तो सस्पेंड भी किया जा सकता है डिस्मिस भी करते हैं, लेकिन ये लेबर के मामले हैं, लेबर कोर्ट तक जा सकते है इसलिए अच्छी तरह से सोच-समझ कर कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु०) : क्या यह सही है कि जो लोग पकड़े गए है उनके रिकार्ड गायब कर दिए गए हैं।

श्री जुझारसिंह : कोटा डिपो के अन्तर्गत २८ रोड्स हैं और उसमें से २६ कर्मचारियों के केसेज बने हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मेजर पोरशन पर भ्रष्टाचार के केसेज चल रहे हैं। क्योंकि एक आदमी अलग अलग रूट पर चलता है और २८ रूट्स पर २६ आदमी पकड़े गए हैं तो इसका मतलब है कि हर रूट पर भ्रष्टाचार है। इसकी कायदे से जांच नहीं होगी तब तक लोगबागो को तसल्ली नहीं मिलने वाली है।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

कस्बा कामां में बिजली की सप्लाई

५६१. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा कामां को बिजली सप्लाई किये हुए दो साल का समय हो गया है?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां पर अभी तक बिजली के लट्ठे और वायर तथा अन्य आवश्यक सामान स्टोर में पड़ा है?

(३) क्या यह भी सही है कि कस्बा कामां के वार्ड नं० ५, ६, ७ और ८ में अभी तक बिजली पूर्ण रूप से नहीं पहुंचाई गई है?

(४) क्या यह भी सही है कि कामां में हरिजन बस्तियों को कतई बिजली नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उन वार्डों और बस्तियों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेगी?

(५) क्या यह भी सही है कि कामां तीर्थराज पर भी बिजली पहुंचाने की बार-बार म्युनिसिपल बोर्ड कामां ने मांग की है? यदि हां, तो इस बारे में विद्युत् विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद्य)

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। मांग के अनुसार बिजली दि० १-१-६४ से दे दी गई है।

(४) बिमल कुंड की योजना बनाई गई परन्तु वह लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई।

(५) जी नहीं।

श्री मजलिस खां : वहां पर बिजली नहीं दी जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : मांग के अनुसार बिजली दे दी गई है ।

श्री मजलिस खां : मैंने अपने प्रश्न सं० ३ में पूछा कि वार्ड नम्बर ५, ६, ७ और ८ में कामा गांव के लिए बिजली की मांग की गई थी लेकिन वहां बिजली नहीं पहुंचाई गई ?

श्री चन्दनमल वैद : जिन जिन की मांग आई उनको बिजली दी गई है, अगर मांग ही नहीं आवे तो क्या करें ?

श्री मजलिस खां : क्या उन्होंने मांग नहीं की है।

श्री चन्दनमल वैद : जी हां ।

श्री मजलिस खां : कई बार तो मैंने कहा है ..

श्री चन्दनमल वैद : आपके कहने से क्या होता है । जो कनेक्शन लेने वाला है वह जब तक प्रार्थना नहीं करे तब तक क्या हो सकता है । उसका प्रार्थना-पत्र मिलने पर उसको डिमाण्ड नोटिस दिया जाता है और उसको जब वह पैसा जमा कराता है तभी तो बिजली दी जा सकती है ।

श्री मजलिस खां : अध्यक्ष महोदय, वहां पर मांग की जा रही है । लेकिन कनेक्शन नहीं देने का खास कारण यह है कि जो कनेक्शन दिए जाते हैं वे चार चार सौ रुपये उपर के लेकर दिए जाते हैं । जो रुपये देते हैं उनको कनेक्शन मिलता है ....

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि किसी की भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है । अगर माननीय सदस्य यह कहें कि ये मांग करें कि वहां पर बिजली दी जाय और उसी से किसी को बिजली मिल जाय तो यह तो असम्भव है । बिजली लगाने के नियम बने हुए हैं कि इतनी लाईन खींचने के लिए इतना रुपया देना होगा, एप्लीकेन्ट के पास डिमाण्ड नोटिस जाता है और उस पर वह पैसा जमा कराता है तो उसको बिजली का कनेक्शन दिया जाता है । अगर कोई कनेक्शन लेना चाहे तो हमें बिजली देने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) अगर मांग की जायगी तो आप बिजली देंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां, माननीय सदस्य के लिये कह रहा हूं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकती हूं कि हरिजन मौहल्लों के अन्दर बिजली देने का प्रावधान रखा गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) प्रश्न सं० ५६२ ।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह जो पिछला क्वश्चन था इसके बारे में मैं जरा स्पष्ट कर दूं । इस प्रकार की कई शिकायतें हमारे सामने आई थीं कि हरिजन मौहल्लों में बिजली नहीं जाती है । तो अब इलेक्ट्रिक-

(श्री हरिश्चन्द्र)

सिटी बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि कम से कम एक मौहल्ले में, हरिजनों के मौहल्ले में अपने खर्चे से बिजली लगायेंगे और उसके लिए प्रावधान भी रखा गया है ताकि हर गांव में जब बिजली पहुंचे तो हरिजनों का मौहल्ला इसके बिना नहीं रहे इसलिए यह निश्चय किया गया है कि एक मौहल्ले में बिजली विभाग की तरफ से लगाई जाएगी, बाकी के अन्दर वे अपने खर्चे से लगावें।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०) : एक मौहल्ले में बिजली होगी और एक में नहीं होगी तो फिर वे हड़ताल करेंगे दूसरे मौहल्ले वाले ।

श्री हरिशचन्द्र : दूसरी जगह भी बिजली जा सकती है; अगर वे कनेक्शन लेना चाहें, न भी लेना चाहें तो रोड लाइट तो फिर हम अपने खर्चे से लगायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल ।

स्टील का कोटा, भीलवाड़ा

५६२ **श्री गणपतिलाल वर्मा** : (मांडलगढ़) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा की किसी फर्म को स्टील का कोटा दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त फर्म का क्या नाम है? और सन् १९६३-६४ व ६५ में कितना कोटा दिया गया?

(२) क्या यह सही है कि उक्त फर्म सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट (औजार) बनाती है?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) जी हां। फर्म का नाम मेसर्स नारायणदास श्यामसुन्दर है । सन् १९६२-६४ व ६५ में इन्हें जो कोटा दिया गया उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(२) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री गणपतिलाल वर्मा : आपकी सूची के माफिक जो ब्यौरा आपने दिया है उसके अनुसार ४८,३५०) रू० का अलाटमेंट हुआ है और उसके बाद राजस्थान से जो कोटा दिया गया है उसकी कीमत तो नहीं लिखी है लेकिन ४.४६४ मीट्रिक टन इनको दिया गया है।

श्री चंदनमल वैद : ४,४६४ नहीं, ४.४६४ टन ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : हां तो जो कोटा आपने उनको दिया तो क्या उसका सामान बनाकर उन्होंने बेचा है?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां इन्होंने सामान बनाया है और जो सामान बनाकर बाहर बेचा है उसकी लिस्ट भी भेजी है।

श्री गणपतिलाल वर्मा : तो सन् ६४ में इनको कोटा अलाट क्यों नहीं किया गया, इसका क्या कारण है?

श्री चन्दनमल वैद : कौन सा कोटा नहीं दिया गया है?

श्री गणपतिलाल वर्मा : यह जो १.५ टन अलाट किया गया है।

श्री चन्दनमल वैद : अप्रेल ६४ में जो अलाटमेंट किया वह अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है।

श्री गणपतिलाल वर्मा : इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद : इम्पोर्ट लाइसेंस दिया जाता है, उसका माल आने में टाइम लग जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

सुरक्षा सैनिकों को प्लाट्स का अलॉटमेंट

५६३. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) राज्य सरकार ने सुरक्षा सैनिकों को आवास सुविधा देने के लिए अब तक कितने जिलों में भू-खंड सुरक्षित किए हैं ?

(ब) १९६२ से आज तक भिन्न भिन्न जिलों में कितने सैनिकों को प्लाट दिए जा चुके हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(स) १९६२ से अब तक जयपुर व जोधपुर में कितने प्रार्थना पत्र आ चुके हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाय ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): इसके नियम नहीं बने हैं क्या जो आप पोस्टपोनमेंट करनी चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सारी म्यूनिसिपैलिटिज से इन्फोरमेशन कलेक्ट करनी होगी जिसमें समय लगेगा।

(१२.०० मध्यान्ह)

उद्योगों को भूमि एलाटमेंट, कोटा

५६४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा में किस-किस हैवी इन्डस्ट्री को कितनी कितनी भूमि किन-किन शर्तों पर दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या उपरोक्त दी गई भूमि का सर्वेक्षण कराया जाकर स्थायी निशादेही कराई गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दी गई समस्त भूमि आरक्षित वन-क्षेत्र थे व इन क्षेत्रों में लकड़ी व कोयले के बहुत अच्छे जंगल थे ?

(४) क्या हैवी इन्डस्ट्रीज को मौके पर भूमि पर कब्जा देने से पूर्व वन विभाग द्वारा या अन्य विभाग द्वारा खड़े हुए जंगलों को नीलाम कराने की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या हैवी इन्डस्ट्री से एलाट शुदा भूमि में खड़ी हुई वन पैदावार का मुआवजा वसूल किया गया है ? अगर हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(६) कोटा के आसपास कहां २ किस किस हेवी इन्डस्ट्रीज के खुलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? क्या इनके लिए भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

उप-मन्त्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) इसकी तालिका सदन की मेज पर रख

(श्री चन्दनमल वैद)

दी गई है। जितनी जमीन उद्योग विभाग से दी गई है वह सब इन्डस्ट्रियल एरिया एलाटमेंट रूल्स के अनुसार है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। वन विभाग से केवल ५२३ एकड़ क्षेत्र उद्योग विभाग को स्थानान्तर किया गया। ये आरक्षित (Protected) जंगल थे और इनमें उपज साधारण थी।

(४) कब्जा देने के पहले खड़े हुए जंगलों को वन विभाग द्वारा नीलाम कर दिया गया था।

(५) कब्जा देने से पूर्व वन विभाग द्वारा पैदावार जंगल की नीलाम कर दी गई जिसकी कीमत १७,००१) रु० प्राप्त हुई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

(अ) खेड़ा जगपुरा कम्पार्टमेंट नं० १८ रेन्ज लाडपुरा क्षेत्र ४०० एकड़ कीमत १४,५००) रु०।

(ब) मंड्या जगपुरा कम्पार्टमेंट रेन्ज लाड़पुरा १२३ एकड़ कीमत २,५०१) रु०

(६) कोई ऐसा प्रस्ताव राजस्थान सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपने खण्ड (१) के अन्दर जो तालिका दी है मैं निवेदन करूंगा कि तालिका के अन्दर जो हैवी इन्डस्ट्रीज, कोटा में लगी हैं उन सबकी लिस्ट दे दी है ?

श्री चन्दनमल वैद : हैवी इन्डस्ट्रीज की दे दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अब यह बता दें कि यह जितनी भूमि आपने बताई है ५२ ३ एकड़ वन विभाग से लेनी पड़ी है। इसके अलावा जो अन्य विभागों से भूमि ली है तो वह कौन कौन से विभागों से ली है ? अभी तक आपने ७९६ एकड़ जमीन उनको एलॉट की है उसमें से ५२३ एकड़ वन विभाग से ली है तो बकाया और भूमि कौन से विभाग से ली है और कितनी-कितनी, किस-किस विभाग से ली है।

श्री चन्दनमल वैद : निश्चित रूप से मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं। हो सकता है कि हमारी खुद की जमीन हो, सरकारी हो सकती है या दूसरों से एक्वायर की हो। बाकी की जमीन का विवरण क्या है यह अभी नहीं बता सकता। आपका प्रश्न खास तौर से वन विभाग से सम्बन्धित था इस वास्ते वन विभाग के बारे में सारी सूचना दे दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जितनी जमीन उनको दी गई है वह सारी फोरेस्ट एरिया में है और रेवेन्यू लैन्ड बिल्कुल नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे चुका हूं कि ५२३ एकड़ वन विभाग से ली है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने दो जंगल बताये हैं, एक तो खेड़ा जगपुरा का जो १४,५००) रु० में निलाम हुआ है और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

२.५०१ में दूसरा नीलाम हुआ है तो इन दो जंगलों के अन्दर कौनसी इन्डस्ट्रीज लगी है ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, बड़ा मुश्किल है इस समय यह बताना कि किस किस जमीन पर कौन कौन सी इन्डस्ट्री है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप यह बता दें कि इनको कब्जा दिया है किस डिपार्टमेंट ने भूमि पर जाकर इन्डस्ट्रीज़ का कब्जा दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : कब्जा नियमानुसार दिया गया है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : किस डिपार्टमेंट ने मौके पर जाकर भूमि पर कब्जा दिया है ?

श्री अध्यक्ष : सब के लिए यह कैसे बता सकते हैं कि किस पर किस का कब्जा है और किसने दिया है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने कह दिया कि नियमानुसार दी है तो किसी ने कब्जा मोके पर जाकर दिया होगा, तो किस आफिसर ने कब्जा दिया है । मौके पर जाकर किस ने डिमार्केशन करवाया है । आपने कहा कि केवल दो जंगल का नीलाम किया गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह मामूली जंगल नहीं थे बड़े कीमती जंगल थे । सारे जंगल पेड़ों से भरा था । इसको इन्डस्ट्रियेलिस्ट खा गये और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक पैसा नहीं मिला सिवाय दो इन्डस्ट्रीज से । इन जंगलों में से केवल कुछ जंगल बचे हैं, बाकी के सब जंगल को वे इन्डस्ट्रियलिस्ट खा गये और इसका एक पैसा भी न इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट को मिला है और न फोरेस्ट डिपार्टमेंट को ।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य एक वेग चार्ज लगा रहे हैं । केवल ७०० एकड़ जमीन थी उसमें से हमने वन विभाग से ५२३ एकड़ जमीन ली और उस पर जंगल थे उनको किस तरीके से नीलाम किया गया है और कितना पैसा वसूल हुआ है या सारा बताया गया है । उसके बावजूद यह कहना कि आज तक पैसा उनसे वसूल नहीं कर रहे हैं गलत है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो पैसा है वह जंगलात का पैसा नहीं था । फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने इन्ड्स्ट्रीज डिपार्टमेंट से लिया है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह बताया है कि नीलाम किया गया है ।

प्रश्न संख्या ५६५

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया !

कोटा से जयपुर चलने वाली बस

५६३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयनारायण सालोदिया)

क्या यह सही है कि कोटा से जयपुर के लिए जो बस प्रातः १०॥ बजे कोटा से रवाना होती थी उसे जनवरी, १९६६ में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इससे रोड़वेज कारपोरेशन को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : जी नहीं : यह सर्विस अब भी चालू है । इस लिए नुकसान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने जनवरी ६६ के लिए पूछा था । अब चालू है उसका प्रश्न नहीं है ।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि सर्विस को कभी भी बन्द नहीं किया गया है । कभी कभी कोई गाड़ी फैल हो गई हो तो लेट हुई होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गाड़ियां जो फैल हो जाती हैं इनके सम्बन्ध में क्या विचार करती है गवर्नमेंट कि जिसके कारण से पैसेन्जर्स को परेशानी न हो ?

श्री भीमसिंह : दूसरी गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है, और कोशिश यह की जाती है कि जब गाड़ियां गैराज से निकालें तो वे मैकेनिकली फिट हों । इन्सपेक्टर्स हैं वे भी चैक करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच कराई है कि पिछले दिनों रोड़वेज की गाड़ियां इतनी ज्यादा क्यों फैल हुईं इतनी फैल हुई है तो इसका कारण क्या है ? उसका आमदनी पर क्या असर पड़ा और आगे के लिए उसको चैक कैसे किया जा सकता है ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जी हां ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अब तक कितनी गाड़ियां चालू हैं और कितनी बन्द हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बहस के दौरान बता चुका हूं सब बातें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरी जानकारी में जैसा है वह यह है । माननीय मन्त्री महोदय आंकड़ों से पता लगायेंगे कि जो गाड़ी कोटा से साढ़े १० बजे रवाना होनी चाहिये थी वह जनवरी के महीने में, नहीं आई है ।

श्री भीमसिंह : आपने प्रश्न पूछा है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इतनी जल्दी २ गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो उसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पहले आया है उसका उत्तर होगा पहले ।

श्री भीमसिंह : आपने पूछा कि जनवरी, ६६ में बन्द की गई है तो मैंने निवेदन किया है कि बन्द नहीं की गई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या आपका कहने का मतलब यह है कि साढ़े दस बजे कोटा से गाड़ी चली थी और किसी रोज भी नहीं रुकी थी ?

Page No. 30

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि कभी गाड़ी खराब होने के कारण साढ़े दस बजे नहीं रवाना हुई हो और साढ़े ११ बजे चली हो लेकिन सर्विस को डिस्कन्टिन्यू कर दिया गया हो, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन यह है कि वहां पर गाड़ियों के जो टाइमिंग्स हैं उसके अनुसार एक गाड़ी ५ बजे, दूसरी ७ बजे और उसके बाद १० बजे चलती है और आपका (**श्री** जयनारायण सालोदिया) कहना है कि १० बजे वाली गाड़ी रुकी हुई थी और वह एक महीने तक नहीं चली। यदि वह बन्द की गई तो कितने रोज के लिए की गई थी ?

श्री भीमसिंह : उनका क्वेश्चन यह था कि सर्विस डिस्कन्टिन्यू करदी गई जनवरी में, तो मैंने निवेदन किया है कि डिस्कन्टिन्यू नहीं की गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : जनवरी, ६६ के पूरे महीने जो गाड़ी रवाना होनी चाहिये थी साढ़े दस बजे वह नहीं हुई पूरे महीने और वहां पर मालूम करने पर बताया गया है कि गाड़ी काट दी गई है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कोटा से जयपुर आने के लिए कितनी गाड़ियां रोजाना रवाना होती हैं ?

श्री भीमसिंह : यह अलग से प्रश्न है। इसका ऑफ हैण्ड नम्बर मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य का कहना है कि जनवरी ६६ में यह गाड़ी नहीं चली और आप कहते हैं कि गाड़ियां चलीं। माननीय सदस्य की जहां तक जानकारी है वहां तक माननीय सदस्य का यह निश्चित अनुमान है कि गाड़ी नहीं चली और आप इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं कर रहे हैं। कितनी आमदनी हुई उसके आंकड़े देखने से आपको यह सारी जानकारी पक्की कर लेनी चाहिये।

श्री भीमसिंह : अगर माननीय सदस्य इतना इन्सिस्ट करते हैं तो जानकारी करके उनको तसल्ली करा दूंगा।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : आपके यहां डिपोवाइज झगड़े हैं और कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स डिपो मैनेजर्स का कहना नहीं मानते हैं। ब्रेकडाउन के कारण जब कि टिकिट इश्यू कर दिये हैं और दूसरी गाड़ी में बैठना चाहते हैं तो कन्डक्टर टिकट होने पर भी गाड़ी में नहीं बैठाता है। अगर कोटा डिपो की गाड़ी जयपुर डिपो में खराब हो जाती है तो जयपुर डिपो उसकी परवाह नहीं करता है। अगर जयपुर डिपो की गाड़ी कोटा में खराब हो जाती है तो कोटा डिपो उसकी परवाह नहीं करता है। जयपुर डिपो के एम्लाइज कोटा डिपो के मैनेजर की परवाह नहीं करते हैं और वहां पर बड़ी तू तू, मैं-मैं और गाली-गलौज तक हो जाता है।

प्रश्न संख्या ५६७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

मांगरोल से बमोरी कलां तक पक्की सड़क

५६८। श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) [श्री दयाचन्द सोन (बारां सु०) द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मांगरोल से बमोरी कलां तक सड़क कच्ची है और इस पर बसें चलती हैं ?

(२) क्या इसे पक्की बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कितने रुपये की और यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जब बमोरी कलां एक उद्घाटन अवसर पर गये थे, उन्होंने सड़क को तथा इस पर आने वाले नालों को शीघ्र पक्का बनाने का विश्वास दिलाया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां, बसों के आवागमन के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(२) जी नहीं । यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है ।

(३) केवल सड़क पर पुल निर्माण की योजना पर विचार करने का आश्वासन दिया था ।

श्री दयाचन्द सोन : बसों की जानकारी आपको नहीं है जब कि वहां पर दो-तीन बसें रोज चलती है कच्ची सड़क पर । जब यह क्वेश्चन आया था तो कम से कम आपको जानकारी तो करनी चाहिए थी कि बसें चलती हैं कि नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : यह हमारी मेन्टीनेन्स ऑफ रोड्स की लिस्ट पर नहीं है तो जानकारी कैसे दी जाय । यह फेयर वेदर रोड़ है जिसको रिपेयर कराने के लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो जानकारी करने की आवश्यकता क्या है ?

श्री दयाचन्द सोन : आपके जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं इसका उत्तर उनसे दिलवादें ।

यातायात मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : इस प्रश्न का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग

५६९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योग चल रहे हैं ?

(२) इन उद्योगों में घाटे में कितने उद्योग चल रहे हैं और लाभ में कितने चल रहे हैं ?

(विराम)

(श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर) आप यह जवाब दे चुके हैं बहस में ।

Page No. 32

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): आपको सन्तोष हो तो जवाब न दूं।

श्री अध्यक्ष : सदन को भी सन्तोष हो जाये।

श्री मथुरादास माथुर : (१) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न उद्योग चल रहे हैं।

(१) गंगानगर शूगर मिल्स, (२) हाई टेक ग्लास फैक्ट्री, (३) साल्ट सोर्सेज, (४) पलाना लिगनाइट, (५) सोडियम सल्फेट वर्क्स, (६) सोडियम प्लान्ट।

(२) निम्न उद्योग लाभ में चल रहे हैं:—

(१) गंगानगर शूगर मिल्स, (२) साल्ट सोरसेज, (३) सोडियम सल्फेट प्लान्ट, में लाभ हो रहा है।

(१) हाईटेक ग्लास फैक्ट्री अभी फोर-मेटिव स्टेज में चल रही है और लाभ के स्टेज पर नहीं आई है।

(२) पलाना लिगनाईट—इसकी स्कीम अभी कर्माशियल स्टेज पर नहीं है।

(१२.००मध्यान्ह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जौहरी बाजार, जयपुर) यह हाई टेक ग्लास फैक्ट्री सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे है ? गवर्नमेन्ट अंडरटेकिंग क्यों नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर यह भी गवर्नमेन्ट अन्डरटेकिंग है। ५१ परसेन्ट शेयर्स हमारे हैं तो पब्लिक सेक्टर में बन गई। गंगानगर शूगर फैक्ट्री में भी हमारे सेन्ट परसेन्ट शेयर्स नहीं हैं, फिर भी वह गवर्नमेन्ट अन्डर टेकिंग है। हम उसको मैनेज करते हैं ?

श्री संम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या यह सही है कि हाई टेक ग्लास फैक्ट्री में बिना लाइसेन्स के ही सामान मैन्युफेक्चर करवा रहे हैं ?

मथुरादास माथुर : हमको लाइसेन्स ज्यादा सामान बनाने के लिए मिला है और सामान कम बना रहे हैं ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि साइन्टिफिक एपरेटस का लाइ-सेन्स आपके पास नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसको साइन्टिफिक एपरेटस नहीं, लैबोरेटरी एपरेटस कहते हैं और इसके लिए लाइसेन्स हमारे पास हैं।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : क्या यह सही है जो सामान आप पहले बनाते थे वह बंद कर दिया है और अब दूसरा ही सामान बना रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : हम शुरू में जो सामान बना रहे थे वही अब भी बना. रहे हैं। धौलपुर ग्लास फेक्ट्री वाला घूम रहा है हमारे कम्पिटिशन में टिक नहीं सकता इस लिए हल्ला कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

(श्री जोधसिंह)

नगर परिषदों को बजट सम्बन्धी कठिनाइयां

५७०. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में नगरपरिषदों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु आमंत्रित परिषदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वायत्त शासन मंत्री ने यह घोषणा की थी कि एक बार राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृत हो जाने के पश्चात् पुनः प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

(१) यदि हां, तो क्या इस घोषणा पर अब अमल किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मंत्री वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : (१) इस बारे में यह कहा गया था कि बजट में मंजूर शुदा मदों के लिये प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता के बारे में विभाग द्वारा जांच कर निर्णय लिया जावेगा ।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सवाल यह है कि आपका प्रेस्काइब्ड है बजट, उसके आधार पर बनाया जाता है फिर क्या कारण है किस रकार को पेश करने के बाद उस पर स्वीकृति लेना जरुरी है ?

श्री परसराम मदरेणा : प्रश्न यह है कि अब तक नगर पालिकाओं का बजट सेंक्शन कर दिया जाता है लेकिन किसी पोस्ट को भरने के लिए एड्मिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन की आवश्यकता होती थी । अब हमने ऐसा किया है कि इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित कर दिया है, अलग अलग क्लास की म्युनिसिपेलिटीज हैं उनमें स्टाफ का क्या पैटर्न रहेगा यह निर्धारित कर दिया है ताकि माननीय सदस्यों को आपत्ति न रहे ।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या पैटर्न तय करने के बावजूद भी जब कि एग्जीक्यूटिव ओफिसर वहां रहता है, सेक्रेटरी वहां रहता है फिर क्या कारण है कि सरकार सारा बजट यहां मंगाती है फाइनेन्शियल कंट्रोल करने के लिए ? क्या सरकार अपने पास बजट मंगाना बंद करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : बजट सेंक्शन के लिए आता है । पोस्ट की जरुरत है या नहीं जब तक म्युनिसिपल बोर्ड कन्वीन्स गवर्नमेन्ट को यह सेटिस्फाई न करे कि उनके यहां इस प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता है या नहीं । लेकिन इस छोटे से मामले को लेकर सारा बजट नहीं रोकना चाहिये इसलिए यह तय किया है कि बजट सेंक्शन कर देना चाहिए लेकिन पोस्ट क्रियेट करने के बारे लिख देते हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं ली जायेगी तब तक नहीं भरी जायेगी ।

श्री जोधसिंह चौहान : स्वीकृति के लिए आना पड़ता है इससे काम में देरी होती है और नगर पालिकाओं के विकास में बाधा पहुँचती है इस बारे में भी आप कुछ सोचते हैं क्या ?

श्री परसराम मदरेणा : बिना सेंक्शन के जो लोग पोस्टें भर देते थे उनको रेगुलेराइज कराने का सवाल आया था इसलिए

(श्री परसराम मदेरणा)

म्युनिसिपल के चेयरमेनों की मीटींग में सरकार ने यह तय किया था कि म्युनिसिपेलिटीज के क्लालीफिकेशन के आधार पर स्टाफ का पेटर्न निर्धारित कर दिया जाय ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : स्टाफ का प्रश्न तो अलग रहा, म्युनिसिपेलिटीज की भिन्न भिन्न स्कीमों पर योजनाएं होती हैं चाहे तामीर हो या और हैं उसका बजट बन जाने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन की आवश्यकता क्यों होती है ?

श्री परसराम मदरेणा : प्रश्न स्टाफ के सम्बन्ध में है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न साफ है क्या यह सही है कि राजस्थान में नगर परिषदों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु आमंत्रित परिषदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वायत्त शासन मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि एक बार राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृत हो जाने के पश्चात् पुन: प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रशासकीय स्वीकृति और बजट स्वीकृति ये अलग अलग चीजें हैं । जो चेयरमैन मेटिंग के मिनिट्स हैं उनमें पोस्ट्स के बारे में स्पष्ट कहा है ।

(प्रश्न संख्या ५७१)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का सवाल है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ५५३ नंबर का प्रश्न आना जरूरी है ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मजदूरों को भुगतान

५५२. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के सड़क निर्माण व मरम्मत करने वाले स्थाई गेंग के मजदूरों ने उनका फिक्शेसन कर एरियर के भुगतान की मांग की है ?

(२) क्या यह सही है कि जिन्होंने मांग की है उन्हें स्थायी किया जा चुका है ?

(३) कितने मजदूरों को एरियर का भुगतान कर दिया गया है और कितनों को नहीं और क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं, स्थाई गेंग मजदूरों का फिक्शेसन कर एरियर चुकाया जा चुका है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता

(३) प्रश्न ही नहीं उठता

जिला जयपुर में अनुसूचित जातियों की बस्तियां

५५३. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(भांनुप्रसान कराड़िया)

(१) जयपुर जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कितनी बस्तियां बसाई गई हैं और कहां कहां ? इन बस्तियों के सम्बन्ध में कितना कितना रुपया सहायता व कर्जे के रूप में दिया गया है ?

(२) इन बस्तियों के लोगों को अन्य क्या क्या सुविधाए दी जाती हैं ?

(३) क्या ये सभी बस्तियां आबाद हैं ? यदि नहीं तो क्यों और कब तक आबाद हो जायेंगी ?

उत्तर

(१) बस्तियों तथा उनके लिए दिये गये अनुदान की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। बस्तियों के लिए इस विभाग द्वारा कोई कर्ज नहीं दिया जाता ।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल तक आदर्श बस्तियां बसाने का प्रावधान था, जिनमें पानी का कुआ, सड़क निर्माण क्रीड़ा-स्थल तथा पंचायत घर बनाने की व्यवस्था थी, जिन बस्तियों में ये व्यवस्था की गई है उसकी सूचना तालिका में अंकित है।

(३) संलग्न तालिका में अंकित सभी बस्तियां आबाद हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

लघु उद्योग के विकास हेतु मशीन खरीदने के लिए ऋण

५५५. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संचालक श्री ननजप्पा ने दिनांक ३–११–६५ को जयपुर लघु उद्योग निगम में अध्यक्षीय भाषण में खेद प्रकट किया कि राजस्थान में लघु उद्योग के विकास की काफी गुंजाइश होने पर भी इस प्रांत से मशीन खरीदने के लिए ऋण के बहुत कम आवेदन प्राप्त हुए ? यदि हां, तो राज-स्थान सरकार इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी हां, यह सत्य है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संचालक ने खेद प्रकट किया था कि राजस्थान से मशीनों के खरीदने के लिए ऋण के आवेदन पत्र बहुत कम प्राप्त हुए थे ।

उपरोक्त शिकायत को दूर करने के लिए ही जयपुर में इन्टेन्सिव केम्पेन (Intensive compaign) का आयोजन किया गया था जिसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अधिकारियों ने मशीनों के ऋण के आवेदन पत्र स्वीकृत किये थे। इस आयो-जन में राज्य के लगभग २०० लघु उद्योगों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा १२० लघु प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये जिनकी मशीनों का मूल्य लगभग ६३ लाख रुपया है ।

माध्यम सहकारी समिति, ग्राम बांदर सिंदरी

५५८. श्री चौथमल वर्मा (भिनाय-सु.): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि गणेश माध्यम सहकारी समिति ग्राम बांदर सिंदरी

Page No. 36

(श्री चोथमल वर्मा)

उप-जिला किशनगढ़ में १९६१-६२ में बनाई गई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति के सदस्यों ने अपने शेयर वापिस लेकर रकम प्राप्ति की रसीदें सहकारी विभाग को दे दी हैं ?

(३) अगर हां, तो अभी तक उक्त सहकारी समिति को क्यों नहीं समाप्त करने की घोषणा की गई है ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. जी नहीं।

३. प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका कुचामन

५६५ **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ के तहत नगरपालिका की कम से कम एक साधारण सभा प्रत्येक महिने में होना जरूरी है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुचामन की माह नवम्बर-दिसम्बर सन् १९६४ व जनवरी १९६५ में कोई साधारण सभा नहीं की गई ?

(३) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के तहत नगरपालिका कुचामन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और यदि कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की, तो क्यों ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां।

३. इस बारे में कानूनी राय लेकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

डूंगरगढ़ से हिसार सड़क

५६७. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डूंगरगढ़ से हिसार डिफेन्स रोड के निर्माण हेतु अब तक क्या काम हुआ तथा कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(२) क्या इसके निर्माण हेतु कोई ठेके हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इन ठेकों का कार्य शुरू हुआ है ?

(३) यदि अब तक ठेके नहीं हुए हैं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) लगभग २३ मील में कन्सौलीडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है १४ मीलों में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है तथा २४ मीलों में सामान एकत्रित किया जा चुका है।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

फरवरी १६६६ तक २२,०५,५१४) रु० व्यय हुआ है।

(२) केवल मील १०३।० से ११३। को छोड़कर डूंगरगढ़ से हिसार के भाग में निम्न प्रकार ठेके दिये जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है।

मील	दिनांक
४३।० से ५१।०	३-२-६६
५१।० से ५६।०	..
५६।० से ६६।४	२८-१-६६
६६।४ से ७६।०	१०-४-६५
७६।० से ८२।०	१६-२-६५
८२।० से ८६।०	१५-१०-६५
८६।० से ६६।०	११-६-६५
६६।० से १०३।०	"
११३।० से १२३।०	१०-११-६५
१२३।० से १३०।०	"
१३०।० से १३८।०	"
१३८।० से १४३।०	१०-५-६५
१४३।० से १५०।०	६-११-६५
१५०।० से १५६।३	"

(३) मील १०३।० से ११३।० के टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं जो स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं।

डूंगरगढ़-आडसर सड़क का निर्माण

५७१. श्री मोहरसिंह-(चुरू) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डूंगरगढ़ से आड़सर तक सड़क निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और उस पर कितना रुपया व्यय किया गया? इस पर क्या-क्या काम पूरा किया गया?

(२) इस सड़क का कार्य कब से बन्द है?

(३) इस सड़क का निर्माण अब पुनः कब शुरू किया जा रहा है?

(४) क्या यह सत्य है कि इसके अधिकांश भाग पर तारकोल न डालने से यह सड़क वर्षा की वजह से बुरी तरह जर्जर हो गई है?

(५) क्या इस सड़क में ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है? यदि हां तो कब और कितना? यदि नहीं, तो अब कब तक दिया जायेगा?

उत्तर

(१) इस सड़क का कार्य वर्ष ५८ तथा १६६० में हुआ है और इस पर ३,०२,०४० रुपया व्यय हुआ है ६ मीलों में डामर रोड़ तथा १२ मीलों में धाथला की सड़क बनाने का कार्य हुआ है।

(२) कार्य चल रहा है।

(३) कार्य फरवरी १६६६ से आरम्भ करा दिया गया है।

(४) सड़क की हालत साधारण है।

(५) जी नहीं अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खानपुर-अटरू की सड़क

११४. **श्री माधोलाल** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) खानपुर-अटरू वाया बड़ोरा सड़क को किस वर्ष में पक्का बनाया गया था ?

(२) खानपुर से बड़ोरा तथा बड़ोरा से शेरगढ़ तक पक्की सड़क की मरम्मत राजस्थान बनने के बाद कितनी बार की गई और कितना धन खर्च हुआ ?

(३) खानपुर से अटरू जाने वाली सड़क कितने मील लम्बी है ? इसको पक्की न बनाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) खानपुर से अटरू वाया बड़ोरा सड़क का कुछ भाग कच्चा है व कुछ भाग में पक्की सड़क है। खानपुर से बडोरा का ६। मील का भाग पक्का है जो भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय में बना था। बडोरा से गऊ घाट का भाग ६। मील कच्चा है तथा गऊ घाट से अटरू १० मील का भाग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था।

(२) खानपुर से बडोरा रोड़ पर वार्षिक मरम्मत पर लगभग ५२००) रु० व्यय होता है इस सड़क पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है :—

वर्ष	धनराशि
१९५५-५६	१९५३) रु०
१९५९-६०	५८९) १४ पैसे
१९६३-६४ } १९६४-६५ }	३११७७) रु०

बडोरा से शेरगढ़ कच्ची सड़क है जो इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(३) खानपुर से अटरू रोड़ की लम्बाई २२।। मील है। १६ मील २ फर्लांग रोड बनी हुई है। बाकी कार्य अर्थाभाव के कारण योजना में स्वीकृत नहीं है।

लूनी नदी पर पुलिया बनाने का कार्य

११५. **श्री हरिराम धारू** (सिवाना-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिन्दरी के पास लूनी नदी पर पुलिया बनाने का कार्य कब चालू हो जावेगा और अब तक नहीं किए जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) कार्य विभागीय तौर पर कराया जावे या ठेके पर कराया जावे वह भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार का निर्णय आने पर कार्य आरम्भ हो सकेगा।

गंगापुर से सपोटरा बिजली की लाइन का सर्वे

११६. **महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९६५—६६ के बजट में गंगापुर से सपोटरा चम्बल बिजली सप्लाई के लिए कितनी धन राशि का प्रावधान रखा गया था ?

Page No. 39

(महाराज कुमार श्रीवृजेन्द्रपाल)

(२) क्या इस लाइन का सर्वे हो गया है ?

उत्तर

१९६५–६६ के बजट में गंगापुर से सपोटरा चम्बल बिजली सप्लाई के लिए ३०,००,०० रु० का प्रावधान रखा गया था।

जी हां।

मार्केट बनाने हेतु दी गई भूमि

श्री श्रवण लाल : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन नगर पालिका क्षेत्र में गढ़ के पास में कोई बजाज मार्केट बनवाने के विषय में जनता की ओर से दरख्वास्त आई थी ?

(२) यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सच है कि इस जमीन को प्रशासक, नगरपालिका हिन्डौन ने एक आदमी को दे दिया है ? यदि हां, तो किसको और कितने में ?

(४) क्या इसको नीलाम किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) नगरपालिका कार्यालय में दरख्वास्त प्रस्तुत की गई थी।

(२) दिनांक २३-९-६३ को यह जमीन श्री सोहन लाल, अरुण ओटोमोबिल्स इन्डियन आयल कम्पनी को अलाट कर दी गई थी।

(३) श्री सोहनलाल को १४,४००)रु० में दिनांक १०-२-६४ को दी गई थी।

(४) श्री सोहनलाल का पूर्व का कब्जा मानकर बगैर निलाम के दी गई है।

भूमि पर नाजायज कब्जा, रायसिंहनगर

११८. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका दफ्तर रायसिंहनगर के पास एक लम्बे चौड़े प्लॉट पर एक बस के मालिक ने नाजायज कब्जा कर रखा है ?

(२) यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है एवं उसने कब से कब्जा कर रखा है ? क्या यह सही है कि उस स्थान पर उपरोक्त व्यक्ति आज भी नाजायज तौर पर मकानात बना रहा है ?

(३) क्या यह सही है एडमिनिस्ट्रेटर, रायसिंहनगर द्वारा इस आधार पर कि उपरोक्त व्यक्ति के उस नाजायज कब्जे के समीप के प्लॉट पर जो ७०००)रु० सालाना लीज पर नीलाम हुआ था एवं नाजायज कब्जे के प्लाट से कहीं छोटा था ४०००)रु० की सालाना लीज की बोली दी थी तथा ५०००)रु० सालाना लीज मनी तय करके सरकार के पास मन्जूरी के लिए भेजी थी ?

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

(४) क्या मन्जूरी प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्ति के जुम्मे कितनी राशि आज तक उपरोक्त कब्जे की बकाया है ?

उत्तर

(१) यह सही है ।

(२) यह व्यक्ति श्री निरन्जनसिंह है । जमीन पर कब्जा सन् ५७ से है । यह सही है ।

(३) पास वाले प्लाट की ३०००)रु० बोली हुई थी जिसका क्षेत्रफल ४८०० वर्ग फुट था । इस प्लाट की बोली २६००)रु० दी थी । ५०००)रु० वार्षिक लीज मनी तै किया गया था ।

(४) जी नहीं । ४५,०००)रु० की राशि बकाया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारी लाल ।

(१२·१६ म. प.)

सदन की कार्यवाही से शब्द, अभिव्यक्तियां इत्यादि निकालने विषयक आपत्ति एवं अध्यक्षीय व्यवस्था ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उस समय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर बिराज रहे थे, निहायत नम्रता के साथ स्थिति की गम्भीरता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने उनसे यह अनुनय किया था कि इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाय । मैंने सदन और आसन का ध्यान स्थिति की गम्भीरता की ओर आकर्षित किया था । राजस्थान से तूफान से पहले की सी शान्त स्थिति है । ऐसी शान्ति की स्थिति बनती जा रही है कि हम राजस्थान को बंगाल नहीं बनाना चाहते हैं । इस प्रकार की चीज को बढावा नहीं देना चाहते हैं जिससे लोग महसूस करें कि हिंसा के अलावा कोई तरीका रहा ही नहीं । दफा १४४ का लगाया जाना....

श्री अध्यक्ष : आपने आज स्थगन-प्रस्ताव की सूचना और दी है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : खास तौर से जो मुद्दा है उसकी ओर आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसको लेकर मैंने प्रार्थना की है वह यह कि जिस वक्त मैं सदन में यह निवेदन कर रहा था उस वक्त मुख्य मन्त्री जी एक दम भावावेश में हो उठे और उन्होंने चेयर को गाइड करते हुए, आसन को आदेश देते हुए यह बात कह डाली ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : मैंने कोई आदेश नहीं दिया ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह आप अपने मन से कह रहे हैं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा समन्वय गलत हो सकता है, आप माननीय मनीषि हैं, विद्वान हैं, मुझे इसमें आपत्ति नहीं आपकी योग्यता, शिक्षा, दीक्षा इसमें आपत्ति नहीं है, आप विद्वान हो सकते हैं लेकिन मेरा अनुमान है कि मुख्य मंत्रीजी ने चेयर

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

को गाइड किया और स्पष्ट आदेश दिया कि जो कुछ कहा है उसको एक्सपन्ज कर दिया जाय। जो कुछ निवेदन किया था उसको एक्सपन्ज कर दिया गया। फिर मैंने अनुनय विनय किया। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने कल की प्रोसिडिंग्ज है उनको देख लिया जाय। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने आसन को आदेश दिया। ऐसा शायद मैं निश्चयात्मक नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत होने लगता है, आभास मिलता है कि जब मैं यहां आकर कोई बात कहता हूं तो उसको प्रोसिडिंग्ज से निकालने का आदेश दे दिया जाता है। मैंने आसन को....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : यह रिफ्लेक्शन है चेयर के प्रति It is a refiaction on the chair. चेयर के लिए रिफ्लेक्शन कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपकी तो यह आदत है, हमारे और इनके बीच आड़ खड़ी कर दी जाय। आपकी तो इस तरह की परिपाटी बन गई है। ओफेन्ड हुए हैं तो क्षमा याचना करें। इनकी तो ऐसी मनोवृत्ति बन गई है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते क्या हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दुबारा जो कुछ मैंने कहा उसको एक्सपन्ज कर दिया तिबारा कहा उसको भी एक्सपन्ज कर दिया गया। मैं यह व्यवस्था चाहूंगा....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आज भी एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कौनसा तरीका होता है शब्द या प्रोसिडिंग्ज का भाग एक्सपन्ज किया जाता है ? मैंने कोई अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं किया। असंसदीय चीज सदन में नहीं कही जिससे हाउस के डिकोरम का उल्लंघन किया हो या जब उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बैठने का आदेश दिया तब बैठा। जब जब वे आसन पर खड़े हुए अनुशासन करने के लिए तब तब मैंने स्थान ग्रहण किया।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न किसके सम्बन्ध में है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे व्यवस्था करानी है आपसे।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था किस बात के लिए चाहते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : व्यवस्था आपसे चाहता हूं कि इसमें तीन चार मूलभूत प्रश्न पैदा हो गए हैं और एक प्रश्न यह पैदा हुआ है कि क्यों एक्सपन्ज करना पड़ा प्रासीडिंग्ज से। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि इस तरह क्या सदन के अन्दर हुई कार्यवाही को एक्स-पन्ज किया जा सकता है ? एक सवाल, दूसरा सवाल यह है- मैं आसन से यह निवे-दन करूंगा कि कल की कार्यवाही में जो एक्सपन्ज करने का आदेश दिया गया था उसको रिवाइज कर लिया जाय और फिर से उस आदेश को बदल दिया जाय। नहीं तो सदन में बहुत बड़ी गलत परम्परा पड़ने और बढ़ने की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लिए भारतीय संविधान में कुछ अधिकार मूलभूत दिए गये हैं और उनके अन्तर्गत

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

सदन में आकर हम कोई बात कहते हैं और वह बात कहते हैं वह पूरी पूरी प्रेस को जाती है। मैं मानकर चलता हूं कि कल जो कुछ मुख्य मन्त्रीजी ने मेरा जो कुछ कथन एक्सपन्ज कराया उसका एक मात्र कारण था कि यह तमाम सूचना कि सदन के सदस्य क्या महसूस करते हैं, राजस्थान की क्या स्थिति है और राजस्थान का सामान्य वर्ग किस तरह दुःख में है–उस सबको प्रेस में न जाने दिया जाय ...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, वह तो चेयर के आदेश को डिस्कस कर रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल : और इस कारण को लेकर मेरा कथन कार्यवाही से एक्सपन्ज कराया गया, जो जनतांत्रिक पद्धति के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा ताकि मैं अपने में सुधार कर लूं अगर कोई ऐसी बात हो। मुझे तो, अध्यक्ष महोदय, शर्म आती है एक तरह से कि मुख्य मन्त्रीजी को मेरा बोलना इस सदन के अन्दर मन्जूर नहीं है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह जाना चाह रहे हैं। अब जाना ही चाह रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप बार बार डिस्टर्ब क्यों करते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : और इसलिए मेरा कथन बार बार एक्सपन्ज कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक्सपन्ज करने का क्या मतलब होता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है–इसके लिए जो मेरे पास एन्साइ-क्लोपीडिया और पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस है–इसके अन्दर इसका विवरण दिया है। लेकिन इसके विवरण में जाकर मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं इसमें दिये विवरण को पढ़कर सुनाना चाहता था और यह बताना चाहता था कि इसमें यह नहीं है कि कोई भी कथन एक्सपंज कर दिया जाय बिना सदस्य को वार्निंग दिये हुए, बगैर उसको आगाह किये हुए और बिना स्पष्टीकरण सुने हुए। कल मुझे यह आदेश जारी कर दिया–निकल जाओ। अगर नहीं निकलता तो मैं क्या करता ? मुझे उठाकर फेंक दिया जाता। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है ? मैं आकर यहां कुछ कहता हूं तो क्यों दुख होता है ? मैं नहीं कहूंगा कि मेरे साथ उनका कोई विशेष विद्वेष है। मैं ऐसी बात मानकर नहीं चलता हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं। परन्तु ऐसा महसूस होता है कि आसन को शायद शासक वर्ग निर्देश करने की कोशिश करता है। उस पर आपका नियंत्रण रखना चाहिए और इस सम्बन्ध में पुनः आदेश देकर मेरी कल की कार्यवाही को बरकरार रखवाना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको भी एक्सपंज कीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकुटबिहारी लाल का यह कथन था कि कल उन्होंने जो भाषण दिया उसको प्रासीडिंग्ज में से नहीं हटाया जाय, बल्कि प्रासीडिंग्ज में

(श्री अध्यक्ष)

रखा जाय। सदन में जो भी बहस होती है उस समय कोई माननीय सदस्य आसन का ध्यान आकर्षित करते हैं कि अमुक माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह किन्हीं कारणों से जो प्रासीडिंग्ज हैं उसमें नहीं रखी जायं और उसके पश्चात् या स्वत: ही आसन के द्वारा व्यवस्था दी जाती है कि कौनसे शब्द कार्यवाही में रखे जायं या नहीं रखे जायं। इसलिए जो भी कल व्यवस्था इस सम्बन्ध में दी गई है उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो आसन पर होता है जो इस प्रकार की व्यवस्था देता है उस कार्यवाही के सम्बन्ध में—तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में किसी तरह रिवाइज़ करना या अन्य तरह से पलटना, जैसा माननीय सदस्य ने लिख कर दिया है और प्रश्न भी उठाया है, नियमानुकूल नहीं है और जो व्यवस्था दी सारी स्थिति को देखते हुए, मैं समझता हूं, उस स्थिति को देखते हुए वह बिल्कुल फाइनल माना जायगा और उसमें कोई हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय सदस्य ने इसके साथ साथ और कई बातें कही हैं–मैं समझता हूं, इससे उनका सम्बन्ध नहीं था। और इस तरह का व्यवहार किया जाता है या नहीं किया जाता है, मैं समझता हूं, इस प्रकार का कोई केस अब तक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था की जाय उसका ठीक प्रकार से पालन करें। यह मानकर नहीं चलें कि आसन द्वारा व्यवस्था किसी तरह गुमराह की वजह से या और वजह से दी जाती हो। और उनके जो विचार हैं उनके अनुकूल कोई बात नहीं पड़ती हो तो यह आशय निकालने की कोशिश न करें कि उनके प्रति किसी तरह आसन और किसी व्यक्ति का द्वेष हो। इसलिए जो बात उन्होंने उठाई है उसको मैं अस्वीकार करता हूं। जो कल कार्यवाही चलाई गई और जो निर्देश दिये गये वह उसी प्रकार रहेंगे जिस प्रकार कल दिये गये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) अध्यक्ष महोदय....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : (बनेडा) मेरा एक दूसरा है ...

श्री अध्यक्ष : वही मैं कह रहा हूं

उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे उसकी माननीय सदस्य को सूचना दे देंगे।

दो स्थगन-प्रस्ताव और आये हैं....

श्री अब्दुलजब्बार : (निम्बाहेडा)– अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन-प्रस्ताव मैंने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को निवेदन कर दिया है कि जो बात उठाना चाहें ...

श्री अब्दुलजब्बार : पहले निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : सदन में बात न उठायें बिना मुझे सूचना या नोटिस दिये हुए।

(१२-२५ म० प०)

'राजस्थान बन्द' के सम्बन्ध में प्रदर्शन एवं गिरफ्तारियां विषयक स्थगन प्रस्ताव :

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुट बिहारीलाल और श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने दी है। और दूसरे प्रस्ताव की सूचना सर्व श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, हरिप्रसाद शर्मा, कृष्ण कुमार गोयल, जोधसिंह चौहान और श्रवण लाल ने दी है। दोनों प्रस्ताव का सम्बन्ध है राजस्थान में राजस्थान बन्द का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस सम्बन्ध में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, व प्रदर्शन इत्यादि हुए हैं—उनके सम्बन्ध में हैं। प्रस्ताव स्वीकार तो नहीं किये जाते हैं लेकिन मुख्य मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में राज्य में जो स्थिति है व सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है उससे सदन को अवगत करायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से मजदूरों की कुछ मांगों को लेकर राजस्थान के साम्यवादी दल, समाजवादी दल और प्रसोपा ने एक आन्दोलनात्मक रुख अख्तियार कर रखा है। तारीख ११ मार्च को इन मांगों के सम्बन्ध में जब जयपुर में जुलूस निकाला गया तो सरकार की तरफ से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया और उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है उससे इस सदन को समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है।

इसके बाद इन संगठनों द्वारा इस बात का ऐलान किया गया कि तारीख २९ मार्च को राजस्थान बन्द किया जायेगा। तारीख २९ के कार्यक्रम के लिए जो भाषण राजस्थान में अलग-अलग जगह दिये गये वे काफी उत्तेजना फैलाने वाले थे। नीचे दिये गये कुछ वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है :—

(१) बंगाल और केरल में जो कुछ हुआ है वैसा यहां भी हो सकता है, रेडियो स्टेशन व सरकारी कार्यालयों पर जनता कब्जा करेगी।

(२) पुलिस अफसरों को कुचल दो, साथ में उनके जूते लगाओ।

(३) यदि सरकार चाहेगी या हमें मजबूर करेगी तो वे घटनायें जयपुर में भी हो सकती हैं। विधान सभा पर प्रदर्शन के समय इन्होंने नाईजीरिया, बंगाल, पंजाब आदि की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा :

यदि सरकार चाहेगी या हमें मजबूर करेगी तो वे घटनायें जयपुर में भी हो सकती हैं ...... रेडियो स्टेशन, हथियारों के गोदामों वगैरह पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर सरकार का यह रुख रहा तो क्रांति होगी। जिस प्रकार नाइजीरिया के प्रधान मंत्री की लाश का पता नहीं चला उसी प्रकार सुखाड़िया, मथुरादास माथुर, कुम्माराम आर्य की लाश का पता नहीं चलेगा। अगर जनता की ताकत देखनी हो तो २९–३–६६ को देख लेना।

सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाये रखना सरकार का कर्तव्य है। जो स्थिति बनती जा रही थी उससे शांति से काम करने वाले व्यक्तियों के काम में बाधा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पड़ने और भयंकर अशान्ति फैलने का खतरा पैदा हो गया था और वे चाहते थे कि जनता की आवश्यक सेवाओं को, जैसे बिजली, पानी, आवागमन की व्यवस्था को भंग कर दें। इन सब बातों से जन-जीवन क्षत-विक्षत हो सकता था और हिंसक कार्यवाहियां फैल सकती थी।

इस स्थिति में प्रशासन को विवश होकर गिरफ्तारियां करनी पड़ी हैं और कुछ जगह १४४ धारा लगानी पड़ी है।

इस सिलसिले में प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक २१७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें ६४ भारत सुरक्षा कानून (डी० आई० आर०) में ७ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में, ८६ सी० आर० पी० सी० की धारा १५१, ७ सी० आर० पी० सी० की धारा १८८, ६ धारा ३०६ तथा बाकी १४ विविध धाराओं के अन्तर्गत पकड़े गये हैं।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सब जगह अनिवार्य सेवायें, मतलब, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था सुचारु रूप से चालू है।

इसके अलावा राजस्थान भर से प्राप्त सूचना के अनुसार सब बाजार खुले हुए हैं व कारखानों में भी आमतौर से शान्तिपूर्वक काम चल रहा है और मजदूरों की काफी उपस्थिति है।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके २०-२५ मील दूर नहीं छोड़ा गया, न किसी को जबरन कारखानों में बन्द करके काम लिया जा रहा है।

राज्य सरकार किसी के भी मूलभूत अधिकारों को कुचलना नहीं चाहती और जो कुछ गिरफ्तारियां करनी पड़ी हैं या १४४ धारा लगानी पड़ी है वह शांति और व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से मजबूरन करनी पड़ी है। मैं अब भी आशा करता हूं कि ये संगठन शांति कायम रखने में सहयोग देंगे और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनायेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं....

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने यह घोषणा की थी कि जब तक मेरे अन्य साथी जिनको सदन से बाहर निकाला गया है नहीं आयेंगे मैं सदन में नहीं जाऊंगा। वे इसका जवाब दें कि वे सदन में कैसे आए हैं?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जिन परिस्थितियों में ये आये हैं, उसका जवाब मैं दूंगा कि किन परिस्थितियों वश आये हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आप बतावेंगे? आप इनको बताने दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी एक स्थगन. प्रस्ताव मैंने और मेरे साथियों ने रखा है वह एक ऐसा स्थगन प्रस्ताव है जो बहुत ही महत्व रखता है और खास तौर से हमारे मुख्य मंत्री महोदय, जो अपने आप को मजदूरों का नेता कहते हैं, वे मजदूरों से काम कराने की बात इस प्रान्त में सोचते हैं और उनके राज्य में कुछ मजदूर संगठन ने अपनी मांग लेकर राज्य सरकार के सामने रखी और राजस्थान में जितने भी कारखाने हैं उनमें नोटिस देकर एक दिन की हड़ताल की बात कही है और उसके लिए जो कुछ भी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है उसको दवाने के लिए और जुल्म करने में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ, आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में आर० ए० सी० आर्मड पुलिस और होम गार्ड के लोगों आदि को जिनको भी लगाया गया है. उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के युद्ध के समय में भी बोर्डर पर नहीं थी जो आज राजस्थान की राजधानी में लगाई गई है।

आपको याद होगा कि जैसलमेर की चौकी पर उस समय ६ जवान थे मगर आज कमल एंड कं० के यहां पर आपने ७० नौजवान तैनात कर रखे हैं जिनको मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वहां पर ३ एस० एच० ओज भी हैं। एक पूंजिपत्ति को सहायता देने के लिए. उसकी व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी पुलिस को आपने वहां पर लगा रखी है और एक राजस्थान की चौकी की रक्षा के लिए आपने इतने जवानों को नहीं रखा था।

मैं बहुत ही अदब से कहना चाहता हूँ कि यह कोई नई बात नहीं है। यह सारे राजस्थान में, हिन्दुस्तान में नौबत आई है जो मजदूर संगठन से उनके लिए हिन्दुस्तान की सरकार ने एक कानून बनाया और वह यह कि मजदूरों को बोनस दियाजाना चाहिए और इस कानून की तहत हमारे राजस्थान के काम करनेवाले बिजली के मजदूर, जिनके बारे में हमारे विद्युत मंत्री ने अक्टूबर के महीने में बड़े शान से इसी सदन में कहा था कि मैं बिजली के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि उन्होंने इतने कम समय में एक लाईन को जयपुर से मिलाने का काम पुरा कर दिया। जब एक तरफ मजदूर लोग आपके लिए इस तरह से दिलचस्पी ले कर काम करते हैं और दूसरी ओर मालिक मजदूरों के पेट को काटने के लिए सरकार द्वारा बनाये हुए कानूनों को हाई कोर्ट में चैलेंज करें और यह कहें कि उनको बोनस नहीं दिया जावे और हमारे चीफ मिनिस्टर यहीं चेम्बर आफ कामर्स की मीटिंग में १५ अगस्त के पहले यह कहते हैं कि उनको बोनस दिया जावे। इतना ही नहीं, आज से दो दिन पहले केन्द्र के श्रम मन्त्री श्री गोविन्द मेनन ने अलवर में कहा था कि बिजली घर के मजदूरों को बोनस दिया जाना चाहि। इतनी सभी बातें साफ होने के बाद उन्होंने मजदूरों को बोनस देने से इन्कार क्यों किया मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहां पर इस संगठन के बारे में तीन राजनैतिक पार्टीज के नाम ले लिये गए हैं। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उनके पीछे कोई राजनैतिक पार्टी ने वातावरण बनाने की कौशिश नहीं की। मैं आपको सूचना के लिए कहना चाहता हूँ कि इन मजदूरों के बारे में मैंने श्रम मंत्रीसे बात चीत की। उन्होंने कहा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कि यह प्रश्न सबसे पहले हमारे सामने इन्टक ने रखा और हमने उसको मंजूर नहीं किया और उनको नहीं दिया, हमने उनकी मांग को ठुकरा दिया और अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी इन्टक खत्म हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं था, श्री मानिकचन्दजी भी थे जब हमने श्रम मंत्री से इस बारे में बात की। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार ने लिख कर भेजा है कि यह बोनस इन मजदूरों को दिया जाना चाहिए। यह चिट्ठी वहां से आई है। समझ में नहीं आता कि जब आप के पास चिट्ठी आई है तो फिर आखिर कारण क्या है उनको बोनस नहीं देने का; उनके बोनस के पोइन्ट को इस तरह से राजनैतिक इश्यू बनाने और जनसंघ को या स्वतन्त्र पार्टी को गालियें देना? मैं यह कहूँगा कि आप यह बात इसलिए कहने वाले हैं कि आप अपनी पार्टी को और नेताओं को कामय रखने के लिए इस तरह से शासन करें, यह कोई अच्छी बात नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ११ तारीख को विधान सभा के सामने करीब ५ व ६ हजार मजदूरों का जुलूस निकला था और वे यहां के मजदूर थे, बिजली घर के मजदूर थे, पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूर थे और दूसरी जगह काम करने वाले मजदूर थे और उनका जुलूस इस विधान सभा के सामने आया। मुझे मुख्य मंत्रीजी एक बात बतादें कि उस सारे जुलूस में जो लोग थे—मजदूर थे, नेता थे, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की, क्या किसी ने किसी को कंकर भी मारा या गाली भी दी? क्या कारण था कि आपने धारा १४४ लागू कर दी? मैं १४४ धारा को चैलेंज करता हूँ। हमने यहां आज भी सेशन जज हैं उनको कहा है कि यह धारा १४४ गैर कानूनी है। १४४ धारा का आॅर्डर निकाला है उसको आप पढ़िये। उसमें कहा है कि राजकीय मीटिंग हो सकती है। चीफ मिनिस्टर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरी जगह उन्होंने यह कहा है कि लाठी लेकर नहीं चल सकते, तलवार लेकर नहीं चल सकते, जब लकड़ी-लाठी लेकर कोई नहीं चल सकता. आपने जब अपने आॅर्डर में कहा है कि राजकीय मीटिंग हो सकती है तो आपको यह भी लिखना चाहिये था कि पुलिस वाले लकड़ी लेकर चल सकते हैं। जब यह नहीं लिखा गया है तो ये सारे पुलिस वाले लकड़ी लेकर किसको मारने के लिए चलते हैं? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने यहां कहा कि राजस्थान को केरल, पंजाब और बंगाल नहीं बनाना चाहते, मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर कोई भी संगठन नहीं चाहता कि राजस्थान में जो शांति है, बावजूद इसके कि जितनी मंहगाई है, अकाल पड़ा हुआ है और भी कई कमियां हैं, इन सारी कमियों के बावजूद भी यहां की जनता शांति से रह रही है। कोई भी राजनैतिक पार्टी यह नहीं चाहती कि उनकी शांति खत्म की जावे और यहां की सरकार चाहती है कि यहां बंगाल, पंजाब और केरल की स्थिति पैदा हो जावेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब १७-१८ दिनों से शांति से भूख-हड़ताल कर रहे थे, ४१ लोगों ने भूख-हड़ताल कर रखी थी, उस समय जरा आप यह बतावें और जरा सरकार की ओर से बोलने वाले सदस्यों को पूछिये कि इतनी लम्बी भूख हड़ताल और इसके बावजूद भी राजस्थान के किसी शहर में क्या किसी मजदूर ने किसी प्रकार की हिंसा की या किसी प्रकार की वायोलेंस की? क्या किसी का सिर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

फोड़ा या किसी ने कानून को तोड़ा ? ये सब बातें होतीं और उसके बाद आप धारा १४४ लगाते, लोगों पर प्रेशर लाते तो आपकी बात ठीक होती, पर आज राजस्थान सरकार जान चुकी है कि हमारे राजस्थान में जितनी बुराइयां हमारी हैं उन पर पर्दा डाला जाय और राजस्थान में दो करोड़ और कुछ लाख लोग रहते हैं उनके मूल अधिकारों पर कुठाराघात किया जाय । मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि कल आपने १४४ धारा लगाई उसके एक दिन पहले रात के १२ बजे तक भी क्या किसी ने वायोलेंस किया है ? आप कह सकते हैं कि लोगों ने इस प्रकार के भाषण दिये थे । भाषण देने की बात और लिखे हुए शब्दों की बात कहें तो पुलिस कोतवाली की चौपड़ पर आपने मीटिंग की, उसमें जो बातें मन्त्रियों ने कही हैं उनको अगर सदन में रखूं तो क्या होगा । यहां तो ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं, कल आचार्य-जी बोले थे जब अकबर, शाहजहां के दरबार में बादशाहों की सवारी जाती थी तो कहते थे, बाबू राजा होशियार, बादशाह की सवारी पधार रही है । इस तरह अशांति फैलाने वाले मन्त्री यहां बैठे हैं इस तरह की बातें चोपड़ पर कहें वे मन्त्री रहने के लायक नहीं हैं । उन्होंने राजस्थान में अराजकता फैला रखी है, वे मन्त्री झगड़ा फैलाकर अशान्ति फैलाने की बातें कर रहे हैं, दूसरे कोई अशान्ति फैलाना नहीं चाहते ।

एच. के व्यास किसी पार्टी के हैं, वे मजदूर संघर्ष समिति के कन्वीनर हैं, वे भूख हड़ताल पर बैठे, उन्होंने एक बार नहीं ४ बार मुख्य मन्त्री को चिट्ठी लिखी और अदब से कहा कि इन बातों को मन्जूर कर लीजिये, आखिरी चिट्ठी में तो यहां तक लिखा कि आप यह आश्वासन दे दें कि मजदूरों को एक महीने बाद भी बोनस दिया जा सकता है, रिट वे विथड्रा कर लेंगे, पर आपने यह भी मंजूर नहीं किया और आज यह कहते हैं कि मजदूर इस प्रांत में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, अशान्ति फैलाना चाहते हैं । किसने तोड़ फोड़ की । तोड़ फोड़ करने वाले कौन लोग होते हैं ? शायद मुख्य मन्त्री को मालूम नहीं होगा । जब बम्बई में पिछले दिनों बम्बई बन्द का नारा लगाया तो तोड़-फोड़ करने वाले कौन लोग गिरफ्तार हुए ? तोड़-फोड़ करने वालों में कांग्रेस के स्वयं सेवक गिरफ्तार किये गये क्योंकि उन स्वयं सेवकों ने आग लगाई, तोड़-फोड़ की और बाद में उनको रिलीज कर दिया गया, तोड़-फोड़ करने वाले और कोई नहीं कांग्रेस के स्वयंसेवक थे । ८ दिन तक इस प्रकार के मुकदमें चलाये गये क्या ? क्या एक को भी साबित करके बताया कि ये विरोधी हैं जो अशान्ति फैलाते हैं, आग लगाते हैं ? एक भी इस प्रकार की बात आप साबित नहीं कर सके ।

यह साबित नहीं कर सकते तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस राज्य के लोग शान्ति से रहना चाहते उस प्रान्त की सरकार इस प्रकार के कानून लगाकर लोगों को गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार किन लोगों को किया गया, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया. जो घरों में सोते हुए थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया जो लोग १७ दिन से भूख हड़ताल पर थे। जो लोग

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

भूखहड़ताल पर थे १७ दिन से जिन्होंने खाना नहीं खाया वे क्या डंडा लेकर किसी का सर फोड़ने वाले थे, या बम्ब फैंकने वाले थे जो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया ? जिन लोगों ने १७ दिन से अन्न नहीं खाया क्या वे लोग डंडा लेकर किसी का सिर फोड़ देते ? मुख्यमंत्रीजी आप १७ दिन तक भूखे रह कह देखो, आपकी चलने फिरने की ताकत भी नहीं रहेगी। तो उन लोगों को गिरफ्तार किया, वे हिंसा फैला सकते हैं, वायोलेंस कर सकते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं मजदूरों का आदमी हूँ, किसानों का आदमी हूँ। चन्द लोगों के प्रभाव में आकर इस तरह से इन लोगों का दमन करके आप अपने पैरों पर और अपनी सरकार के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यह राजस्थान के आदमी आपके दमन के कारण चाहे आज राजस्थान बन्द नहीं कर पायें हों पर मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले जमाने में राजस्थान ही बन्द नहीं आपकी सरकार को दफना दिया जायगा। आप नोट कर लें कि इन्होंने कहा था कि आपकी सरकार को दफना दिया जायगा। अगर इस प्रकार के कानून लगाये गये, यहां हिंसा, अशान्ति फैले, उत्तेजना फैले, इस प्रकार की कार्यवाहियां आपने कीं तो लोग आपके अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, में मुख्य मन्त्री से सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से धारा १४४ लगाई, लोगों को गिरफ्तार किया, अभी स्टेटमेंट दिया उसमें बताया कि किसी कारखाने में लोगों को बन्द नहीं किया। मेरी जानकारी है कि बिजलीघर में रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को बन्द कर रखा है। बाहर से जाने वाले लोगों को पुलिस ने मारा, एक एक को घसीट कर अलग कर दिया, यह मुख्य मन्त्रीजी आपको मालूम नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : तो क्या लड़ाएं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह कहते हैं कि लड़ाएं। गेट अन्दर से बन्द। बाहर ४ मजदूर थे, उनको भी आपकी पुलिस ने घसीट घसीट कर अलग कर दिया। लड़ाने की बात नहीं वहां जाकर देखें कितने पुलिस के सिपाही खड़े हैं। यही नहीं और गैरकानूनी काम वहां हो रहे हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद उनको कार्ड मिलते हैं, उनकी हाजरी भरी जाती है, वह कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। मेरे साथ चलिये, मैं आपको बताऊं कि कानूनी कार्यवाही वहां पूरी नहीं हुई है, मजदूर बन्द हैं या नहीं, यह मैं आपको बताऊं।

यही नहीं मुख्य मन्त्री का एक स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें कहा गया कि कोई विधायक गिरफ्तार नहीं किया गया। हो सकता है कि उनके पास कल इस प्रकार की खबर नहीं आई हों। मैं कह सकता हूँ कि श्री रामानन्द अग्रवाल कल रवाना हुए हैं, उस वक्त तक उनके घर पर टेलीफोन है कि बस में बैठ गये हैं। अब वे कहां पर हैं आप पता लगाईये ? हांडा कहां गया ? मुख्य मन्त्री कह गये कि किसी विधायक को गिरफ्तार नहीं किया। अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मानक चौक की चौपड़पर श्री मानिकचन्द सुराणा और ७दूसरे साथियों

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी सूचना भी अभी मुख्यमन्त्री ने स्टेटमेंट में नहीं दी। मुख्यमन्त्री के पास गृह विभाग है, उनकी पुलिस इतनी होशियार है कि मुख्य मन्त्री के पास स्टेटमेंट देने से पहले सूचना नहीं दे सकी कि अभी उनको गिरफ्तार किया है।

आप बताइये, इन लोगों ने क्या वायोलेंस किया? किसका सिर फोड़ा? क्या वायोलेंस किया कि उनको और उनके सात साथियों को गिरफ्तार कर लिया? मैंने यह बात यहां इसलिये रखी है कि विरोधी दलों को दबाने की कार्यवाही सरकार कर रही है और तोड़ फोड़ के लिये शांत जनता को उभाड़ना चाहती है ताकि यह सरकार गोलियां चलाये और लोगों को दबादे। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश में कितने लोगों को गोलियों से मार दिया गया है। यहां कल गोली चलाने की बात सदन में आई, डीडवाना के बारे में स्टेटमेंट दिया गया। जनसंघ के माननीय नेता ने रखा था कि जो स्टेटमेंट वहां दिया गया, जो वहां के सही हालात हैं उनके बजाय और स्टेटमेंट यहां सदन में रखा गया। मुझे मालूम हुआ कि स्टेटमेंट देने वाले नागोर के क्लेक्टर सदन में बैठे थे, वहां क्या स्टेटमेंट लिखा और यहां क्या दे दिया गया। वे सारी बातें कर्मचारियों द्वारा जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जनता को कहा कि हुल्लड़ करो, इस तरह की बातें करने के लिये तैयार हो जाओ। तो मैं बहुत अदब से कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इस तरह दमन पर उतारु हो गई है। आइ. एन. टी. यू. सी. को प्रोत्साहन देने के लिये हथकंडे किये तो मुख्यमंत्री जी, आपके लिए और आपकी सरकार के लिए और सारे प्रजातन्त्र के लिए घातक होगा। बापू की आत्मा स्वर्ग में बैठी है जिन्होंने कहा है कि सत्याग्रह करना, अन्याय के खिलाफ बगावत करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, हरेक हिन्दुस्तानी का जन्म सिद्ध अधिकार है। उस बापू की आत्मा को निगल जाओगे, खा जाओगे अगर इस तरह के हथकंडे किए तो। चाहे सरकार माने या न माने, इस तरह के स्थगन-प्रस्ताव माननीय सदस्यों की तरफ से आए हैं उनको इस सदन में पेश करने की आज्ञा देकर सारे पर बहस होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि यह बताएं कि किन किन लोगों ने अत्याचार किया, पत्थर फेंके, सिर फोड़ा, क्या किया है। अगर ये नहीं बताना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि आपके लोगों ने कितने लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट दिए। आपके इंटक के जो मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया है, अलवर में, पढ़ लीजिए। उसमें कितनी ही बातें लिखी हैं? दूसरों ने कहा है, वह किया है।

एक छपा हुआ कागज मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूँ। राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल, जयपुर, डी० आई० आर० भारत रक्षा कानून, जिसके बारे में संसद में भी और अभी जो हमारी प्रधानमंत्री हैं कहती हैं कि उसको खत्म करना चाहिए। पर हमारी सरकार इसका कहां उपयोग कर रही है। इस पत्र में लिखा है:

"सरकार के आदेश संख्या दिनांक अगस्त २१, सन १९६४ के जरिए राज-

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

स्थान विद्युत् मंडल की सेवाएं परमावश्यक सेवाएं घोषित की गई हैं कुछ व्यक्ति अथवा एसोसिएशन इन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों को दिनांक २९-३-६६ को अपने काम छोड़ने अथवा अपने काम से अनुपस्थित रहने के लिए उकसा रहे हैं अतः इसके जरिए राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल को सूचित किया जाता है कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के हक में दिए गए किसी विधिपूर्ण आदेश या आज्ञा से सेवा का छोड़ना या काम से अनुपस्थित रहना डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स के नियम १२६ (ए–ए) के आधीन एक वर्ष की कड़ी सजा या जुर्माना के अलावा दोनों दंडनीय हैं। यह दंड अन्य किसी सजा, जो किसी अन्य कानून के तहत दिया जायगा, वह अलग होगा।"

मुख्यमंत्री जी ! आपके डी० आई० आर० का मक्सद किसी संस्था में काम करने वाले मजदूर का कोई ऐसा ऑफेन्स नहीं। आप इस तरह से डी० आई० आर० को काम में लेते हैं। आपके यहां पर जो बाल बैयरिंग है वहां ताला बन्दी हो गई गई थी, उसके मालिक के खिलाफ डी० आई० आर० नहीं, पर मजदूरों के खिलाफ राजस्थान सरकार डी० आई० आर० का कानून लागू करती है, यह पर्चा मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

(समाय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह राज्य सरकार जनता विरोधी, मजदूर विरोधी है, इसने जो कारनामे किए हैं उनको वापस लो, धारा १४४ को खत्म करो, जो गिरफ्तारियां की गई हैं उनको वापस रिहा करो और मजदूरों को बोनस दिलाइए। राजस्थान में मजदूरों की मांग है, कर्मचारियों की मांग है। आप उनको सारी सुविधाएं दिलाने की घोषणा करें नहीं तो आपका १० साल का इतिहास लिखा है, उसमें यह इतिहास काले कारनामों में लिखा जायगा. आप उससे बरी नहीं हो सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) . अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बंध के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने कुछ तथ्य रखे। राजस्थान बंध उसी पैमाने पर होता जिस पैमाने पर तोड़-फोड़ बंगाल और केरल में हुई है तो यह विचार मतभेद का प्रश्न है। राजस्थान बंध के सिलसिले में किस प्रकार की घटनाओं का क्रम होता यह जानने की इनके पास मशीनरी है, जो मशीनरी इस सम्बन्ध में उनको जानकारी देती है, वह कितनी सच्ची होती है, कितनी गलत होती है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन राज्य का हर नागरिक इस बात से सहमत है जैसे भाई ढबरियाजी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने की, उनकी कोई मन्शा नहीं थी, न ही बंगाल और केरल जैसे दृश्य यहां उपस्थित हों ऐसी उनकी कोई मन्शा थी। हम लोगों ने जो २९ मार्च को राजस्थान बंध का नारा दिया तो उसमें एस० एस० पी० और पी० एस० पी० हीं नहीं थी परन्तु चूंकि उनके साथ एक ऐसा तत्व भी शामिल था जिसके सम्बन्ध में हमारी अपनी धारणाएं हैं और हम यह मान कर चलते है और हमने इस बात पर विचार किया कि हो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकता है कि देश में जो घटना-क्रम हुआ उसकी भूमिका में क्योंकि आज २६ मार्च को बंगाल भी बंद किया जा रहा है, बंगाल लेफिटस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी जिस प्रकार हरकतें कर रही है, केरल में जिस प्रकार कम्यूनिस्ट पार्टी हरकतें कर रही है, हमने उसकी भारी निंदा की है और हम निंदा करेंगे और मैं यह भी आश्वासन दिला सकता हूँ कि इस देश में जो अराष्ट्रीय तत्व हैं, जो अराजकता और अशांति की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हम देश में लोकतंत्र और शांति बनाए रखने के लिए जो आवश्यक कदम होगें उठाते रहेंगे और उस संबंध में हम पर कोई यदि आरोप लगाए कि हम सरकार के साथ हैं तो जहां तक जन जीवन का सवाल है, हमें उस आरोप की परवाह नहीं ।

हम सरकार की उन बातों का विरोध करते हैं, लेकिन जहां तक लोकतंत्र को बनाए रखने का सवाल है, जहां तक शांति बनाए रखने का सवाल है, जहां तक अराजकता की स्थिति न हो यह सवाल है, तोड़ फोड़ की कार्यवाही न हो, यह सवाल है, जहां तक सार्वजनिक सम्पति को न लूटा जाय, सार्वजनिक सम्पति में तोड़-फोड़ न की जाय, हम सरकार से दो कदम आगे जाकर अराष्ट्रीय तत्वों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और हम ऐसी हरकतों को आगे नहीं बढ़ने देंगे । इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने २७ तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा बढ़े हुए करों के विरुद्ध आंदोलन करने का विचार किया था, घोषणा की थी, ग्राम सभाओं का आयोजन किया था, पर दुर्भाग्य से राजस्थान में कुछ तत्वों ने इस बात की चेष्टा की कि जो परिस्थिति २६ तारीख को पैदा हो उसको २७ तारीख को ही पैदा किया जाय । जनसंघ की स्पष्ट नीति है कि हम इस प्रकार अराजकता पैदा करने में विश्वास नहीं रखते, हम उसकी निंदा करते हैं और इसी आधार पर हमने सारे आंदोलन को स्थगित किया लेकिन एक ओर जहां दलील है कि राजस्थान में बंगाल और केरल जैसी स्थिति हो तो उसका मुकाबला करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में जो ताकत है, केरल में जो ताकत है, वहां जो स्थिति पैदा हुई, वह स्थिति पैदा करने के हालत राजस्थान में थे या नहीं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में सरकार ने जो रवैया अपनाया, वह बिल्कुल अवांछनीय है, बिल्कुल अनुचित है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं । आज राजस्थान के अंदर धारा १४४ लगाकर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ।

आज राजस्थान में इस प्रकार की परिस्थिति स्वयं सरकार ने पैदा की, आज राजस्थान के हर गांव में राजस्थान के हर शहर में, राजस्थान के हर कस्बे में एक पैनिक पैदा हो गया है । चारों तरफ पुलिस के सिपाही, चारों तरफ आर. ए. सी. के जवान दिखायी देते हैं । राजस्थान में जो सामान्य जीवन चल रहा था उसमें विघ्न और बाधा आज की तारीख में पैदा की है तो वह इन आन्दोलनकारियों ने नहीं बल्कि राजस्थान की इस निकम्मी सरकार ने पैदा की है। क्या जरूरत थी धारा १४४ लगाने की ? क्या जरूरत थी इतने भारी पैमाने पर डी. आई. आर. के उपयोग की ? क्या जरूरत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थी धारा १८८ की ? क्या जरूरत थी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन की ? इन सारे कानूनों की धाराओं के अन्तर्गत इतनी भारी संख्या में एक्शन लेने की ऐसी क्या आवश्यकता थी ? सरकार के पास ऐसी क्या जानकारी है ? मुख्य मंत्री महोदय स्वयं बतायें कि ये शब्द और भाषण इस राजस्थान के किस व्यक्ति ने दिये जिसने यह कहा था कि राजस्थान में सुखाड़िया की, माथुर की और कुम्भाराम आर्य की लाशें ढूंढे नहीं मिलेंगी ? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मर्डर एक्टीविट को प्रोवोक करना चाहता है ? उसका सदन के अन्दर नाम बताया जाय । ऐसा किस व्यक्ति ने भाषण दिया ? नाइजेरिया की तरह पोलिटिकल मर्डर, पोलिटिकल हत्या करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति ने भाषण दिया हो किसी भी नेता ने भाषण दिया हो, चाहे वह कम्यूनिस्ट हो, चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी का हो, चाहे वह विधान सभा का सदस्य हो, चाहे वह पार्लियामेन्ट का मेम्बर हो, ऐसे व्यक्ति के साथ सख्त से सख्त जो व्यवहार हो सकता है, जो सजा हो सकती है दी जाए । जो आदमी किसी की हत्या करना चाहे या किसी का मर्डर करना चाहे. सार्वजनिक सभा में भाषण दे, उसका सदन में नाम बताया जाय । सदन चाहेगा कि डी. आई. आर. से भी बढ़कर और कोई कानून हो सकता हो उसको जेल में बन्द करो, उस पर मुकदमा चलाये और सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रोवीजन हो सकता हो कि उसको प्रोसिक्युशन के आधार पर फांसी पर चढायें । लेकिन यह नहीं हो सकता कि केवल एक व्यक्ति का आधार लेकर, या दो-चार भाषणों का आधार लेकर यह किया जाए । ऐसा ही आधार लेना है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां माणक चौक की चौपड़ पर भाषण एच. के. व्यास दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोतवाली की चौपड़ पर भाषण नाथूरामजी मिर्धा दे रहे थे । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाषण एच. के. व्यास ने दिया, और नाथूरामजी मिर्धा ने दिया, किसने प्रोवोक किया ? इतना संतुलन खोने की क्या आवश्यकता है ? जनता की भावना को भड़काना सरल है । मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जनता की भावना को भड़काये । इन सारी चीजों का यह इलाज नहीं हो सकता । इलाज क्या है ? उनको बोनस दिया जाय । मजदूरों को बोनस मिले । मजदूरों को बोनस नहीं मिलना चाहिये क्या सुखाड़ियाजी यह घोषणा कर सकते हैं । क्या कांग्रेस की यह नीति है कि मजदूरों को बोनस न मिले ? क्या कांग्रेस की, इस सरकार की यह नीति है ? नहीं है वह नीति । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मजदूरों को बोनस मिलना चाहिये, राजस्थान के मजदूरों की मांगों पर विचार करना चाहिये, राजस्थान के मजदूरों का गला कुछ लोगों से नहीं कटवाया जाना चाहिये ।

दुर्भाग्य से सरकार ने इसको एक राजनैतिक प्रश्न बनाया है । अलवर के अन्दर गोविन्दा मेनन आये तो उन्होंने कहा कि इनको ४ परसेन्ट बोनस मिलना चाहिये । केन्द्र खुद कहता है और कानून बनाया है कि इनको बोनस मिलना चाहिये लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि खुद राजस्थान की यह सरकार अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसको लागू नहीं करना

Page No. 54

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहती और इन्स्ट्रक्शन्स हाईकोर्ट से लेना चाहती है। सरकार ने कानून बनाया। सरकार को चाहिये कि वह मालिकों से कहे कि मजदूरों को बोनस दो। सरकार का खुद का अन्डरटेकिंग बोनस न दे इससे अधिक लज्जा की बात, इससे अधिक कलंक की बात, इस सरकार पर नहीं हो सकती। कानून आपने बनाया आप यह व्यवस्था कर दीजिये कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर यह लागू नहीं होगा। इसको पालियामैन्ट से करा दीजिये। लेकिन वह नहीं करा सकते। कानून बनाने वाले ही यदि कानून का उलंघन करेंगे तो कहां रहेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि यह शान्ति और अशान्ति इसलिये पैदा होती है, ये सारी चीजें इसलिये पैदा होती हैं कि सरकार खुद कानून बनाती है और उसका उलंघन भी खुद ही करती है।

सारे राजस्थान के मजदूरों का सवाल है। सरकार से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान के अधिकांश मजदूर शान्ति में विश्वास रखते हैं, शान्ति पूर्ण ढंग से अपनी मांगों का निपटारा चाहते हैं. अपनी वाजिब मांगों के लिये शान्ति से संघर्ष करना चाहते हैं, वे संघर्ष करते आये हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन मजदूर आन्दोलनों को, जनता की आवाज़ को, इस प्रकार से दबाने का तरीका सुखाड़िया साहब अच्छा नहीं है। आपने कह दिया कि झगड़ा हो जाता है। किसने दे दिया भाषण ? जहां तक सरकार की रिपोर्ट है. हमको हाईकोर्ट के आन्दोलन में और अनेक आन्दोलनों में मालूम है कि ज़हां हाथों में गुलदस्ते और गले में मालायें—कांग्रेस के स्वयं के आन्दोलनों के समय यही स्थिति थी कि हाथों में गुलदस्ते, मालायें होती थीं जब कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट को लेकर मुकदमें चलाये जाते थे कि हाथों में पत्थर थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, उसके बाद आन्दोलनों की समाप्ति पर या पहले उनको छोड़ा जाता था और उनके खिलाफ मुकदमे वापिस लिये जाते थे, तो यह तो पोलिटिकल आन्दोलन करने का तरीका है। आज सरकार ने स्वयं ने धारा १४४ लगा कर एक पैनिक पैदा कर दिया है, राजस्थान का एक पांच साल का बच्चा भी यह जानने लग गया है कि आज क्या हो रहा है, आज रिक्शा नहीं आयगा, आज मोटर नहीं आयगी, आज बस नहीं आयगी, झगडा हो जायगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा–जाऊंगी। वह यह कहता है, कहती है। यह सब कौन कर रहा है ? कम्यूनिस्टों का तो आपने प्रचार कर दिया। यह सरकार की गलतियों का नतीजा है। आपने उनका घर घर में प्रचार कर दिया। आपने उनको हीरो बना दिया, उनको नेता बना दिया। कौन पूछता था उनको ? कौन पूछता था एच० के० व्यास को ? जयपुर में काम्युनिस्ट पार्टी का क्या था ? लेकिन आपको भय है। सरकार को, आपको, सरकारी मशीनरी पर विश्वास नहीं, आपका पुलिस पर विश्वास नहीं, आपको पार्टी पर विश्वास नहीं। क्या राजस्थान में इस पोलिटिकल एजीटेशन को मीट-आउट नहीं किया जा सकता था ? क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गयी ? क्या कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गयी कि इस पोलिटिकल एजीटेशन को मीट-आउट नहीं कर सकती ? राजस्थान में ऐसा लगता है कि कांग्रेस नाम

Page No. 55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की चीज़ ही नहीं। आज आप इसको मीट-आउट नहीं कर सकते हैं। आप कानून बनाते हैं और कानूनों को तोड़ते हैं।

मुझे दुख है, परसों २६ तारीख को कोतवाली की चौपड़ पर हमारी आम सभा होने वाली थी, पहले से यह तय था, इजाजत ली, हमको इजाजत मिली लेकिन यह कहा कि माइक पर घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि परीक्षायें हो रही हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, हम शान्ति बनाये रखने की घोषणा करना चाहते थे यह कहने पर इजाजत दे दी लेकिन फिर कहते हैं कि घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि विद्यार्थियों की परीक्षायें हो रही हैं। हमको इसकी इजाजत नहीं मिल सकती लेकिन आपको इजाजत कैसे मिल गयी ? २७ तारीख की मीटिंग की घोषणा करने की इजाजत आपको कैसे मिल गयी ! हमको इजाजत नहीं हैं, आपको इजाजत कैसे दे दी ? हम झगड़ा करना नहीं चाहते थे, इसलिये हम शान्त रहे। यदि हम चाहते तो पहले हमसे जगड़ा हो गया होता और उनसे बाद में झगड़ा होता। हमारा २६ को आप से झगड़ा हो गया होता तो एच. के व्यास और दूसरे आदमियों को आप उठा कर ले गये, स्थिति बिगड़ी नहीं होगी, हमसे झगड़ा हो गया होता तो जयपुर बाजार बन्द हो गया होता। हमने यह समझा कि यह सरकार अब संयम खो चुकी है। मंत्रीमंडल में आपस में अविश्वास पैदा हो गया है, आपस में मंत्रियों में वैमनस्य और फूट मची हुई है, एक विस्फोटक स्थिति मची हुई है, लोगों को मंत्री ख़ुद गालियां देते हैं·······

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नाथूरामजी ने क्या क्या वर्ड कहे हैं, मुझे उनको यहां कहने में शर्म आती है ; अध्यक्ष महोदय, मैं वह नहीं कह सकता। उन्होंने तो सदन में एक दफा ऐसा काम किया था, सारा सदन उसको जानता है और जनता जानती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, में उनके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो कुछ वे कहते हैं अपने अनुरूप ही वे कहते है,उनसे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये। इस सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्वयंम इसमें भागीदार हैं और राजस्थान में ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं। आपस में मंत्री लड़े, आपस में झगडे, गालियां दें, चैलेन्ज करें आपस में, झूठे आश्वासन दें, एक दूसरे की बदनामी करें, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, यह आपका अन्दुरुनी मामला है, लेकिन जनता के साथ आज जो खिलवाड़ चल रही है वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह बिलकुल गलत है। आज राजस्थान में धारा १४४ लगाते हैं, आज राजस्थान की स्थिति को बिगाड़ते हैं और स्थिति बिगड़ती है तो इस कारण से बिगड़ती है कि आपने गलत तरीके से राजस्थान में धारा १४४ लगायी है। जिनके बारे में प्रूफ था कि राजस्थान की स्थिति को बिगाड़ने वाले हैं उनको पकड़ते लेकिन आपने व्यापक तौर पर २००,२५० लोगों को जेलों में बन्द कर दिया। जेलों में बन्द होने से कोई ये चीजें दबती नहीं, आन्दोलन मरते नहीं।

आज राजस्थान के मजदूरों में बड़ा भारी असन्तोष है। चाहे बिजली नल के कर्मचारी हो, वाटरवर्क्स के कर्मचारी हो,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हों, राजस्थान में जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है उससे सारा वर्ग परेशान है। आज उद्योगपति सुखाड़ियाजी के संरक्षण में शोषण कर रहे हैं उनको उससे छुटकारा दिलाना होगा। आज जो मजदूर शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास करते हैं वे अपनी नीति के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे। आप चाहे १४४ की धारा लगा दें, डी० आई० आर० की शरण ले लें या प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऑर्डर के तहत कार्यवाही कर लें, उनकी वाजिब मांगों को प्राप्त करने से ये सब रोक नहीं सकेंगे। आपको चाहिये कि मजदूरों की जो वाजिब मांगें हैं, बोनस आदि की, वह माननी चाहिये और उद्योगपतियों द्वारा जो शोषण हो रहा है उससे उनको मुक्ति दिलानी होगी। नहीं तो सरकार यह निश्चित मानकर चले कि मजदूरों के आन्दोलन को ये आपकी गोलियां नहीं दबा सकेंगी। आजादी से पहले अंग्रेज भी यह मानकर चलते थे उन्होंने भी इसी तरह से इन संघर्षों को दबाने की कोशिश की लेकिन वे भी दबा नहीं सके। आपको मैं यह आगाह करना चाहता हूं कि भविष्य में मजदूरों द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी वाजिब मांगों के लिये संघर्ष करना होगा उसमें इन्टक वाले भी शामिल हो सकते हैं और दूसरे भी शामिल होंगे, उसको यह लाठी गोली की सरकार नहीं दबा सकेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव दिया है वह गम्भीर सवाल को लेकर दिया है इसलिये देनन्दिन की कार्यवाही स्थगित की जाए। १४४ धारा जो लागू कर रखी है इससे जनता सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, इससे गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। अगर इससे कोई अशांति पैदा होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के इस कदम पर होगी, इसलिये सदन में इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इस पर हरेक माननीय सदस्य के विचार आना आवश्यक नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें ही रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, भारत रक्षा कानून का जो इस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है तो हमें यह देखना होगा कि यह सरकार इस प्रान्त को किस ओर ले जा रही है? मैंने अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा है कि पुलिस अपने साथ कुत्तों को भी भर कर ट्रक में ले जा रही थी। आखिर उनका क्या करेंगे?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उसमें निरन्जननाथजी आचार्य भी थे क्या?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन कुत्तों को ले जाने का पुलिस का एक ही मतलब हो सकता है, भीड़ पर उनको छोड़ा जाय। आप इससे क्या पैदा करना चाहते हैं? भीड़ पर यदि कुत्ते छोड़े जायेंगे तो भीड़ इधर-उधर भागेगी, उनको कुत्तों से नुचवाना चाहते हैं। इस तरह से अशांति कौन पैदा कर रहा है?

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह कांग्रेस की सरकार है, आखिर यह कौन सी भाषा जानती है? क्या लाठी-गोली की भाषा ही जानती है? जैसे बंगाल में हुआ वहां तो सरकार को झुकना पड़ा। मुख्य मंत्री और केन्द्र के मन्त्रियों ने वहां जाकर उनसे समझौता किया, उनको झुकना पड़ा, उन सब को रिहा करना पड़ा। क्या आपकी राय में आप भी मजदूरों को लाठी और गोली से मनवाना चाहते हैं? आज पंजाब के अन्दर क्या हुआ, अकाली दल के लोगों की हिंसा के आगे आप झुक गये....

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें तो आप कह चुके हैं कोई नये तथ्य हों तो बताइये।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : इसके अलावा पंजाब के अन्दर क्या हुआ, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, किसी चीज की प्राप्ति के जल मरने से कोई भारतीय संस्कृति जीवित नहीं रह सकती और न वह संस्कृति ही आ सकती है। पंजाब के अन्दर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी, हिंसक तत्वों के सामने आप को झुकना पड़ा। सरकार शांतिपूर्वक तरीके से जो काम करते हैं उनको महत्व नहीं देती। सरकार के सामने जो तलवार उठावे उसी की बात को मानती है। महाराष्ट्र जो बनाना नहीं चाहते थे वह आपको हिंसा के आगे बनाना पड़ा, गुजरात प्रान्त नहीं बनाना चाहते थे लेकिन जब हिंसक उपद्रव हुए तो आपको झुकना पड़ा और गुजरात प्रान्त का निर्माण करना पड़ा।

आन्ध्र प्रान्त नहीं बनता था, प्रोफेसर रोमल के अनशन और उसकी आत्माहुति ने वह भी बना दिया।

केरल में यही घटनायें हुई। आप यदि लाठी गोली की भाषा से ही मानते हैं तो बात दूसरी है। जो शान्तिमय तरीके से मजदूर अपनी रोजी-रोटी के लिये शान्तिमय प्रदर्शन कर रहे थे उनको आप विन्डिक्टिव करना चाहते हैं। आप यदि इस तरह से उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, जो और सारे तरीके उनके पास हैं वे एक्जास्ट हो जायेंगे, दूसरे तरीके नहीं रहेंगे तो फिर उनके पास एक ही हिंसा का तरीका शेष रहेगा।

मैं नम्रता के साथ सुझाव देना चाहता हूँ, आप मजदूरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना छोड दीजिये। उनकी जो वाजिब मांगें हैं उनको मानिये। हाई कोर्ट में जो रिट कर रखी है उसको वापिस लीजिये, आपको हाई कोर्ट में रिट ही करनी थी तो जहां जिंक स्मलेटर का सवाल था आपने जिसको करोड़ों रुपया दिया उसने हाई कोर्ट में रिट कर दी आपको चाहिये था उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते, आप मजदूरों के हित में हाई कोर्ट में रिट करने की बातें करते हैं। इसके अलावा जहां मजदूरों को गिरफ्तार किया है इस सदन के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है, वह विशेषाधिकार का हनन किया है ये तमाम मोटी-मोटी बातें हैं।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लाठी-गोली की भाषा में समझ सकते हैं, बन्दूक की नोक पर बोलना चाहते हैं तो बात दूसरी हैं नहीं तो

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

आपको मजदूरों की न्यायोचित मांगों को मानने में हिचक नहीं करनी चाहिये। आप लाठी-गोली से मजदूरों की मांगों को हल नहीं कर सकेंगे, यह आप पूरी तरह से समझ लीजिये। यह जो भूख की लड़ाई है वह दिन प्रतिदिन बढ़ेगी; भूख एक दिन रूप धारण करेगी जिससे आपका यह शासन धराशायी हो जायगा। आप इस प्रकार की संभावनाओं से दूर नहीं रहें, इस प्रकार की संभावनायें पैदा हो सकती हैं। अगर इस प्रकार की संभावनाओं को हमें निरस्त करना है कि हमें मिल-जुलकर निरस्त करने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसका मतलब यह है कि जो मजदूरों की न्यायोचित मांगें हैं उनको मन्जूर करें। १४४ धारा लगा रखी है वह कितने दिन तक चलती रहेगी, इस पर शासन कितने दिन टिका रहेगा, इस प्रकार से चलने वाला शासन शीघ्र ही डूबकर रहेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, एक सप्ताह पूर्व मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा था। उसका मन्तव्य यह था कि उसकी द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि इस सदन के एक प्रस्ताव द्वारा इस तरफ बैठने वाले ९ सदस्यों को सदन से निष्कासित किया गया। और जो निष्कासित किया गया वह भी शेष अवधि के लिये। उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था कि यह दंड अत्यधिक और कठोर है। इस बात को एक महीना गुजर गया, मैं समझता हूं अगर दस दिन तक या एक सप्ताह तक दंड दिया जाता तो उसके लिये हमको विरोध करने की आवश्यकता होते हुए भी हमारे विरोध में न्यूनता होती और जो शस्त्र पैना था वह भोटा हो सकता था।

जहां तक वर्तमान स्थिति का ताल्लुक है जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है यहां पर गिरफ्तारियां हुई इस पर बहस का प्रश्न सरकार के सामने आया है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई बोनस का प्रश्न है तो उसको उदारतापूर्वक हल करे। कोई न कोई उलझन के अन्दर सुलझन लानी चाहिये। आपको अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर, मेरे ख्याल से, नहीं खड़े होकर न्याय करना चाहिये। जहां तक कि इस सरकार का वतीरा, मैं देख रहा हूँ, मैं यह समझता हूं कि सरकार अपने इकतरफा निर्णयों पर अनुदारतापूर्वक और फॉल्स सेंस ऑफ प्रेस्टीज के द्वारा जो स्टेण्ड ले लेती है उसको मोडिफाई नहीं करती, उससे विचलित और विरत नहीं होती। मेरे ख्याल से यह गलत परम्परा है।

कल ही इस सदन में वाद-विवाद हुआ और डीडवाना के अन्दर जो गोलीकाण्ड हुआ उस सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ जिसके दौरान में माननीय जनसंघ के नेता ने एक अटेस्टेड कॉपी कोर्ट की पढ़कर सुनाई। लेकिन उसके जवाब में आश्चर्यजनक रूप में उप गृह मंत्री ने एक लूला लंगड़ा आफ्टरथॉट सा बयान सदन में दिया, उससे यह स्पष्ट होता था कि सत्य और तथ्य को छिपाकर वे अपना बयान दे रहे हैं, और सरकार की गलत नीति और हठधर्मी को सदन के समक्ष रखकर सारे मामले पर लीपापोती की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी कटु अनुभव है कि हमारे डूंगरपुर जिले में गोली

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चली, कुछ हद तक यह बात कहकर मैं विषयान्तर होता हूं, पर मैं समझता हूँ, कि यह बिना तथ्य की बात नहीं है, और विषयान्तर होते हुए भी वर्तमान समस्या के सम्बन्ध में उतनी हद तक विषयान्तर नहीं होता कि एक मिनिट की भी उसकी चर्चा न करूं। डूंगरपुर जिले के अन्दर १५ वर्षों के अन्दर पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के द्वारा १५–१६ व्यक्तियों को बन्दूक से मार दिया गया और सरकार के कान के ऊपर एक जूं तक भी नहीं रेंगी। इस हद तक कि एक आदिवासी व्यक्ति अपने घर के अन्दर, दरवाजे के अन्दर खड़ा था और उसके सिर की खोली के अन्दर गोली लगा कर मार दिया जावे तो यह तो मेरे खयाल में फायरिंग की व्यवस्था भी नहीं है। तो सरकार को चाहिये कि इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करे और सरकार की जो आज एक अधिनायकवाद की प्रवृत्ति बन गई है, अगर वह उसे नहीं छोड़ेगी तो मेरे खयाल में यह जो देश की जनता का सवाल है, वह सही रूप में हल नहीं होने वाला है, यह अराजकता को ही निमन्त्रण देगा। आपके शासन में क्या–क्या खामियां हैं, इसके सम्बन्ध में आप गम्भीरतापूर्वक विचार करिये।

यह रोजी-रोटी का, जनता की रोजी-रोटी का सवाल है। मजदूरों के बोनस का सवाल है। आपके कर्मचारियों के वेतन का, उनके डियरनैस अलाउन्स का सवाल है। आम जनता का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, और आम जनता में से ही कम्यूनिस्ट पार्टी और सोशियेलिस्ट पार्टी और जनसंघ पार्टी और स्वतन्त्र पार्टी हैं। मैं नहीं चाहता कि कानून को हाथ में लेकर अण्ड-बण्ड कार्यवाही की जाय और देश की भीतरी शान्ति व्यवस्था को भंग किया जाय। किन्तु यह अनादि काल से प्रकृति का नियम है कि "तंग आयद भुजंग आयद।" आपकी गलत नीतियों के द्वारा यहां पर भुखमरी, रिश्वतखोरी फैल गई है। आपकी अधिनायकवादी जो कुछ भी आज प्रक्रिया बन गई है उसे अगर आपने और बढ़ावा दिया तो इससे किसका जन्म होगा? अराजकता का ही जन्म होगा।

क्या हुआ बंगाल में? क्या हुआ पंजाब में? और मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या हुआ मध्यप्रदेश में दो-तीन दिन पहले। महाराजा बस्तर को अपने घर के अन्दर अपनी देहली के अन्दर पुलिस ने आकर आदिवासियों को भी मार दिया और उनको भी मार दिया।

तो यहां का यह कुट अनुभव मैं यहां कर रहा हूं। हमारे प्रदेश में भी ये की ये बातें धीरे-धीरे आपकी अधिनायकवादी प्रक्रिया के कारण आगे बढ़ रही हैं। आप आंखें खोल कर अपनी खामियों पर, अपनी गलतियों पर अपनी गलतियों से पैदा हुए जन-असन्तोष की तरफ, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी और भुखमरी की ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करिये। रोजमरा की जरूरत की चिजों पर, अन्न की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू नहीं पा सकते तो हमारे जैसी वैधानिक पार्टी, या दूसरी वैधानिक पार्टी जो तोड़-फोड़ में विश्वास नहीं करती है, उनके भी काबू की बात नहीं रहेगी, आपके भी काबू की बात नहीं रहेगी और अराजकता के जो तत्व फैलाना चाहते हैं इस देश में वह अराजकता फैलेगी और उससे आपका तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सत्यानाश होगा ही पर सारा देश रसातल में जावेगा। यह स्वतन्त्रता, यह नागरिक स्वाधीनता और यह हमारा संविधान सभी समाप्त हो जावेंगे।

तो मेरा आपसे यह निवेदन कि आप अपने आपको बाहर से अधिक उजले बताते हैं, अगर आप अपने आपको श्वेत बताते हैं, तो मैं यह आपको कहूंगा कि आप अपने को जितना श्वेत बाहर से बताते हैं, उतने ही काले स्याह अन्दर से हैं। आपको फॉल्स संस ऑफ प्रेस्टीज छोड़ना चाहिये। आपको वास्तविकता के निकट आना चाहिए।

मुझे मतलब नहीं कि आपने कितने आदमी अरेस्ट किये। आपके अन्दर फियर कॉम्पलेक्स है। मैं मानता हूं, आपको अहतियात बरतने चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाकर यह प्रदर्शन जयपुर में करना, जैसे मानो पुलिस राज हो गया हो, मेरे ख्याल के सर्वथा अवांछनीय हैं। आपकी खूबसूरती तो इसमें है, कम से कम आपको ऐसे प्रदर्शन करने चाहिए जिसके द्वारा जनता में ये मनोभव पैदा हों कि यह प्ले ऑफ फोर्स है। आप जबर्दस्ती से पुलिस के जोर से लोगों को दबाना चाहते हैं। आखिरकार कोई ताकत संसार में ऐसी नहीं आई जो दमन की नीति से, दमन का सहारा लेकर सफल हुई हो। दमन जो शासन, जितना करेगा उसका उतना ही रिएक्शन, उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया होगी और उसके फलस्वरूप आप ही को मेरे ख्याल में एक मंहगा सौदा मोल लेना पड़ेगा। यह इतिहास की सच्चाई है। इसे आप समझें।

तो यह सब आपकी व्यवस्था देखते हुए मैं यह आपको निवेदन करता हूं कि उन सम्मानीय सदस्यों को भी आप उदारतापूर्वक सदन में वापिस बुलाइये और इस सदन का जो अविभाज्य अंग हैं जो सदन खंडित है उनके बिना, उसको परिपूर्ण करने की व्यवस्था उदारतापूर्वक करिये।

मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा यह भी निवेदन किया था कि बजट सेशन के दो महत्वपूर्ण दिन होते हैं। एक, राज्यपाल महोदय जब सदन में आकर इस सदन के सदस्यों को सम्बोधित करते हैं दूसरा दिन बजट पारित करने का। आज भी एक महत्वपूर्ण दिन है और यहां पर जो कुछ भी किया हो आपने उसका मेरे ख्याल में दोष आपके ऊपर सर्वथा आयद नहीं हो सकता, किन्तु आपकी गलत नीतियों की यह प्रक्रिया है और आपने मेरे स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया इसलिये मेरे लिये कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि मेरे दल को निवेदन करूं कि वह मेरे साथ सदन से बहिर्गमन करे। मैं अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(माननीय सदस्य एवं अन्य स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों ने बहिर्गमन किया।)

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : बहस चल रही है, इसके बीच में न बोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो विचार सदन में प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर विचार होना चाहिये गम्भीरता से। पर विरोधी दल के नेता अपनी बात कहकर बिना दूसरों की बात सुने ही सदन से बाहर जाते हैं इससे ऐसा लगता है कि इस सारे मामले पर विचर ठीक ढंग

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

से करने के बजाय, उस पर सब तरफ से अलग तरीके का रंग दिया जा रहा है।

मेरी भी शिकायतें हैं सरकार से। सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि इतने अर्से तक सरकार ने उचित कदम क्यों नहीं उठाया जब कि उसको इतने दिनों से उन लोगों की बातें मालूम हो रही हैं। सारे देश का वातावरण जैसा है उसमें इतना जानकर भी नरमाई से चली कि बराबर यहां पर चौगड़ पर या तो जुलूस निकाले तब तक अपनी स्कीमों के बारे में कहते रहे और सुखाड़िया की सरकार उसे बर्दास्त करे। हां, अपनी वे बातें शान्ति पूर्ण ढंग से लावें, उनको सुनने को तैयार रहें। तैयार रहने के बाद उन आदमियों के साथ व्यवहार हो जिनके इरादों के बारे में देश में किसी को शुबाह नहीं है, कम्यूनिस्टों के बारे में। उनका जो ढर्रा चल रहा है उसे सब जानते हैं। कुछ ऐसी शिकायतें सरकार से हो सकती है। जन संघ को भी हो सकती हैं, स्वतन्त्र पार्टी को हो सकती हैं। पर मैं अपील करता हूं कि वे इस कम्यूनिस्ट पार्टी को समझें उनके तौर–तरीकों के बारे में शुबाह न रखें। जनतन्त्र में विश्वास रखने वाली पार्टियों से मेरी यह दरख्वास्त है मुझे शिकायत है इस सरकार से कि इस तरह के तौर-तरीकों का ऐलान करने वाली पार्टी के बारे में ढीले ढंग से वह चल रही है। लोग चालीस मोटे:मोटे गद्दे बिछा कर. सफेद चादर लगाकर रात को उन पर आराम से सोए, व्यासजी और लोकल लोग हों। तीस:तीस आदमी भूख-हड़ताल करें और उनकी बाढ़ बढ़ती चली जावे और सरकार कोशिशों से काम लें। क्या यह सरकार का फर्ज नहीं है कि जहां पर लूटने का इरादा हो, मारने का इरादा हो उसके लिए शिकायत की जाय और इस तरह के मामलों में क्या सरकार को इतना भी अधिकार नहीं कि वह लूटने से मारने की धमकियों से जनता की रक्षा करे ?

वहां मजदूरों की मांग के लिए इतना प्रदर्शन हुआ, आज ही नहीं बल्कि पहले भी हुए, अलवर से आये, दूसरी जगह से आये और सब प्रदर्शनों को इस जनतंत्र के अन्दर इस सरकार ने पूरी छूट दी। जब भी प्रदर्शन हुए हैं नेता लोगों ने उससे बात की है लेकिन इस पर्टीकुलर मसले को समझना राजस्थान के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, पार्टियों के लिए बहुत आवश्यक है कि जिनका निश्चित प्रोग्राम है, निश्चित रूप से वह अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, अव्यस्था ही नहीं फैलाना चाहते हैं बल्कि वह यह चाहते हैं कि हम हथियारों को लूटेंगे, हम नाइजीरिया और पंजाब यहां बनायेंगे, हम यही नहीं करेंगे बल्कि जो साफ तौर से मॉब साइकोलॉजी पैदा करेंगे और डिस्टर्बेन्स करके हमारी लाइफ को खराब करना चाहते हैं। आज यह कहा जाये कि १४४ लगादी, १४४ अंग्रेज लोग लागू करते थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस जनतंत्र के अन्दर १४४ वीं दफा तो है, इस राज्य का माना हुआ कानून तो है और इस देश के अन्दर अधिकार सरकार को मिला तो हुआ है उसमें कहां जनतंत्र का हनन होता है ? बल्कि मैं तो कहूंगा इस बात के लिए खूब अच्छी तरह से सोचें कि अगर यह सब कुछ होता तो क्या होता ? मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि १४४ धारा नहीं लगाते और रात के १२ बजे सब की नींद खराब करने के लिए मशाल जुलूस निकाल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करके हथियार लूटते, रेडियो स्टेशन पर चलते वहां पर जाते, वहां लाठियां चलतीं, गोलियां चलतीं और वहां से ऐलान होता और यह सरकार सुनती रहती, उस समय जनसंघ यहां पर क्या एडजॉर्नमेन्ट मोशन लाता ? मैं तो कहूंगा कि यह सरकार निकम्मी है। १४ रोज से एलान हो रहा था सुखाड़िया साहब सोते रहे, हुकूमत सोती रही और जनतंत्र में जो सरकार को अधिकार दिये थे उनको काम में नहीं लाये, हमारी रक्षा नहीं की। एक नक्शा यह भी हो सकता था।

तो, अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की मांग को इस सवाल से मिलाना मैं समझता हूं कि बेवकूफी है। मैं यह भी मानता हूं, मजदूरों के साथ सहानूभुति हो, सब पार्टियों की हो और जो हालात राजस्थान के अन्दर हैं और राजस्थान के अन्दर भी जो हमारी माली हालत है उसके अन्दर सरकार को जो कुछ करना है वह करेगी और उसको करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बाड नहीं है और आपकी मांग और इनको दबाने की मांग मैं कहता हूं कि गलत है। यह सरकार दबाती ही नहीं है, यह सरकार प्रदर्शनों के खिलाफ कुछ करती नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बड़े हाथों में मजबूती के साथ सरकार काम करती तो जब इनके इरादे मालूम हुए और लोगों ने भूख–हड़ताल की, मैं साफ कहता हूं कि गांधीजी के नाम को लेकर भूख–हड़ताल करते हैं। गांधीजी ने कभी कोअर्शन के लिए हड़ताल नहीं की, उन्होंने हमेशा हृदय परिवर्तन के लिए हड़ताल की। उन्होंने अन्याय के खिलाफ भूख–हड़ताल की और हृदय परिवर्तन के लिए की। यहां "सुखाड़िया हाय हाय" करेंगे और फिर हड़ताल करेंगे। 'हाय हाय' तो बाप के मरने की हो और फिर दया हो ऐसी उनकी स्प्रिट नहीं है। भूख–हड़ताल करके केवल यहां पर आम लोगों के दिमाग के ऊपर और आंख के ऊपर पर्दा डाल दिया जाय और उनको अंधा बना दिया जाये और इस दया की भावना से जो कमजोर पार्टियां हैं उनको रोने वाला नहीं है और रोनेवाले मिलें तो हमारे जैसे मिले····

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : सवाल यह आता है कि सरकार यह रवैया अख्तियार करती आरही है। बंगाल में समझौता किया तो कांग्रेस ने किया जनसंघ ने नहीं किया, कैरल में समझौता किया तो कांग्रेस ने किया जनसंघ ने नहीं किया, पंजाब के अन्दर किया तो कांग्रेस ने किया जनसंघ ने नहीं किया। कम से कम सरकार याने रूलिंग पार्टी अपना रवैया तो ठीक करेगी, तो यह समस्यायें नहीं होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर यह बात मान ली जाये तो भी मेरी बात की ताईद होती है। १४४ लगे तो आपको स्वागत करना चाहिए। उनके इरादे यह थे यह मैने बताया है और अगर यह पूरे हो जाते तो क्या होता ? उस समय आप क्या कहते, यह भी बता दिया मैं तो कहता हूं कि सरकार को भूख–हड़ताल को तो पेनल ऑफेन्स डिक्लेयर करना चाहिए। कोई कहता है मैं आग लगा दूंगा और कोई कहता है मैं भूखों मर जाऊंगा

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह तो फतहसिंहजी ने भी कहा था कि मैं तो मर जाऊंगा उसके सामने भी आप लोगों ने घुटने टेक दिये उनको भी प्रोत्साहन दिया है। आज भूख-हड़तालों को नाजायज बताने वाले भी यही किया करते थे।

(व्यवधान)

Page No. 63

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तुम जैसों को तो गोली से मार दे। तुम गुलाम बन जाग्रो इनके ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय ...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : इतनी ग्रावाज क्यों करते हो ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ग्रावाज करते हैं तुम्हारे खिलाफ जो मजदूरों को लड़ाते हैं ग्रौर मारते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : दूसरे बोलें तो कम से कम चुपचाप बैठकर सुनें तो सही।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : इनसे निपटने के लिए तो ज्वालाप्रसादजी ही काफी हैं, उनको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह गलत बोलेंगे तो क्या हम बिलकुल नहीं बोलें ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिलकुल नहीं बोलें तो सबसे ग्रच्छा हो।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह गलत बोलेंगे तो ?

श्री ग्रध्यक्ष : गलत-सलत ग्रापकी मर्जी के माफिक थोड़े ही होता है।

ग्राप (**श्री** ज्वालाप्रसाद शर्मा) जल्दी समाप्त करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह मजदूरों का सवाल समझकर नहीं उठायें। सरकार भी ग्राई० टी० यू० सी० से मिली तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को तय करेंगे। लेकिन उन्होंने समझा कि यही मौका है कि सारे राज्य में ग्रव्यवस्था फैलाई जा सकती है, मजदूरों को गुमराह किया जा सकता है। मैं नहीं मानता कि इनके साथ सिन्सियेरिटी के साथ किसी भी जनतान्त्रिक विश्वास करने वाली पार्टियों की कोई सहानुभूति हो सकती है। लेकिन जो चुनाव हैं ग्राम सालभर के बाद वह दिक कर रहे हैं इनको, इनके पेटों में मजदूर घुसे हुए हैं। बैठकर उसका कोई सॉल्यूशन हो इसके लिए यह सरकार हमेशा तैयार है ग्रौर तैयार रहना चाहिये। कांग्रेस वालों ने कोई ग्रव्यवस्था नहीं की। कांग्रेस वाले ग्रापका मुकाबला कर सकते हैं, शांति में जो विश्वास करते हैं उनका कांग्रेस मुकाबला कर सकती है, पोलिटिकल लेवल पर ग्रापसे बात कर सकती है, लेकिन बात नहीं कर सकते उनसे जो हथियारों को लूटने की बात करें, जो रेडियो स्टेशन पर कब्जा करने के लिए बातें करें। उसका मुकाबिला सरकार करेगी। कोई पोलिटिकल पार्टी इसके बीच में नहीं ग्राती है। इसलिए सरकार ने १४४ धारा लगाकर राजस्थान में शांति–व्यवस्था कायम करने के लिए बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है ग्रौर जो ग्राज बदमाशी, बेईमानी यहां पर कम्यूनिस्ट पार्टी पैदा करना चाहती थी मजदूरों के झूठे नाम के ऊपर, उसके लिए सरकार ने सही तौर से कदम उठाकर ग्रपना कर्त्तव्य पूरा किया है, ग्रौर ग्राज जयपुर के ग्रन्दर नहीं सारे राजस्थान में जिस दिन का सब लोगों को डर दिखाया था कि ग्रव्यवस्था होगी, वहां सब जगह शांति है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। सारा राजस्थान उसका ग्राभारी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के प्रश्न पर ...

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा नहीं बोलेंगे ? आपकी (श्री गोयल) पार्टी की तरफ से एक ही बोल सक्ते हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन, अध्यक्ष महोदय ···

श्री अध्यक्ष : यह कोई सामान्य बहस नहीं है । श्री हरिप्रसाद शर्मा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ५–१० मिनिट तो कहना पड़ेगा

श्री अध्यक्ष : ऐसी आवश्यकता तो नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसका मतलब यह नहीं कि प्रस्ताव पर १० व्यक्ति बोलें । जो भी रियायत दिखाई जाती है उसका माननीय सदस्य इस तरह से उपयोग नहीं करें । केवल माननीय सदस्य श्री हरिप्रसाद बोलेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के दमन—चक्र को लेकर जिस प्रकार से राजस्थान में बेचेनी है, वही कारण है कि आज राजस्थान में दुर्घटनाओं की बातें हो रही हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने राजाओं का राज भी देखा है, हमने अंग्रेजों का राज्य भी देखा है और उसके बाद में यह कांग्रेस का राज्य भी देखा है । हमने वे दिन भी देखें हैं जब हम कहा करते थे कि "होगा, मजदूरों का राज्य होगा', 'इन्कलाब जिन्दाबाद' और इस बात को इसलिए कहा जाता था, सुखाड़िया साहब, जब आप कुर्सी पर बैठेंगे तो पेटभर मजदूरों को रोटी मिलेगी, उसके बाल—बच्चे आराम से जीएंगे उनको रोजी रोटी मिलेगी, उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मजदूरों की यह बोनस की मांग आज कोई नई मांग नहीं है । यह बोनस की आवाज कोई नई आवाज नहीं बनी है । राजस्थान के अन्दर इन्टक का संगठन है मजदूरों में और भी दूसरे संगठन हैं मजदूरों के जो बराबर मांग कर रहे हैं बोनस की, लेकिन आपने इस पर कोई विचार नहीं किया और यही कारण है कि आज गलत तत्वों के द्वारा इस प्रकार से बीच में हस्तक्षेप किया जा रहा है । यह स्थिति बनती जा रही है और आपको यह भय है कि जैसे बंगाल में हुआ, जैसा केरल में हुआ और देश के अन्य क्षेत्रों में उत्पात हुए, वैसा ही शायद राजस्थान में भी उत्पात न हो जायं । किन्तु हमें अफसोस है कि आपने इसी भय के कारण इन मजदूरों के ऊपर काफी कुठाराघात किया है । मैंने जब अपना स्थगन-प्रस्ताव रखा था उस समय भी अपने भाषण में मैंने कहा था कि मजदूरों में इन्क्लाब चल रहा है । मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार की दमन की नीति अपनाई है, आप उस दमन—नीति से मजदूरों को नहीं रोक सकते । आपकी लाठी और गोली और आपके ये जेल जिनमें आप मजदूरों को बन्द करते हैं, उनको इन्कलाब करने से नहीं रोक सकते । चाहे आज यह आंदोलन किसी प्रकार से दब गया हो या दबा दिया गया हो, मैं आपको चुनौती देता हूं कि राजस्थान के मजदूरों में जिस तरह का पक्षपात है, राजस्थान के मजदूरों साथ जिस तरह का शोषण होता है और जिस तरह से पूंजीपतियों से मिलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, मैं आज फिर कहना

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

चाहता हूं कि यह मजदूरों का दुर्भाग्य है कि आप चुनाव में इन पूंजीपतियों की मोटर गाड़ियों का उपयोग करते हैं, चुनाव में उनसे चन्दा लेते हो और चन्द चांदी के टुकड़ों पर पल कर जो मजदूरों के साथ अन्याय करते हो तो इसका कारण मजदूरों की आस्था आपमें खत्म हो गई है। आपका इन्टक का संगठन है जिसका तिरंगा झण्डा है जो इस बात को बताता है कि तीन तरफ से संघर्ष चल रहा है। आप मजदूरों में संघर्ष पैदा कर रहे हो, मजदूरों में आपस में फूट डालना चाहते हो और इसीलिए यह आपने इंटक का संगठन बना रखा है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यह आपका इंटक का संगठन मर गया है और यह किस प्रकार मर गया है इसका नमूना मैं आपको बताता हूं।

लाखेरी में इंटक से सम्बन्धित यूनियन है। वहां पर पिछली बार अधिवेशन हुआ था। इसकी जो फेडरेशन है वह १४ सीमेंट फैक्ट्रीज की फेडरेशन है और वहां पर तिरंगा झंडा लगाते हैं। उनके अधिवेशन में मुख्य मन्त्रीजी आपको और श्रम मन्त्रीजी को बुलाया गया तो आपने यह कह कर टाल दिया कि वह तो जनसंघ की यूनियन है। आप यह कह कर मजदूरों के बीच में नहीं जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप वहां पर क्यों नहीं जाना चाहते हैं। आपने मजदूरों के बीच में वायदे किए थे, हाउस के बारे में वायदे किए थे, उनके मकानों के बारे में आपने वायदे किए थे, उनके शोषण के बारे में, उनके वेजेज़ बोर्ड के बारे में, जिससे कि उनको नुकसान ही पहुँचा है, उनको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा ही की गई है, तो इन सब बातों को आप क्यों भूल रहे हैं? जब वहां पर इंटक का अधिवेशन हुआ और उसमें बम्बई के यू.एन. त्रिवेदी ने यह कहा कि राजस्थान की सरकार निकम्मी है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री और श्रम मन्त्री हिन्दुस्तान की फेड–रेशन जिसका इंटक से सम्बन्ध है वह अधिवेशन पर इन्हें बुलाए और ये यह कह कर कि यह जनसंघ की यूनियन है, आने से इन्कार कर दें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पार्टीबाजी के अन्दर इन मजदूर संगठनों को क्यों चलाते हैं? आज आप मजदूरों को कहते हैं कि ये इंटक से संबन्धित है तो कल जब दूसरे नेता आयेंगे तो ये मजदूर कहां जायेंगे? वे ऐसे ही गलत तत्वों के हाथों में जायेंगे जिनमें चाहे वाम पंथी हों, चाहे दक्षिण पंथी हों। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने जो २१४ मजदूरों को गिरफ्तार किया है तो क्या आज राजस्थान में ऐसी स्थिति है? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके शासन के कार्यकाल में कहीं भी राजस्थान भर के अन्दर कहीं भी औद्योगिक अशांति नहीं थी, कहीं पर भी कभी आग नहीं लगाई गई, कहीं पर भी कोई तोड़-फोड़ की कार्यवाही उद्योगों में नहीं हुई; राजस्थान का मजदूर बड़ा शांतिप्रिय मजदूर है, वे उद्योगों को अपनी सम्पत्ति समझते हैं, अपने राष्ट्र की सम्पत्ति समझते हैं और उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत का खून-पसीना बहाते हैं, लेकिन जब उनके हकों की बात आती है तो आप सुनते नहीं हैं। तो फिर क्या होगा, कोई भी इनको भावना में बहा कर ले जाएगा तो इसका सारा दोष आपका

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

है मुख्य मन्त्रीजी। क्योंकि आप मजदूरों के हितों की तरफ ठीक से ध्यान नहीं देते हैं।

आपने धारा १४४ लगा दी और इस प्रकार से मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो तोड़-फोड़ से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। शायद आपको यह भय था कि ये लोग तोड़-फोड़ करेंगे और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि वह तोड़-फोड़ करते, रेडियो स्टेशन में आग लगा सकते थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कभी डाका डलता है कहीं पर तो क्या आप जहां पर डाका डलता है उस जगह पर डाका डालने वालों की सम्भावना में ही आप कितने आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो आपने यहां डाका डालने की सम्भावना में इतने मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया ? जो मजदूर शांतिमय ढंग से भूख-हड़ताल पर बैठे हुए थे उनको आपने गिरफ्तार कर लिया है। यह हो सकता है कि जो भाषण देने वाले हों उन्होंने कुछ बातें कह दी हों, तो उन्हीं के आधार पर आपने गिरफ्तारियां कर ली हैं। जो देश में गड़बड़ी फैलाते ही उनको आप दण्ड दीजिए, लेकिन साथ ही आप खुद भी अपने मुंह पर लगाम रखिए। आपके मन्त्रियों ने चौपड़ पर जिस प्रकार का भाषण दिया, जिस प्रकार की उद्दण्डता के साथ में उन्होंने अपने भाषण किए तो उनको सुन कर तो कोई भी समझदार आदमी गुस्से में आ सकता है, वह उत्पात तो उसी दिन हो जाते। आप अपने इन मन्त्रियों से पूछें कि इन्होंने क्या क्या कहा है ? आज आपने धारा १४४ लगा कर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह से राजस्थान बन्द को फेल कर दिया है, लेकिन जो मजदूर, जो सत्याग्रही मजदूर अपने बोनस के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, उन गरीब मजदूरों को आपने जेलों में बन्द कर दिया है तो ऐसा करके आपने उनके साथ अन्याय किया है, उनके साथ कोई न्याय नहीं किया है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अगर मजदूरों की मांगों के प्रति ठीक से ध्यान नहीं दिया तो भले ही आज जो बोनस का मामला है यह निपट जाय, बोनस की समस्या निपट जाय तो भी क्या होता है, बोनस के बाद उनके मकानों की समस्या है, उनके शोषण की समस्या है, उनको गृह देने की समस्या है, उनकी छंटनी की समस्या है, माथुर कमेटी की समस्या है और मिनिमम वेजेज़ एक्ट की समस्या है। एक नहीं मजदूरों की अनेक समस्यायें हैं, अनेक झगड़े हैं। लेकिन राजस्थान का श्रम विभाग इस बारे में बिल्कुल अकर्मण्य है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ और राजस्थान सरकार को चैलेंज करता हूँ कि जब तक आप इन पूंजीपतियों की जीपों का उपयोग करोगे, जब तक आप इनके पैसों से अपने चुनाव लड़ कर इस कुर्सी पर आने का आधार बनाकर चलोगे तब तक किसी भी पूंजीपति से आप मजदूरों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। और खास करके बोनस के बारे में गवर्नमेंट ने कानून बनाया और आपने ही इसको हाई कोर्ट में ले जाने का निश्चय किया। आप कहते क्यों नहीं हैं कि मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए ? आपने ही कानून बनाया और आप ही इसे हाई कोर्ट में ले जाते हैं तो इसमें मजदूरों का कतई विश-

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

वास नहीं रह सकता। यही कह कर कि आप मजदूरों को लाठी-गोली से दबाने की चेष्टा मत कीजिए, मजदूरों को उनके हकों से वंचित मत कीजिए। आज राजस्थान बन्द हुआ या नहीं, लेकिन अगर राजस्थान के मजदूरों के हकों की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया तो सारे राजस्थान के मजदूरों में पुनः इंकलाब आएगा और राजस्थान-बन्द किस तरह शांतियम तरीके से होता है, वह करके भी दिखायेंगे।

(श्री गिरधारी लाल व्यास एवं श्री फूल चन्द जैन के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बहस में भाग लें लेकिन जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि विनियोग विधेयक को आज निश्चित रूप से पारित करना है। अगर इस पर ज्यादा समय लेते हैं तो इसी विश्वास के साथ समय दिया जा रहा है कि माननीय सदस्य आज विधेयक को पारित करने में भी सहयोग करेंगे।

श्री फूलचन्द जैन, (सुजानगढ़) : थोड़ा सा समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी स्थगन-प्रस्ताव के ऊपर जो विचार यहां पर रखे गए हैं, मैं चन्द शब्दों के अन्दर इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक जनसंघ का सवाल है, जनसंघ के माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके बारे में इतना ही कहना है कि वे तो "चित्त भी मेरी और पुट भी मेरो" वाली कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक समाजवादी दल के माननीय सदस्यों का सवाल है, संयुक्त समाजवादी दल के जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं उनके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि राजस्थान बन्द कराने की जो उनकी बड़ी भारी कोशिशें थीं वह पूरी तरह से एक प्रकार से असफल हो गईं तो अपने मन का गुब्बार निकालने के लिए उन्होंने यहां पर कुछ बातें कहने की कोशिश की है। उन्होंने मजदूरों के हितों की बहुत बड़ी वकालत की है। मैं और बातों की ओर नहीं जाना चाहता, मैं तो इतना भी माननीय सदस्य ढाबरिया जी से निवेदन करूंगा कि जिन मजदूरों की आप वकालत करते हैं उन्हीं मजदूरों को आप अपने भाषणों के अन्दर 'हिंजड़ा' और 'नपुंसक' कहते हैं। आप याद करिए अपने उन भाषणों को जिनमें आपने मजदूरों को 'हिंजड़ा' और 'नपुंसक' कहा था। एक तरफ आप उनके हितों की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप उनको 'हिंजड़ा' और 'नपुंसक' कहते हैं ....

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : वह तो आपको कहा था।

श्री फूलचन्द जैन : आप किस प्रकार की बातें करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बन्द करने के पीछे जो इनकी भावना थी उसमें पूरी तरह से नाकामयाब होने के बाद आज जो यह मजदूरों की बात हाई कोर्ट में है तो और कोई दूसरी बातों को सामने रखते हैं। मैं उनसे नम्र शब्दों में यह निवेदन करना

(श्री फूलचन्द जैन)

चाहता हूं कि जिस किसी बात को रखें अगर तथ्य की बात को रखें तो निश्चित रूप से आपकी बात में वजन होगा और उस बात पर इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले सभी गौर करेंगे।

माननीय सदस्य ने मजदूरों के ६२–६३ के बोनस का मामला उठाया, वह पहले ट्रिब्यूनल में चल रहा था। उसके बाद में नवम्बर, ६५ के अन्दर गवर्नमेन्ट ने कानून बनाया कि मजदूरों को बोनस देना चाहिए। उसके अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है या नहीं, इस बात का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि उस बात का निर्णय अभी तक क्यों नहीं हुआ। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक अन्डर-टेकिंग्स चल रहे हैं, रेलवे आदि तो उनमें मजदूरों को बोनस मिलता है ? उनको काफी अच्छा वेतन मिलता है। फिर भी मैं यह नहीं कहता कि उनको बोनस मिले या न मिले, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह डिस्प्यूट का मामला है। इसके अन्दर जो कानून है वह कॉन्स्टीट्यूशनली लागू होता है या नहीं, या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की बात है, तो वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकता है या नहीं, उस मामले को लेकर अगर गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में गई है तो उसके अन्दर फैसला करने वाली बात है, यानी उसके अन्दर यह स्थिति सामने आती है कि बोनस मिलना चाहिए तो मैं यह समझता हूं कि राजस्थान सरकार और इधर बैठने वाला कोई भी सदस्य इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि जो उनका हक है तो उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सारी बातों को प्रकट करके जो मूल भावना है उस मूल भावना को आप छिपाने की कोशिश करते हैं तो जिन की माननीय सदस्य ने यहां वकालत की है, श्री एच० के० व्यास की जो कि कम्यूनिस्ट नेता है, तो उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी जो आज स्थिति है उस उखड़ी हुई स्थिति को जमाने के लिए उनकी यह कोशिश है, उसको चाहे 'राजस्थान बन्द' का नारा दें या और किसी प्रकार का नारा दें। आज मैं नहीं कहता कि लेफटस्ट कम्यूनिस्ट हैं। उनको छोड़ने की बात चल रही है, कहीं उनको छोड़ा भी है वह अच्छी बात है या बुरी बात हैं, वह सब के सोचने की बात है। सारी स्थिति सबके सामने है। उनको छोड़ने की जब बात आती है तो कहीं हमारी लीडरशिप खत्म न हो जाये तो यह आपस में रिफ्ट की बात है। संयुक्त सोशयलिस्ट पार्टी में भी आपस में रिफ्ट है। तो अपने अपने जो मुद्दे हैं उनके लिए कोई स्टन्ट बना-कर यहां रखने की कोशिश की जाती है। मैं, माननीय अध्यक्ष, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हरकतें हैं चाहे वे डेमोक्रेसी के नाम पर की जायें, चाहे किसी के नाम पर की जायें, चाहे मजदूरों के नाम पर की जायें, उसको राजस्थान सर-कार ने जिस दृढ़ एटीट्यूड के साथ में डील किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इस तरह की हर-कतें करने वालों को, लॉ एण्ड आर्डर को डिस्टर्ब करने वालों को, इस प्रकार से डेमो-क्रेसी के नाम पर अनडेमोक्रेटिक तरीकों से जो राजस्थान के अन्दर अव्यवस्था और अशान्ति फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही के साथ डील किया जाना चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री जब्बार !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष, इन्होंने जो इन्टक के लिए कहा है तो मुझे इस तरफ से कहने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मौका मिलेगा । शान्त रहें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो मेरा नाम लेकर बात कही है कि मैंने मजदूरों को 'नपुंसक' और 'हिंजड़ा' कहा है तो मेरा भाषण यदि कहीं छपा हुआ हो तो पढ़ कर सुना दें । खड़े होकर पढ़िये नहीं तो अपने शब्दों को वापिस लें । आपने जो बात कही है उसको साबित कर उसको पढ़े यहां पर । उसको पढ़ कर बतलाइये कि कहां पर मैंने कहा है । नहीं तो इस तरह से झूठ मत बोलिये । आप पूंजीपति हैं और मैं मजदूरों में बर्षों से काम कर रहा हूं और उनके लिए लड़ा हूं ।

(विराम)

मेरी बात का जवाब दें और इसको पढ़-कर बतायें, माननीय अध्यक्ष ।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही है ।

श्री फूलचन्द जैन : मैंने अभी तो एक ही लाइन पढ़ कर सुनाई है । अगर पूरा भाषण पढ़ कर सुनाऊंगा तो भाग जायेंगे ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर किसी प्रोसिडिंग में छपा हुआ हो तो बतायें नहीं तो अपने शब्दों को वापिस लें ।

श्री फूलचन्द जैन : मैंने जो कुछ कहा है वह सही है, सही है और सही है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह कहां कहा है । उसको बताइये और यहां पर रखिये ।

श्री फूलचन्द जैन : बताया जायेगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, सदन का हर भाषण हर सदस्य का छपता है । आपके पास कोई भी प्रमाण हो तो इस सदन के अन्दर रखें । नहीं रखते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, कि इस तरह से जो झूठी बातें करने वाले लोग हैं उनको कभी मौका न दिया जाये कि वे किसी माननीय सदस्य पर किसी तरह की कीचड़ उछालें । और इस तरह की बात की गई है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे अधिकारों की रक्षा करें । या तो ये अपने कहे हुए शब्दों को वापिस लें या यहां लाकर मेरे छपे हुए भाषण को सुनाएं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा है कि वह गलत नहीं है सच है और माननीय सदस्य फिर दोहरा रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह गलत नहीं सच है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो मुझे बताया जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह यहां सदन की कार्य-वाही रोक कर नहीं किया जा सकता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसी सदन में मैंने कहा है तो वह छपी हुई चीज होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : इस सदन में कहा या नहीं कहा, यह उन्होंने नहीं कहा है । उन्होंने कहा है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह सच कहा है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कहां वह सुनने आये थे मेरा भाषण ? वे कहते हैं कि यहां पर माणक चौक चौपड़ पर जो भाषण हुए हैं उनमें कहा है तो मेरे भाई का देहान्त हो गया था और मैंने एक दिन भी भाषण नहीं दिया और वे कहते हैं कि बात कही । इस तरह से झूठ बोलने वाले को आप सजा दें । आपने जिस दिन के लिए कहा उस दिन मैं यहां पर था ही नहीं और १४ तारीख को आया । उसके बाद मैं किसी मीटिंग में नहीं बोला, और ये कहते हैं कि इस तरह की बात कही और आप कहते हैं कि वे कहते हैं कि सही कहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको इस समय ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे झूठ कैसे बोले ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, झूठ और सच सदन में कौन बोलता है और कौन नहीं कहता है, उसका यहां पर बैठकर बहस से निर्णय नहीं कर सकते हैं । आपको कोई आपत्ति हो तो माननीय सदस्य को नोटिस दें । अगर यह समझते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो नोटिस दें और कार्यक्रम के मुताबिक चलें । बहस उठाने से मतलब क्या है ।

(विराम)

श्री मानसिंह !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसी प्रकार से उस दिन कहा कि मानिकलाल वर्मा ने नहीं कहा बाड़मेर में और हम लोग बाड़मेर में मौजूद थे ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष, सदन में बहुत ही उग्र वातावरण है, लेकिन ...

श्री अध्यक्ष : आप उसको कम करने में सहायता दें ।

श्री मानसिंह महार : मैं उसको शान्त करना चाहता हूं ।

मैं निवेदन करूं कि आज जो कुछ अभी एडजॉर्नमेन्ट मोशन पर बहस हुई उसमें अभी सभी करीब करीब मित्र असलियत से दूर चले गये । मैं समझता हूं कि मजदूरों को बोनस देने का जो प्रश्न है उसमें क्या कांग्रेस, क्या एस० एस० पी, क्या जनसंघ और क्या स्वतन्त्र सब एक राय हैं कि मजदूरों को बोनस दिया जाय, मजदूरों को हर प्रकार की सहायता दी जाय, और मैं प्रथम आदमी हूं कि जो यह कहता है कि मजदूरों को जितनी भी सहूलियतें दी जायं वे सुखाड़ियाजी दें । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सवाल तरीके का है । कुछ लोग हो सकते हैं कि जो इस प्रकार की हिंसात्मक पद्धति का समर्थन करें, कुछ लोग हो सकते हैं कि जो इस इस प्रकार की बातों के भुलावे में आ जायं और कहें कि सरकार ने यह गलती की वह गलती की । मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में अगर प्रजातन्त्र को हमको जिन्दा रखना है तो हमको पंजाब, कैरल या

(श्री मानसिंह महार)

बंगाल की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। अगर इन बातों को यहां पर दोहराना है तो यह मेरी निश्चित धारणा है कि इस प्रकार के जो आदमी हैं जो कोई भी गलत तरीके से कोई काम करें तो सरकार का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस प्रकार से भी हो इस प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकें। जहां तक यह सवाल है मैं इस चीज का समर्थन करता हूं।

लेकिन सरकार को आपसे अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं ? इसको गंभीरता से सोचना है कि आज देश में यह क्यों हो रहा है ? हमको इसके मूल की तरफ जाना है कि इसका क्या कारण है ? हम देखते नहीं हैं मूल की तरफ और सब बहाव में बह जाते हैं और इन ऊपर की बातों पर रह जाते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि इस सदन को मैं पिछले दो वर्षों से कह रहा हूं कि भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी, वह चाहे राइटिस्ट कम्युनिस्ट हो, चाहे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट हों।

(२.०० म.प.)

वे आपको कभी जिन्दा नहीं रहने देंगे। उनका एक ही लक्ष्य है और वह यह कि भारत में प्रजातंत्र की हत्या की जाय और इसमें उनका बहुत गहरा षड़यन्त्र है और इस षड़यन्त्र से उन्होंने क्या राजस्थान सरकार और क्या भारत सरकार दोनों को एक प्रकार से अंधा बना दिया। जिस समय उनको पकड़ कर जेल के सीखचों में डालने का समय आया उस समय उन्होंने दो रूप धारण ऐसे किये कि बहुरुपिये बन गये। कुछ बन गये लेफ्ट कम्यूनिस्ट और कुछ बन गये राइटिस्ट। जो लेफ्टिस्ट बनने वाले थे उनको तो सरकार ने फौरन जेल में डाल दिया लेकिन जो राइटिस्ट थे उनको तो अपना मित्र बनाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। जिस समय इन्डो-पाक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय जन संघ सरकार से दूर, स्वतंत्र पार्टी सरकार से दूर थी लेकिन राइटिस्ट कम्यूनिस्ट हमारी सरकार के धर्मपुत्र बने हुए थे। उस समय आप यह नहीं सोचते थे कि ये आस्तीन के सांप हैं। मैंने सदन में कई बार कहा कि इन आस्तीन के सांपों को घाट गेट पैलेस में पहुँचाइये यदि देश का भला करना है तो, लेकिन आपने नहीं किया सुखाड़िया जी, मैं जानता हूं इसमें अकेले आपकी गलती नहीं है बल्कि भारतवर्ष में कई लोग ऐसे हैं जो इन राइटिस्ट कम्यूनिस्टों को प्रोत्साहन देते हैं। आज उसका यह नतीजा है कि जिन राइटिस्टों को आप यह समझते हैं कि ये हमारे वफादार हैं, मित्र है; उनको आपने खुला छोड़ दिया और लेफ्टिस्ट-जिनको आप अपना जानी दुश्मन समझते हैं-वे जेलों में सड़ रहे हैं। पर बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ ? केरल को जाने दीजिये राजस्थान में क्या हुआ, देख लीजिये। यह रामानंदजी और हांडा साहब कहते हैं कि हमारे दोस्तों को फेमिलि पेन्शन होनी चाहिये। मैं कहता हूं इससे अधिक किसी बात की मखौल नहीं हो सकती, एक आदमी जिसको देश-द्रोह में जेल में डाला जाय और दूसरी ओर लोग कहते हैं कि उनको सुविधा नहीं मिली। देश-द्रोही को किस प्रकार की सुविधा ? मैं कहता हूं यदि भारतवर्ष में सरकार को जनतंत्र को जिन्दा रखना है, जनतंत्र को जिन्दा ही नहीं रखना बल्कि इस प्रकार की

(श्री मानसिंह महार)

टेन्डेन्सी को खत्म करना है तो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का नाम न लेकर जितने कम्यूनिस्ट है उन सबको फौरन डी० आई० आर० में जेल में डालना चाहिये। यदि ऐसा नही करते हैं तो फिर लेफ्टिस्ट को भी छोड़ दीजिये। कम से कम राजस्थान में तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने खतरनाक ये राइटिस्ट हैं. जितनी गड़बड़ियाँ ये करते हैं, उतनी लेफ्टिस्ट हरिरामजी नहीं कर सकते। यह आपकी कमजोरी है क्योंकि आप ऊपर वालों के दिमाग से चलते हैं, अपने दिमाग पर नहीं चलते, राजस्थान की स्थिति को नहीं देखते। इसलिये मेरा पहला निवेदन यह है कि सभी कम्यूनिस्टों को जिस प्रकार आपने किया है फौरन घाट गेट पहुंचाइये, हम इसके लिये मुबारकबाद देंगे। लेकिन सोशलिस्टों जैसे इस देश के मित्रों को भी यदि आप इसी नाव में चलाना चाहते हैं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। सोशलिस्ट और कुछ भी हों लेकिन भारतवर्ष की आजादी में उनका पूर्ण विश्वास है, वे इस प्रकार की तोड़-फोड़ की मनोवृत्ति नहीं रखते। मानिकचंदजी सुराणा के साथ मैं रात को १० बजे तक बैठा था। मैं कन्विन्स्ड हूं मानिकचंदजी शान्त जुलूस लाना चाहते थे। यदि कुछ आदमियों का शान्त जुलूस लेकर सदन के नीचे मानिकचंदजी आते तो कोई हर्ज की बात नहीं थी लेकिन आप भावावेश में बह गये और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। मानिकचंदजी सुराणा चाहे सदन से निष्कासित हों लेकिन वे सदन के बहुत सम्माननीय सदस्य हैं।

श्री चंदनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : सभी हैं सम्माननीय।

श्री मानसिंह महार : इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने कुछ दिन पहले सम्माननीय सदस्य श्री मुरलीधरजी व्यास को शाम पहले रिहा किया उसी तरह जितने समाजवादी मित्र हैं उनको रिहा जरूर कर दीजिये क्योंकि मुमकिन है वे हवा में बह गये और साम्यवादियों के साथ सांठ-गांठ कर ली, किन्तु जितने हमारे समाजवादी मित्र हैं वे साम्यवादियों के साथ नहीं हैं। वे भी इनको आस्तीन का सांप मानते हैं। यदि ये इस प्रकार की भूल कर लेंगे और उनको भाई मानेंगे तो ये ऐसे खतरनाक भाई हैं जो उनकी पीठ में छुरा भोंके बिना नहीं रहेंगे, इसलिये मैं उनको भी कहता हूं कि वे इन साम्यवादियों के बहकावे में नहीं आवें, आप शान्तिपूर्ण आन्दोलन कीजिये। यदि आप समझते हैं कि उनके बहकावे में आना ठीक है, तो यह आपके लिये भी घातक होगा।

इसके अलावा मजदूरों के लिये बड़ी बड़ी आवाजें उठीं, मैं कहता हूं मजदूरों को जितनी सुविधाएं दे सकें देनी चाहिये। लेकिन जिन मजदूरों को साम्यवादी भुलावे में डालते हैं, धोखे में डालते हैं, तोड़-फोड़ की मनोवृत्ति की ओर ले जाते हैं उनके लिये सरकार को सतर्क रहना चाहिये। हमारे यहां के पॉवर हाउस, वाटर वर्क्स और पी. डब्ल्यू. डी. में इस प्रकार के फिफ्थ कॉलोमिनिस्ट हों तो इस प्रकार के मास अरेस्ट्स से कुछ नहीं होगा। आप उनको वहां से निकालिये, बर्खास्त करिये तभी देश की सेवा कर सकेंगे। लेकिन उनसे आप डरते हैं इसलिये ऐसा कर नहीं सकते, आपकी इस ढिल-मिल नीति से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। जयपुर में मैंने आज

(श्री मानसिंह महार)

चक्कर लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि आज यहां पर घाना की तरह पुलिस राज्य है, मिलिट्री राज्य है। कहीं पुलिस की सीटियां बज रही है, कहीं पुलिस वाले किसी के पीछे भाग रहे हैं। यह होगा जब तक साम्यवादियों को नहीं पकड़ेंगे। देश के लिये ये साम्यवादी कैंसर की बीमारी है। जिसको आपने १७ वर्ष तक बढ़ावा दिया है। जब तक इस बीमारी को खत्म नहीं करोगे तब तक आप मत समझिये कि आप सुदृढ़ हैं। जनता आपको कितने ही वोट दे, जनता हमको कितने ही वोट दे, लेकिन ये जितने तोड़-फोड़ वाले हैं उन्होंने तेलगाना में क्या नहीं किया, कहां कहां क्या नहीं किया ? उनके प्रति आप भी यह भावना रखते हैं। प्रेस नोट निकालते हैं कि एस० के० व्यास तन्दरुस्त हैं। हम यह सुनना नहीं चाहते। किसने कहा कि एस० के० व्यास तन्दरुस्त हैं या नहीं, खाना खाना शुरू कर दिया या नहीं। इस प्रकार के देश-द्रोही खाना न खाकर जेल में सड़ कर मर जावें तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप एक ओर तो उनको जेल में बंद करें और दूसरी ओर उनके लिए प्रेस नोट निकालें। मैं जानता हूँ यह सब चुनाव की बीमारी है। आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टीज की तरह कम्यूनिस्ट भी जिन्दा रहें, जितनी अधिक पार्टीज होंगी उतना ही विरोधी पक्ष डिवाइ-डेड रहेगा........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : डांगे साहब जेल में बैठे हैं।

श्री मानसिंह महार : डांगे तो आपकी तरफ हैं। डांगे आपकी तरफ हैं तो उनको छोड़ दो दूसरों को तो पकड़ो। मैं नहीं कहता कुछ लोग कहते हैं कि पहले अंग्रेजों के टाइम में डांगे कांग्रेस में सी०आई०डी० की तरह काम करते थे। जो भी राज्य करते हैं उनका लक्ष्य होता है कि हर पार्टी में अपने कुछ आदमी छोड़ दें तो उनके भेद मिलते रहें। कई लोगों को आपने थानेदार आउट-ऑफ वे जाकर बनाया, मुझसे यह सब कुछ छिपा नहीं है। इसी तरह आप डांगे साहब को अपना ही सी० आई० डी० समझते हैं। और अगर आप उनको इस तरह चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन सरकारी नौक-रियों में से लोगों को निकाल-निकाल कर हमारी पार्टी में भेजें तो कृपा कर हमारी पार्टी को दूषित मत कीजिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार !

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज मजदूरों के बोनस के मामले को लेकर विधान सभा में जिस स्थगन प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ है, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज विकास का युग है उसमें जमाने की बदलती हुई हवा में हर व्यक्ति समझने लग गया कि उसका अधिकार क्या है। ऐसी स्थिति में भी जो पुराने तरीके हैं उनको आप अपनाते हैं। मैं आपको टैक्निक की बात बताऊं, अध्यक्ष महोदय, यदि मजदूरों का दमन करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया तो इतिहास इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है कि दमन से मजदूरों को दबाने में सफल नहीं हो सकते। आप कहीं का भी दुनिया का इतिहास उठा कर देख सकते है, चाहे आर्मी के मुलाजिम हों—उनको यदि दमन से दबाने की कोशिश की है तो उसमें

(श्री अब्दुल जब्बार)

सफल नहीं हुए हैं। किसी भी तरह मजदूरों का दमन करने के लिए यदि शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। और फल वैसा ही होता है, जैसे धूल के ऊपर आप पैर मारेंगे तो सिर पर आकर ही गिरेगी। यह एक लाजिमी चीज है कि जितना किसी को दबाया जायगा तो उसका उल्टा ही असर होगा। यह एक साइक्लोजिकल चीज है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम १४४ धारा लगाना अनुचित है उन मजदूरों के लिए जो आपसे बोनस मांगते हैं और उसके लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : जब्बार साहब ! एम० ए० हिस्ट्री में किया है आपने ?

श्री अब्दुल जब्बार : ऐसा है कि मैंने एम. ए. हिस्ट्री में किया है या नहीं यह मैं बाद में बताउंगा। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूँ कि इस तरह शक्ति से कभी मजदूरों को दबाया नहीं जा सका है। आप कोई भी इस तरह का उदाहरण दे दीजिए कि शक्ति से मजदूरों को दबाया गया हो.... ...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आज भी कोई शक्ति से नहीं दबाया है ।

श्री अब्दुल जब्बार : लेकिन आज इस तरह का सिलसिला चल रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी और आजादी का नक्शा बन रहा था उस वक्त मैं इस देश में अंग्रेजों को खत्म करने के लिए और अंग्रेजी शासन को खत्म करने के लिए क्या नहीं किया गया, लेकिन उस वक्त भी हमको १०८ में पकड़ा जाता था। वह एक पीनल ऑफिन्स था। यह नहीं होता था कि पकड़ा और धर दिया, १४४ धारा लगा दी। मुझे याद आता है, हुकूमत के नाम एक शेर कहा था....

श्री निरंजननाथ आचार्य : इरशाद !

श्री अब्दुल जब्बार :

परीह क्या सितमगर पेश्तर ऐसे न होते थे ?
बलेकिन जैसे तुम हो फित्नगर वैसे न होते थे !

श्री निरंजननाथ आचार्य :

बजाये अन्दलीबा बैठे शाखे गुलशन पर !
मिस्सी लगाकर हंस रहे बर्गे सोसन पर !

श्री अब्दुल जब्बार : इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त हमने देखा था, आन्दोलन होते थे,, गिरफ्तारियां होती थीं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : वह यह कहते हैं–

अरे यहां भी ढूंढा, वहां भी ढूंढा।
हमें क्या पता था उल्लू यहां बैठे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अरे सुना था आप बिक भी गये हैं।
लेकिन आज मालूम हो गया आप भी बिक गये हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं यह मान कर चलता हूँ कि कांग्रेस ने भी आजादी के लिए कुर्बानी की है लेकिन हमने भी आजादी के लिए कुर्बानी की है। और इसलिए मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ ।

(श्रीअब्दुल जब्बार)

सय्याद से कहदो कि जरा होश सम्भाले
हमने भी कुर्बानियां दी है चमन की खातिर !

श्री निरंजनाथ आचार्य : मुझे मालूम है, खान पर !

श्री अब्दुल जब्बार : तो यह न सुनियेगा कि केवल कांग्रेस ने ही आजादी के कुर्बानी की है। बल्कि यह मान कर चलिए कि हमने भी कुर्बानियां की हैं आजादी के लिए।

तो जब मजदूरों को इस प्रकार की जायज मांग हो—वे आपसे मांग क्या रहे हैं ? केवल बोनस। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन चंद पूंजिपतियों के कदम पर सिर झुका कर आप जिन्दा कब तक रह सकोगे ? आप आज इन चंद पूंजिपतियों के इशारे पर झुक कर मजदूरों का दमन करते हो—मैं समझता हूँ कि यह वाजिब नहीं है, यह इन्सानियत के खिलाफ है, कानून की रुह से यह कानून से खिलाफ है। उन चंद पूंजिपतियों के इशारे पर, जो यह चाहते हैं कि इन मजदूरों को बोनस न दें, अगर आप चाहें कि इनको दमन से दबा दिया तो, अध्यक्ष महोदय, यह कभी भी होने वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं कि जो बात सरकार कल मानने वाली है उसे सरकार को आज ही मान लेना चाहिए ताकि जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है उसको बचाया जा सके। जितना पैसा मजदूरों को बोनस में दिया जाना चाहिए उसको राजस्थान में बहुत सी फौज पलटन कायम करके खर्च कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह पैसा उनको दे दिया जाय तो चार आना उनको संतोष हो जाता। आप कम से कम यह करते कि पूंजीपति गलत तरीके से जो प्रश्न खड़े कर देते हैं और जो पैसा इनको देना चाहिए वह इनको नहीं देना चाहते हैं। जो जायज़ इनका पैसा है उसको वाजिब तरीके से खर्च नहीं करके उसकी यूटीलिटी नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम आप इन मजदूरों की हालत पर गौर फर्मायें। आपने महल देखे हैं, आपने अट्टालिकायें देखी हैं, सी स्कीम के बंगले देखे हैं लेकिन मजदूरों की जो सही स्थिति है, उनका जो नक्शा है वह मैंने देखा है और कांग्रेस के भी कई माननीय सदस्य देखने वाले हैं। श्री ज्वाला प्रसाद जी ने उनकी स्थिति को देखा है। जब वे सन् १९४२ में नीमच आये थे तब से मैं उनको जानता हूं, तब से मुझे उनकी हिस्ट्री मालूम है। और मैं यह भी जानता हूँ कि मजदूरों के लिए उनके दिल में आग है, उनके दिल में उनके लिये दर्द है लेकिन न जाने किस मजबूरी या नियंत्रण के कारण खुल कर वे मजदूरों के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन सही नक्शा देखना है तो मजदूरों के कपड़े देखिये, उनके बिस्तर देखिये, उनकी दवाइयों के इन्तजाम को देखिये, उनके बच्चों की हालत को देखिये, फिजिकल फिटनेस की दृष्टि से देखिये और उसको देखने के बाद सरकार और सरकार के मंत्रियों को यह सोचना चाहिए कि यह उनकी जायज मांग है, बोनस वाली बात सही है। इसमें किसी की गिरफ्तारी का सवाल नहीं है।

आजादी की लड़ाई में हम पीनल लॉज के अन्तर्गत पकड़े जाते थे। हमारे बारे में गवाही होती थीं, १०८ के हमारे खिलाफ

(श्री अब्दुल जब्बार)

मुकदमे चलते थे। इस तरह हम उस समय सरकार को बदलना चाहते थे तो गिरफ्तार होते थे। उसमें कोई बात नहीं थी। जो कानून बने हुए हैं उनके अन्तर्गत पकड़ लेना चाहिए और कोई जुर्म करता है तो उसको पकड़ लेना चाहिए। यह नहीं कि पुलिस ने रिपोर्ट दे दी आपने पकड़ लिया। मुझे तो मालूम पड़ता है कि आज की हालत ऐसी है कि आगे ख़ुदा ही इस सरकार को चला सकता है। इसका अन्जाम अच्छा नहीं होगा।

आज आपने पुलिस रिपोर्टर ऐसे रखे हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम शोर्टहैण्ड के जानने वाले रिपोर्टर नियुक्त किये जाने चाहिए। आज यह होता है कि आड़ी-टेढ़ी लकीर खींच कर स्पीच लिख लेते हैं और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ एक्शन ले लिये जाते हैं। इस तरह की बात को आप अच्छी तरह याद कर लें कि समन्दर की लहरों को रोकने के लिए कोई कामयाबी हांसिल नहीं कर सकता है। समन्दर की लहरों को रोकने के लिए दुनिया की कोई ताकत कामयाबी हांसिल नहीं कर सकता है। उसी तरह आज उठे हुए मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं, वे जब अपना हक पाने के लिए अपना कदम उठाते हैं तो उनको तोप, बन्दूक और गोली से कोई नहीं रोक सकेगा चाहे आप कितनी ही ताकत क्यों न लगा लें। आज के दिन जो युग है जिसमें मनुष्य कहता है–मैं पढ़ा–लिखा हूं। इस युग के पढ़े–लिखे लोगों को आप केवल लकीर के फकीर बना कर चलाना चाहें तो आपको पछताना पड़ेगा, और मानवता के आधार पर आपको सोचना पड़ेगा कि हकीकत में जिसका अधिकार है वह उनको देना चाहिए और अगर नहीं देते हैं और इस तरह दमन करते हैं तो डायर की तरह आपको सड़ना पड़ेगा। जिस तरह डायर रूस में सड़ा था उसी तरह यहां भी सड़ना पड़ेगा। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दमन नहीं करके आपको इस साइक्लोजीकली डील करना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री गृह) : बिस्मिल्लाह !

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, आज स्थगन-प्रस्ताव मजदूरों की समस्या को लेकर और दफा १४४ की समस्या को लेकर हाउस में पेश हुआ है। जब कभी इधर बैठने वाले माननीय सदस्य उधर बैठने से वाले माननीय सदस्यों के भाषण सुनते हैं तो कभी तो वे अपने आपको किसानों के रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, कभी मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव अपने आपको मानते हैं। आज मजदूरों के मामले में जनसंघ के सदस्य, प्रसोपा के सदस्य और स्वतंत्र पार्टी के सदस्य एक ही बात रखना चाहते हैं जैसे जितनी मजदूरों के हित की बात है, मजदूरों के जितने हित के कानून हैं, मजदूरों की जतिनी सुख-दुःख की समस्या हैं उनको वे ही समझते हैं। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं। यह जनतंत्र है और जनतंत्र में हमेशा वोट से चुनाव होते हैं। क्या आपने कभी यह ख्याल किया कि एक तरफ उन मजदूरों के सवाल पर, बात पर हमारी पार्टी को, कांग्रेस को वह पूंजीपतियों की पार्टी बतलाते हैं, एक तरफ जब किसानों की बात आती है तो कांग्रेस को जागीरदार

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

और महाराजा की पार्टी बतलाते हैं । क्या राजा–महाराजा, और पूंजीपति देश में इतने अधिक हैं कि बहुमत के आधार पर कांग्रेस पार्टी की हूकूमत बन सके (किसी माननीय सदस्य के द्वारा व्यवधान उपस्थित करने पर) माननीय सदस्य ! हमने आपको शांति से सुना है । आपमें यह क्षमता हो कि आप दूसरों को भी सुन सकें तो बोला करें । अगर आप में क्षमता नहीं है तो कभी बोलने की चेष्टा मत करें । हाउस के अन्दर जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार आज मुझे भी है । मैं अपनी पार्टी की बात कह रहा हूँ । आखिर और दूसरे सदस्य भी बोलेंगे । आपके बीच में बोलने से मेरी भावनायें या मैं जो बात कहना चाहता हूँ– उसमें कोई कमी आ जायगी–यह बात नहीं हो सकती है । मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी यह चाल नहीं चलेगी जो आप चाल चलना चाहते हैं । हम अपनी भावनायें व्यक्त करना चाहते हैं । और इस देश के लोग हैं वे विश्व के अन्दर जागरुक लोग हैं और इस देश के लोग सारी बातें समझते हैं अब इस देश में जागृति लाने का श्रेय को बात करते हैं । इस देश में जागृति किस तरह से लाना चाहते हैं, यह बात आप हमसे पूछना चाहते हैं । आज हमारे निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है । उनको यह मालूम नहीं है कि जनसंघ का नाम, इसकी उत्पत्ति, जनसंघ के कार्य संचालन का तरीका और जनसंघ है वह है क्या । कभी उन्होंने अपने यहां इस बात का विश्लेषण किया है, कभी उन्होंने इस पर ख्याल किया है । मैं समझता हूं कि उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा । आप देखें, आप ख्याल करेंगे कि मजदूरों के लिये आज प्रश्न है, मजदूरी की समस्या का प्रश्न है । मैं कहना चाहता हूं कि आप और दूसरी पार्टी में मजदूरों के हित में, मजदूरों के लिये मरने वाले के बारे में मजदूरों की समस्या को कोई समझने वाला है, मैं समझता हूं कि कोई भी समझने वाला नहीं होगा । जैसा कि इस हाउस में आने वाले माननीय सदस्यों ने खुद ने माना है कि एक ज्वालाप्रसाद हैं वे भी जानते हैं कि सरकार ने श्रम के लिये कानून भी बनाये हैं और भी उनके हितों के लिये बहुत बड़ी बातें हुई हैं । और जब देश में प्रजातन्त्र की बात होती है तो लोगों की भलाई के लिये किसानों के बाद दूसरा नम्बर मजदूरों का आता है और हम इसी बात का ख्याल करते हैं कि किस तरह से भारतवर्ष में मजदूरों का भला हो और उसके बाद में आगे सोचा जाता है । आप देखेंगे कि मजदूरों के लिए ऐसे कानून बनाये गये है और आप यह भी देखेंगे कि जैसे जैसे मुल्क या देश में जागृति आती है तो हर एक आदमी अपने अपने अधिकारों के लिये लड़ाई लड़ता है और उनके अधिकारों की लड़ाई है वह हमेशा चलती रहेगी । कोई यह समझता है कि जनसंघ के झन्डे के नीचे या कांग्रेस के झन्डे के नीचे या प्रसोपा के झन्डे के नीचे मजदूर हों तो यह बात उचित नहीं होगी । मजदूर कभी एक झण्डे के नीचे रहकर यह कह सकता है कि हमारे अधिकार पूरे हो गये हैं । ऐसा कभी नहीं होगा और जिस रोज मजदूर यह कहेगा कि अब मेरी कोई तृष्णा नहीं रही है, कोई मांग नहीं रही है तो उस दिन से हमारे देश में आगे जागृति का नामोनिशान मिट जावेगा । मजदूर देश में जागृति लाना चाहता है ।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस पार्टी की ओर इशारा किया है। वे माननीय सदस्य जो अलवर से आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से संबन्धित हैं। मुझे बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि कुछ कम्यूनिस्ट राइटिस्ट और कुछ लेफ्टिस्ट इस तरह से दो हिस्सों में उनको बांटा जावे और हमारी हुकुमत में बैठने वाले मिनिस्टर लोग हैं वे इस बात को समझते हैं कि राइटिस्ट वे गंगा में स्नान करने और लेफ्टिस्ट हैं वे विद्रोह पैदा करने वाले है। मैं यह कहूंगा कि न राइटिस्ट यह चाहते हैं कि मुल्क में शांति रहे और न यह लेफ्टिस्ट चाहते हैं। दोनों के अन्दर कोई फर्क नहीं है।

आप देखिये कि अलवर में न तो कोई फेक्ट्री है, न वहां पर मजदूरों की कोई किसी प्रकार की समस्या है मगर मजदूरों के नाम से उन्होंने अभी २७ तारीख को वहां पर इन्टक का अधिवेशन हुआ था उस समय यह कोशिश की गई कि इन्टक के अधिवेशन में दूसरे कर्मचारियों से जो १००-५० आदम हमेशा उनके साथ होते हैं उनके द्वारा गड़ी बड़ी की। मजदूरों की समस्या का प्रश्न उनके लिए नहीं है। कम्युनिस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वे राइटिस्ट हों, चाहे लेफ्टिस्ट, वह चाहे छोटा हो या बड़ा वे सर्प की तरह से मुल्क को डसना चाहते हैं। वे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। चाहे वह राइटिस्ट हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, मैं सुखाड़िया जी से कहना चाहता हूं कि आपने हरिराम को. आई. डी. आर में बन्द किया। मगर दूसरे कम्यूनिस्ट हैं जो देश कम्यूनिस्ट पार्टी से बदलना चाहते हैं, जो उससे जुडे हुए हैं, जो विद्रोह करने वाले हैं उनको आपने बाहर रहने की छूट दे दी है। वे अभी भी चौराहे पर बैठकर लोगों को बरगलाते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। वें जानते हैं कि जनतन्त्र के विश्वास से वे देश में हुकूमत ले नहीं सकते क्योंकि सारे राजस्थान में आप देखेंगे कि वे दो–तीन आदमी ही यहां आये हैं। वे भी जब आये हैं और वे भी कब आये है जब उन्होंने अपनी मांग को इस तरह से रखा कि हम राजा–महाराजाओं के विरोधी हैं और उनके पैरों से पड़ कर इस विधान सभा में सदस्य बने हैं। तो इस तरह के दलों की भावना रखते हैं, जिनको पार्टी और जनसंघ में कोई विश्वास नही है जनतन्त्र पर, वे डिक्टेटरशिप में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी जो जुलूस निकाला गया और यहां पर बुलाया गया उसके लिये क्या नारा दिया गया था, मैं यह बात कहता हूं कि यदि आप चाहें तो तीन सदस्यों की एक समिति बिठाई जावे जो इसकी जांच करे, जिसमें जनसंघ के सदस्य हों, एक प्रसोपा के और एक स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य हों, कांग्रेस पार्टी के सदस्य की कोई मुझे जरूरत नहीं है। अभी एक दिन जुलूस आया था उसके बारे में कहा गया उनसे पूछो कि आप जयपुर क्यों आये थे। उन्होंने कहा कि आप जयपुर जाओगे और प्रदर्शन करोगे तो तुमको जमीन मिल जावेगी और मई में खेती कर लोगे। उस जमीन के लिये किसानों की दरख्वास्तें थीं और वे उसके लिये यहां जयपुर में आये और उन्होंने जुलूस निकाला। उनसे पुछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा जुलूस निकाला। वे लोग यहां पर आये क्योंकि किसानों को जमीन की

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

थी। उनको यह कहा गया कि आज जयपुर चलेंगे और विधान सभा के सामने प्रदर्शन करेंगे तो आपको जमीन मिल जावेगी। इस तरह की बातें लोगों के सामने रख कर आप देखेगे कि प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर इस तरह से काम करवे की बात कहते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं।

अब देखा कि एक वर्ष में चुनाव होने वाले हैं। आम चुनावों के बारे में वे यह कहेंगे कि किसानों के लिये यह हो रहा है, किसानों के जो नाज होता है वह फसल पर किस प्रकार से सस्ता लिया जाता है। उधर शहर में मिसालें देते हैं, शहरों में रहने वाले व्यक्ति मंहगाई से दबे जा रहे हैं। गांव में रहनेवाले नाज नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी बात मानते हैं। आप पार्टी के लिये जो चाहे करिये, मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि देश के चौराहे पर खड़े होकर जब हमारे यहां खाद्यान्नों की समस्या है वह ऐसी है कि हम दूसरे मुल्कों से ऐसा चाहते हैं कि वे हमें सहायता दें, उस समय हमारे देश में ये चाहते हैं कि तोड़-फोड़ की कार्यवाही हो। अब ये कहते हैं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं हैं। वे यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने १४४ धारा क्यों लागू की? मैं इस बात को मानता हूं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे कुछ करते, मगर फिर भी सावधान रहना कोई गुनाह नहीं है। जनतन्त्र में आपने कानून की तहत सरकार को अधिकार दिया है और जो अधिकार सरकार को दिया गया है उससे सरकार की यह ड्यूटी हो जाती है कि कहीं नेशनल प्रोपर्टी है उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये उन्होंने पहले ही धारा १४४ लगाकर नेशनल प्रोपर्टी को प्रोटेक्ट किया, इसमें किसी प्रकार का सरकार का दोष नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने इस प्रकार का प्रबन्ध किया, इसके लिए मुबारकबाद के अधिकारी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो यह कहूंगा कि श्रम के लिये कानून और उनके हितों का खयाल और उनके लिये क्या क्या होना चाहिये उसके लिये आपसे ज्यादा ख्याल हमको है क्योंकि कोई भी सरकार जनतन्त्र में उनके हकों की अवहेलना करके ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकती। उनके लिये हमारे दिल में दर्द है। हम यह चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। आज किसानों और हर आदमी के लिये कि वह अपनी तरक्की करे इस बात की भावना आपसे ज्यादा हमारे में है क्योंकि हमारे अन्दर जन्मजात यह भावना है और हमारी कांग्रेस ने प्रजातन्त्र कायम किया है। हुकूमत कायम की है। इसलिये हम अपने अधिकार के लिये नहीं. अपने कर्त्तव्य के लिए काम करते हैं। हम लोग आपसे डर कर कोई कार्यवाही नहीं करते। जनसंघ वाले या कम्युनिस्ट पार्टी या प्रसोपा कम्युनिस्टों से मिल गये या नहीं, यह नहीं कह सकता; यह ख्याल नहीं कि वे भी कम्युनिस्ट बनेंगे। चाहे आप कोई नारा दें, आप यह चाहते हैं कि आपके नारों से कांग्रेस की हुकूमत या कांग्रेस पार्टी को आप खत्म कर सकेंगे में यह कहूँगा कि यह आपके बूते की बात नहीं है। आप कोई भी काम करें। मगर पार्टी के नाम से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

देश के लिए कलंक हो । यही मेरा निवेदन है और यही मैं कहना चाहता हूँ ।

अब इस देश में जागृति लाने का श्रेय की बात करते हैं । इस देश में जागृति किस तरह से लाना चाहते हैं, यह बात आप हमसे पूछना चाहते हैं । आज हमारे निम्बा-हेड़ा से जाने वाले माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार पूंजोपतियों को सरकार है । उनको यह मालूम नहीं है कि जनसंघ का नाम, इसकी उत्पत्ति, जनसंघ के कार्य-संचालन का तरीका और जनसंघ है वह क्या ? कभी उन्होंने अपने यहाँ इस बात का विश्लेषण किया है ? कभी उन्होंने इस पर खयाल किया है । मैं समझता हूं कि उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा । आप देखें, आप खयाल करेंगे कि मजदूरों के लिए आज प्रश्न हैं, मजदूरी की समस्या का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि आप और दूसरी पार्टी ने मजदूरों के हित में, मजदूरों के लिए मरने वाले, मजदूरों की समस्या को कोई समझने वाला है, मैं समझता हूं कि कोई भी समझने वाला नहीं होगा । जैसा कि इस हाउस में आने वाले माननीय सदस्यों ने खुद ने माना है कि एक ज्वालाप्रसाद हैं वे भी जानते हैं कि सरकार ने श्रम के लिए कानून भी बनाये हैं और भी उनके हितों के लिए बहुत बड़ी बातें हुई हैं । और जब देश में प्रजातन्त्र की बात होती है तो लोगों की भलाई के लिए किसानों के बाद दूसरा नम्बर मजदूरों का आता है और हम इस बात का ख्याल करते हैं कि किस तरह से भारतवर्ष में मजदूरों का भला हो और उसके बाद में आगे सोचा जाता है । आप देखेंगे कि मजदूरों के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाये गये है और आप यह भी देखेंगे कि जैसे-जैसे मुल्क और देश में जागृति आती है तो हर एक आदमी अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है और उनके अधिकारों की लड़ाई है वह हमेशा चलती रहेगी । कोई यह समझता है कि जनसंघ के झण्डे के नीचे या कांग्रेस के झण्डे के नीचे या प्रसोपा के झण्डे के नीचे मजदूर हो तो यह बात उचित नहीं होगी । मजदूर कभी भी एक झण्डे के नीचे रहकर यह कह सकता है कि हमारे अधिकार पूरे हो गये हैं । ऐसा कभी नहीं होगा । जिस रोज मजदूर यह कहेगा कि अब मेरी कोई तृष्णा नहीं रही है, कोई मांग नहीं रही है तो उस दिन से हमारे देश में आगे जागृति का नामोनिशान मिट जावेगा । मजदूर देश में जागृति लाना चाहता हैं ।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस पार्टी की ओर इशारा किया है । वे माननीय सदस्य जो अलवर से आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित हैं । मुझे बड़ी हैरानी इस बात की होती है कि कुछ कॉम्युनिस्ट राइटिस्ट और कुछ लेफटिस्ट इस तरह से दो हिस्सों में उनको बांटा जावे और हमारी हुकूमत में बैठने वाले मिनिस्टर लोग हैं वे इस बात को समझते हैं कि राइटिस्ट हैं वे गंगा में स्नान करके आये हैं और लेफटिस्ट हैं वे विद्रोह पैदा करने वाले हैं, मैं यह कहूंगा कि न राइटिस्ट यह चाहते हैं कि मुल्क में शान्ति रहे और न लेफटिस्ट यह चाहते हैं । दोनों के अन्दर

Page No. 81

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कोई फर्क नहीं हैं। आप देखिये कि अलवर में न तो कोई फैक्ट्री है न वहां पर मजदूरों की कोई किसी प्रकार की समस्या है, मगर मजदूरों के नाम से उन्होंने, अभी २७ तारीख को वहां पर इन्टक का अधिवेशन हुआ था उस समय यह कोशिश की गई कि इन्टक के अधिवेशन से दूसरे कर्मचारियों से जो १००-५० आदमी हमेशा उनके साथ होते हैं उनके द्वारा गड़बड़ी की जावे। मजदूरों की समस्या का प्रश्न उनके लिए नहीं है। कॉम्युनिस्ट चाहे कोई भी हों, चाहे वे राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, वे सर्प की तरह से मुल्क को डसना चाहते हैं। वे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। चाहे वह राइटिस्ट हो, चाहे लेफटिस्ट हो, मैं सुखाड़ियाजी से कहना चाहता हूं कि आपने हरिराम को डी. आई. आर. में बन्द किया, मगर दूसरे कॉम्युनिस्ट हैं जो देश को कॉम्युनिस्ट पार्टी बदलना चाहते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं विद्रोह करने वाले हैं उनको आपने विद्रोह करने की बाहर रख कर छूट दे दी है। वे अभी भी चौराहे पर बैठकर लोगों को बरगलाते है। इस तरह की बातें होती है। वे जानते हैं कि जनतन्त्र के विश्वास से वे देश में हुकूमत ले नहीं सकते क्योंकि सारे राजस्थान से आप देखेंगे कि वे दो-तीन आदमी ही यहां आये हैं। वे भी जब आये हैं और वे भी कब आये हैं, जब उन्होंने अपनी मांग को इस तरह से रखी कि हम राजा-महाराजाओं के विरोधी है और उनके पैरों में पड़ कर इस विधान सभा में सदस्य बने हैं। तो इस तरह के दलों की भावना रखते हैं, जिनकी पार्टी और जनसंघ में कोई विश्वास नहीं है जनतन्त्र पर, वे डिक्टेटरशिप में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी जो जुलूस निकाला गया और यहां पर बुलाया गया उसके लिए क्या नारा दिया गया था, मैं यह बात कहता हूं कि यदि आप चाहें तो तीन सदस्यों की एक समिति बिठाई जावे जो इसकी जांच करें, जिसमें एक जनसंघ के सदस्य हों, एक प्रसोपा के और एक स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य हों, कांग्रेस पार्टी के सदस्य की कोई मुझे जरूरत नहीं है। अभी एक दिन जुलूस आया था उसके बारे में कहा गया उनसे पूछो कि आप जयपुर क्यों आये थे? उन्होंने कहा कि आप जयपुर जाओगे और प्रदर्शन करोगे तो तुमको जमीन मिल जावेगी और मई में खेती कर लोगे। उस जमीन के लिये किसानों की दर्ख्वास्तें थीं और वे उसके लिए यहां जयपुर में आये और उन्होंने जुलूस निकाला। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा जुलूस निकाला। वे लोग यहां पर आये क्योंकि किसानों को जमीन की जरूरत थी। उनको यह कहा गया कि आज जयपुर चलेंगे और विधान सभा के सामने प्रदर्शन करेंगे तो आपको जमीन मिल जावेगी। इस तरह की बातें लोगों के सामने रखकर आप देखेंगे कि प्रदर्शन कराना चाहते हैं। अगर इस तरह से काम करके वे मजदूरों और श्रम के हितों में काम करने की बात कहते हैं तो मैं उमसे सहमत नहीं हूं।

अब देखा कि एक वर्ष में चुनाव होने वाले हैं। आम चुनावों के बारे में वे यह कहेंगे कि किसानों के लिए यह हो रहा है, किसानों के जो नाज होता है वह फसल पर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

किस प्रकार से सस्ता लिया जाता है ? उधर शहर में मिसालें देते हैं, शहरों में रहने वाले व्यक्ति महंगाई में दबे जा रहे हैं । गांव में रहने वाले नाज नहीं देते ! मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात मानते हैं । आप पार्टी के लिए जो चाहे करिए, मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि देश के चौराहे पर खड़े होकर जब हमारे यहां खाद्यान्नों की समस्या है वह ऐसी है कि हम दूसरे मुल्कों से ऐसा चाहते हैं कि वे हमें सहायता दें, उस समय हमारे देश में ये चाहते हैं कि तोड़-फोड की कार्यवाही हो । अब ये कहते हैं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं है । वे यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने धारा १४४ क्यों लागू की । मैं इस बात को मानता हूं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे कुछ करते, मगर फिर भी सावधान रहना कोई गुनाह नहीं है । जनतन्त्र में आपने कानून की तहत सरकार को अधिकार दिया है और जो अधिकार सरकार को दिया गया है उससे सरकार की यह ड्यूटी हो जाती है कि कहीं नेशनल प्रोपर्टी है उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए उन्होंने पहले ही धारा १४४ लगा कर नेशनल प्रोपर्टी को प्रोटेक्ट किया, इसमें किसी प्रकार का सरकार का दोष नहीं है । मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने इस प्रकार का प्रबन्ध किया इसके लिए मुबारक बाद के अधिकारी हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं तो यह कहूंगा कि श्रम के लिए कानून और उनके हितों का ख्याल और उनके लिए क्या क्या होना चाहिये, उसके लिए आपसे ज्यादा ख्याल हमको है क्योंकि कोई भी सरकार जनतन्त्र में उनके हकों की अवहेलना करके ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकती । उनके लिए हमारे दिल में दर्द है । हम यह चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे । आज किसानों और हर आदमी के लिए कि वह अपनी तरक्की करे इस बात की भावना आपसे ज्यादा हमारे में है क्योंकि हमारे अन्दर जन्मजात यह भावना है और हमारी कांग्रेस ने प्रजातन्त्र कायम किया है, हुकूमत कायम की है । इसलिए हम अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिये काम करते हैं । हम लोग आपसे डर कर कोई कार्यवाही नहीं करते । जनसंघ वाले या कॉम्युनिस्ट पार्टी या प्रसोपा कॉम्युनिस्टों में मिल गये या नहीं, यह नहीं कह सकता; यह खयाल नहीं कि वे भी कम्युनिस्ट बनेंगे । चाहे आप कोई नारा दें, आप यह चाहते हैं कि आपके नारों से कांग्रेस की हुकूमत या कांग्रेस पार्टी को आप खत्म कर सकेंगे, मैं यह कहूंगा कि यह आपके बूते की बात नहीं है । आप कोई भी काम करें जिससे देश के लिये कलंक हो । यही मेरा निवेदन है और यही मैं कहना चाहता हूं ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह !

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां धारा १४४ लगाई जाकर २१७ मजदूरों को गिर-

(श्री जोधसिंह चौहान)

फ्तार करके आज जेल में बन्द किया गया है, यह मैं समझता हूं जनतन्त्रवाद के खिलाफ है। हमारे यहां जिंदा रहने का हर एक को हक है, हर मनुष्य को बोलने का हक है, अपनी रोटी के लिये आवाज उठाने का, मजदूरों को बोनस मांगने का हक है तो इस प्रकार धारा १४४ लगा कर मजदूर भाइयों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिये। अच्छा तो यह होता कि सरकार इस बात का प्रबन्ध करती कि किसी प्रकार की कोई भी तोड़-फोड़ नहीं कर सके, हमारी पार्टी इसके विरोध में है कि किसी प्रकार की कोई भी तोड़-फोड़ करे। कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने यह बताने की कोशिश की कि सरकार ने जो किया वह अच्छा किया, हमारी इन्टक है, उसने मजदूरों की सेवा की है। पर मैं आपको बताऊं कि हमारे उदयपुर में कॉटन मिल है, वहां दूसरी इन्डिपेन्डेन्ट यूनियन मजदूरों की थी, वहां पर इन्टक की यूनियन नहीं थी। दुर्गावत साहब ने वहां जाकर मजदूरों को आपस में लड़ाया और एक मजदूर कार्यकर्ता के छुरा भोंकवाया....

(विराम)

और उन मजदूरों को आपस में लड़ाने का आज वहां यह परिणाम है कि आज वहां के मजदूरों से ओवर टाइम लिया जाता है, पर उनको ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं दिया जाता, सिंगल पैसा मिलता है। इन्टक की यूनियन ने वहां के मिल मालिक से मिल कर वहां के मजदूरों का शोषण कर रखा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इन्टक ने आन्दोलन करके मजदूरों का वेतन बढ़वा दिया। आपको यह बुरा लगा कि मजदूरों का वेतन बढ़वा दिया।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं यह कहता हूं कि यह जो वकालत करते हैं, वह सही नहीं है। मैं यह प्रकट करना चाहता हूं कि दूसरे लोग भी सेवा कर सकते हैं, पर आज वस्तुस्थिति यह है कि इन्टक सरकार की गुलाम है, जिस प्रकार राजाओं के गुलाम लोग होते थे इस प्रकार इन्टक आपकी गुलाम है, इस प्रकार इन्टक मजदूरों को लाभ नहीं पहुंचा सकती। मजदूरों की दूसरी इन्डिपेन्डेन्ट यूनियन्स थीं, उनमें आपने फूट पैदा की है, मजदूरों को आपस में लड़वाया है और मजदूरों के आपस में छुरा भोंकवाया है।

मजदूर अपने पेट के लिए, अपने बोनस के लिए मांग करते हैं, उनकी इस आवाज को सुनना चाहिए और उनकी वाजिब मांगों को पूरा करना चाहिये।

उदयपुर में सिंचाई विभाग में ४ ड्राइवर्स हैं वे जोधपुर सर्विस के आदमी हैं, उनको ५०-३-८०-४-१०० में फिक्स किया गया, १९५० से १९६५ तक उन लोगों को सरकार ने एक पैसा भी इन्क्रीमेंट का नहीं दिया है और उनके नीचे काम करने वालों को आज चार चार सौ रूपया ड्राईवर की तनख्वाह मिल रही है। जोधपुर सरकार ने उनको नौकर रखा था। उन लोगों ने फौज सर्विस की है, वे फौज के नौकर हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार धारा १४४ लगाने की बात को छोड़ कर जनता के दुख-दर्द की बातों को सुन कर ऐसे लोगों के

Page No. 84

(श्री जोधसिंह चौहान)

दुख-दर्द को दूर करें। उन ड्राइवरों के नाम है। (भैरोंसिंह, अभयसिंह, चूनसिंह और अकबर खां) जोधपुर सरकार ने उनको नौकर रखा, आज उदयपुर सिंचाई विभाग में हैं और उनको ८०-४-१०० की तनख्वाह मिलती है। सरकार उनकी पे का फिक्सेशन करे और उनका वेतन बढ़ाये।

पी. डब्लू. डी के मजदूरों के साथ आये-दिन अत्याचार होते हैं, उनको नौकरी से आये दिन निकाला जाता है। सरकार चाहती है कि इन्टक की यूनियन बने, दूसरी इन्डिपेन्डेन्ट यूनियन्स को तोड़े, आये दिन इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से किये जाते हैं। सरकार ने इसीलिए उदयपुर में सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की जबरदस्ती रख रखा हैं। पहले जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने उसके खिलाफ इस प्रकार का नोट लगाया है कि उनको उदयपुर में नहीं रखा जाय पर इस सरकार ने मजदूरों में फूट डालने के लिये उनको वहां उदयपुर में लगा रखा है उन्होंने सरकारी सामान अपने घर में रखा हुआ खुदवाया, पर सरकार कोई बात सुनने नहीं चाहती। मै सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सरकार को बाध्य करना चाहता हूं कि वह मजदूरों की वाजिब मांगों की सुने, उनकी महंगाई बढ़ावे और उनकी बोनस की आवाज सुने।

यहां आयुर्वेद सेवाश्रम है। वहां पर मजदूरों ने धरना दे रखा है, उनकी आवाज है सरकार से रोटी चाहते हैं और सरकार को बाध्य करने के लिये मांग करते हैं, अपनी आवाज जनता तक रखते हैं, उसके एवज में सरकार धारा १४४ लगा कर उनको बाध्य करना चाहती है कि मजदूर जनता तक अपनी आवाज न पहुंचा सके। मजदूर वास के लिये मांग करना चाहते है, उसको दबाने के लिये सरकार ने धारा १४४ लगा रखी है सोशलिस्ट भाई हैं जो जनतन्त्र में विश्वास रखते हैं, उनको छोड़ा जाय। हो सकता है कि कॉम्युनिस्ट चीन सरकार से सम्बन्ध रखते हों, रूस से सम्बन्ध रखते हों, उनके खिलाफ केस चलाये जायं, दोषी पाये जायं तो उनको सजा दी जाय; इसमें हमें एतराज नहीं।

इसी के साथ मै आपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस स्थगन प्रस्ताव पर इतनी देर से चर्चा हो रही है, इस पर हमारी पार्टी के नेता और चीफ व्हिप के भी विचार आये, उसके बाद जो भाषण यहां हुए इनसे मुझे यह आभास हुआ कि बहुत से माननीय सदस्य इस प्रस्ताव और चर्चा से विषयान्तर हुए, आज जो प्रश्न था उससे विपरीत उन्होंने इसको एक दमन की नीति मानते हुए, इसका समर्थन और विरोध करने की चर्चा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी स्वयं की यह मान्यता है कि आज देश में हमारे प्रान्त में जो जनता की, मजदूरों की मांगे आती है उन सही मांगों के ऊपर भी, अवहेलना के कारण, सरकार द्वारा कुछ समस्याएं क्रियेट करदी जाती हैं और उस वक्त निर्णय लिया जाता है जब कि उन समस्याओं की मांग के अन्दर कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाय। मैं यह चाहूंगा कि इस सबसे हमारी सरकार को सबक मिले और वह इन समस्याओं के विषम रूप धारण

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

करने से पूर्व ही इन समस्याओं के हल करने केअन्दर अपनी नीति में अग्रसर हो ; तो यह एक अच्छी नीति होगी और उससे जनता को मजदूरों को राहत मिलेगी।

मै गये एक सप्ताह से सुन रहा था, मै ही नहीं जयपुर और आस पास के इलाकों में यह आम चर्चा थी कि २६ मार्च को एक अजीब स्थिति पैदा होने वाली है, सब जाह यह अबीज सी स्थिति थी कि जयपुर को पानी नहीं मिलेगा, पहले से ही पानी का स्टॉक कर लिया जाय, बाजार बन्द रहेंगे रोडवेज, और दूसरे कल कारखाने नहीं चलेंगे इस प्रकार की जोरदार तैयारियां जयपुर में हो रही थीं। उसको हम देख रहे थे उस सारी स्थिति में जो तत्व उसको प्रोत्साहन दे थे वे भी सामने आये और लोगों ने, पार्टियों ने उस बात को समझा। में इस बातकी सराहना करूंगा कि हमारी पार्टी ने और जनसंघ की पार्टी ने इस विषम स्थिति को पैदा नहीं होने देने में सहयोग दिया है, वह सराहनीय है। वह इस चीज का द्योतक है कि हम तोड़ फोड़ के खिलाफ हैं जो २७ तारीख को जनसंघ की तरफ से जुलूस निकलने वाला था वह भी जनसंघ ने रोका और उससे जो लोग फायदा उठाना चाहते थे वह नहीं उठाने दिया। यह सराहनीय है। हमारे यहां से भी आज और कल हम लोग गाड़ियों में गए और दुकानदारों से इस बात के लिए कहा कि आप दुकानें बंद न करना और इस तरह से अराजकता फैलाने वाले तत्वों के बहकावे में न पड़ें। हमारे व्हिप ने भी अपने भाव प्रकट किए हैं और मैं उनसे अपनी असहमति प्रकट नहीं करता लेकिन साथ में यह भी कहूंगा कि आज जयपुर के अन्दर सरकार ने प्रिवेन्टिव एक्शन लिया उसके कारण आज जो शांति उत्पन्न हुई उससे सब लोगों ने सुख की सांस ली है। उसकी सराहना करते हुए मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हमारे मजदूरों को या असंतुष्ट कर्मचारियों को बहकाने का मौका देते हैं, वह न आने दिया करें और उनकी वाजिब मांगों को जल्दी ही, विषमता उत्पन्न होने से पहले समाधान करने की चेष्टा करें तो यह अच्छा होगा। हमने अखबारों में पढ़ा कि महाराष्ट्र बंद, बंगाल बंद और पंजाब बंद के कारण किस तरह अराजकता फैली; किस तरह से सार्वजनिक सम्पत्ति बरबाद हुई और कुछ गड़बड़ियां हुई लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर वह स्थिति उत्पन्न नहींहुई लेकिन मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जैसे उनका बोनस का मामला है या और कोई मांग है उसका हल निकालने के लिए और सांत्वना देने के लिए कोशिश करें और मैं पूर्ण आशा रखता हूं कि भविष्य में ऐसे तत्व उनको न बहका सकें इसकी ओर ध्यान रखें।

साथ ही यह भी कहूंगा कि आज इस अराजकता के अंदर जो आपको बहम हो गया है उसके बारे में जैसे मेरे एक दूसरे साथी ने कहा और उसी तरह से मैं अपने स्वयं के विचार रखूंगा कि मेरे नजदीक रहने वाले श्री मानिकचंद सुराना, उनसे हमारी कल भी और परसों भी बात हुई। श्री महार और मैंने उन्हें बताया कि हम इस बात के लिए गाड़ियों के अंदर दौरा करेंगे कि कोई दूकान बंद न करे और कोई अराजकता न हो। उस समय वे इस बात से सहं-

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

मत थे। उन्होंने भी कहा कि हम शांतिपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। उनके विचारों से ऐसी कोई बात नहीं लगी जिससे वे ऐसे तत्वों के साथ शामिल हैं, जिनका ध्येय ही अराजकता उत्पन्न करना है। जिस प्रकार वे जौहरी बाजार में पकड़े गये उसके लिए भी मैंने जानकारी ली है। मुझे बताया गया कि न तो उन्होंने नारा लगाया, न जुलूस निकाला, न भाषण दिया....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): वे भी संघर्ष समिति के सदस्य हैं।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : उसका एक्शन जो हमारे सामने है, विचार जो मालूम हुए, उनको मैं आपके सामने प्रकट करता हूं, उसकी तह में आप जायं। आज ऐसे माननीय सदस्य हैं, जो शांतिपूर्ण अपनी स्थिति आपके सामने रखते हैं और जिनका ध्येय अराजकता उत्पन्न करना है, उनमें डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आप विचार करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आप मजदूरों की मांगो को पूरा कराने के लिए अग्रसर हों और आज जैसे अपने स्थिति को कन्ट्रोल किया उसको फिर कहीं दुबारा न उत्तेजित कर दें, इस बात का खयाल रखें।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी खाद्य समस्या है। दूसरी तरफ हमारे देश की सीमाओं पर काफी समय से संकट बना हुआ है, मेरे ख्याल से वह अभी टला नहीं है। चीन से भी बराबर तीन-चार साल से खतरा बना हुआ है। आंतरिक मामले भी छोटे मोटे आते रहते हैं जिससे सरकार पर एक न एक जिम्मेदारी आती रही। थोड़े से दिन पहले से मिजो हिल्स, और खाद्य समस्या जैसी समस्याएं चल रही हैं। राज्यों के अंदर छोटे मोटे मामले आते हैं। सरकार की यह समझदारी और होशियारी की बात है कि उसने सारी समस्याओं का आज दिन तक जनहित का ध्यान रखते हुए अच्छे ढंग से उनको हल किया है। कुछ राजनैतिक पार्टियां बिना समय का खयाल रखे, बिना संकट का खयाल रखे, स्वार्थ–सिद्धि के लिए एक संकुचित दायरे में काम करते हुए, ऐसी बातें करते हैं जो अराष्ट्रीयता की तारीफ में आती हैं। उनको इस बात का खयाल रखना चाहिए कि आज देश के सामने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करें और सरकार के साथ में मिलकर देश की शांति बनाए रखें। इसमें ही हम सबका हित है, देश की उन्नति का ध्यान रखना चाहिए, उसमें भागीदारी होनी चाहिऐ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है। कि कुछ तत्व ऐसे होते रहते हैं जिनका सरकार को मुकाबला करना पड़ता है। प्रजातंत्र में हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को वाजिब बात के लिए कहें, उनसे मांग करें और समय समय पर जनता के हित के बारे में जो सरकार की कार्य करने की प्रणाली है उसमें सरकार की मदद करें। चाहे जनसंघ हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी या एस० एस० पी या कॉम्युनिस्ट हो, इन सब कीकार्यवाहियां एक पोलिटिकल स्टंट के रूप में हैं। हो सकता है ८-१० महीने बाद चुनाव आ

Page No. 87

(श्री भगराज चौधरी)

रहा है, लेकिन चुनाव नगण्य वस्तु होनी चाहिए । वे अपनी सारी शक्ति चुनाव पर डालते हैं, चुनाव में उसका क्या असर होने वाला है, इस सारी बात को लेकर अपना कार्यक्रम चलाते हैं । उनको यह पता होना चाहिए कि जो मजदूर हैं अगर वे एक दिन हड़ताल करते हैं तो उससे उत्पादन में कितनी कमी आती है, देश को नुकसान होता है और उसके साथ साथ खुद को नुकसान होता है । एक तरफ हम मांग करते हैं कि मजदूरों को बोनस दिया जाय, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, उनके हितों को अधिक से अधिक ख्याल रखा जाय लेकिन साथ में यह भी मान कर चलना चाहिए कि जो मजदूर हैं वे कुल जन संख्या का एक छोटा सा अंग है, या एक परसेंट है इसलिए हर कार्य को जनता के लार्जर इन्टरेस्ट्स में सोचना चाहिए । केवल मांग करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कम है अथवा लेबर को बोनस नहीं मिल रहा है अथवा दूसरे लोग हैं उनकी सुविधाएं और राईट्स और प्रिविलेजेज को सोचकर काम करना चाहिए ।

पिछली बार जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने विधान सभा में आवाज उठाई कि सर्विस क्लास के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाय । सरकार ने बड़ी लिबरल पोलिसी को ध्यान में रखते हुए पांच पांच रुपये के रूप में दो बार उनको बढ़ोत्तरी दी, लेकिन फिर भी सर्विस क्लास संतुष्ट नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता तनख्वाहें बढ़ेंगी तो आएगी कहां से । यही हाल मजदूरों का है । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मजदूर अशिक्षित हैं, भोले हैं । इसलिए जो राजनैतिक पार्टीज हैं वे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए संकुचित दायरे में काम करते हुए श्रमिकों को भड़काते हैं और जो मजदूरों का वास्तविक हक है, जिससे उनका सुधार होने वाला है, जिनसे उनकी वाजिब मांगें पूर्ण होने वाली हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता । कभी राजस्थान बन्द का नारा लगाते हैं, हो सकता है कभी भारत बन्द का नारा लगा दें अगर उनका सोचना है कि यह कार्यवाही अराष्ट्रीयता की तारीफ में नहीं आती है तो फिर अगर सरकार धारा १४४ काम में लेती है तो उसकी समझदारी है । सरकार को जब भी नोर्मल कन्डीशन्स को डिस्टर्ब करने का खतरा हो धारा १४४ काम में लेती रही है । इसी में सरकार की कुशलता है, योग्यता है और राज्य चलाने की कड़ी है । आज हड़ताल की; बसें बन्द हो गई, दुकानें बन्द हो जावें, पुल तोड़ दें और कुछ गड़बड़ी पैदा कर दें तो कितना नुकसान होता है । करोड़ों का नुकसान होता है और जानें जाने का भी खतरा रहता है । यदि ऐसा आप चाहते हैं तो आप मजदूरों के हितैषी भी नहीं हैं, उनका उल्टा नुकसान करने वाले हैं । आपको मजदूरों को समझना चाहिये । आज सरकार क्या कर रही है ? सरकार चाहती है कि मजदूरों और मालिकों के बीच मधुर सम्बन्ध हों । सरकार इसके लिए कोशिश भी करती रही है कि मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय । उनके बोनस में भी बढ़ोतरी कराई है । छुट्टी आदि छोटी-मोटी बातों पर ख्याल करती आयी है । यह कांग्रेस सरकार ही ऐसी है जो लेबर क्लास के इन्टेरेस्ट को वाच करती है । बाकी जो पार्टीज हैं—स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ पार्टी । उनका मेनीफेस्टो ही संकुचित है, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है । जैसा भी कोई ऐसी

Page No. 88

(श्री मघराज चौधरी)

छोटी मोटी बात आयी उसको लेकर अगले चुनाव में सीटें बढ़ाना चाहते हैं। इससे सीटें बढ़ने वाली नहीं हैं। आप मालूम कर लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की कितनी सीटें हैं। सीटें उनकी तब ही बढ़ेंगी जबकि जनता को अपने विश्वास में लेकर, उनके साथ अच्छी तरह से काम करें, उनके इन्टेरेस्ट में काम करें, उनकी बहबूदी के काम में सरकार को सहयोग दे, जनता को कॉन्फिडेन्स में लेकर काम करे। आज मौका तो ऐसा है कि ये पार्टीज स्वयं ही मजदूरों से कहे, चाहे वे कल कारखानों में हों, चाहे फेक्ट्रीज में हों, होटलों में हों, जहां भी हों, वे अधिक से अधिक लगन से काम करें, जिससे नोर्मल डेज़ में जो उत्पादन करते हैं उससे अधिक उत्पादन हो जिससे हमारे सामने आज जो खतरा है उनका अधिक मजबूती से सामना कर सकें। लेकिन यह काम तो उनके हित के विपरीत है। इसीलिए ऐसी छोटी २ बातों को लेकर सरकार को ये झुकाना चाहती हैं। केवल देश में कांग्रेस सरकार ही ऐसी सरकार है, आज जो ६६ परसेन्ट लोगों के इन्टरेस्ट को वाच करने वाली है और यही एक कारण है कि यह कांग्रेस सरकार पॉवर में आती है और भविष्य में भी आती रहेगी। ऐसी छोटी-मोटी बातों से सरकार उखड़ने वाली नहीं है। चाहे 'राजस्थान बन्द' का नारा लगाओ या और नारा लगाओ। कांग्रेस सरकार रहेगी। लेबर क्लास भी आपसे बिछुड़ता जा रहा है। वे जानते हैं कि हड़तालें कर दीं और जिस बात की वकालत करते हैं उसमें आप लोग सफल नहीं होते हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसा आज हमारे सामने समय है, जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए अलग अलग राजनैतिक पार्टियों को एक लार्जर इन्टरेस्ट में सोच-विचार कर काम करना चाहिये। और अपने छोटे २ इन्टेरेस्ट को छोड़ देना चाहिये ताकि हमारे सामने जो संकट है—खाद्य संकट, खाद्य का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कन्ज्यूमर गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उनको हम प्रचुर मात्रा में पैदा करें जिससे देश के व्यक्ति खुशहाल हों और उनकी माली हालत अच्छी कर सकें। हम सबको इसमें योगदान करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल आज आयेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्यों से पहले ही निवेदन किया था। इस पर कुछ पार्टीज के लोग बोल जायं, लेकिन बोलने की इच्छा प्रकट की गई अधिक तो यही समझकर समय दे रहा हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल आयगा तो उसको सहज तरीके से ही पास कर दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : समय बढ़ाया जायगा बाद में ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी बन्द करने के लिए तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार जवाब दे दे, उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल आ जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इस सदन में इस एडजोर्नमेंट मोशन पर एक प्रकार से काफी लम्बा वाद-विवाद सा बन गया है और एडजोर्नमेंट मोशन में जो मुद्दा उठाया गया था उसके अलावा भी कई सवाल इसके साथ जुड़ गये। मैं आपके द्वारा इस बात की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां तक मजदूरों के प्रदर्शन का शांतिपूर्वक करने का सवाल है मैंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि पहले भी उन्होंने जब प्रदर्शन किये हमने अपनी तरफ से किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की। माननीय अध्यक्षजी, इस बार जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया वह राजस्थान बन्द का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। राजस्थान बन्द करने के कार्यक्रम का मतलब जो लोग बाजार में व्यापार चालू रखना चाहें उस व्यापार को बन्द करवाया जाय, जो लोग स्वेच्छा से कारखानों में जाना चाहें उनको कारखानों में न जाने दिया जाय, बिजली घर चालू न रहे, वाटर वर्क्स चालू न रहे, ट्रान्सपोर्ट की सर्विस चालू न रहे। यह एक कार्यक्रम के तौर पर तय किया गया और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिये यहां पर यह कहा गया कि मजदूरों का केवल यह सवाल था, मैं सदन की जानकारी और संसोपा के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बताना चाहूंगा कि संसोपा ने प्रस्ताव पास किया कि राजस्थान बन्द किया जाना चाहिये और उसको सफल किया जाना चाहिये। एक पार्टी के आधार पर इस समस्या को एक दूसरा स्वरूप देने का निर्णय किया इसलिये यह आज कहना कि केवल मजदूरों का सवाल था और मजदूर संगठन कर रहे थे यह सही नहीं है। इसके पीछे राजनैतिक संगठन स्पष्ट रूप से था।

माननीय अध्यक्ष जी, यह आन्दोलन राजस्थान बन्द का यहां पर किया जा रहा है, देश के अन्दर अन्य स्थानों पर जो घटनायें घटी हैं और घट रही हैं, जो वाकयात हमारे सामने आये उस भूमिका में से उसको देख करके चलना, मैं समझता हूं, अत्यन्त आवश्यक है। यहां पर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, राइटिस्ट कम्युनिस्ट, संसोपा, प्रसोपा, चाहे एक दूसरे के सिद्धान्त मिलते हों या न हों, एक हिंसा में विश्वास करता हो और दूसरा न करता हो, लेकिन किसी भी कारण से हो, सबका मिला जुला यह आन्दोलन बना उस स्थिति में राजस्थान बन्द करने की बात आयी। सरकार इस बात को भली प्रकार जानती है कि जहां तक आम जनता का सवाल है, आम व्यापारियों का सवाल है, आम मजदूरों का सवाल है वे काम करना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से काम बन्द नहीं करना चाहते, तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि जो स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं उनके काम काज में जबरदस्ती करके उस काम-काज को बन्द करवाने के लिये कोई प्रयत्न करना चाहें तो उसको क्या करने दिया जाय?

माननीय अध्यक्षजी, एक यह चीज स्पष्ट थी। जो कदम प्रशासन की इकाइयों के द्वारा उठाया गया, कलेक्टर के द्वारा उठाया गया, कुछ स्थानों पर १४४ वीं धारा, कोई सारे राजस्थान में नहीं लगा दी गयी, कुछ स्थानों पर जहां उनको लगा कि वहां पर यह खतरा पैदा हो सकता है, ऐसे कुछ ही स्थानों पर राजस्थान के अन्दर, जैसे

Page No. 90

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, बीकानेर और पाली के अन्दर १४४ वीं धारा लगायी गयी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार आज इन सब चीजों के लिये जो कदम उठाया गया है उसमें मैं समझता हूं कि जो लोग हड़ताल कराना चाहते थे, अपनी शक्ति को इस तरह से बताना चाहते थे कि हम स्वेच्छा से काम बन्द करना चाहते हैं उनके लिये सरकार ने ऐसा नहीं किया, उनको जबरदस्ती कारखाने में भेजने की व्यवस्था नहीं की गई। इसके साथ साथ जो लोग स्वेच्छा से जाना चाहते हैं उनको मौका होना चाहिये यह सब माननीय सदस्य भी मानेंगे। आज देश के अन्दर यदि एक दिन का उत्पादन भी खराब होता है तो देश को हानि होती है और किसी को नहीं अगर राजस्थान के अन्दर बिजली बन्द हो जाती है, पानी बन्द हो जाता है तो इससे जहां लाखों व्यक्तियों की रोजी बन्द होती है वहां जो सुविधा उपलब्ध है यह भी बन्द हो जाती है तो क्या हमें इसके बारे में इन्तजाम नहीं करना चाहिये ? मैं जानता हूं अगर पानी बन्द हो गया होता या बिजली बन्द हो गई होती तो माननीय सदस्य राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते कि आपने कोई इन्ताम नही किया पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। मैं इस बात को जानता हूं, अगर यहां पर लूटमार शुरू होती और झगड़े-फिसाद होते तो इसी सदन के अन्दर बातें होती कि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिये गये ? आज जो सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है उसको मजदूरों के सवाल के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि मजदूरों के साथ अन्याय करने का प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ कतई नहीं है। बोनस के बारे में जिस सवाल को उठाकर बातें कही जा रही हैं, कुछ ने यह भी कहा कि पूंजी पतियों के साथ मिल कर सरकार यह चाहती है मजदूरों को बोनस नहीं मिले। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, उनको शायद यह पता नहीं जिन्होंने इस बारे में भाषण दिये, उसका सम्बन्ध कभी मजदूरों से नहीं रहा क्षमा करें यदि मैं उनके लिये कहता हूं तो कोई अनुचित नहीं है।

आज राजस्थान के अन्दर जो प्राइवेट बड़े बड़े उद्योग है उनमें से अधिकतर ने आम तौर पर सब ने बोनस दे दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है उनसे हमने कहा है अगर वे पन्द्रह अप्रेल तक नहीं देंगे तो उनका कानून के मुताबिक प्रोसीक्यूशन किया जायगा। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो यह बातें करते है कि हमको श्रमिकों से प्रेम नहीं, हम उनको अधिकार नहीं दिलाना चाहते।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्सटाइल्स द्वारा वेज बोर्ड के पिछले फैसले के अनुसार आपस में लिंकिंग द्वारा क्लेम्स का मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में तय हो चुका था, जिस क्लेम्स का दूसरे वेज बोर्ड द्वारा रिवीजन होने के बाद होता, लेकिन हमने एडहॉक रिलीफ दिलाने के लिये दोनों पक्षों की बैठक बुलाकर के कानून के अनुसार जिसको नहीं कर सकते थे, उसको करके हमने मजदूरों को रिलीफ दिलाया। जो इस बात को जानते हैं कई कारखानों के अन्दर सरकार ने मजदूरों को

Page No. 91

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रिलीफ दिलाया है. आज उसी का परिणाम है कि इतनी पार्टियों के जरिये राजस्थान बन्द करने के ऐलान के बाद भी मजदूरों के हित का नारा लगाकर यह कदम उठाया गया । आज दिन बिजली जलती हुई नजर आती है, नलों के अन्दर पानी मिल रहा है, ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज बाकायादा चालू हैं, दूसरे कारखाने चालू है । यह जाहिर करता है और मजदूर यह अच्छी तरह जानते है कि सरकार जो कुछ कर रही है मजदूरों के हित में है ।

कोटा हमारा बड़ा औद्योगिक सेंटर है; वहां सब कारखाने नोर्मल तरीके से चल रहे हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, भवानी मंडी, पाली आदि सब जगहों पर कारखाने सब नोर्मल कन्डीशन में काम कर रहे हैं, राजस्थान बन्द का स्लोगन देने से या इनके कहने से कारखाने बन्द होगये होते तो कोई बात समझ में आती कि लोग स्वेच्छा से नहीं गये । यह नहीं हुआ कि जो नहीं आना चाहते थे उनको जबरदस्ती लाया गया हो लेकिन जो काम पर आना चाहते थे उनको आने की सुविधायें होनी चाहिये । माननीय सदस्य इस बात के लिये सहमत होंगे जनतन्त्र का मतलब यह नहीं जो काम करना चाहते हों उनको रोका जाना चाहिये, जो नहीं जाना चाहते उनके लिये जबरदस्त नहीं हो सकती । आज सरकार ने जो कुछ व्यवस्था की है वह प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर की है । इसको ध्यान में रखकर चला जायगा :

बहस के दौरान कुछ सवाल उठाये गये थे बोनस के बारे में । बहुत से माननीय सदस्य यह नहीं जानते होंगे कि बोनस मिलने के सवाल को इन्टक द्वारा ट्रिब्यूनल में ले जाया गया । वहां से मिलना चाहिये यह फैसला हुआ, यह कम्यूनिस्ट पार्टी के वजह से नहीं हुआ । उसके बाद हाई कोर्ट में गये हैं तो उसके बारे में भी इन्टक ने सवाल उठाया है कि हमको बोनस मिलना चाहिये । उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हाई कोर्ट में गया तो कम्यूनिस्ट पार्टी ने देखा कि ट्रिब्यूनल का फैसला भी इन्टक ने करवा लिया तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हाई कोर्ट में गया है, अपील के अन्दर बोर्ड गया है, तो हमें भी कुछ श्रेय मिलना चाहिये । जो बोर्ड अपील के अन्दर गया उसके बाद से ही मैं मुतवातर कहता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओटोनोमस बोडी है उनके द्वारा यह हाई कोर्ट में गया है तब भी राज्य सरकार दूसरे स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या कर रहे हैं, क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट दे रहे हैं वहां लागू होता है या नहीं इस बात की जानकारी करना चाहते हैं । जानकारी प्राप्त होने के बाद उपयुक्त निर्णय कर दिया जायगा । इस बारे में इन्टक का जलसा भी हुआ उन्होंने भी यही मांग रखी कि हमको बोनस मिलना चाहिए । हमने उनसे भी यही कहा कि दूसरी जगहों की जानकारी करने में कुछ वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा कि जून के महिने तक फैसला कर लिया जाय, हम एसेंशियल सर्विसेज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते । सारे हिन्दुस्तान में केवल पंजाब के अन्दर एक्सग्रेसियों बोनस देने का फैसला किया है इसके अलावा किसी भी स्टेट ने नहीं किया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मद्रास ने दिया है ।

Page No. 92

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बोनस नहीं दिया है। हम इस बारे में जानकारी कर रहे हैं। माननीय सदस्य इस बात को भी जानते हैं कि हमारे यहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत मद्रास, महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह नहीं है, हमारे और उनके बीच जबरदस्त अन्तर है फिर भी इन सब बातों के होते हुए भी दूसरी जगह ठीक फैसला किया जाता है तो मुश्किलें उठाकर भी हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सलाह देंगे कि उसको भी कार्यवाही करनी चाहिये यह मैं सबसे कहता रहा हूं। राजस्थान सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि हिन्दुस्तान सारा दे देगा फिर भी हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे, हमने तो यह कहा कि दूसरी जगह से जानकारी करना चाहते हैं। इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं, केवल मजदूरों के हित का सवाल है, इसमें बहस की कोई बात नहीं जिस पर आन्दोलन किया जाना चाहिये।

सवाल उठता है पॉवर हाऊस यूनियन का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर में हर यूनियन के अन्दर जहां तक मजदूरों के रजिस्टर्ड यूनियन का सवाल है उनकी तादाद का सवाल है मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं इन्टक के मजदूरों की संख्या ४७२० है। नल-बिजली कर्मचारी फेडरेशन यानि आइटक के मजदूरों की संख्या १३५४ है। आज एक माइनोरिटी यूनियन यह कह रही है जो मेजोरिटी यूनियन की डिमान्ड होते हुए भी वह एक कन्स्ट्रकटिव एप्रोच ले रही है और वह उचित समझती है कि इसके लिये समय दिया जाय। माइनोरिटी यूनियन कहता है कि जिस चीज को वे मनवा नहीं सकते वे भूख-हड़ताल द्वारा मजदूरों को दिलाने का फैसला करवाना चाहती है, इस तरह की ये जबरदस्ती की बातें ही है। वे इस तरह से राज्य सरकार को बाध्य करेंगे राजस्थान बन्द करके। हम माइनोरिटी में होते हुए भी उन जबरदस्ती अपनी मांगे मनवायेंगे, नहीं तो हम जन-जीवन को क्षत-विक्षत करेंगे, तहलका मचा देंगे। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं चाहे किसी भी पार्टी के माननीय सदस्य हों उनको इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। एसेंसियल सर्विसेज के बारे में अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है जहां सरकार यह कहती है कि हम इस प्रश्न के बारे में दूसरी जगह से जानकारी कर रहे हैं वहां जिस प्रकार का निर्णय होता है तो उसके अनुसार निर्णय करते।

तब भी इस बात को जबर्दस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। तो माननीय अध्यक्षजी, उस बैंक ग्राउन्ड में, जैसा मैंने निवेदन किया, जो कुछ चीजें देश के अन्य हिस्सों में हुई हैं, और प्रशासन ने इसके संबंध में एक प्रिकाशन के तौर पर कदम उठाया, तो मैं ऐसा समझता हूं, कि इन मामलों में, सदन की तरफ से कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए उचित भी कहा, लेकिन सभी माननीय सदस्य यह समझेंगे कि अगर राजस्थान में यह हिंसा की प्रणाली और दूसरी चीजें न फैलने पावें तो राजस्थान के जन जीवन के लिए यह उचित होगा और केवल इसी दृष्टि से यह कदम उठाया है।

हम किसी का अधिकार इससे कम कर दें, यह सवाल हमारे समाने कभी भी नहीं

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

रहा और हमने प्रदर्शनों, मीटिंगों और दूसरी चीजों को अपनी तरफ से रोकने के बारे में भी, जैसा मैंने निवेदन किया, अगर वे होते हैं तो उन पर रोक टोक लगाने के बारे में, हमने अपनी तरफ से कार्यवाही नहीं की है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा कहूं और सदन का समय लूं, इसे आवश्यक नहीं समझता। मैं आज भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर आज भी जो विवाद उठाया गया है, जो मजदूर संगठन है, राजस्थान में शान्ति कायम करने के लिए और एक रचनात्मक दृष्टि से जो प्रश्न सामने आता है उनको हल करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को सहयोग देकर चले हैं। हमारे दल में, जैसा मैंने शुरू में कहा, मजदूरों के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। मजदूरों की वाजिब मांगों को न मानने का सवाल हो इस प्रकार का दृष्टिकोण भी हमारा नहीं रहा है। मजदूरों की मांगों के प्रति अगर यह दृष्टिकोण होता तो राजस्थान के मजदूर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट करते। यहां के मजदूरों का, और पॉवर हाउस के मजदूरों का भी, जैसा मैंने निवेदन किया, इस आन्दोलन के साथ आज साथ नहीं है। और इस वजह से यहां का बिजलीघर चल रहा है, कोई दूसरी जगहों के आदमी नहीं चला रहे हैं, इस वजह से दूसरे कारखाने चल रहे हैं। तो इन सारी बातों को लक्ष्य में रख कर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन बातों को लेकर जो प्रवृत्ति राजस्थान में चलाने का प्रयत्न किया गया है, वह राजस्थान में नहीं चल सकी।

गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोरों से मजदूरों में असन्तोष की बातें कही हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं बता-दूं कि उदयपुर में न तो १४४ धारा है और न और कोई बात है। वहां मिल पूरी तरह से, नार्मल तरीके से चल रही है। इसलिए असन्तोष है और दूसरी बातें हैं इस तरह की बातें इस विधान सभा में कहकर इस जगह का लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

इन्हीं माननीय सदस्यों ने एक फोटो स्टेट कॉपी यहां रखकर दूसरे किसी को बदनाम करने की कोशिश की। मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ.... ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने क्या जांच करवा ली कि वह गलत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उसकी जांच करवा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने बिना जांच किये यह कैसे कह दिया कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं रिगिड-ली नहीं कह रहा हूं। मैं निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य द्वारा अब ओरिजिनल लैटर्स पेश हुए हैं। उन टाइप्ड लेटरों की लैंग्वेज और दस्तखतों को बारीकी से देखेंगे तो कोई भी इस परिणाम पर पहुंच जावेगा पर फिर भी मैं उनकी जांच करवाऊंगा।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप तो कम से कम.......

श्री अध्यक्ष : बहुत बहस हो चुकी है। आपने अपनी बात कह दी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मन्त्री महोदय ने सारी बहस के बारे में ....

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : आप कैसे बोल रहे हैं ? क्या बोल रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्षजी, आप बोलने की इजाजत दे रहे हैं, और ये, अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं और लान्छन विरोधियों पर लगाते हैं। उनको क्यों गरमी हो रही है ? इजाजत आप दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वे जानना चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, वे अगर नहीं सुनेंगे तो क्या मालूम करेंगे कि क्या बोल रहा हूं। यों ही हल्ला करना शुरू कर दिया।

अभी मुख्य मन्त्रीजी ने बातें की हैं उनको मैंने सुना है। मैंने सरकार पर चार्ज लगाया है कि उसने आई० एन० टी० यू० सी० की बात नहीं मानी और जानबूझकर उसने स्वयं ने इसे राजनैतिक मसला बना दिया है।

इस बात को मुख्य मन्त्री ने माना है कि उन्होंने यह मामला उठाया था और उनको इन्होंने जून तक की बात कही या नहीं। सरकार ने इसे आगे टाला है। उस वक्त वे फैसला नहीं कर सके जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने भी माना है। आज उसी मामले को लेकर दूसरे लोग आन्दोलन कर रहे हैं यही माना जावे तो इसको सरकार ने ही बढ़ावा दिया है। नहीं तो जैसा वे कहते हैं कि उनकी भावना है कि मजदूरों को बोनस दिया जाना चाहिए तो फिर इन्टक की बात क्यों नहीं मानी ? राजनैतिक मामलों को भड़का कर इन्टक की बात नहीं मानी। वे इसलिए दूसरों की भी सुनना नहीं चाहते और इस तरह से राजनैतिक मसला मजदूरों के मामलों में राजस्थान में स्वयं ने पैदा करके स्वयं अशान्ति फैलाना चाहते हैं।

मैंने अभी विधायकों की गिरफ्तारी के बारे में कहा। पर इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया और किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और फिर इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को भी दी गई। ये सारी बातें इस सारे मसले से ताल्लुक रखती हैं। पर इसका कोई उत्तर नहीं देकर चुप्पी साधी जाती है।

तो इस तरह से जो सरकार मजदूरों की वाजिब बातों को मानते हुए भी उनको पूरा करना नहीं चाहती और स्वयं इसे राजनैतिक रूप देकर अशांति फैलाना चाहती हो इस तरह से मजदूरों के वाजिब हकों को खत्ते में डालना चाहती हो तो यह मजदूरों के साथ पूरा अन्याय है और मैं समझता हूं कि यह सरकार की मनोवृति ठीक नहीं है।

इसी तरह से राजनैतिक भेदभाव को मिटाना चाहिये और मजदूरों की वाजिब

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

मांगों को मन्जूर करना चाहिए और जैसा वे कहते हैं कि हम तो बोनस दिलाना चाहते हैं तो फिर दिलाना चाहिये, इस तरह की स्टण्टबाजी में क्यों डाल रहे है ?

मैं आगे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने गजट नोटिफिकेशन के बारे में कहा था कि मिनिस्टर्स पब्लिक मीटिंगों में भाषण दे सकते हैं और कर सकते हैं, तो यह क्या है ? उनको इजाजत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने ऑफिशियल मीटिंग की बात की है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : इसमें आफिशियल मीटिंग का सवाल नहीं है, राज्य की मीटिंग हो सकती है और उसमें मुख्य मन्त्रीजी भाषण देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, गजट नोटिफिकेशन के वर्ड्स मैं पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा है :

'provided that no such permit shall be necessary for a religious assembly or a marriage or morning party or an official meeting.'

श्री उमरावसिंह ढावरिया : तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब आप यह चाहते हैं तहे दिल से कि मजदूरों को बोनस मिले और आप यह कहते हैं कि इसमें आठ लाख रुपया खर्च होगा। अगर आप पी० सी० एम० को सुविधाएं इस तरह की न दें कि जिससे सरकार को घाटा हो, नुक्सान हो, तो आपके इस विद्युत् मण्डल के पास काफी पैसा आ सकता है। आप कहते हैं आर्थिक संकट है इस विद्युत् मण्डल के पास इसलिए यह बोनस नहीं दे सकता।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस आर्थिक संकट को मीट-आउट करने के लिये क्या सरकार उसको आठ लाख का लोन देना उचित नहीं समझती ? अगर दे सकती है तो इसके नहीं देने के पीछे एक ही कारण है कि क्योंकि यह विरोधियों की तरफ से मांग उठाई गई है इसलिये इसे मानना आपकी शान के अनुकूल नहीं है। तो इस तरह आपने इसे राजनैतिक प्रश्न बनाया है।

मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि यहां के श्रम मन्त्री ने यहां तक हमें कहा कि यह जो हाई कोर्ट में रिट की गई है उसका विद्युत् मन्त्री को भी पता नहीं और कैबिनेट को भी पता नहीं है और यहां के अध्यक्ष ने डाइरेक्ट रिट कर दी। इस तरह की बात कहते हैं फिर कहते हैं कि वे राज्य चलाते हैं। यह अन्याय आपका नहीं चलेगा और इस तरह का अन्याय करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगी जनता और ये मजदूर।

अब विधायकों की गिरफ्तारी किस कानून के तहत की गई इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। यह भी आपकी गलती है। आपको साफ कहना चाहिये कि हमने विधान सभा के माननीय सदस्यों को इसलिये गिरफ्तार किया है।

मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इस तरह से मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग और आम जनता के मसलों को इस तरह से दबाकर यह सोचे कि वह अपनी सरकार को मजबूत बना रही है तो इस तरह से मजबूत बनाने की बात मत करो और इसके लिये जो कुछ भी दबाव डाला है और छोटी-मोटी, थोड़ी-बहुत कामयाबी की बात अपनी मानें, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। इसे आप कामयाबी नहीं कह सकते। आपको तो इसके लिये शर्म आनी चाहिये कि आपने ऐसा काम किया है। इस तरह के जुल्म आज भी यह सरकार मजदूरों और आम जनता के साथ कर रही है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का मुख्य मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है....

श्री अध्यक्ष : उत्तर किसी का नहीं दिया है।

श्री जोधसिंह चौहान : मैंने सही कॉपी पेश की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसकी जांच हो रही है।

श्री जोधसिंह चौहान : अच्छा यह होता....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री जोधसिंह चौहान : जांच करेंगे और मुख्यमन्त्री जी ने रीब गांठने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कोई रीब गांठने का सवाल नहीं है।

उन्होंने तो अपने व्यक्तिगत विचार कहे हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : वे मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया है। आप सारा समय इसीमें ले लेंगे; मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्थान ग्रहण करें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : खड़े होकर....

श्री भीखाभाई : खड़े होकर ही बोल रहा हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : खड़े और बैठे एक बराबर लग रहे हैं।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष, महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री ढाबरियाजी ने अपना वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि राजनैतिक दृष्टि से काम किया जाता है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, सर, मंत्री महोदय क्या बोल रहे हैं ?

श्री ग्रध्यक्ष : यह तो मुझे भी समझ में नहीं ग्रा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दे दिया ग्रब मंत्रीजी कोई विशेष बात कह रहे हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर, ...

श्री भैरोंसिंह : पर मुख्य मंत्रीजी ने सब कुछ कह दिया है ।

श्री भीखाभाई : ग्रभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य श्री ढाबरियाजी ने यह बात कही थी कि राजनैतिक दृष्टि से काम किया जाता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है....

श्री ग्रध्यक्ष : यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है ।

श्री भीखाभाई : फिर उन्होंने यह बात कही कि उन्होंने वह बात मुझे बताई थी लेकिन जब कि ऐसा नहीं हुग्रा । दूसरे यह कहा कि इस बात का न तो पॉवर मिनिस्टर को मालूम है ग्रौर न मुझे मालूम है । स्पष्टीकरण यह है कि जब यह इन्टक की बिजली के ग्रन्दर एक रिप्रेज़ेन्टेटिव यूनियन है । ग्रौर उसके ग्रन्दर डिमाण्ड रखकर उसके में हक फैसला कर लिया ग्रौर वह हमारे पास ग्राये ग्रौर मांग रखी कि इनको स्वीकार किया जाना चाहिए, तब हमने कहा कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रॉटोनोमस बोडी है ग्रौर उसको यह ग्रधिकार तो जरूर है कि वह ग्रपनी बात को किसी के सामने रखें लेकिन उसकी जानकारी, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि मुझे थी, लेकिन वह जानकारी मुझे नहीं है....

श्री ग्रध्यक्ष : उन्होंने यह नहीं कहा । उन्होंने यह कहा था कि श्रम मंत्रीजी को भी मालूम नहीं था कि इसमें रिट पिटीशन की गई ।

श्री भीखाभाई : उन्होंने ग्रपनी तरफ से यह कहा था । गवर्नमेंट को मालूम नहीं था फिर यह कैसे हुग्रा ? मैं निवेदन करूंगा कि जो बात कही वह भी ट्विस्ट करके कही ।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय की सफाई हो गई, ग्रब तो बैठा दो ।

श्री ग्रध्यक्ष : हां, ग्रब समझ गये सब ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राज तो काफी लम्बी बहस हो गई ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बाहर तो बन्द हुग्रा या नहीं, लेकिन विधान सभा जरूर बन्द हो गई ।

(२·२४ म० प०)

राज्यपाल महोदय द्वारा सदस्यों को सदन से निकालने विषयक प्रश्न पर वाद–विवाद

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि पिछले टाइम में श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने इस सदन

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

में २६ फरवरी को राज्यपाल महोदय ने जो कुछ कार्य किया था..........

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : पुरानी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पुरानी नहीं, हम नई भी कर देंगे। हमें ज्यादा उत्तेजित मत करो ! हम वह शक्ति हैं कि आपके घुटने टिका सकते हैं। लेकिन हम आपकी सेन्स ऑफ मोरेलिटी को अपील करना चाहते हैं। आपकी भलमनसाहत और आपका जो जनतांत्रिक तरीका है उसको थोड़ा याद दिलाना चाहते हैं कि आप किस हद तक हठधर्मी का सहारा लेना चाहते हैं।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : (अश्रव्य)।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप × × × भी इस तरह से बोलने लगे।

श्री जेठमल बरवड़ : माननीय अध्यक्ष जी, जो शब्द × × × × प्रयोग किया गया गया है यह इनको बोलने का अधिकार नहीं है। यह हमेशा इस तरह से कहते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह वापिस लिए जाने चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री) : यह शब्द निकाले नहीं जाने चाहिए बल्कि रखे जाने चाहिए। ताकि पढ़ने वाले माननीय सदस्य के लिए समझें कि ये क्या हैं।

श्री जेठमल बरवड़ : मैं मांग करता हूं कि जो × × × × कहा है इनको वापिस लेना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह × × × × × × हैं तो ये कॉम्युनिस्टों के × × × × हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह × × × और × × × दोनों शब्दों को कार्यवाही में से निकाल देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह दोनों शब्दों का श्री गोकुलप्रसाद जी ने × × × × और माननीय सदस्य श्री मुकुटबिहारीलालजी ने × × × शब्दों का प्रयोग किया यह × × × × दोनों एक्सपन्ज किये जाते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज तो माननीय सदस्य (श्री मुकुटबिहारीलाल) गलती पर नहीं थे। वह अपनी बात कहने लग रहे थे और माननीय सदस्य उस तरह से नहीं थे और उनको बोलना चाहिए था, लेकिन उनको बीच में टोका गया। आपका व्यवहार ऐसा होगा तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन इस तरह से आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मेरी किन्हीं चीजों से माननीय सदस्यों को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का एक सवाल उठाया था। उसके लिए मैं कह रहा था कि श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने एक प्रिविलेज मोशन की सूचना दी थी जिसमें २६ फरवरी को राज्यपाल महोदय के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को जिस प्रकार से निकलवाया गया था और अध्यक्ष महोदय के जिस तरह से विशेषाधिकारों का हनन हुआ उसके बारे में एक प्रस्ताव था। इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि यह मेरे सामने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की नकल है जिसको कि मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं और उसका जो अन्तिम पैरा है वह रेफरेन्स के तौर पर आपकी आज्ञा से मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अंत में यह है:

"Mr. Garg lastly drew our attention to a special reference No. 1 of 1964 in regard to Article 143 of the Constitution of India and urged that it is open to us to examine the legality of the action of the Legislative Assembly and Governor and in the present case there has been a clear infringement of the petitiner's legal right, we should enquire. We have no doubt about the powers of the High Court in seeing that the various authorities created by the Constitution, including Legislative and the Governor, remain in bound of their authority demarcated by our Constitution, but as we have already observed, the matter regarding the alleged breach of privilege aganist the Governor is still pending with the Speaker and, there-fore, we are not inclined to entertain this matter. It is primarily for the House to vindicate its privilege by its own processes, if it considers it necessary to do so. According to the petioners everything happened in the House when Speaker was occupying his Chair by the side of the Governor. It will be for the Speaker of the House to say if the expulsion of the petitioners from Assembly Hall on 26th of February, 1966, had the tacit approval of the Speaker or the House. Although the petitioners have tried to give this a colour of breach of their fundamental right, the matter is essentially one of privilege of the members of the House vis-a-vis of the Governor."

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने यह वाक्यांश पढ़कर सुनाया है इसके अन्दर एक ही बात राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की है कि चूंकि एक मसला इससे सम्बन्धित एक पक्ष या प्रिविलेज का सवाल इस सदन के समक्ष और अध्यक्ष महोदय के समक्ष विचाराधीन है इसलिए अभी वह मसला प्रिमेच्योर होगा और उस मसले में उन्होंने इन्टरप्शन नहीं किया और मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि इस मसले के लिए टाइम निश्चित किया जाये और इसके लिए बहस का पूरा मौका दिया जाये। कम से कम इस मैटर को प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह बात उठाई है कि श्री मानिकचन्द सुराणा ने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना

(श्री अध्यक्ष)

तारीख २६ फरवरी की घटनाओं के संबंध में दी है, उस संबंध में मैं सदन में पहले भी बता चुका हूं कि उस पर विचार किया जा रहा है और उस पर उचित निर्णय शीघ्र ही दिया जाएगा। जो अभी पढ़कर माननीय सदस्य ने सुनाया, मैं समझता हूं कि उसका सम्बन्ध या कोई प्रभाव इस विषय में इस सदन की कार्यवाही में पड़ता हो, ऐसा मैं नहीं समझता। इसके बिना भी मामला विचाराधीन है और उस पर अवश्य निर्णय दिया जाएगा।

(३.३० म० प०)

ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव।

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल की ओर मुखापेक्ष होकर) पहले आप बोल लें। पहले आप प्रस्ताव पढ़ लें।

(३.३१ म० प०)

पंचायत समिति सिकराय में अग्नि से हुई हानि संबंधी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति, सिकराय में अग्नि से क्षति के मामले पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मैं पंचायत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (पंचायत मंत्री): दिनांक १२-२-६६ की रात को पंचायत समिति, सिकराय के कार्यालय में अचानक आग लग गई। १३-२-६६ को प्रातः साढ़े चार बजे चौकीदार द्वारा सूचना मिलते ही सम्बन्धित अधिकारी कार्यालय में पहुंचे। आग में पंचायत समिति का कुछ हिसाबी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सुनाई नहीं आ रहा है। या तो आप माइक को अपने पास ले लें या आप माइक के पास आ जावें।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या सुनाई नहीं आ रहा है? माइक कैसे बन्द हो गया? मैं दुबारा पढ़ देता हूं।

दिनांक १२-२-६६ की रात को पंचायत समिति, सिकराय के कार्यालय में अचानक आग लग गई। १३-२-६६ को प्रातः साढ़े चार बजे चौकीदार द्वारा सूचना मिलते ही सम्बन्धित अधिकारी कार्यालय में पहुंचे। आग में पंचायत समिति का कुछ हिसाबी रेकार्ड, जो दो अलमारियों में बन्द था, जल गया। मामले की तफतीश पुलिस थाना मानपुर द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में आरक्षी मण्डल जयपुर व जिलाधीश, जयपुर को शीघ्रता से जांच करने के लिए निवेदन किया गया है।

रेकार्ड जो जला है, उसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इस सम्बन्ध में पंचायत समिति की प्रशासनिक स्थाई समिति ने श्री रामेश्वर प्रसाद बन्सल, केशियर तथा गिर्राज मीना, चौकीदार को निलम्बित कर दिया है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो केशियर और गिर्राज मीना, चौकीदार को मुअत्तिल किया गया है तो आप करें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं भी इस बात का हामी हूं कि केशियर ने जिस तरह से कागजों को जलाया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन मैं यह मानता हूं कि पंचायत समिति के रिकार्ड और केश बुक जैसी चीज को जलाया है तो इसमें वहां के बी० डी० ओ० का भी हाथ जरूर होना चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि इसमें बी. डी. ओ. का हाथ जरूर है, क्योंकि इतना बड़ा काम अकेला केशियर नहीं कर सकता। जब इस तरह की बातें हुई हैं तो उसमें आपने बी. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ? आज दो महीने जिस केस को हुए हो गए और जब कि ऑडिट का काम चल रहा है। मैं जानता हूँ कि केशियर के खिलाफ पहले भी इस तरह के केस थे और आठ हजार रुपये उस केशियर से जमा हो चुके हैं। मैं जानता हूं कि इस केशियर के द्वारा कितना गबन हो चुका है। मैं यह भी मानता हूँ कि केशियर यह कर सकता हैं लेकिन जो केश बुक वगैरा जलाई गई है वह अकेला केशियर नहीं कर सकता, उसमें पंचायत समिति के अधिकारी का, बी. डी. ओ. का हाथ होना चाहिए। तो आपने बी. डी. ओ. को क्यों नहीं मोअत्तिल किया और क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मैंने डी. आई. जी., सी. आई. डी. को डी. ओ. एड्रेस करा दिया है जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से कि किसी सिनियर ऑफीसर को भेजकर इसकी पूरी जांच करावें कि इसमें कहां तक बी. डी. ओ. का हाथ है या प्रधान का हाथ है या और किसी का हाथ है। मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता कि किस का हाथ है, सारा मामला जेर-तफतीश है। और तफतीश से जो भी नतीजा निकलेगा और जिसका भी जुर्म साबित होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। अभी जो केशियर और चौकीदार को निलम्बित किया गया है तो वह भी वहां की पंचायत समिति की प्रशासनिक समिति ने मोअत्तिल किया है। गिरफ्तारी जो की गई है वह पुलिस के द्वारा की गई है। उनके पास क्या तथ्य हैं, यह सब अभी अधूरी स्टेज पर हैं, इसलिए मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि इतने बड़े मामले में जिसका सम्बन्ध कई व्यक्तियों से हो सकता है और इस समय जब कि ऑडिट चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति इस दृष्टि से कि ऑडिट ठीक प्रकार से न हो, इस काम को कर सकता है। इसलिये इसमें केवल चौकीदार और केशियर को मोअत्तिल करने का प्रश्न ही नहीं है और भी आगे जांच-पड़ताल की जानी चाहिये ताकि सारी बात सच्चाई की सामने आ सके। इसके लिए आपने कह भी दिया है।

श्रीं दामोदरलाल व्यास : सीनियर ऑफिसर को इन्क्वायरी के लिए भेजा है, उसकी रिपोर्ट आने पर ही मैं कुछ कह सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : सारी बातों की जांच तो अच्छी तरह से होनी ही चाहिए........

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ न कुछ स्थिति जरूर है, किसी का भी हाथ हो सकता है ।

(३.३५ म. प.)

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

के दो जांच प्रतिवेदन

सदन की मेज पर रखना

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं लेखन सामग्री से सम्बन्धित मेनन कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं ।

अधिक अनुदान की मांगों के विवरण का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : अधिक मांग ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं सन् १९६३–६४ की अधिक अनुदान की मांग का विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मुझे रेज करना है ।

श्री अध्यक्ष : जब इस पर बहस हो, आप रेज कर सकते हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आज यह जो विधेयक पेश किया गया है इसकी प्रतियां यदि २४ घण्टे पहले माननीय सदस्यों को दे दी जाय तभी बहस शुरू कर सकते हैं ...

(३.३७ म०प०)

सदस्यों के बन्दीकरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष : मुझे कलेक्टर, अलवर से टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली है कि इस सदन के माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

एक सूचना सिटी मजिस्ट्रेट और एस. डी. एम., जयपुर से मिली है कि उन्होंने श्री मानिकचन्द सुराणा को धारा १४४ का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में ११.४५ पर गिरफ्तार किया है ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : रामानन्दजी को किस धारा में गिरफ्तार किया है, कुछ पता लगेगा ।

श्री अध्यक्ष : उनकी गिरफ्तारी की सूचना मुझे टेलीफोन से मिली है, बाकी वे सारी तफसील भेज रहे हैं ।

(३.३८ म०प०)

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री भैरोंसिंह ।

श्री राधाकृष्ण गोदल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी पूर्व आपत्ति को मैं फिर दोहराता हूं कि इसे विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिये। इसकी प्रतियां २४ घण्टे पूर्व सदस्यों में वितरित हो जानी चाहिये थीं और यह प्रतियां हमको रात्रि को दस बजे वितरित की गई हैं, इसलिये इनको पूर्णतया समझने और इन पर विचार करने का समुचित समय नहीं मिला। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण मांग को, इस विधेयक को इतनी आसानी से विचार में नहीं लिया जा सकता कि जिसके द्वारा कि दो अरब ग्यारह करोड़ की धन-राशि इस सदन से स्वीकार कराई जा रही है। यह बहुत जल्दबाजी का कार्य होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो वित्त मंत्रीजी ने मांग प्रस्तुत की है, जो प्रस्ताव रखा है उसको आयन्दा के लिए स्थगित रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो यह आपत्ति उठाई है कि इस विधेयक पर विचार नहीं किया जाय क्योंकि बहुत ही कम समय इसकी सारी बातों को देखने का मिला है। इसके लिए मेरा निवेदन करना है कि जो इस विधेयक में बातें लिखी गई हैं जिसका सम्बन्ध आय-व्ययक मांगों से है, वह सारी मांगें सदन द्वारा पास की जा चुकी हैं। इसलिए आपको कोई विशेष अध्ययन इसमें करना हो, ऐसी मैं स्थिति नहीं मानता। और जो विनियोग विधेयक और वित्तीय कार्य चलते हैं उनमें भी इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि आपकी आपत्ति कोई तथ्य रखती है, इसलिए उसे अस्वीकार किया जाता है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कार्यवाही वित्त विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन द्वारा की गई है वह नौ सदस्यों की अनुपस्थिति में की गई है। यह एक तरह से इकतरफा कार्यवाही की गई है और मैं इसको एक तरह का पाप मानता हूं और इस पाप में मैं अपने आपको शामिल नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत नम्रता के साथ यह निवेदन करता हूं कि यह तमाम कार्यवाही एकदम अवैधानिक हुई है। गवर्नर साहब का कोई भाषण नहीं हुआ, उन्होंने सदन को कॉल करने का कोई कॉज-ऑफ एक्शन नहीं बताया, उन्होंने अवैधानिक कार्य करके सदन के विधायकों के अधिकारों का हनन किया है, यहां से विधायकों को घसीटवाया गया है और एक बहु संख्या के आधार पर सदन के सदस्यों को निलम्बित किया गया है यह तमाम एकांकी कार्यवाही है, तानाशाही तरीके से कार्य किया गया है जो पूर्ण रूप से अवैधानिक है और संविधान की मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत है। मैं ऐसे पाप में एक क्षण भी शामिल होने को तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं इस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उस विधेयक में उन्हीं मांगों का उल्लेख है जो मांगे इस सदन द्वारा पारित की जा चुकी हैं। इस विधेयक के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया जाना है कि उन मांगों के सम्बन्ध में होने वाले खर्च को इस कन्सोलिडेटेड फण्ड से कर सकें।

श्री मानसिंह महोर : (आमेर) ग्रोन ए पोइंट ग्रॉफ ग्रॉडर, सर। ग्रब कब तक इस बहस चलेगी ग्रौर उस मुताबिक टाइम बतला दें।

ग्रध्यक्ष : जब तक चलेगी ग्रौर समय उपलब्ध होगा उसको ठीक तरह से बांट लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिह : ग्रभी तक जो मांगे हमने पास की हैं या जो राज्य सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है उसको देखने से मुझे एक बात विशेष रूप से ऐसी लगती है कि जिसका सदन में उल्लेख किया जाना बहुत ही ग्रावश्यक है।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राजकल हिन्दुस्तान में ग्रौर विशेष कर सत्तारूढ़ दल के वह नेता जो पाकिस्तान से ताशकन्द में हमारा समझौता हुग्रा है इस समझौते के प्रश्न के ऊपर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, यानी ताशकन्द समझौता एक बहुत बढ़िया समझौता है, इस प्रकार के विचार इस देश में रख रहे थे, वे ग्राजकल जब इस भाषा के ग्रन्दर बोलने लगें कि पाकिस्तान समझौते की शर्तों से मुकर रहा है ग्रौर हमें ग्रपनी सुरक्षा की सारी व्यवस्था करना चाहिए इस प्रकार की भाषा का बोलना इस बात का निश्चित रूप से संकेत करना है कि देश के समक्ष पाकिस्तान का संकट किसी न किसी रूप में ग्राने वाला है। पिछले साल के ग्रन्दर राजस्थान से ग्राक्रमण करके हमने पाकिस्तान पर ग्रधिकार किया था तो साथ ही पाकिस्तान ने युद्धविराम के पश्चात् भारत की भूमि में घुसपैठ की थी। ग्राज वह स्थिति फिर बन रही है कि इधर पाकिस्तान ग्रपनी सेनाएं लाकर हमारी सीमा के ऊपर, पाकिस्तानी क्षेत्र में डटा हुग्रा है, मोर्चे बन्दी की तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले पाक नागरिक, जनता, को शस्त्रों से सुसज्जित कर युद्ध की शिक्षा दी जा रही, है, वहां हमें, यह भी विचार करना पड़ेगा कि हम सुरक्षा की दृष्टि से ग्रपने क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं।

२१ तारीख को एक प्रश्न इस विधान सभा में पूछा गया था कि पाकिस्तान से कितने विस्थापित या निष्क्रमणार्थी यहां पर ग्राये ग्रौर उनको ग्राबाद करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, तो उस सम्बन्ध में माननीय पुनर्वास मंत्री ने जो उत्तर दिया उस उत्तर से ग्रब तक जितने भी, १० हजार के लगभग, जो व्यक्ति विस्थापित हुए हैं, निष्क्रमण हुए है उन पर केवल जनता ग्रौर सरकार ने मिलकर १,१६,००० खर्च किए हैं। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि राजस्थान की सरकार ने उन १० हजार व्यक्तियों पर जिनकी केवल सरकारी ग्रांकड़ों के ग्रनुसार ही संख्या लिखी है, उन व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं किया है।

ग्रध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने ग्रौर सरकार के मंत्रियों ने ग्रौर स्वयं ग्रापने भी—मैं जिस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता—सीमा-क्षेत्र का दौरा किया। इस विधान सभा के सदस्यों ने ग्रांखों से देखा होगा कि पाकिस्तानी ग्राक्रमण के साथ जो लोग विस्थापित हुए हैं उनकी किस प्रकार की दशा थी। उनकी खेती का नुकसान हुग्रा, कितने ग्रादमी मारे

(श्री भैरोंसिह)

गये, कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुग्रा, ये सब कुछ बातें कुछ लोगों ने ग्रांखों से देखी हैं, कुछ लोगों ने समाचार-पत्रों में पढ़ी हैं, ग्रौर उसके बावजूद जब हमारी सरकार केवल यह कह कर चले कि ग्रभी तक जनता ग्रौर सरकार ने, दोनों ने मिलकर १,१६, ०००) रु० की धन-राशि खर्च की है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ नुकसान हुग्रा है उसका मुग्रावजा केवल इस ग्रनुपात से ग्रांका जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ताशकन्द समझौता किया है, लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से ग्रौर इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि ताशकन्द-समझौता होने के पूर्व जैसलमेर ग्रौर बाड़मेर जिले के लगभग ४१ ग्रादमियों को पाकिस्तानी पकड़कर ले गये, जिन्दा पकड़कर ले गये, उसमें ताशकन्द-समझौते के ग्रनुरूप हमारी राजस्थान सरकार ग्रौर भारत सरकार ने कितने ग्रादमियों को वापिस बुलाया ? मेरी जानकारी के ग्रनुसार इस ताशकन्द समझौते के बाद केवल एक पाबूदानसिंह नाम के राजपूत को वापिस लाया गया, बाकी ४० ग्रादमी यों के यों ग्राज पाकिस्तान में जिन्दा पड़े हैं--मैं नहीं कह सकता कि जिन्दा हैं या मार दिये गये हैं, पर भारत सरकार ग्रौर राजस्थान सरकार की हुकूमतों को मालूम है कि ४० ग्रादमी सीज़ फायर के बाद ग्रौर सीज़ फायर के पहले पाकिस्तान वाले ले गये, पकड़ कर ले गये, तो भारत सरकार ग्रौर राजस्थान सरकार ने उन्हें वापिस लाने के सम्बन्ध में ग्राज तक क्या कार्यवाही की ? न राजस्थान के मुख्य मन्त्री बोल रहे हैं ग्रौर न भारत सरकार के सुरक्षा मन्त्री बोल रहे हैं, न भारत सरकार के गृह मन्त्री बोल रहे हैं, न भारत सरकार के परराष्ट्र मन्त्री बोल रहे हैं। ग्रौर उन ४० ग्रादमियों पर ग्राज पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है ग्रौर हम ताशकन्द-समझौते की रट लगा रहे हैं। मैं ग्रापसे पूछना चाहता हूं कि ग्रापने उनके परिवारों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की है ? ग्राज उनको वापिस लाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की है ? ४१ ग्रादमियों को पकड़ कर ले गये। मेरी जानकारी है कि बाड़मेर ग्रौर जैसलमेर के ग्रन्दर ४८ ग्रादमियों को मौत के घाट उतार दिया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों ने देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुर्बानी की उनके परिवार वालों को ग्रापने क्या सहायता दी ? एक पैसा भी नहीं दिया। जिन लोगों को भगाकर ले जाया गया उनको वापिस नहीं लाया गया ग्रौर हमारी सरकार एक ताशकन्द की रट लगा रही है। ग्राप कहते हैं कि ताशकन्द-समझौते को पाकिस्तान पूरी स्प्रिट के साथ ले रहा है। मैं ग्रधिकृत जानकारी के ग्राधार पर कहता हूं कि ताशकन्द समझौते के बाद तारीख़ १३-१-६६ को ग्रपनी सीमा में १२ मील ग्रन्दर से हजारासिंह राजपूत को पाकिस्तान वाले पकड़ कर ले गये। १५-१-६६ को सुलतानसिंह नाम के राजपूत को पकड़ कर ले गये, उसकी भेड़-बकरियां ले गये। कुछ लोगों के द्वारा सामना करने के बाद उसको किशनगढ़ के पास ग्रधमरा करके छोड़ दिया। गवर्नमेंट के द्वारा यह फेक्ट भारत सरकार के नोटिस में क्यों नहीं लाया गया ? सदन के ध्यान में क्यों नहीं लाया गया ? राजस्थान की हुकूमत ने इस प्रश्न को क्यों छिपा कर रखा है ?

(श्री भैरोंसिंह)

यह सरकार दुनिया भर में प्रचार करती है कि ताशकन्द-समझौते से पाकिस्तान और हमारे बीच में शान्तिपूर्ण और मित्रता के आधार पर ऐसा सामन्जस्य बढ़ रहा है कि हम एक-दूसरे को समझें और हमारी समस्याओं के बारे में समझौता करें। भारतीय जनसंघ ने आरम्भ से ही जब से कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री ताशकन्द नहीं गये थे उस समय से लेकर जिस समय ताशकन्द-समझौता हुआ है भारतीय जनसंघ ही एक ऐसा दल था कि जिसने ताशकन्द-समझौते के बारे में भारत सरकार को और जनता को आगाह किया था कि ताशकन्द के अन्दर जाकर हम ऐसा धोखा खायेंगे कि जैसा धोखा आज तक ही शायद कहीं खाया होगा। जहां भारत का एक तिरंगा झण्डा लहरा रहा था वहां से वह झण्डा हमने अपने हाथों से उतार कर पाकिस्तान को फिर से झण्डा लहराने दिया। यह सारी स्थिति बनती है तो मैं राजस्थान सरकार की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया ?

अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान अपनी सेना लेकर खड़ा है हमारे क्षेत्र के पास। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सारे बजट को देखा है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बजट को देखा है, पी० डब्ल्यू० डी० के बजट को देखा है, एज्यूकेशन के बजट को देखा है और बाकी की जो सोशियल सर्विसेज़ हैं उन सब के बजट को देखा है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में जहां केवल १० करोड़ रुपये हमने सोशियल सर्विसेज़ से लिए रखे हैं वह १० करोड़ एक साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए खर्च किये जायं, तो मैं कहूँगा कि कुछ विकास का काम हुआ है। लेकिन इन दस करोड़ रुपयों को अपनी पुरानी आदत के अनुसार राजस्थान के पूरे जिलों में बिखेरेंगे। और उसको लगाने की चेष्टा करेंगे तो इस वर्ष भी बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होगा। आज आवश्यकता इस बात की थी उन गांवों को आबाद करने के लिए उद्योग की व्यवस्था करें, उन गांवों को आबाद करने के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें, वहां पर संचार के साधन की व्यवस्था करें, सड़कें बनायें, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पाकिस्तान हमारी सीमा पर हमला करता रहता है, सीमा पर बसे हुए लोगों को परेशान करता रहता है, लेकिन सरकार हमारी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाती है।

मैं, इसलिये, चाहूँगा कि विनियोग विधेयक आप पारित करावें लेकिन इस शर्त के साथ, दिमाग में इस बात को लेकर, कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के विकास के लिये अधिक से अधिक धन-राशि जुटानी है। उनके लिये पानी की व्यवस्था करनी है, सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हैं, बिजली ले जाकर वहां के हरिजनों के आर्थिक विकास करने के लिये खर्च करना है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारी सरकार ने अब तक ऐसे मसलों पर विचार नहीं किया। युद्ध के मौके पर जिन ट्रक ओनर्स ने बाड़मेर और जैसलमेर के मोर्चे पर फौजियों को पहुंचाने के लिये अपने ट्रक्स

(श्री भैरोंसिंह)

दिये, गवर्नमेंट ने उनके ट्रक्स को रिक्विजिशन किया, उन ट्रक ओनर्स को जो एवजाना और किराया मिलना चाहिये था, जो कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये था उस कम्पेन्सेशन और किराये के रूप में उनको एक पैसा भी नहीं दिया। उधर पंजाब में फीरोजपुर इलाके में जिनकी फसलें खराब हो गई थीं, गन्ने के खेत खत्म हो गये थे, जिन लोगों का नुकसान हुआ था पंजाब सरकार ने उनका एस्टिमेट बनाकर भारत सरकार के सामने पेश किया और पंजाब के मुख्य मन्त्री, श्री रामकिशन ने भारत सरकार के सामने पेश किया और यह घोषणा की कि जिनको नुकसान हुआ है उनको कम्पेन्सेशन देंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया।

गडरा सिटी में मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि गली गली में और बच्चे-बच्चे ने और गडरा के लोगों ने हमारे लोगों का स्वागत किया था जैसे १९४७ की आजादी आज आई हो। दुर्भाग्य की बात है कि उसी गडरा के हिन्दू जब बाड़मेर में आये तो उनको फकीरों की तरह बसाया गया। तीन महीनों तक उनको किसी ने पूछा नहीं कि उनके पास खाने के लिये आटा है या नहीं, पहनने के लिये कपड़ा है या नहीं, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारी औरतें क्या करती हैं, तुम्हारे खानदान के लोग क्या करते हैं? इस निकम्मी हुकूमत ने उनको पूछा तक नहीं। लड़ाई के समय जो मुसलमान भाग कर पाकिस्तान चले गये थे वे ही मुसलमान मुजाहिदों के साथ बाड़मेर में वापिस आ गये और उन्हीं लोगों को वापिस बसाया जा रहा है और जिन हिन्दुओं को फकीरों की बस्ती में बसाया था उनको निकाल बाहर किया।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया? आपने लगान तक का रेमिशन नहीं किया। बाड़मेर में फसलें नष्ट हो गईं उनके लिये डिक्लेयर किया था लगान रेमिट करेंगे, उनसे भी लगान वसूल कर रहे हैं। जो सरकार लगान रेमिट नहीं कर सकी उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है आगे जाकर? सेवगढ़ और दूसरे गांव से जितने हिन्दू निकले थे उनका पता नहीं है कि वे कहां गये। जो लोग चाहते हैं कि हमको फिर से बसाया जाय उनके लिये भी कोई इन्तजाम नहीं। पुनर्वास मन्त्री कह गये कि जैसलमेर के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं किया, मेरे पास सरकारी लेटर है उसमें कहा गया है कि २४,०००) रु० सरकार ने खर्च किये हैं, इसके लिये तो मैं विशेषाधिकार का प्रश्न अलग से रखूंगा कि ये किस प्रकार गलत बयान सदन में देते हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो भाग गये और अब तक आबाद नहीं हुए उनका आपने क्या किया? गडरा रोड़ तक रेल जाती है, मुनाबाव तक क्यों नहीं जाती? गडरा रोड़ और मुनाबाव के बीच रेलवे लाइन के पास रहने वाली जनता आज भी आतंकित है। वे यह समझते हैं कि रेल नहीं जाती है। इसलिए अब तक खतरा मालूम होता है। आपका कर्त्तव्य था कि मुनाबाव तक रेल चलाते और उन लोगों को तसल्ली दिलाते कि लड़ाई खत्म हो गई है, अब कोई खतरा नहीं रहा है। अभी तक वहां पर लड़ाई की सी खतरे की स्थिति बन रही है।

(श्री भैरोंसिंह)

बाड़मेर जिले में, मुख्य मंत्रीजी जानते हैं और सदन भी जानता है कि कई लोग ऐसे हैं जो पीर-पगारों के मुरीद हैं। सभी लोग यह भी जानते है कि पीर पगारों पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब का समर्थक है; पीर पगारों के जो मुरीद हिन्दुस्तान में रहते हैं वे हिन्दुस्तान के वफादार नहीं हो सकते, वे पाकिस्तान के वफादार हैं। आपको यह भी मालूम हैं कि पाकिस्तानी मकतब वहां पर खोले गये, पाकिस्तान की पुस्तकें पढ़ाई गई। वहां पर काश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट, मुस्लिम लीग आदि के नाम से चंदा इकट्ठा किया गया। आपको यह भी मालूम हैं कि बाड़मेर में मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान में शिक्षा ग्रहण की, हथियारों के लिये चंदा इकट्ठा किया। उनकी सारी हरकतें हुकूमत को मालूम हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पीर पगारों के मुरीदों पर पाबन्दी लगाई ? उसके मुरीद जो हिन्दुस्तान के खिलाफ खुले-आम बगावत करते हैं उन पर पाबन्दी लगाने के लिये आपने क्या व्यवस्था की ? कोई कानून मुरीदों पर पाबन्दी लगाने के लिये बनाया ? आप खुद स्वीकार करते हैं कि पीर पगारों के मुरीद अराष्ट्रीय हैं। जैसलमेर के सारे क्षेत्र मे जो लोग पाकिस्तान का आश्रय पाते थे उनमें से जो पाकिस्तान चले गये थे वे भी वापिस आ गये। आज उनके ऊपर संदेह करने का सवाल नहीं है कि वे पक्की अराष्ट्रीय हैं। उनके लिये आपने क्या व्यवस्था की ? आज भी जैसलमेर और बाड़मेर में लोग आते हैं और कहीं से सर्टिफिकेट ले आते हैं इस बात का कि हम पाकिस्तान नहीं गये थे, इसी स्थान पर थे। किसी पटवारी से, किसी अफसर से या किसी इलेक्टेड मेम्बर से लिखाकर ले आते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह सीमा का प्रश्न है इस ओर आपको पूरी सतर्कता बरतनी चाहिये।

पिछले वर्षों में राजस्थान में जो आबादी बढ़ी वह सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले में बढ़ी। सन् १९५१ और १९६१ के बीच की अवधि में बाड़मेर जिले की जन-संख्या ३६.२४ परसेन्ट बढ़ी। गंगानगर के अतिरिक्त जहां पर विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर अधिक खर्चा किया गया है, आबादी बढ़ सकती हैं लेकिन राजस्थान के अन्य जिलों में सबसे अधिक आबादी बाड़मेर जिले में बढ़ी है। राजस्थान में मुस्लिम जन-संख्या ३२.६२ परसेन्ट बढ़ी है। आसाम, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश आदि इन सबसे अधिक आबादी बाड़मेर में ६८.४३ परसेन्ट बढ़ी है। इतना ही नहीं बाड़मेर की सीमावर्ती तीन तहसीलों-चौहटन, गड़रा आदि में मुस्लिस पोपुलेशन ७६.३६ हुई है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि राजस्थान में जहां जन-संख्या का अनुपात कम है, जहां मुस्लिम जन-संख्या की वृद्धि का अनुपात कम है, वहां बाड़नेर जिले में और उसकी सीमावर्ती तहसीलों में जन-संख्या बढ़ना किस प्रकार का संकेत करता है ? यह संकेत इस प्रकार करती है कि सरकार की कमजोरियों का लाभ उठाकर पाकिस्तान की तरफ रहने वाले मुसलमान हिन्दुस्तान आये और हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तान की नागरिकता के अधिकार प्राप्त किये और हिन्दुस्तान की भूमि पर कब्जा किया। तहसील और सैटलमेंट के अधिकारियों से मिलकर जमीनों पर पट्टे हांसिल किये।

(श्री भैरोंसिंह)

आज वहां पर यह स्थिति बन गई है कि इसका लाभ उठाकर, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सारी सीमावर्ती पंचायतों और पंचायत समितियों पर अपना अधिकार कर लिया है। बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती पंचायतों के कई सरपंच पाकिस्तान से आये हुए मुसलमान हैं। पुइली, भारेवाला, राइचन्दवाला, बूमला के सरपंच मुसलमान हैं, जिनकी साठ-गांठ पाकिस्तानी मुजहिदों के साथ है। हमारे यहां के सरपंच जीवन जाट को पाकिस्तानी पकड़ कर ले गये और छोड़ा नहीं, जिनकी साठ-गांठ उनके साथ थी उनको भी नहीं पकड़ पाये। दुःख इस बात का है कि हुकूमत और लोगों का चालान कर सकती है, लेकिन आज हुकूमत उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती जो अराष्ट्रीय कार्यवाही करते हैं और जो देशद्रोही है। डी. आई. आर. में कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सीमा पर बसने वाले अराष्ट्रीय तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जो पाकिस्तान की फेवर किया करते हैं, किससे कहें? न सरकार सुनती है न सरकार के अधिकारी सुनते हैं। राजस्थान के मुख्य मन्त्री बाड़मेर ने के कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया।

मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि जिस वक्त बाड़मेर के इलाके पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था उस समय राजस्थान के किसी अधिकारी ने शानदार काम किया है जिसका विरोधी दल के नाते मैं पूजा कर सकता हूं तो वह बाड़मेर का कलेक्टर है।

(हीयर-हीयर)

उन्होंने बहादुरी से, जनता के साथ सहयोग रखकर, सरकार के प्रति पूरी वफादारी रखते हुए बढ़िया ढंग से काम किया। आज उनका ट्रांसफर करके कमजोर आदमी को उनके स्थान पर भेजा है। जो लोग बाड़मेर से पाकिस्तान चले गये हैं वे वापिस आयेंगे। देश का बंटवारा हुआ उस समय भौगोलिक आधार पर बंटवारा नहीं किया गया। कई गांव बाड़मेर में ऐसे हैं जो पाकिस्तानी गांवों के साथ सटे हुए हैं। कई गांवों में आधा मकान पाकिस्तान की सीमा में है तो आधा हिन्दुस्तान की सीमा में है। बरनार गांव इसका एक उदाहरण है। कई गांव ऐसे हैं जिसका एक मुहल्ला हिन्दुस्तान में है और दूसरा पाकिस्तान में है। इस प्रकार की जहां सीमा-बन्दियां हैं, जहां

(४.०० म. प.)

कोई भौगोलिक विभाजन है नहीं वहां सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि इस क्षेत्र में कम से कम जो सीमा की पट्टी हैं उन पट्टी में जो अराष्ट्रीय तत्व हैं, उन अराष्ट्रीय तत्वों से सीमा खाली कराये, लेकिन उनसे खाली कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मुझे भय है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया है कि जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं वे भारत में वापिस नहीं आ सकेंगे। लेकिन इसके लिए अधिकार दिया है चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेकेटरी पॉवर्स डेलीगेट करेगा कलेक्टर्स को और कलैक्टर डेलीगेट करेगा तहसीलदार को और यह सिलसिला चलते चलते वे लोग हिन्दुस्तान में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वे जो लाखों रुपये का सामान लेकर, लूट कर ले गये थे, कई सांड ले गये थे, रामगढ़ से चवालीस सांड ले गये थे, इसके अलावा बकरी ले गये थे और भेड़ ले गये थे और धन भी लूट ले गये थे -मैं राज-

Page No. 110

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान की हुकूमत और मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने उदयपुर में चार लाख का मुआवजा देने की, कम्पेन्सेशन देने की और लोन के रूप में धन देने की कोशिश की है, लेकिन जो धन और अन्य सामान वे लोग लूट कर ले गये थे उसको भी वापिस लाने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और उन लोगों की, उनकी सम्पत्ति की सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी भी इस सरकार पर है। फिर आपने कितनी उनको सहायता दी है, कितना कर्ज के रूप में दिया है, किसी को आपने ग्रान्ट दी है, किसी को आपने अनुदान दिया है, किसी को आपने रोजगार पर लगाया है। जिन लोगों को लाखों की लाखों रुपये की क्षति हो गई उनकी क्षति-पूर्ति करना तो दूर रहा, लेकिन राजस्थान की सरकार उनको रिहेबिलिटेट भी नहीं कर पाई है। मैं आपको कहता हूं कि अभी क्या संकट आया है, संकट तो फिर आयेगा। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वालों के दिल में इस सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। आज सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली जनता के दिल में भय रहता कि हम पाकिस्तान के विरूद्ध इस सरकार को कितना ही सहयोग क्यों न दें लेकिन संकट के समय राजस्थान की सरकार हमारी रेस्क्यू पर आने वाली नहीं है, हमारी मदद पर आने वाली नहीं है। मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति के अन्दर भविष्य के लिए एक प्रकार का खतरा उत्पन्न हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इन सारे तथ्यों के आधार पर कि सरकार इन पर गहराई से विचार करे। मैंने कोई जांच की मांग की थी, तो अध्यक्ष महोदय, इसलिए नहीं की थी, उसमें कोई आलोचना का भाव नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने घुसपैठ क्योंकि की इसकी जांच कराने के अन्दर भाव यही था कि जिस प्रकार से नेफा इन्क्वायरी के बाद में माउन्टेन डिवीज़न बना कर आज सरकार ने चीनियों के दांत खट्टे कर देने की स्थिति तैयार कर दी है, उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी राजस्थान की सीमा की जांच करने के लिए नियुक्त की जाती तो वह सीमा की स्थिति का ज्ञान करती और उसके बाद में कुछ कारगर सुझाव देती, और सीमा–सुरक्षा के मामले में भारत सरकार का जितना दायित्व आता है उसका निर्धारण करती और उसके बाद फिर हम भी भारत सरकार पर दबाव डालते कि राजस्थान की कठिन आर्थिक स्थिति है इसलिए सीमा सुरक्षा के मामले के लिए अधिक अनुदान भारत सरकार राजस्थान सरकार को दे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार इस बात को मंजूर नहीं करती है। चाहिए तो यह था कि राजस्थान सरकार भारत सरकार के ऊपर दबाव डाले! लेकिन हमारे राजस्थान की हुकूमत यह काम नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हुकूमत करना यह चाहती है–हमारे आर.ए.सी. के जवानों की तारीफ हमने सबने की है, होम गार्ड के जवान हैं इनकी भी हमने तारीफ की है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला है; राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि आर. ए. सी. के जवानों को कन्फर्म कर दिया जायेगा, आर.ए.सी. के जवान तो किसी प्रकार से मर गये हैं या अपंग हो गये हैं–उनको सहायता दी जाय।

(श्री भैरोंसिंह)

पंचोला चोटी पर सितम्बर के महीने में **एक सिपाही** मर गया या वह पकड़ लिया गया, लेकिन उसके परिवार को लिख दिया कि पता नहीं लग रहा है। उसके तीन महीने के बाद, यानी आज से तीन महीने पहले, उसके परिवार के पास सूचना आ गई कि वह मर गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उस छाजूसिंह के परिवार को क्या आज तक कोई सहायता दी है? मैंने परसों उनको मुख्य मंत्रीजी के पास भेजा था। और यह बात सही है कि दो दिन में कुछ कार्यवाही हुई है। हुई हो या नहीं हो लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जो आर. ए. सी. के जवान मर गये या पाकिस्तान के द्वारा कैद हो गये, क्या आपने इसकी जरूरत समझी कि एक एक परिवार की सरकारी अधिकारियों से इन्फोर्मेशन लेकर सदन की टेबिल पर रखते? क्या आपने इसकी जरूरत समझी कि जो उनका परेशान और भूखा परिवार है, जो उनकी विधवा पत्नी है, जो उनकी मातायें हैं, जो अपनी गोद सूनी करके बैठी हैं–उनके लिए कुछ इन्तजाम करते। लेकिन आपने कोई इन्तजाम नहीं किया। इसके अलावा आर. ए. सी. के जवान काफी दिनों से कन्फर्मेशन के लिए लड़ रहे थे, न जाने उसके मामले में क्या बात हुई है, वे लोग अभी तक कन्फर्म नहीं हुए हैं। वे बार बार दर्ख्वास्तें देते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमें कन्फर्म कर दीजिये। लेकिन भगवान जाने, क्या राज़ है, मैं कह नहीं सकता, उनको कन्फर्म न करने में। राजस्थान के आर० ए० सी० के जवान हैं, उन्होंने जो बहादुरी का काम किया है और देश की रक्षा के लिए जो उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है–उसकी तारीफ करते हम समाते नहीं है और उनकी तारीफ करते सरकार भी समाती नहीं है–ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि कमसे कम उनकी इस समस्या का आप समाधान करें.......

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप–मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज हाउस का है, मैं हाउस के प्रिविलेज पर निवेदन करता चाहता हूं कि माननीय सदस्य को मैडिकल एडवाइस नहीं है कि वे इतने एक्साइटमेंट के साथ और जोरों के साथ बोलें। वे धीमे धीमे बोलें और शान्ति के साथ बोलें। माननीय सदस्य अस्पताल में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य के साथ ऐसा-वैसा गुजर जाय तो it will be a loss to the House आप भले ही बैठ कर बोलें, हमें उसमें एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: मैं माननीय उप–मन्त्री का संकेत समझ गया हूँ कि अब मुझे टोपिक बदलना चाहिए और मैं सदन के समक्ष कुछ वित्त मन्त्री के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): उसके बारे में तो काफी कह चुके हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: हमारी भलमनसाहत को आप इस रूप में ले रहे हैं। आपको पसीना आ रहा है। हम सीधी–सादी भावना से कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका संकेत उन्होंने ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह: मैंने संकेत ले लिया है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं ऐसे विषय में बारबार चर्चा उठाता हूँ जिसको मुख्य मन्त्रीजी पसन्द करेंगे ही नहीं, लेकिन कई और भी मित्र इसकी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इस विषय को नहीं उठाया जाय। लेकिन मेरा कन्विक्शन इस विषय में यह रहा है कि राजस्थान के मन्त्री मण्डल में हैं, जो राज्य करते हैं उनका चरित्र सन्देह से परे हो, उनका चरित्र उच्च हो, उनका जीवन आदर्शमय हो और उनके सारे काम उदाहरण–स्वरूप हों। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे यह स्थिति राजस्थान के मंत्रिमंडल की नहीं लगी।

मैंने वित्त मंत्री के सम्बंध में एक बार नहीं कई बार प्रश्न इस सदन में उठाये हैं कि उनका चरित्र संदेह से परे नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आज केटेगोरीकली चार्ज उनके ऊपर लगाना चाहता हूं और उसके आधार पर मुख्य मंत्रीजी को कहता हूँ कि वे एक सिपाही की, एक साधारण पटवारी की और बाकी के लोगों की जांच करवा सकते हैं, एन्टीकरप्शन और विजिलेंस कमीशन से जांच करवा सकते हैं और उनको वे सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी जो नारा गृह मंत्री और भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है उसको याद करके मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ और आपसे केटेगोरीकली पूछना चाहता हूँ कि आपने ही नहीं बल्कि आप दोनों ने यह गलत बात कही है कि वह जो महिला है, जिसका नाम लिया जाता है वह वित्त मंत्री की पी० ए० है, जब कि वास्तविकता यह है कि वह पी० ए० नहीं है। और मैं प्रमाण सहित सरकार का ऐसा सर्क्यूलर पेश कर सकता हूँ जिसके अंदर यह व्यवस्था है कि फोरिन कन्ट्रीज से कोरेस्पोंडेंस कोई व्यक्ति डाइरेक्ट नहीं कर सकता है, बल्कि फोरिन मिनिस्ट्री के थ्रू कर सकता है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पी० ए० की छुट्टी के बारे में मिनिस्टर निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि केबिनेट और मिनिस्टर का पी० ए० की छुट्टी से कोई सम्बंध नहीं आता है, वह जी० ए० डी० के अन्डर में है। और जी० ए० डी० के डिप्टी डाइरेक्टर सेक्रेटरी हैं वह इन सब चीजों का इन्चार्ज होता है, वह छुट्टी मंजूर करता है और वह छुट्टी कैंसिल करता है और छुट्टी के सम्बन्ध में तमाम कॉरेस्पोंडेंस करता है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस बात को मानकर चल रहे हैं कि कॉरेस्पोंडेंस फोरिन कन्ट्रीज से डाइरेक्टर हो सकती है। मन्त्री अपने पी० ए० के लिए इस प्रकार की बात कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, मैंने जब से यह प्रश्न उठाया है उस दिन से वित्तमन्त्री कहने लग गये हैं, अब तो जो बात होनी थी वह होगई है, जो इज्जत बिगड़नी थी वह बिगड़ गई तो अब × × तो चाहिए और आज खुले आम × × । मैं × उनकी आजादी के ऊपर कुछ नहीं करना चाहता बशर्ते कि राजस्थान के वित्त मन्त्री न हों लेकिन जब तक वे राजस्थान के वित्त मन्त्री हैं तब तक मुझे एक एक कदम पर उनकी आलोचना करनी

× × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री भैरोंसिंह)

पड़ेगी और उनके द्वारा कोई सही कदम रखा जाता है तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वे सही कदम न रख कर ऐसा कदम उठा रहे हैं जो जनता के अन्दर एक तिरस्कार की भावना पैदा करता है।

अध्यक्ष महोदय, इस लड़की के लिए बंगला है, मैं कौल सहाब से पूछता हूँ कि उसके लिए पैसा कहां से आया? कौल साहब ने एक लाख से ज्यादा की कीमत का बंगला बनाया। मैं यह कहूँगा कि यह बंगला कैसे बन गया? आपने दो वर्ष पहले सदन में कहा था कि मैं अभी तक मकान नहीं बना सका, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे साधन नहीं जुटा सका। मैं यह कहना चाहता हूं कि यही चीफ मिनिस्टर हैं जिनको १५००) रु० महावार मिलते हैं और जो १९४६ से भिन्न-भिन्न राज्यों में मिनिस्टर के पद पर आज से १५ सालों से चले आ रहे हैं, मगर आज तक चीफ मिनिस्टर अपने लिए १५ वर्षों में कोई बंगला नहीं बना सके; बंगले के लिए रुपया नहीं बचा सके। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का बंगला अजमेर में देखिये। उसकी कीमत, मैं कह सकता हूँ कि आज लाख, डेढ लाख के बीच में है। मैं यह देख कर आया हूँ। वहीं प्रतिभा का बंगला बन रहा है। उसको यहां बिठा रखा है और उसके भाई को १५००)रु० के वेतन पर ग्लास फेक्ट्री में टेकि्निकल एडवाइज़र रखा है। वह यह सब कहां से पैसा आया? चुंगी की चोरी कर ली, सैल्स टैक्स की चोरी कर ली। मैयो कॉलेज की रकम रोक कर उससे जमीन ले ली और मकान बना लिया। सुखाड़ियाजी यह करप्शन नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्या है? अगर आप इसके लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप बिजिलेन्स कमीशन और एन्टीकरप्शन विभाग को तोड़ दीजिये। आपके ये विभाग पटवारियों और गिरदावरों, को और एल० डी०सी० और यू०डी०सी० को ही पकड़ते हैं, उनको मारने के लिए हैं। मैं यह कहूँगा कि अगर इस प्रकार से बड़े हाथियों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो बहुत हद तक करप्शन ठीक हो सकता है। इस बारे में चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन दिया गया तो भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो किसके पास जा कर कहें कि राजस्थान के मन्त्रीमण्डल के लोग इस प्रकार के हैं। यह हम नहीं कहते हैं कि वह उनकी लड़की के बराबर है, यह बात आज तक उन्होंने अपने भाषण में नहीं कही। मैं यह कहता हूँ कि अब मैं जब ऐसा कहूँगा तो जबरदस्ती से वे कह दें तो मैं यह कहूंगा कि यह दूसरों को धोखा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा भी मामला हो मगर यह आचारण सम्बन्धी मामला है, इसको आज से पहले भी मैंने उठाया है और आज फिर उठाया है और मौका मिलेगा तो फिर भी उठाऊंगा, जब तक इस बात की तसल्ली न हो जावे कि कौल साहब पाक हैं। उनके तथ्यों के प्रमाण मेरे पास हैं। मैं उनको सदन से नहीं बताना चाहता। वे अकेले में चाहेंगे तो उनको प्रमाण बता सकूंगा। यहां पर वे भद्दे लगेंगे। सुखा-डियाजी आप यह चाहते हैं कि ये आपके उत्तराधिकारी हैं, इनको अपना उत्तराधिकारी छोड़ कर चले जावेंगे। मगर आप यह समझ लें कि इनसे सरकार चलेगी नहीं और

Page No. 114

(श्री भैरोंसिंह)
अगर ये आपके उत्तराधिकारी होंगे तो यह आपकी सरकार डूबेगी और जनता को भी साथ में लेकर मरेंगे। आपको चीफ मिनिस्टर बनाकर आप कहीं जाना चाहते हैं तो यह अलग बात है। मगर मैं आपको यह चैतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि आपको बंद करना है करप्शन को, तो आप बतावें कि इस लड़की को क्यों बुलाया गया। × × किस प्रकार से पी० ए० बनी ? कैसे इसका मकान बना, किस प्रकार से रूल्स को अमेन्ड कराया गया ? यह सारी पृष्ठ-भूमि में अगर नतीजा निकाला जावे तो मालूम होता है कि आपके मन्त्रिमण्डल में दोषी मंत्री बैठे हैं और जब तक ऐसा है तब तक राजस्थान से करप्शन को दूर नहीं कर सकते। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले में और मन्त्रिमण्डल के मामलों में अपने स्पष्ट विचार रखें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज हमारे बजट का अन्तिम दौर चल रहा है। सबसे पहले मैं बजट के बारे में कुछ कहूं, अभी मेरे पूर्व वक्ता राजस्थान के एक मंत्री के आचरण के बारे में बोल रहे थे। मुझे वह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं यह समझता हूं कि अगर मंत्रिमण्डल के और सदस्यों के बारे में भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं और फिर कौलसाहब को इसमें लिया जाता है तो वाजिब था। मगर कौल सहाब को सिंगल आऊट करके बारबार उसी बात को दोहराना, मैं यह समझता हूँ कि यह कोई उचित बात नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जनसंघ के नेता बहुत पुराने सदस्य हैं इस सदन के और १५ वर्षों के सदस्यों में से वे भी एक हैं जैसे कि ३ या ४ सदस्य हैं। उनके मुंह से इस प्रकार कि बातें मैं समझता हूं कि कोई शोभा की चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि कौल साहब ने लाखों रुपयों का बंगला बना लिया तो क्या बात है ? आप बताइये कि सिवाय सुखाड़ियाजी के कौन से मिनिस्टर ने अभी तक बंगला नहीं बनाया है ? सब मिनिस्टरों ने बंगला बना लिया है। कौल साहब के दोनों कमाते हैं। कौल साहब और मिसेज कौल दोनों कमाते हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने लाख रुपयों का बंगला बना लिया तो क्या हुआ ? जो लोग फेमिलि प्लानिंग में बजट करके चलते हैं उनमें बचत होती है।

महिला के बारे आपने जो आरोप लगाये हैं उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं यह कहता हूँ कि यह उनकी प्राइवेट लाइफ है, उनका प्राइवेट जीवन है, उससे हमकों क्या लेना-देना है और मैं नहीं मानता कि कौल साहब ऐसे आदमी हैं। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि यह आरोप लगाये गये हैं वे इधर उधर से इशारे पर लगाये गये हैं। कौल साहब को भी इसमें बुरा नहीं मानना चाहिये क्योंकि यह इशारा कहां से आया है, यह भी समझ लेना चाहिये। श्री भैरोंसिहजी ने अपने किसी मित्र को खुश करने के लिए यह कहा है....

श्री भैरोंसिंह : मेरा स्टेन्डर्ड आप जैसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिये या किसी के इशारे पर कहूं।

श्री मानसिंह महार : मेरा क्या स्टेन्डर्ड है और आपका क्या हैं....

× × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री भैरोंसिंह : मैं १४ दिन तक बोलूंगा और १४ दिन तक यहां रहूंगा ।

श्री मानसिंह महार : मैं ४० दिन तक कहूंगा । मुझसे कहलाइये मत । मुझे दुःख है कि इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है । जिस तरीके से आप चलते हैं वह तरीका नीचा तरीका है ।

श्री भैरोंसिंह : आप बहुत अच्छी बातें कहते हैं और आपका तरीका बहुत ऊंचा है ।

श्री मानसिंह महार : हमें एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में कहना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि यहां से कोई ४ या ६ मील की दूरी पर ४५ हजार...............

श्री भैरोंसिंह : मैंने १५ वर्षों से बोल बोल कर सब को साफ किया है ।

श्री मानसिंह महार : मैं आपसे पहले से बोल रहा हूं । लेकिन पर्टिकुलर आदमी के लिये इस प्रकार की बातें कही जावें, यह ठीक नहीं । मैंने अपने साथियों को समय दिया, इसलिये एप्रोप्रियेशन बिल पर बहुत कम बोला हूं और चूंकि यह बात मेरे बोलने के तुरन्त पहले कही गई इसलिए मुझे ये दो बातें कहनी पड़ीं । अगर कौल साहब को इससे दुख हुआ हो या जनसंघ के नेता को कुछ गलतफहमी हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : आप मुझसे मिल कर इस प्रकार की बातें करें ।

आप भी दो मंत्रियों के बारे में बोलने वाले हैं । आप मुझे इस बारे में उपदेश दे रहे है ।

श्री मानसिंह महार : मैं किसी एक भी मंत्री के खिलाफ नहीं बोलूंगा । मैं वाजिब बात होगी वह कहूंगा । आप पहले से इस प्रकार की फरमाइश मत कीजिये कि मैं किसी मंत्री के खिलाफ बोलना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : हिम्मत चाहिये । हिम्मत हो तो बोलें ।

श्री मानसिंह महार : मैं एप्रोप्रियेशन बिल की थर्ड रीडिंग पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है जिससे ३३३ करोड़ का कर्जा हो गया है वह बहुत ज्यादा है । सरकार को चाहिये कि वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में कमी करे । जब तक सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में कमी नहीं कर सकती जब तक सरकार का कर्जा कम नहीं होगा । यह मेरी निश्चित धारणा है । आपको एडमिनिस्ट्रेशन खर्च में कमी करनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय, कई बार सरकार यह घोषणा करती है कि १० परसेन्ट स्टाफ में कटौती करते हैं और कमी करते हैं, मगर दरअसल वह कमी होती नहीं । कमी के दर असल कागजात बनाये जाते हैं । अगर किसी डिपार्टमेंट से कमी की जाती है तो कोई न कोई उनको एब्जोर्ब करने के लिए नया डिपार्टमेंट खोल दिया जाता है । दर-असल पैसों के खर्चे में कमी हो, यह बात नहीं होती । मैं यह नहीं कहता कि सरकार नौकरों को रिट्रेन्च करे । मैं यह चाहता हूं कि आप नई भर्ती मत करें । आज से पांच वर्ष पहले जितने आर. ए. एस. ऑफिसर्स थे उनसे आज तीन गुणे हो गये हैं । आप गिनती करके देख लें । आप देख लीजिये कि

(श्री मानसिंह महार)

जितने भी और कर्मचारी हैं उनके नम्बर बढ़ते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि एड-मिनिस्ट्रेशन खर्चे में कमी करते हैं। मगर आप करते नहीं हैं और आप राजस्थान को रसातल में ले जाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप नई भर्ती बन्द कर दीजिये और जिनको रिट्रेन्च करते हैं उनको जिन डिपार्टमेंटों में कमी है वहां पर ले जावें। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप इसलिए नहीं करते कि आपके सारे मंत्रि-मंडल के रिश्तेदारों और सिफारिशियों को नौकरी दिलाने में आना पड़ता है तो उनके आने के दरवाजे आपको खोलने पड़ते हैं। उन दरवाजों को खोलने से एक आदमी की सिफारिश की खातिर ४०-५० और लेने पड़ते हैं। इसलिये निवेदन है कि इस खर्चे में कमी करें।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके प्रोडक्टिव डिपार्ट-मेंट हैं, जिनसे आपको आमदनी होनी चाहिये वे डिपार्टमेंट्स घाटे में जाते हैं, इसके लिये भी आप सीरियसली सोचें। आप सोचिये कि जिन डिपार्टमेंट्स को करोड़-करोड़ दो-दो करोड़ रुपया सालाना लाभ का देना चाहिये, वह नहीं होकर आपको घाटा पड़ रहा है। यह देखने की बात है, इस बारे में, सरकार को विचार करना चाहिये।

तीसरी बात निवेदन करूं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इस मंहगाई के जमाने में इसकी आमदनी साल दर साल बढ़नी चाहिये, लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट की इन्कम ६७ लाख से घट कर ५६ लाख पर आ गई है। जहां कि इस मंहगाई के जमाने को देखते हुए इस विभाग की इन्कम कम से कम दो-तीन करोड़ होनी चाहिये। इस विभाग की इन्कम इतनी गिर गई, इसका क्या कारण है? मैं निवेदन करूं कि इस डिपार्टमेंट की बहुत खराब हालत है। चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स, इस विभाग में नहीं है, फोरेस्ट विभाग का सेक्रेटरी ही चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स का काम देखता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स बनने के लायक कोई आदमी राजस्थान में है ही नहीं, अगर राजस्थान में नहीं है तो आप बाहर से लाइये, क्या फोरेस्ट्स के जानने वाले दुनिया भर में मर गये?

एक फिजूल खर्ची का उदाहरण बताऊं, आपकी मर्जी हो तो उस फिजूल खर्ची को मिटाओ, मर्जी नहीं हो तो मत मिटाओ। शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेन्डरी के नीचे रहा तब तक कोई अलाउन्स एनिमल हस्बेन्डरी के डायरेक्टर को नहीं दिया जाता था, लेकिन ज्यों ही शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट उनसे लिया गया और एक आइ. ए. एस. ऑफिसर को सौंपा गया तो एक मोटा अलाउन्स उनको दे दिया गया। यह आपकी कृपा का ही परिणाम है। डाइरेक्टर, एनिमल हस्बेन्डरी से शीप एण्ड वूल कन्सर्न्ड था उनको तो आपने नहीं दिया, पर उसके बावजूद आपने राजस्थान के एक्सचेकर पर खर्चा लाद कर नॉन-टेक्निकल आदमी के नीचे यह डिपार्टमेंट दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों किया, पर मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि आपने

(श्री मानसिंह महार)

राजस्थान के एक्सचेकर पर यह गलत खर्चा लादा है ।

राजस्थान में जो नौकरी छोड़ देते हैं तो अगर वे दुबारा दरख्वास्त देते हैं और मेडिकल फिटनैस का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो सरकार उनको रीइन्स्टेट कर देती है, पर यहां तो सरकारी नौकरी से रिजाइन किए हुए आदमी को पोलिटिकल ग्राउन्ड्स पर रीइन्स्टेट किया जाता है । इसका एक नमूना पेश करना चाहता हूं ।

शाहपुरा में एक वैद्य थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में वैद्य थे, फिर आयुर्वेद विभाग में इन्स्पेक्टर बन गए । मैं किसी मंत्री के लिए नहीं कहता ठोस प्रमाण रखना चाहता हूं । उन इन्स्पेक्टर साहब ने सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए सर्विस से रिजाइन करके नावरण ग्राम में जाकर सरपंच का चुनाव लड़ा । वे तीन वर्ष तक वहां सरपंच रहे, तीन वर्ष के बाद जब चुनाव में हार गए तो उनको किसी ने नेक सलाह दी कि मंत्रियों वगैरह की सेवा में जाओ और वापिस इन्स्पेक्टर बन जाओ । अध्यक्ष महोदय, मैं गलत नहीं कहता, फैक्ट कह रहा हूं । इसके बाद उस आदमी को जो ३ वर्ष तक सरपंच रहा, एक्टिव पोलिटिक्स में रहा, उसको किसी विशेष परिस्थितिवश सरकार ने रीइन्स्टेट किया, रीइन्स्टेट ही नहीं किया पांच-छः महीने की छुट्टी की तनख्वाह और दी, जिससे कि पेन्शन वगैरह के कई फायदे उसको हुए और पैंशन ग्रेच्युटी वगैरह का सरकार के एक्सचेकर पर खर्चा बढ़ा । मैं उसका नाम बताता हूँ, उसका नाम है वैद्य लखनलाल, जो कि आयुर्वेद विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है । तीन वर्ष तक रिजाइन करके सरपंच रहा, आपके रिकॉर्ड में देखिए, फिर वापिस उसे इन्स्पेक्टर किया गया । इसका वित्त मंत्री जवाब दें कि यह क्या खेल है ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित मंत्री) : सरपंच नहीं रहा ।

श्री मानसिंह महार : सरपंच रहा है, आपकी इन्फोर्मेशन गलत है ।

श्री बालकृष्ण कौल : हार गया ।

श्री मानसिंह महार : वह तो अब हारा है, तीन वर्ष तक सरपंच रहा । आप अपना रेकॉर्ड देखिये, अगर आपको रेकार्ड नहीं मिले तो मैं रेकॉर्ड ला दूंगा । अगर हार भी गया तो यह तो है कि उन्होंने पोलिटिक्स ग्राउन्ड पर रिजाइन किया । उस इलाके के श्री मुक्तिलालजी मोदी आ गये हैं, वे भी मेरी ताईद करेंगे कि वैद्य लखनलालजी ने सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए रिजाइन किया या नहीं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बात तो आप कह रहे हैं कि इन्स्पेक्टर हुए, इन्स्पेक्टर तो नहीं हुए, पर वैद्य हुए हैं ।

श्री मानसिंह महार : कुछ भी हुए, पर हुए हैं । उनकी वही तनख्वाह शुरू है और यह पोलिटिकल रीइन्स्टेटमेंट हुआ है । तो इस प्रकार की चीजें जो सर्विसेज में डिमोरेलाइजेशन लाती हैं, गड़बड़ी पैदा करती हैं । सरकार को इस केस को देखना चाहिये । गलत तरीके से कोई आदमी आ गया है, सरकारी एक्सचेकर पर बर्डन बना है तो उस

(श्री मानसिंह महार)

गलती को दुरुस्त करना चाहिये। मैं निवेदन करूं कि सरप्लस हैंड के रूप में इन्स्पेक्टर जयपुर के दफ्तर में कई दिन रहे। मैं ज्यादा जोर देकर नहीं कहता, मैं नहीं कहता कि जो मैं कहता हूँ वही खुदा की लकीर है, पर मैं कहता हूँ कि सरकार को ऐसी चीजों को देखना चाहिये। तो मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ निवेदन किया।

अब मैं आता हूँ आपके पुलिस विभाग पर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस विभाग पर अबकी डिमाण्ड के समय चर्चा नहीं हुई। पुलिस विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारी आर० ए० सी० बोर्डर पर लड़ रही थी तो उसको कई सुविधाएं थीं। अब जबकि पाकिस्तान और भारत में संधि हो गई तो नेचुरली आर० ए० सी० भी विथड्रा हो गई और नेचुरली वे सुविधाएं भी विथड्रा हो गई। पर जिन सिपाहियों ने देश की रक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य किये, उनकी तनख्वाह, भत्ता वगैरह नहीं बढ़ाया। पुलिस ही नहीं राजस्थान के सेमी लो पेड एम्प्लाइज हैं, उनके बारे में एक बार फिर इस सदन में और खासकर वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए उपभोक्ता भण्डार सेप्टेम्बर तक खोलने की व्यवस्था करते हैं, वह ठीक है पर जिस प्रकार जयपुर में आज आपको पुलिस राज कायम करना पड़ा। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इससे बचने के लिए इमीजियेटली सरकारी कर्मचारियों को किसी रूप में कोई भी रिलीफ आप जरूर दें। मैं आपको फिर कहता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को कम्युनिज्म की तरफ अग्रसर होने से कृपा करके बचाएं। अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले में इन्टरवीन करें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट रहे तो सरकार के चलने में कई दिक्कतें आती हैं। आप और पचास जगह डेढ़ दो करोड़ की मितव्ययता करें, बहुत गुंजाइश है। मैंने चौपड़ पर उस दिन उनका भाषण सुना। वे कह रहे थे कि मंत्रियों के दौरे के प्रोग्राम नहीं होते। शाम को तय हुआ और सुबह को मंत्री लोग मोटर में रवाना हुए। उनका टी० ए०, डी० ए० थोड़ा कम कर दें। अपने दौरे ढंग से करें। अगर जोधपुर जाते हैं तो बीच के एक दो शहरों में और रुक जायं, यह नहीं कि आज जोधपुर, कल जयपुर आए, दो दिन बाद फिर चक्कर खाकर पाली गए। इस प्रकार काम नहीं करें तो लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। मैं कोई मंत्रियों के लिए नहीं कहता। प्रशासन इतनी बड़ी चीज है कि इसमें आप हजारों तरफ से मितव्ययता लाएं, अधिकारियों के तबादले कम करें। आपने नियम बना रखे हैं कि दो वर्ष से पहले किसी अधिकारी का तबादला नहीं किया जायगा, लेकिन दो वर्ष छोड़कर जो अधिकारी आपके बैड बुक्स में हैं उनका आप हर छठी महीने तबादला करते हैं। मैं यह कहूँ कि दो बर्ष के पहले तबादला नहीं करना चाहिये, तो उल्टा अर्थ न हो जाय, मंत्रीगण यह न समझें कि १५-१५ और १०-१० साल जो लोग एक ही जगह चिपके हुए हैं उनकी ताईद करता हूँ, यह नहीं है। एक अवधि आपको मुकर्रर करनी चाहिये। एक अधिकारी इतने समय तक एक स्थान पर रहता है तो उसके बाद वहां से लाजिमी

(श्री मानसिंह महार)

तौर से हटाया जाय। यह नहीं, तहसीलदार रह गया, उसको इतने वर्ष हो गये, तहसीलदारी करते तो फौरन नाम बदल कर वहां के वहां बी० डी० ग्रो० कर दिया। मैं कोई मंत्रियों पर ग्रापेक्ष नहीं लगाता।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप भी जानते हैं ग्रौर मंत्री मण्डल के सदस्य भी जानते हैं। ग्राप एक डैमोक्रैटिक सेट-ग्रप में बैठते हैं, ग्राप कोई ग्रोटोक्रैटिक सेटग्रप में नहीं हैं। ग्राप इस प्रकार की मनमानी बात करें तो उनमें ग्रापकी ग्रालोचना होगी, ग्रापको सदन को पेस करना पड़ेगा। इसलिए न दें। मैं यह कहूं कि यह खुशी की बात है कि राजस्थान के ग्राई०जी०पी० काफी समय से उस पोस्ट पर रहने के बाद रिटायर हुए। पुलिस में ग्रब एक नया युग शुरु होगा ग्रौर हम ग्राशा करते हैं कि ग्रब तो सुधार जरूर होगा। यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि एक ग्राई० जी० पी० इतने लम्बे समय तक रहे, लेकिन शायद ५५ से जो ५८ वर्ष रिटायरमेंट एज में चेंज हुई ग्रौर उनको तीन-चार वर्ष ग्रधिक मिले। फिर भी सरकार चाहती तो बदल सकती थी, लेकिन नहीं बदला खैर, जो दुर्भाग्य पूर्ण चीज थी वह दुरुस्त हो गई। तो मैं ग्राशा करूंगा कि पुलिस प्रशासन में ग्रब कुछ न कुछ सुधार जरूर ग्राएगा।

इस तरह से मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के ग्रन्दर ग्राप चाहे ग्रौर कुछ बातें न करें लेकिन जहां पर लोग ग्रापकी टिप्पणी करें ग्रौर कहें कि ग्रापने गलत काम किया ग्रौर वह वाकई में गलत हुग्रा है तो ग्राप उसको दुरुस्त करें, इतनी बात जरूर करें। ग्राप सबजेकट टू करेक्शन जरूर रहिए। मैं क्षमा चाहूंगा एक गलती हुई ग्रौर डीडवाना में फाइरिंग हुग्रा, लेकिन उसको छिपाने की क्या जरूरत थी? होगया सो हो गया। एस० डी० ग्रो० ने रिपोर्ट की, उसके बाद एस० डी० ग्रो० ग्रौर कलेक्टर को यहां बुलाया, वहां मुनसिफ कोर्ट में कलेक्टर का क्लैरीफिकेशन पहुंचा नहीं यहां से कागज लिखाया जाय ग्रौर सदन में रखा जाय ग्रौर उसके ग्रू सफाई दी जाय, यह उचित नहीं है।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य (उप-मन्त्री, गृह): मैं स्थिति का विश्लेषण कर दूं ताकि ग्रापको सहायता मिलेगी। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने वह पर्चा सदन में रखा है, उसको ग्राप मुलाहिजा फरमाएं उसके बाद कहें तो ठीक है। वही पर्चा कोर्ट में भी है वह पढ़ लें, उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री मानसिंह महार: इतनी कन्टोवर्सी में न जाकर जैसे ही सदन में मुद्दे उठे मुख्य मन्त्री जी कह देते कि मैं सैशन्स जज से इन्क्वारी करवा रहा हूं तो मामला साफ हो जाता। इतने लम्बे-चौड़े पर्चों के पढ़ने की जरूरत थी। मुख्य मंन्त्रीजी भिड़ते ही कह देते कि सेशन्स जज से इन्क्वारी करवा रहे हैं, मामला खत्म हो जाता। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से एक बहुत हो-हल्ला किया गया। पहले तो डिप्टी-मिनिस्टर बोलते रहे ग्रौर मुख्य मन्त्री मौन विराजमान रहे। सदन में गलत तरीके का वातावरण बन गया घंटा भर ग्रौर उसके बाद एलान किया। ग्रगर घंटा भर पहले कर देते तो सरकार की बात पर कोई शंका की गुन्जाइश नहीं रहती। जो कुछ किया लम्बी-चौड़ी बात के बाद

(श्री मानसिंह महार)

किया, यह इस सरकार की आदत है। जो आपको करना है, फौरन करो। मैं जानता हूं कि मजदूरों का आंदोलन १०-१२ दिन चलेगा तो सरकार घुटने टेक देगी, बिजली मजदूरों को बोनस दे देगी। अगर देना है तो क्यों इतना झगड़ा करते हो, क्यों विरोधी पक्ष के लोगों का समय नष्ट करवाते हो, मजदूरों की एनर्जी जो बिजली बढ़ाने में लगनी चाहिए उसको नष्ट करते हो और फिर बड़े प्रेम से इसी सदन में बिजली मन्त्री या मुख्य मन्त्री कह देंगे कि बोनस देने का फैसला किया है। यह सरकार की नीति है कि मामलों को उलझाया जाय, लेकिन वे समझते नहीं कि यह नीति उसको कोई क्रेडिट नहीं देती है। इस प्रकार की नीति से सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आप फौरन ऐलान करें। उनका जुलूस आया। आज फिर वित्तमंत्री से कहता हूं, और कुछ नहीं कहूंगा। एक प्रार्थना करता हूं और ये मेरे शब्द लिख लो मेरे विधान सभा में कहे हुए शब्द कि आप अंततोगत्वा कुछ तनख्वाह उनको बढ़ाकर देंगे, जब अच्छी तरह से आपकी हजामत ये कर्मचारी कर देंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कृपा करके, भगवान के लिए अगर आपको देना है जो कुछ भी तो फौरन दे दिया जाय और उनको असंतुष्ट मत कीजिए। इससे एक-दो करोड़ का घाटा होता है तो ३३३ करोड़ में दो करोड़ और जोड़ दीजिये, ३३५ करोड़ हो जावेंगे। उसके लिये आपको खुली छूट है। वर्ना इधर उधर एडजस्टमेंन्ट कर लीजिये। आंकड़ों की तो बजट में जादूगरी है। कितना ही विद्वान आदमी बजट को ले ले। चाहे तो बजट को करोड़ों का घाटे का बता दे और जब चाहे तो उसे करोड़ों के घाटे के बजट को कुछ आंकड़े इधर चेपे, कुछ उधर चेपे दस बीस लाख रुपये का सरप्लस का बजट बता दे। इस लिये आप यह न समझें कि सदन में बैठे हुए हैं वे आपकी जादूगरी को न समझते हों। समझते सब हैं। आपकी जादूगरी को भी जानते हैं। आप तो सरकारी कर्मचारियों के लिये कन्सीडर करो।

अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ रहा हूं और कोई पोइन्ट टच नहीं करूंगा। मैं आपको शराफत से कहता हूँ। यह नहीं कि आपको आपके लाख रुपये के बंगले की बात कहूं। लेकिन निहायत नम्रता से अर्ज करता हूं कि सरकारी नौकरों का यह एक महत्वपूर्ण मसला है और इसको आप सीरियसली देखें। इस महंगाई के युग में आप कहते हैं कि सितम्बर अक्टूबर में स्टोर्स खोल देंगे। बेचारे चार-छः महीने किसको खायें? पहली अप्रेल से बजट बना चुके हैं कि कुछ तनख्वाह बढ़ेगी तो काम चलेगा। आपने तो उनको अभी छः महीने की तारीख दे दी। आपके लॉ कोर्ट में तारीख पड़ जाती है, लेकिन आप लॉ कोर्ट नहीं हैं। उनको रोज टाइप करना पड़ता है; किसी को सेक्रेटेरियट में और किसी को कहां।

अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि विधान सभा के स्टाफ का तो सेन्टर के बराबर जरूर कर दीजिये, as an example. विधान सभा के स्टाफ को तरक्की दे देंगे तो कौल साहब भी मजबूर हो जावेंगे और उनको राजस्थान के सारे स्टाफ को देना पड़ेगा। यह दुःख का विषय है कि आज

Page No. 121

(श्री मानसिंह महार)

जयपुर में सेन्टर के लाखों कर्मचारी हमारे राजस्थान के कर्मचारियों से काफी अधिक पसा लेते हैं, यह बहुत अन्याय पूर्ण है और इसको अधिक से अधिक आपको सोचना चाहिये। यह भेद भाव अब नहीं चल सकता। आपको यह ऐलान एक दम कर देना चाहिये कि सेन्टर में और राजस्थान के कर्मचारियों के वेतन आदि में कोई फर्क नहीं है। यह ऊंच-नीच का भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिये। आज राजस्थान के कर्मचारियों में इन्फिरीयरिटी कॉम्प-लेक्स है। ए. जी. के वहां का चपरासी आता है तो राजस्थान के चपरासियों को नीची निगाह से देखता है सी. आर. पी. सी., सेन्ट्रल की पुलिस का सिपाही, सी. आई. डी. यहां रहते हैं, उनके सिपाही वगैरह राजस्थान के सिपाहियों को नीची निगाह से देखते हैं कि ये कम तनख्वाह पाते हैं। कई लोगों से बात की। हमारे यहां के आर. ए. एस. अफसर के बराबर वहां के यू. डी, सी. और एल. डी. सी. तनख्वाह पाते हैं। वे आर. ए. एस. ऑफिसर्स को इस दृष्टि से देखते हैं। कौल साहब का इलाज मैं नहीं कर सकता। आप इनकी तनख्वाह बढ़ा दें तो यह निश्चित चीज है उनको घुटने टेकने पड़ेंगे और घुटने टेक कर उनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपसे प्रार्थना है कि आप कम से कम राजस्थान की तो लाज रखिये, अध्यक्ष महोदय।

इसके बाद सदन का अधिक समय न लेकर........

(४.४४ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्षजी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैंने शुरू ही किया है!

बिलकुल सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आपसे एक बात और निवेदन करूंगा कि गये साल हमसे कौल साहब ने बड़ी तालियां बजवायीं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय किया। हमारे ऊपर एक बड़ी भारी फार्स खेली। तालियां इस लिये बजवायीं थीं कि उन्होंने यह घोषणा की थी कि ओल्ड एन्ड डिसेबल्ड पर्सन्स को ३०), ३५) रु० महीना पेन्शन देंगे। उसको इतना कॉम्पली-केटेड कर दिया, लिस्ट उठा कर देख लीजिये, अजमेर के अलावा बहुत कम लोगों को वह मिली है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : वे कागजात जितने हैं बेचारे गरीबों को नहीं मिल सकते।

श्री मानसिंह महार : मेरी बातों की कौल साहब ताईद करते हैं। ७०-७५ वर्ष की बुढ़िया, जिसके आगे-पीछे कोई नहीं, उसके लिये कोई ऐसा तरीका करो कि उसको पेन्शन मिले।

श्री बालकृष्ण कौल : उसको आने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र के प्रतिनिधि थोड़ी सी मदद कर दें तो कोई रुकावट नहीं है। कार्यकर्त्ता मदद न करें तो दिक्कत है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मैं ६० एप्लीकेशन्स लेकर गया। मेरी ताईद

(श्री दिग्विजयसिंह)

की कोई वकत नहीं की गई। मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट चाहिये, यह कहा गया।

श्री मानसिंह महार : कौल साहब की सेवा में मैं लेकर जाऊंगा। एक कार्यकर्त्ता की भांति सेवा करूंगा और कौल साहब के दफ्तर को अर्जियों से भर दूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे दफ्तर को भरने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानसिंह महार : एक निवेदन और कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो वादा खिलाफी है। एक तो हो गया।

श्री मानसिंह महार : यह पेन्शन का तो छोटा है। आपके महकमे को टच न करके मैं अब कृषि विभाग पर ही आ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत बड़ा निवेदन होगा।

श्री मानसिंह महार : मैं बहुत छोटा निवेदन कर दूं। मैं बहुत सूक्ष्म में कहूँगा। कृषि विभाग के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि आपकी जो भी ऋण वगैरह देने की नीतियां हैं वे बहुत गलत हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप जो ऋण वगैरह देते हैं वहां पर आपके डिपार्टमेंट का कुछ अंकुश जरूर रखिये। जब तक आप डिपार्टमेंटल अंकुश नहीं रखते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके पैसे का दुरुपयोग होता है। आप डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन कीजिये, इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है। काफी पैसा दीजिये, सब कीजिये, लेकिन कम से कम देखिये तो सही। कोई कुआ बनाने की दरख्वास्त देता है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखे तो सही कि वाकई कुआ बन रहा है या नहीं, उसने ट्रेक्टर की तकावी ली है तो उसने वह खरीदा है या नहीं। यह अंकुश डिपार्टमेंटल रखिये आज हो क्या रहा है। डिपार्टमेंट टैक्निकल एडवाइस देता है। वह क्या है? समिति से कागज आया, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर के यहां, एग्रीकलचर ऑफिसर आंख मीच कर ८० फीट के कूए में ५ होर्स पॉवर की मशीन लगाने के लिए लिख देगा, यह नहीं देखेगा कि मोटर लगाने की जरूरत भी है या नहीं। मैं निवेदन करूं कि तनख्वाह देते हैं तो कम से कम यह देखिये कि जमीन कितनी है। दो हजार रुपया आप किसी को तकावी देते हैं Grow more food के सिलसिले में और उसके पास जमीन जब देखते हैं तो दो बीघा; तो क्या जस्टिफिकेशन है? आप सोचिये। इसलिये मैं कहता हूं कि आपको इस मामले में जल्दी ही कोई परिवर्तन लाना चाहिये। अगर आप नहीं लाते हैं परिवर्तन तो आपके Grow more food और दूसरे जितने प्रोग्राम्स हैं वे कभी कामयाब नहीं हो सकते। न ही होंगे।

तृतीय योजना के बाद भी हम अमेरिका के मोहताज हैं, अमेरिकन गेहूँ न आये तो हम भूखों मर जायें। तो आप दिमाग से तो समझें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो

Page No. 123

(श्री मानसिंह महार)

दुख से कहना पड़ेगा कि आपकी योजनायें फेल हो गयीं। तीन बार आप फेल हुए। एक बार नहीं। प्रथम योजना, द्वितीय योजना और तृतीय योजना। अब चौथी बार इम्तिहान देने जायं तो कम से कम फेल्योर के कारण तो देखिये। और जब हम सही ढंग से और सही तरीकों से कारणों पर प्रकाश डालें और सुझाव दें और उन सुझावों पर आप ध्यान नहीं दें तो उसको मैं उचित नहीं समझता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी एग्रीकल्चर लोन वगैरह देते हैं उस पर आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का कोई न कोई अंकुश रखिये। मुझे मालूम है, जब हम एग्रीकलचर एक्सटेन्शन आॅफिसर से जब कभी बातें करते हैं, वे कहते हैं हम तो फाइल लेकर चले जाते हैं, उसको देख कर पास कर देते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से किसी प्रकार की एडवाइस नहीं लेते हैं; इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चतुर्थ योजना में अपने प्लान्स हैं, लोन्स वगैरह के बारे में उसको रिओरिएन्टेड करिए। यह कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक आज का कार्य खत्म हो जाय सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : यह डिस्कशन कब खत्म होगा, इसके लिए भी टाइम फिक्स है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : पौने छः बजे तक भाषण होंगे, उसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। इस तरह से ६ से १५ तक रहेगा।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिये हमने योजनाओं के द्वारा इस देश का विकास किस प्रकार किया जाय, इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिये, साथ ही साथ देश के पास जो साधन हैं उनके द्वारा हम देश को किस प्रकार खुशहाल बना सकते हैं ; इन सारी बातों का समावेश योजनाओं में करके योजना के अनुसार कार्य करने का निश्चय किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक योजनाओं के द्वारा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और दूसरे काम अपने हाथ में लिये; सबसे मोटा और आवश्यक कार्य सामाजिक उत्थान का, सामाजिक विकास का आवश्यक अंग समझ कर अपनाया गया। इस क्षेत्र के अन्दर कई प्रकार की एक्टीविटीज शुरू की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, तीनों योजनाओं के अन्दर हमने बहुत बड़ी धन-राशि...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कोरम नहीं है, कोरम बैल लगाइये।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री फूलचन्द जैन : मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की वेलफेग्रर एक्टीविटीज हमने यहां पर शुरू की ग्रौर बहुत बड़ी धनराशि इस प्रकार की एक्टीविटीज़ के ग्रन्दर खर्च कीं। लेकिन, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं काफी बड़ी धन-राशि खर्च हो जाने के बाद भी हमारा उद्देश्य जो विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्यों के लिये था वह पूरा हो जायगा, वह ग्रावश्यक नहीं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि जहां श्रम कल्याण के लिये हमारी कुछ प्रवृत्तियां चालू हुईं ग्रौर जहां पर दूसरे इस प्रकार के समाज कल्याण के कार्य शुरू हुए, जिसमें लोगों का प्रशिक्षण भी शामिल है, जिनसे एम्प्लोयमेन्ट ग्रौर मदद मिल सके, इस प्रकार की सभी एक्टीविटीज़ के ग्रन्दर जो भी खर्चा हुग्रा, उनमें मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं, ग्रधिक खर्चा उसकी व्यवस्था सम्बन्धी, उसके प्रशासन के ग्रन्दर हुग्रा है। जो वास्तव में वेलेफेग्रर के लिये खर्च होना चाहिये, जितना खर्चा होना चाहिये उतना उसमें नहीं हुग्रा। कई ऐसे उदाहरण सामने हैं जहां पर जितनी धन-राशि किसी विशेष कल्याण केन्द्र के लिये रखी गई, उसमें उसका साठ-सत्तर ही नहीं ७५ प्रतिशत रकम एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रन्दर खर्च होती रही है। इससे यह ग्रन्दाज लगाया जा सकता है वास्तव में, चाहे लेबर वेलफेग्रर के लिये हो, चाहे दूसरी प्रकार के वेलफेग्रर कामों के लिये जो धन-राशि खर्च होनी चाहिये वह उनके वेलफेग्रर के लिये खर्च न होकर जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोग काम करते रहे हैं उनके लिये ही इतनी धन-राशि खर्च होती रही है।

चाहे पैलेट टाइप इन्डस्ट्रीज़ हों, चाहे कॉम्युनिस्टी सेन्टर हो, उसके लिये भारत सरकार से जितनी मदद हमारे प्रान्त के ग्रन्दर ग्रायी है वह चाहे जिस रूप में ग्राये, हमने उस रूप में इम्प्लीमेन्ट करने की कोशिश की, ग्रपना माइन्ड एप्लाई करके यहां की जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं या दूसरे हालात हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का परिवर्तन-परिवर्धन किया जाकर किस प्रकार से वे हमारे लिये उपयोगी हो सकती है उस ग्रौर ध्यान नहीं दिया गया। जिस वजह से यह स्थिति हुई है ग्राज हमारे सामने ग्रार्थिक समस्यायें पैदा हो गईं। उनकी वजह से एक प्रकार से हम वेलफेग्रर एक्टीविटीज़ के लिये धनराशि की व्यवस्था कम करने के लिए विवश हो गये, दूसरी ग्रोर धनराशि खर्च हो गई; इस तरह से उसका पूरा उपयोग नहीं हुग्रा। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, कुछ महत्व के काम होते हैं जिनकी ग्रोर विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे यहां यूथ ग्रौर स्टूडेन्ट्स के वेलफेग्रर का सवाल है; उसके लिये हमारे यहाँ ग्रलग ग्रलग प्रावधान हैं। ग्राज मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यूथ्स ग्रौर स्टूडेन्ट्स के वेलफेग्रर के लिये कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार ग्रपने बजट के ग्रन्दर खर्च करती है। मेरी ग्रपनी यह निश्चित मान्यता है कि राज्य सरकार यह नहीं बता सकेगी। इसका कारण यह है कि कुछ खर्चे की व्यवस्था एज्युकेशन मिनिस्ट्री के हैड से की जाती है, कुछ व्यवस्था सोश्यल वेलफेग्रर के बजट से की जाती है; इस प्रकार से ग्रलग ग्रलग कितने ही मद हैं जिन मदों के द्वारा इस प्रकार की वेलफेग्रर एक्टीविटीज़ में

(श्री फूलचन्द जैन)

खर्च होता है । इसमें कोई कोग्रॉडिनेशन नहीं कुछ मिलाकर यूथ ग्रौर स्टूडेन्टस की वेलफेग्रर एक्टीविटीज़ का किस प्रकार काम्पेक्ट प्रोग्राम होना चाहिये, वह किस प्रकार चलना चाहिये, जिससे देश के ग्रन्दर यूथ व स्टुडेन्ट्स वेलफेग्रर के लिये जितनी मदद पहुँचा सकते हैं पहुँचायें ।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैं यूथ वेलफेयर एक्टीविटीज की ग्रावश्यकता महसूस करता हूं वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्राज जो स्थिति है उस पर भी गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की ग्रावश्यकता को महसूस करता हूं ।

शिक्षा के क्षेत्र में वैसे काफी वाद-विवाद हुग्रा है । परन्तु मैं इस प्रसंग में ग्राज सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने ग्रच्छा विस्तार किया है, परन्तु शिक्षा के स्टेण्डर्ड की ग्रोर हमें ध्यान देना होगा । इसके लिये ग्राज की शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन की ग्रावश्यकता है जो हमारी संस्कृति ग्रौर ग्रावश्यनताग्रों के ग्रनुरूप हो । इस परिवर्तन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये, जो ग्रब तक नहीं दिया जा सका है ।

इसके बाद, मैं उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके द्वारा शिक्षा मंत्री, चाहे यहां न हों, उनका पुनः ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं । जब शिक्षा की मांग पर बहस हो रही थी तो माननीय सदस्यों ने जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में ध्यान ग्राकर्षित किया था । चूंकि शिक्षा मंत्रीजी ने उसके बारे में उस दिन कुछ भी नहीं कहा था, इसलिये पुनः उनका ध्यान उन बातों की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं ग्रौर निवेदन करता हूं कि वे इस बात को इतनी ग्रासानी से ग्रोझल न करें । उनके सामने यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । उनको देखना है कि जोधपुर विश्वविद्यालय की ग्राज क्या स्थिति है । वहां पर जो रजिस्ट्रार हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, राज्य सरकार ने उनको वापिस बुला लिया । इसके बावजूद भी ग्राज यह स्थिति है कि वही रजिस्ट्रार साहब ग्राज भी वहीं मौजूद हैं । मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि जिन हालतों में उनको वहां रखा है उसके बारे में भी सख्त एतराज है । संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ग्रौर ग्राशा करता हूं कि शिक्षा मन्त्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

इस सदन में विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने राजस्थान यूनीवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन के बारे में चर्चा उठाई थी ग्रौर मांग की थी कि जिनको प्रवेश नहीं मिल सका है उनको प्रवेश दिलाने के बारे में ग्रावश्यक व्यवस्था की जावे । इस पर यह कहा गया था कि चूंकि राजस्थान यूनीवर्सिटी एक ग्रोटोनोमस बोडी है इसलिये हम इस बात की कोशिश करेंगे कि कोई छात्र परीक्षा से वंचित नहीं रहे । प्रश्न यहां सिर्फ हाजरी में कमी रहने का था । एक तरफ यहां यह बात कही जावे कि हाजरी में कमी रह गई है इसलिये दिक्कत ग्रा गई है ग्रौर दूसरी ग्रोर यूनीवर्सिटी ने कॉलेजों में प्रवेश दे दिया था, उनको भी वंचित करने का ग्रादेश दिया है । इसके बाद हालत में ग्रन्तर हुग्रा है ।

दूसरी तरफ जोधपुर यूनीवर्सिटी में जाते हैं ग्रौर मालूम करते हैं कि क्या वहां पर

(श्री फूलचन्द जैन)

एक भी स्टुडेन्ट को प्रवेश देने से वंचित रखा गया है ? क्या वहां पर किसी भी छात्र की गैर हाजरी नहीं थी ? वहां पर गैर हाजरी थी। ३०० छात्र वंचित रहने वाले थे। परन्तु अपने ढंग से एजीटेट किया था और उनको तुरन्त प्रवेश दे दिया। मैं इस प्रसंग में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर यूनीवर्सिटी, अपने स्तर पर, बिना बल दिये प्रवेश दे सकती है और राजस्थान यूनीवर्सिटी यह कहे तथा और कई दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर सकती है। फिर भी शिक्षा मन्त्रीजी कहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सवाल पैदा होता है, जिस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि आज इस प्रकार की स्थितियां कोई युनिवर्सिटी पैदा करती हो और जनता के प्रतिनिधि और शिक्षा मन्त्रीजी कन्विन्स हों कि ऐसा होना चाहिये, पर वहां भी वे विवश हों, तो इस स्थिति पर तो पुर्नविचार करना ही होगा।

जोधपुर विश्व-विद्यालय की यह स्थिति है कि वहां पर रजिस्ट्रार को लेकर जो स्थिति पैदा हो रही है, जो अनियमितताएं हुई हैं और रजिस्ट्रार के लिये जो निश्चित किया गया कि दूसरी स्टेटों में यूनीवर्सिटयों में रजिस्ट्रार की क्या क्वालिफिकेशन्स हैं उसका पता लगाकर यहां भी उसके अनुसार किया जाय, तो इसका पता लगाने के बजाय अपने ढंग से योग्यताएं निर्धारित करके अपने मनमाने अखबार में विज्ञापन निकाल दिया जाय। दिल्ली के एक-आध पेपर में निकलवा दिया जिससे कइयों को पता ही न लगे और कम से कम एप्लीकेशनें आयें; इस तरह से यह सारा काम किया जाय, तो यह उचित नहीं है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्रीजी इस पर भी विचार करें कि उच्च स्तर की संस्था होने के नाते चाहे वह अधिकृत हो, चाहे अनधिकृत हो, मन चाहे अखबार में विज्ञापन देते रहें और अपनी खबरें छपवाते रहें; इसको स्वीकार कैसे किया जा सकता है ?

आज आवश्यकता इस बात की है कि बजाय इसके कि हम सारी स्थितियों पर पूरा नियन्त्रण रखें, सुनियोजित रूप में काम चलावें, आज होता यह है कि एक प्रणाली के बारे में एक निर्णय लिया गया, विज्ञापित हुआ पर फिर निर्णय बदल दिया गया, विज्ञापित हुआ, और फिर वह और बदल दिया गया। कितनी बार कितने निर्णय किये जाते हैं, बदले जाते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। निर्णय किस आधार पर किये जाते हैं और क्यों बदले जाते हैं ? आखिर इन सारी बातों को जानने का अधिकार अगर हमारा नहीं है तो किसका है ? यह शिक्षा मन्त्रीजी को बताना ही होगा। वे यह भी बतावें कि उनका स्वयं का इन स्थितियों पर कहां तक नियन्त्रण है ? वे स्वयं क्या महसूस करते हैं ? क्या इस तरह की अनियमितताएं और भयंकर स्थितियों को ऑटोनोमस बॉडी कहकर टाला जाता रहेगा ? इन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं किया जा सकता या कोई सलाह हम नहीं दे सकते ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करके यह चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध

(श्री फूलचन्द जैन)

में भी पूरा स्पष्टीकरण करें और वहां की जो स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है उसको सम्भालने के लिये वे क्या करने जा रहें हैं, यह भी बतावें।

इसके साथ ही जैसा निवेदन किया गया स्पोर्ट्स कौंसिल जो यहाँ है उसके बारे में मालूम नहीं कि वहां कौन किस प्रकार से बैठा हुआ है और किस प्रकार से किसके द्वारा वह गाइड होकर सारा रुपया खर्च कर रहा है।

मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स कौंसिल ने काम किया है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि जो काम अच्छा कर रहा हो उसे इसलिये पूरी स्वतन्त्रता हो कि जैसा जो कुछ चाहे, जिस तरह से चाहे वह करता रहे। हम जानना चाहते हैं कब यह स्पोर्ट्स कौंसिल बनी? दुबारा इसका कब चुनाव हुआ? चुनाव की इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या कॉन्स्टीट्यूशन है इसका? किस प्रकार से वह फंक्शन करता है? दूसरी जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको किस हद तक अवेल करने का अधिकार है? ये सारी बातें इस प्रकार की हैं, जिन पर हम चाहते हैं कि शिक्षा मन्त्रीजी गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जो स्थिति है उसे स्पष्ट करें।

श्री मानधातासिंह (महुवा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि इस बिल के जरिये २॥ अरब की राशि ६६-६७ वर्ष में राजस्थान में खर्च करने के लिये मांग की गई है।

यह एडमिटेड फैक्ट है कि हर सरकार को धनराशि की आवश्यकता होती है। पर साथ ही जो उसका उपयोग करते हैं उसको भी देखने का फर्ज है कि वह राशि उपयोग में सही तरह से लाई जाती है या नहीं।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि अव्वल फर्ज तो सरकार का होता है कि वह लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करे क्योंकि जब तक यह नहीं होता, तब तक डेवलपमेंट के काम नहीं चल सकते। एक वेलफेयर स्टेट के लिये यह आवश्यक है कि लॉ और ऑर्डर मेन्टेन किया जाय। पर मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार लॉ और ऑर्डर मेन्टेन करने में कतई असफल रही है।

इसके कई उदाहरण सामने प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण जो हाल ही का है सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अभी हाल में डीडवाना में फाइरिंग हुआ। सरकारी अधिकारी वहां अकर्मण्य होकर बैठे रहे। अगर सिचुएशन को थोड़ा सा भी टैक्टफुल्ली हैंडल किया जाता तो उक्त दुर्घटना नहीं घटित होती। जैसा कल उपमन्त्रीजी ने वक्तव्य दिया वहां किसी औरत की इज्जत का सवाल था।

जब कोई आदमी उस सिलसिले में गिरफ्तार हुआ तो वह आदमी थाने से भाग गया सरकार का कहना यह है कि वह आदमी भाग गया। अब इसमें सरकार की ही गफलत नजर आती है। वह मुलजिम कोई डाकू नहीं था, कोई बड़ा डाकू नहीं था जो भाग जाता। एक मामूली मुलजिम था उसी को सरकार अपने थाने के अन्दर बन्द नहीं रख सकती थी तो सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों की गफलत से भाग गया उनके

(श्री मानधातासिंह)

खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए थी और शायद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और पुलिस अफिसर्स के सस्पेन्शन किये हैं तो वह भी बाद में किये हैं। यदि वह सस्पेन्ड तुरन्त ही कर दिये जाते तो शायद आगे मामला बढ़ता नहीं । लेकिन सस्पेन्शन तब नहीं हुआ और मुलजिम निकल भागा । उसके बाद लोगों के अन्दर बगावत फैल गई । लोगों ने देखा कि यह औरतों की इज्जत लेने वाले आदमी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है, उसको थाने में ले जाया जाता है और छोड़ दिया जाता है तो लोगों ने शायद अपने हाथों में मामला ले लिया, जो नामुनासिब था । यदि सरकार ठीक तरह से मामले को हैंडल करती तो यह सिचुएशन ही पैदा नहीं होती ।

फिर उप-मन्त्री जी का कहना था कि एक जुलूस निकाला गया और वह राउडी हुआ और उस जुलूस ने थाने पर हमला किया और जो एस० डी० एम० था और पुलिस आफिसर सी० ओ० था उसका फर्ज था कि जब जुलूस निकला उसी समय उसको रोक दिया जाता । टाइमली एक्शन यदि लिया जाता और झगड़े के लिए जैसा कहते हैं यदि उसे उसी वक्त रोक दिया जाता तो झगड़ा बढ़ता ही नहीं । उप-मन्त्री के बयान के अनुसार थाने पर जुलूस ने हमला किया । यही नहीं एक हैड कान्सटेबल को मैन-हैंडल किया । उसके बाद में उस आदमी को बचाने के लिए एस० डी० एम और सर्किल ऑफिसर पहुंचे और उन्होंने उस आदमी को किसी तरह से बचा लिया । सरकारी वर्णन यह है कि उसे बचाने के दौरान में किसी सिपाही की बन्दूक एक्सीडेन्टली चल गई । लेकिन एस० डी० एम० की रिपोर्ट जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी में लॉज हुई है वह कतई विपरीत है उनका कहना यह है कि पुलिस ने फाईरिंग किया । उप मन्त्रीजी के वक्तव्य के अनुसार एस० डी० एम० और सर्किल ऑफिसर वहां पहुंचे और उनके साथ में चार कान्सटेबल थे । उनके अन्दर २ कान्सटेबल आर्म्ड थे, ४१० मस्केट से आर्म्ड थे और उनको नीचे छोड़ दिया गया । जब कि एस० डी० एम० और सर्किल आफिसर आनन्द भवन में पहुंच गये । एक पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को यह मालूम होना चाहिए कि यह मामूली सी बात है कि जो कान्सटेबल आर्म्ड होते हैं उनको कभी मोब में नही छोड़ा जाता है, सेफ जगह पर छोड़ना चाहिए जहां उनको मैन हैंडल नहीं किया जा सकता हो । सरकार का वर्णन यह है कि उस कान्सटेबल की बन्दूक छीनी गई और मोब उस बन्दूक को कब्जे में कर रहा था । इसलिए सिपाही ने उसका कब्जा करना चाहा और वह चली गई । मैं इसको सही नहीं मानता, लेकिन मान भी लें तो किसकी गलती है । सिपाही को मोब के सामने क्यों रखा गया जिससे मोब को मौका मिल गया बन्दूक छीनने का इसका साफ मतलब यह हुआ कि न तो आफिसर्स को ही सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करने का मादा था और न पुलिस को था । उसके बाद में एस०डी० एम० की रिपोर्ट लॉज होती है और एस०डी०एम० को यह भी नहीं मालूम कि यदि फाईरिंग होती है और एस.डी.एम. की रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि उसने आर्डर्स नहीं दिये और पुलिस ने खुद ने फाईरिंग किया, सरकार का नियम है कि पुलिस फाईरिंग करती है तो एस० डी०

(श्री मानधातासिंह)

एम० को खुद को इन्क्वायरी करनी चाहिए। उन्होंने खुद नहीं करके मुन्शिफ मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट लॉज की, जो कि कतई गलत बात थी। उसके बाद में जब सरकार को मालूम हुआ तो एस० डी० एम० से मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी शुरु की गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : पहले से क्या कर रहे थे ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अगर इस तरह से इन्टरवीन हुआ तो समय आगे बढ़ाया जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बहस पहले हो चुकी है और उसका विवेचन हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन इतनी देर से क्या कर रहे थे ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : सेशन्स जज को यह केस सुपुर्द हो गया और इसमें किस की गलती है, क्या है, वह रिपोर्ट यहां आ जायेगी, उसके बाद में डिस्कशन का मौका मिल जायेगा। अभी जितना विश्लेषण करेंगे वह प्रेजुडिस करेगा आगे चलकर के, यह मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो विश्लेषण कर चुके, तब से सो रहे थे क्या, जो अब आपकी नींद खुली है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं खड़ा होता हूं तो आप खड़े हो जाते हैं मैं बैठता हूं तो आप बैठ जाते हैं।

श्री मानधातासिंह : यदि मामला सैशन्स जज के सुपुर्द है तो यह नहीं माना जा सकता कि सबजुडिस है। वह डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी है और एक तरह की एग्जीक्यूटिव इन्क्वारी है। जुडीशियल केस नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जुडिशियल इन्क्वायरी है।

श्री मान धातासिंह : किस दफा के तहत है ? वह किसी दफा के तहत नहीं है।

श्री मानसिंह महार : आपकी तरह अनाड़ी नहीं हैं, ये मजिस्ट्रेट रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो सब मालूम हो जायगा। आप भी देख लेंगे कि किसने क्या कहा और कौन क्या बना।

श्री मानधाता सिंह : एस० डी० एम० की दो रिपोर्ट्स हैं। उससे साफ मालूम होता है कि वे नाजायज दबाव में आ गये और उसको एस० डी० एम० रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह एक तरफ तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट लॉज करता है जो कि नहीं करनी चाहिए थी. . . .

श्री उपाध्यक्ष : हम एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। आप लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर प्रकाश डालें तो ठीक है। सारा भाषण एक इश्यू पर ही नहीं होना चाहिये।

श्री मानधाता सिंह : मैं लॉ एण्ड आर्डर की बात कह रहा था कि यह सरकार लॉ

(श्री मानधातासिंह)

एण्ड आर्डर मेन्टेन नहीं कर सकी। वह ऐसे नाकाबिल एस० डी० एम० रखती है कि जिनको यह भी नहीं मालूम कि ऐसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। उसकी गफलत के कारण ही यह सिचुएशन पैदा हुई और उसके बाद में एस० डी० एम० को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां रिपोर्ट करनी चाहिए थी न कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां। जब मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर दी थी और उसको विश्वास था कि रिपोर्ट सही है तो नाजायज दबाव में आकर दूसरी रिपोर्ट कैसे कर दी यह साफ नमूना है कि किस किस्म के मजिस्ट्रेट्स रखे जाते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, सवाल यह है कि इस सिलसिले में जुडिशियल इन्क्वारी की रिपोर्ट हो गई और मामला सबजुडिस है तो अब डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि सब साबित हो जाएगा और सम्माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और खुद ऑफिसर रहे हैं इसलिए अब इस मामले को छोड़कर आगे और कुछ कहें।

श्री मानधातासिंह : अभी तक खाली मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हाईकोर्ट से कहेंगे कि वह अपना सेशन्स जज अपोइन्ट करे। लेकिन अभी तक कोई सैशन्स जज का इस मामले के लिए अपोइन्टमेन्ट नहीं हुआ है जबकि हाईकोर्ट से अपोइन्टमेन्ट हो जायेगा और सैशन्स जज नामजद हो जायेगा तब मान सकते हैं कि मामला सबजुडिस है। इस समय वह सबजुडिस नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संबंध में मैं काफी निवेदन कर चुका हूं और अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरा खास मकसद यह था कि सरकार लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन नहीं कर सकी। इस किस्म के ऑफिसर्स को रखती है कि जिनको पता नहीं कि फाइरिंग होने पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए, किसको रिपोर्ट जानी चाहिए और कौन इन्क्वायरी करे और अगर ये ऑफिसर्स गफलत में नहीं रहते तो यह नौबत ही नहीं आती। इस संबंध में जो अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं एस० डी० एम० वगैरह के उस संबंध में निवेदन कर रहा था कि शुरू के अन्दर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर० ए० एस० वगैरह में अपोइन्ट होते थे उनको जुडीशियल ट्रेनिंग, मजिस्टीरियल ट्रेनिंग और रेवेन्यू ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए शुरू से ही वे जुडीशियल माइन्डेड हो जाते थे। लेकिन इस संबंध में मैं कहूंगा कि आज बहुत संख्या ऐसी है कि जो पहले बी० डी० ओ० हैं वे आज एस० डी० एम० हैं। उनको 'जीहुजूरी' सिखाई जाती है। जो पंचायत समिति में प्रधान वगैरह हैं उनकी 'जी 'हुजूरी' करनी चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और जो गलत बातें करते हैं उनके ऊपर पर्दा डालना चाहिए, इस तरह की जो उनको ट्रेनिंग शुरू में गलत मिलती है तो बाद में वह सही ढंग से लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को डील नहीं कर सकते। इस वजह से मैं निवेदन करूंगा कि जो मजिस्ट्रेट्स मुकर्रर हों उनको सोच-समझ कर करना चाहिए। जो एस० डी० एम० डीडवाना में हैं और जिसने गलत सिचुएशन हैंडल की है वे पहले आबकारी महकमे में थे और लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे मेन्टेन किया जाये,

(श्री मानधातासिंह)

उसका भी उनको पता नहीं था। आज होता यह है कि उनको ले लेकर आर० ए० एस० और आर० जे० एस० में भर लेते हैं और उनको ऐसी जगह रखा जाता है तो फिर वे किस तरीके से काम कर सकते हैं ? इसी कारण से यह सिचुएशन लॉ एण्ड आर्डर को सही मेन्टेन नहीं कर सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हाल ही में सरकारी मुलाजिमों का एक डिमोन्स्ट्रेशन हुआ, वह डिमोंस्ट्रेशन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कण्डक्ट रूल्स के खिलाफ है। गवर्नमेंट अगर उसको ठीक ढंग से डील करती तो मैं समझता हूं कि सरकारी मुलाजिमों को ऐसा करने का मौका नहीं आता इस तरह से डिमोंस्ट्रेशन करने का। यह सरकार की गलती थी कि उनकी डिमाण्ड को ठीक तरीके से नहीं सुना। यदि सरकार ठीक तरीके से उनकी बात को सुनती और कुछ आश्वासन देती तो उनको यह नौबत नहीं आती कि इस तरह से डिमोंस्ट्रेशन करने का मौका मिलता। परन्तु हर शख्स जानता है कि सरकारी मुलाजिम को वैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। यदि उनकी कोई डिमाण्ड है तो उसको इस तरह से प्रस्तुत करना और डिमोन्स्ट्रेशन करना ठीक नहीं है, यह गवर्नमेंट सर्वेंट्स कण्डक्ट रूल्स के खिलाफ है। परन्तु इसका दोष भी इन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर नहीं है, इसका दोष सरकार पर है, क्योंकि सरकार ने उन लोगों की ठीक तरह से सुनवाई नहीं की है। सरकार ने इसको इस हद तक पहुंचा दिया कि उनको बाध्य होना पड़ा इस किस्म की हरकतें करने के लिए। यदि सरकार ठीक तरह से सुनवाई करती और उनको कुछ आश्वासन देती तो मुमकिन है कि ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में जो कुछ उनका कहना था उस सम्बन्ध में सरकार कुछ न कुछ विचार कर सकती थी। यह सही है कि जयपुर शहर में रहने वाले जो मुलाजिम हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनको तो सौ रुपया तनख्वाह मिलती है तो राजस्थान के मुलाजिम को पचास रुपये ही मिलते हैं। जयपुर शहर में महंगाई तो दोनों के लिए बराबर है, तो राजस्थान का मुलाजिम यह नहीं समझ सकता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम को मिलता है उससे उसको कम क्यों मिले ? इसी प्रकार उनकी और भी कई असुविधायें हैं, उनके लिए कोई कोऑपरेटिव स्टोर नहीं है, उनके कुछ अर्से पहले टाइमिंग्ज़ ऐसे कर दिए थे कि हमारे मुख्य सचिव महोदय कहीं दौरा करके आए थे बाहर का, वहां वे देखकर आए और उसके अनुसार ९ बजे से साढ़े पांच बजे तक का ऑफिस टाइम कर दिया था। यह टाइमिंग पाश्चात्य देशों में ठीक हो सकता है, लेकिन यहां हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं चल सकता। इस प्रकार की कई दिक्कतें पैदा हो गई थीं। यदि सरकार उनको ठीक तरह से सुनती तो यह मौका नहीं आता। इसके उपरान्त जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो यह एक शर्म की बात है कि उन्होंने 'सुखाड़िया हाय हाय' के नारे लगाए। जो हैड ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन हैं उसके मुलाजिम इस किस्म के नारे लगाते हैं तो उस हैड ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपने मुलाजिमों को वह कंट्रोल नहीं कर सकती है—ड ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ठीक तरह से

Page No. 132

(श्री मानधातासिंह)

सुना नहीं, इस वजह से उनको इस तरह की हरकतें करने का मौका मिला । यह मैंने दूसरा नमूना पेश किया लॉ एण्ड ग्रॉर्डर सिचुएशन का । तीसरा नमूना यह ग्रर्ज कर दूं कि इस हाउस में भी ग्रराजकता फैली हुई है । जो ग्रपने माननीय सदस्य हैं उनको, मैं समझता हूँ. कम से कम यह जानना चाहिए कि कैसे सदन के ग्रंदर ग्रपना ग्राचरण रखना चाहिए परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : महार साहब को समझाइए ।

श्री मानधातासिंह : २६ मार्च को जब कि उपाध्यक्ष महोदय ने हाउस को एड्-जोर्न कर दिया था उसके बाद भी कई माननीय सदस्य बैठे रहें, उनको शोभा देने वाली बात नहीं थी ।

(राज्य की ग्रोर से हियर हियर)

कुछ सदस्यों ने चेयर पर कब्जा करना चाहा, कुछ सदस्यों ने सारजेंट के साथ हाथा पाई की, यह ऐसी चीजें हैं जो माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देती । जब माननीय सदस्य........

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : सारजेंट को धक्का तो ग्रापके साले ने ही दिया था ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो उपाध्यक्ष महोदय, चैयर पर एसपर्शन है ।

श्री मानसिंह महार : मैं तो बहनोई हूँ ।

श्री मानधातासिंह : एक एक लाख जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम यहां बैठे हैं ग्रौर हम ही इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो हम दूसरों के सामने क्या एग्जाम्पल पेश कर सकेंगे । हमको इस पर ठण्डे दिमाग से सोच कर जो एम० एल० ए० के० उपयुक्त ग्राचारण हैं उसी प्रकार ग्राचरण करना चाहिए ।

इसी प्रकार तारीख २८ को यानी कल डीडवाना के सम्बन्ध में माननीय उपमन्त्री जो एक स्टेटमेंट दे रहे थे परन्तु कुछ सद-स्यों ने उनको स्टेटमेंट नहीं देने दिया ग्रौर मुख्यमन्त्री को बाध्य होकर इंटरवीन करना पड़ा । यह हर माननीय सदस्य का ग्रधिकार है सदन में बोलने का.......

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : ग्राप किसके पक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य (उप-मंत्री गृह) : हियर हियर ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) - ग्राप बोलते जाइये ।

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : ये तो चिलम भर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज़ ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सम्माननीय सदस्य बहुत साफ साफ बात कर रहे हैं, उसके बाद इस सदन में, ग्रापके सम्मुख कोई सदस्य ग्रपने दल की धौंस दें, यह कहां तक उचित है ग्रौर उसको कैसे बरदाश्त किया जाता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे अपनी पार्टी में साधारण सदस्य हैं और ये महा मन्त्री हैं स्वतंत्र पार्टी के। ये अपनी पार्टी की पोलीसी पर वयक्तव्य दे रहे हैं। और फिर व्यक्तिगत जीवन में भी ये मान सिंहजी के साले हैं और ये बहनोई हैं।

श्री मानधातासिंह : यह आपने बहुत अच्छी सही डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दल का यह सिद्धान्त नहीं है कि हमारे देश के अन्दर अराजकता फैलाई जावे।

(राज्य पक्ष की ओर से हियर हियर)

डिसिप्लिन्ड लिविंग हमारी नीति है और उस डिसिप्लिन्ड लिविंग को डिस्टर्ब करते हैं तो मुझको कहना पड़ता है मजबूर होकर कि कल जो उप-मन्त्री महोदय को नहीं बोलने दिया, वह एक नाजायज चीज है। हर माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। अब मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूँगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं आप खूब कहिए। हम आप की बात को सुनना चाहते हैं। आपने जिस स्पष्टता और शुद्ध हृदय से बातें कहीं हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन की परम्पराओं के अनुरूप कहने पर मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : रात्री के प्रीति भोज में गए होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो यह कह दीजिए कि मानसिंहजी महार ने जो कुछ उस दिन किया उसकी आप निंदा करते है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हां हां, साफ साफ कहिए, डरिए मत।

(विराम)

श्री मानधातासिंह : अब मैं इस सरकार के कुछ मन्त्रियों के बारे में निवेदन करता हूँ।

अभी अभी दो तीन रोज पहले तारीख २ को टोंक के अंदर माननीय राजस्व मंत्री ने एक मीटिंग की थी जिसमें वहां के पूरे जिले के एम० एल० एज० को इन्वाइट किया था। उसमें इत्तफाक ऐसा कि जो जिले के एम० एल० एज० हैं वे सब विरोधी पक्ष के हैं, कोई एक, नाम को भी, कांग्रेस का नहीं है। उनके साथ माननीय राजस्व मन्त्री जी ने क्या आचारण किया, वह भी आप जरा सुन लीजिए। उन एम० एल० एज० के प्रति मुखातिब होकर उन्होंने कहा

(माननीय सदस्य वे शब्द भूलने के कारण समीप बैठे माननीय सदस्यों से पूछने लगे)।

उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे, जो इस सदन में कहने लायक नहीं हैं। यदि उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो मैं उन शब्दों को जो मेरे नहीं हैं, राजस्व मन्त्रिजी के कहे हुए हैं, यहां कह सकता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : अभद्र वाक्य तो न कहें।

श्री मानधातासिंह : उन्होंने एम० एल० एज० को 'लफंगा' घोषित किया और इस सदन के लिए क्या कहा । यह असेम्बली तो 'लफंगों की जमात' है ...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : 'लफंगों की जमात' है क्या ?

श्री मानधातासिंह : क्या भी कहा होगा, लेकिन जो कुछ भी कहा गया है यह शोभनीय नहीं है । एक राजस्व मंत्री, जो सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री हैं वे एम. एल. एज. के लिए ऐसी अशोभनीय शब्द कहें और इस हाउस के लिए लफंगों की जमात....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : 'लफंगा' नहीं 'लविंग' कहा होगा ।

श्री मान्धातासिंह : इसके बारे में हमारी ओर से भी बहस हो चुकी है, अध्यक्ष महोदय, (उपाध्यक्ष महोदय) । मैं सोचता हूँ कि जरूर विचार करेंगे ।

दूसरा मैं निवेदन कर रहा था विजीलेन्स कमीशन के बारे में । विजीलेन्स कमीशन जो मुकर्रर हुआ है वह छोटे मोटे मुलाजिमों की शिकायत की ही तहकीकात करता है । उसके सामने अगर किसी मिनिस्टर की शिकायत पहुँच जाती है तो तहकीकात करने की हिम्मत नहीं होती है । मैं केवल एक एग्जाम्पल साइट करूंगा । चीफ एकाउन्ट्स आफिसर श्री धावन के विरुद्ध एक तहकीकात हो रही है । उसके दौरान एक माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ हलफनामा पेश हुआ, जो इस सदन के पंचायत मन्त्री हैं । इस सदन के पंचायत मन्त्री के खिलाफ एक हलफनामा पेश हुआ है और उनके आचरण के संबंध में कई एस्पर्शन्स लगाये हैं, तो ऐसे हलफनामे के जरिये किसी मंत्री के खिलाफ इल्जाम लगाये जाते हैं तो यह लाजिमी हो जाता है कि विजिलेन्स कमीशन उसकी जांच करे । मैं निवेदन करूंगा कि विजिलेन्स कमीशन को एक स्टैण्डर्ड मेन्टेन करना हैं । यदि उसको इफेक्टिव बनाना है तो जो हल्फनामे के जरिये इल्जाम लगाये है उसकी तहकीकात होनी चाहिये । इससे अधिक मैं निवेदन नहीं करना चाहता हूँ ।

श्री चौसरसिंह बाबेल (वैंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, २,११,०५,६६,०००) रु० की राशि के लिए यह बिल आया है । उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति के लिए जो बिल है उसमें राजस्थान की रक्षा के लिए और बहुत सारे विभागों के लिये जिनमें शिक्षा विभाग भी है उसको बढ़ाने के लिए राशि कम रखी गई है और खास तौर से संस्कृत के बारे में ध्यान नहीं दिया गया है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संस्कृत की शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिये ।

पुलिस विभाग में इस तरह का खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं और उनका पता नहीं लगता है । इसलिये खर्चा इतना होने पर भी पता अगर नहीं लगता है तो यह ठीक नहीं है । वन-विभाग में खर्चा इतना होता है उसके बाद भी गरीबों को घास, लकड़ी की चिट्ठी नहीं मिलती है । वन विभाग की तरफ से इसका कोई इन्तजाम नहीं है । जंगल बरबाद होते जा रहे हैं । ठेकेदार लोग बरबाद कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होता है । ऐसी बहुत सी

(श्री चौसरसिंह बावेल)

बातें हैं कि जिनसे जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और कोई सुनवायी नहीं हो रही है। हजारों आदमी तहसीलों के बाहर, पुलिस के बाहर, जंगलात के बाहर मारे मारे फिरते हैं. लेकिन उनके केसेज को रजिस्टर नहीं किया जाता है। फर्यादी से रिश्वत मांगी जाती हैं और मुल्जिम से भी रिश्वत ली जाती है, और उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे हजारों केसेज के नमूने हैं। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो मेरे साथ आपके ऑफिसर को भेज दें, तो दो लाख रुपये की रिश्वत तो मैं आपको बेंगू तहसील में साबित कराने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं कराते हैं तो तहसीलदार, पटवारी और बहुत सारे लोग, एस० डी० एम० आदि सब मिले हुए हैं जिनकी वजह से हमें मुंह दबा कर रहना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका कन्ट्रोल उनके ऊपर नहीं है। आपको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए।

लम्बी-चौड़ी बातें न कह कर, क्योंकि समय नहीं रहा है तो भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उप-राजस्व मंत्री ने जिन लोगों को वहां पर यह आश्वासन दिया था कि उनके खाते की इन्द्राज नहीं हुई है मध्य भारत के लोगों की वह जल्दी ही करायेंगे। आपके आदेश तो पहुंचे थे, लेकिन शायद उनकी तामील नहीं हुई है। तो इस बारे में जांच करने की कृपा करें।

पंचायतों के चुनाव आये थे, उस वक्त आपने पधारने की बड़ी कृपा की। उसके बारे में अर्ज नहीं करना चाहता। फिर चुनाव का मौका है, पधारें और किसानों से बात करें तो आपके सामने क्या नौबत आयेगी, आप विचार न करें। चुनाव का टाइम आ जायेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : तहसील आबादी अच्छी है।

श्री चौसरसिंह बावेल : मैं जाणूं हूं। म्हारो अर्ज करनो है कि सत्ता रेतां तक जितो की-दो है सब जाणूं हूं। इतनी वातां नहीं होवेला तो देश की रक्षा के लिए, देश में शान्ति रखने के वास्ते, रोटी-रोजी को हल करने के वास्ते हजारों लोगांरा इन्तजाम करने के वास्ते या सब बातां में असफल रह्या तो कुण पूछेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप वचन दियो साहब, चौसरलाल जी।

श्री चौसरसिंह बावेल : ४५ में आपने दौरो कियो थो। आप पधारिया था और म्हारा वकील बण्या था और मजदूरों को मुकदमो लड्यो थो। आप चेयरमैन था। तब भी मैं भी चेयरमैन था।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपां दोनों ही.....

श्री चौसरसिंह बावेल : आप उतना वढ्या कि अब म्हांकी बात सुणों नहीं। म्हांने दुःख होवे जब आपके खिलाफ आवाज उठे कि ये निरन्जननाथ जी मजदूरां का लीडर था अब क्या हो गया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप भी म्हारा दोस्त रह्या हो, मगर मजदूरां का नेता माने नहीं।

श्री चौसरसिंह बावेल : आप बिस्या नहीं रह्या । इस तरह का हो गया । इंको दुःख होवे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गरीबों पर आप खर्च कर रहे हैं उन गरीबों की सुनवाई करें । इतना बड़ा बजट है, लेकिन आज वे आपके सामने रो रहे हैं । राणा प्रताप सागर के लिए ६४ गांव खाली कराये । वहां पर पुलिस भेजी गई । वहां पर हथकड़ियां भेज कर गांव खाली कराये गये हैं । आज यह मंत्री-मंडल का फर्ज है कि जिनकी ज़मीन ली है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है । तो आपको इन्साफ करना चाहिए । वे नारा लगा रहे थे तो उनसे कहा गया कि राणा प्रताप सागर जाओ, वहां मासला सुना जायेगा, आप उनको मुआवजे के लिए आश्वासन दें । वे इसके लिए हाई कोर्ट में रिट ले गये । तो ऐसा नहीं होना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से पुलिस विभाग में बूढ़े अफसर वहां पर रख छोड़े हैं और ६-६ साल से वहां पेन्शन लिये हुए बैठे हैं । उनकी हालत क्या है उस पर विचार करना चाहिए । इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि कितने कत्ल वहां चित्तौड़ में हुए हैं और कितने कत्ल बेंगू में हुए हैं और उनमें कितने बरामद हुए हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हाउ काम कर रहया है, वठे, हीरण साहब ।

श्री चौसरसिंह बावेल : हाउ आदमी हैं । वठे बैंठ्या बैंठ्या फैंसला करे । जीकी सिफारिश करे वींको काम करे ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कोई साबित होते नहीं । इसके बाद में भी बजट में इतना पैसा रखते हैं । मैं समझता हूं कि हर आदमी अपनी जरूरियात की चीजें ले सके और उसमें खर्च करने की शक्ति हो तो समझ सकते हैं कि विकास किया है । कोई विकास नहीं हुआ है; लेकिन आप हमें विनाश की तरफ ले जा रहे हैं । थोड़ो बहुत कहीं प्रगति हुई है तो ३३ करोड़ का हमारे पर कर्जा हो गया है और कोई ऐसी बात नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : (सर्व श्री मुक्तिलाल मोदी और ज्वाला प्रसाद शर्मा दोनों के खड़े होने पर) आपमें से कौन बोलेगा ? केवल एक बोलेंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : मैं बोलूंगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले खड़ा हुआ हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इनके बाद आप मुझे बोलने दें ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : ये आपस में लड़ते हैं तो हमें समय देदें ।

श्री उपाध्यक्ष : पौने ६ बजे तक का समय नियत किया गया है ।

श्री ज़्वालाप्रसाद शर्मा : मैं ५ मिनट ही बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप ५–५ मिनट बोलेंगे तो दोनों ही बोल सकते हैं और एक इधर से बोल सकता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : केवल ५ मिनिट में खत्म करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : टाइम की बात आपने जो की है वह सही की है, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा विचार रहा है उसके मुताबिक आज जितना टाइम उसमें लगा है दूसरे बिजनेस में, तो इसमें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए।

इसके बाद में और कुछ अधिक नहीं कहते हुए मैं इस बजट की एक विशेषता बतलाता हूं कि सरकार ने इस सदन में आपको रेस्पोण्ड किया और टैक्सज छोड़े। जो दो टैक्सेज सरकार ने छोड़े हैं इस सदन की मंशा से और उन टेक्सेज को छोड़ने के बाद में जो लोगों को रिलीफ मिला है उसके लिए इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं।

दूसरी बात यह जोर की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, सब सदस्यों ने जोर दिया है इस बात पर कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिये सरकार को ऐसा आश्वासन देना चाहिये कि इस तरफ उसकी निगाह जो सदन में खींची हैं उसकी तरफ पूरी तरह से गौर किया जायगा। इस सिलसिले में मैं कुछ मामलात ऐसे भी रखना चाहूंगा जिससे इस बात पर पूरा जोर दिया जा सके।

एक हाई टेक कंपनी का मामला बार बार चलता है। मैं पूछता हूं कि सरकार अपने सेक्टर में जिन चीजों को लेती है क्या उसको अधिकार है कि अपने टैक्सेशन कानून को दिन दहाड़े तोड़े और इस सदन में गलत फिगर्स देकर यह कंपनी मुतवातिर ९ महीने ७, ८ लाख रुपये ले जाय, ८ लाख की बैंक गारन्टी ले जाय। इसके कारणों में जाना पड़ेगा, इसका संतोषजनक जवाब मिलना चाहिये। मेरे पास फैसला है टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट का, जिसके द्वारा इस कम्पनी पर ५०००) रु. का जुर्माना हुआ क्योंकि उसने सेल्स टैक्स नहीं दिया। उन्होंने जो फैसला दिया उस आर्डर की ट्रू कॉपी है मेरे पास उसमें लिखा है :

"Penalty of Rs. 5,000 is imposed under Section 16 (1) (c); read with Section 9 of C. S. T. for not submitting the quarterly returns."

आप इस एफिसियनसी की बात करते हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर को बदमान करते हैं। नोन टेक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं और इस कम्पनी में टैक्स देने में इस तरह का घोटाला है उससे आप इन्कार नहीं कर सकते। यह हाई टेक नहीं है, यह ऐसी टेक है जिसका टेक का पूरा पूरा पर्दा फाश होना चाहिये इस सदन में।

(हीयर हीयर)

असल में बात क्या है ? फिगर्स नहीं देंगे, ८ लाख की बैंक गारन्टी दे देंगे आखिर करना क्या है पब्लिक सेक्टर का ? यह नोन टेक्स रेवेन्यू बढ़ाने की नीयत है, हाई टेक कंपनी के मामले में अपनी सूरत देखे सरकार नोन टेक्स रेवेन्यू बढ़ाने वाली सरकार हमारा टेक्स नहीं देने के लिये हमारे टेक्स के बिना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पर सरकार इन्डल्जेन्स करे यह बहाना बनाते हैं कि दूसरे कितने ही लोग चाहते हैं कि यह हाई टेक फेक्टरी बंद हो जाय। मैं कभी यह नहीं चाहता कि यह बंद हो जाय। हम पब्लिक सेक्टर के हिमायती हैं, पर इस इस को इस तरह से साइड ट्रेक नहीं किया जाय हम पब्लिक सेक्टर को मानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं बर्दाश्त कर सकते कि सेल्स टेक्स चला जाय। आप इस बात की इन्क्वारी करें। डेढ़ लाख रुपये बढ़ा दिये, १२ लाख का नुक्सान है, बीच में घपला जरूर है जब भी एप्रोप्रियेशन की डिमान्ड आवे तभी कभी कभी दो लाख की कमी, कभी ढ़ाई लाख की कमी कभी तीन लाख की। इस कम्पनी को फाइनेन्स करने के लिए रिलीज किये जाय, इस चीज की थोरो इन्क्वायरी होनी चाहिये। हम नहीं चाहते कि आज आम टैक्स देने वालों को एन्करेजमेंट मिले। जहां सरकार के बड़े बड़े अफसर, डाइरेक्टर्स होते हैं, हाइयेस्ट ऑफीसर बैठे रहते हैं वे दिन–दहाड़े टेक्सेशन डिपार्टमेंट की मजाक उड़ा कर जो पैसे बचाये, यह क्या अच्छी चीज है। जहां पर हाई पेड ऑफीसर बैठे हों वहां हाई टेक कम्पनी को ५ हजार रुपयों का जुर्माना देना पड़ा।

यह तो मैंने एक बात बताई है। लाखों रुपये इस कम्पनी पर सैल्स टैक्स के हैं जो देती नहीं है और उस पर डिग्री होती है। डिग्री दी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट पर वाह वाह यह है नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना। हमारे हमारे माथुर साहब हाई टैक बने हैं, आपको शुबहा है तो मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी दे सकता हूं इसमें लिखा है :—

"Rs. 6,58,000. Tax at the rate of 10 percent comes to Rs. 65,800. A penalty of Rs. 5,000 is imposed for not submitting the quarterly returns."

आप क्वार्टरली रिटर्न्स नहीं सबमिट करते हैं, हमारा कानून तोड़ते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां पर लगा रखे हैं, वे क्या करते हैं ? आप ढाई लाख रुपये इसको देते हैं, बैंक गारन्टी देते हैं और दोष देते हैं सेठ को कि वह नहीं चाहता इसलिए इसके खिलाफ प्रचार कर रहा है, आपने हल्के ढंग से यह बात कह दी। मैं भी कहता हूं कि यह फैक्ट्री चलनी चाहिये, लेकिन इस तरह नहीं कि कानून तोड़े। वहां जो मैनेजमेंट है उस सब को बदल दिया जाय और एक इन्क्वायरी बैठाई जाय। इसको कोई राइट नहीं है कि टैक्सेशन का कानून तोड़े। गवर्नमेंट की छत्र-छाया में कभी टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर डाका डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं मतलब की बात कर रहा हूं, पैसे बचाने की बात कर रहा हूं।

करप्शन की बात होती है, मैं नहीं समझता कि इस सिलसिले में ज्यादा कहा जाय, मैं तो दो बातें सरकार से कहता हूं। इसकी चर्चा जहर की तरह चलती है और जहर को रोकने के लिए खाली–हाथ पैर चलाता है तो जहर खा जाता है, इसका एटनीडोट सरकार के पास है। इस करप्शन की बात को रोकने के लिए करप्शन एक्ट है। कोई यह कहे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, यह गलत है इसकी सैक्शन ५ में लिखा है, मैं उसको हम्बली सबमिट करता हूं। इसमें लिखा है :—

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

"Dispsortionate accumulation of wealth without known sources of income."

इस चीज़ की जांच हो सकती है। डिस्प्रपोर्शनेट एक्युम्युलेशन ग्रोफ वेल्थ विदाउट नोवन सोर्स ग्रौर इन्कम" नोन सोर्स ग्रोर एक्युमलेशन ग्रोफ वेल्थ है डिस्प्रपोर्शनेटली तो उसकी इन्क्वायरी करिए। कोई ग्रादमी कहे मैं नोन सोर्स ग्रॉफ इन्कम कहां से पैदा करता हूँ, मेरे व्यापार नहीं है, मैं सरकार में सर्विस करता हूं ग्रौर मेरी इन्कम डिस्प्रपोर्शनेट है तो मेरा चालान हो सकता है। ग्राप रोक कर क्यों बैठे हैं? जिसके बारे में इस इस प्रकार की चीज है, चाहे वह गवर्नमेंट सरवेन्ट हो, चाहे पब्लिक मेन हो, इस कानून के होते हुए कोई इससे बचेगा नहीं। १० वर्ष में, ५ वर्ष में कोई गवर्नमेन्ट ग्रायेगी तो खुदा भला करे ग्रभी फैसला करें, नहीं तो मुझे उखाड़ उखाड़ कर जलायेंगे। किसी नौकर ने एक्युम्युलेशन ग्रॉफ वैल्थ किया है, तो उसकी खुद की इन्कम कितनी है, बाप दादाग्रों के रुपये हैं तो कितने हैं, जायदाद कितनी है, कैसे हुई? इन सब बातों का पता लगा सकते हैं। एक सुन्दर केस ग्रापके जमाने में हुग्रा, जिसमें एक इन्जीनियर को डेढ साल की सजा हुई ग्रौर उसका माल जब्त हो गया। ऐसे १० २० केस चला दें तो ग्रापकी नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकती है। ग्रापसे नहीं हो सकता है तो मुझे बना दें देखिये ग्रापको कितने रुपये दिलाता हूँ। I shall give you so much money in Rajasthan that one year's vikas will be made from through it.

ग्रापकी इस सरकार से नहीं मिला तो मुझे पुरे ग्रधिकार दीजिये मैं करके बताता हूँ। एक का चालान किया तो डेढ लाख का माल मिला है, इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ।

इस सिलसिले में महार साहब ग्रौर दूसरे लोगों ने कहा है। महार साहब जिस प्रकार की बात करते हैं मैं समझता हूँ वैसे वे हैं नहीं। मैं उनकी बात पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, मर्जी ग्रावे जैसा बोल देते हैं, मगर जिसकी मदद करते हैं उसको भी ले डूबते हैं। वे किसी भी तरह से बात करें, मैं हर लफ्ज़ से बात कर सकता हूँ लेकिन सदन का खयाल करता हूँ इसलिए चाहता हूँ कि जहां तक हो राइट चीज राइट ढंग से कहें, यह नहीं कि इधर की कह गये, उधर कह गये। गलत कहने जी इच्छा नहीं होगी, फिर भी इस ढंग से कह देते हैं कि गलत को सही प्रूव करने की चेष्टा करते हैं। इस लिए ग्रापके सामने दो सुझाव रखें हैं, एक तो यह कि ग्राप टैक्स का पैसा वसूल करें ग्रौर दूसरा करप्शन का सामना करने के लिए जो कानून बना हुग्रा है उसका सहारा लेना चाहिये, उसके जरिये हम सबको प्रूव कर सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): सभापति महोदय,.......

श्री सभापति : ५ मिनिट बोल लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, ग्राज यह बजट पेश हो रहा है ग्रौर इसमें जो ...

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट ग्राप। पांच मिनिट श्री ग्रब्दुल जब्बार ग्रौर पांच मिनिट ग्राप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, जो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब तथा सरकार ने टैक्स कुछ कम किए हैं और इस बजट से जो टैक्स हटाये गये हैं उनके लिए तो मैं फाइनेन्स मिनिस्टर और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सरकार के अन्दर जो हम एम. एल. ए. लोग हैं, जो इस सरकार को चलाते हैं, इस सरकार के अन्दर बजट पास करते हैं अरबों रुपयों का, परन्तु यह कोई भी, जो सरकार में बैठने वाले हैं, यह मानकर नहीं चलते कि आज जो पैसा है यह हमारा है। हमारा जो पैसा है वह जनता के खून का है और जनता के खून से वोट लेकर हम यहां कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन यह इसे जनता के खून का पैसा नहीं समझते हैं, यह पैसे को मिट्टी समझते हैं, यह इस पैसे को पानी समझते हैं। इस तरह जनता के पैसे को सरकार खर्च करती है, पंचायतों के चुनाव होते हैं या जो दूसरे इलेक्शन होंगे उसमें सरकार का काफी रुपया खर्च होता है, चाहे एम० एल० ए० का इलेक्शन समझ लें या जो पंचायत समिति में हैं उन प्रधान का इलेक्शन समझ लें। वह इस तरह होता है कि विकास के अन्दर जितनी जीपें हैं, वे सब चुनाव के काम में लाई जाती हैं (हियर हियर) माननीय उपाध्यक्षजी, केवल जीप का ही नहीं बल्कि पैट्रोल का भी दुरुपयोग होता है। तो माननीय उपाध्यक्षजी, यह पंचायती राज बनाकर, या विकास विभाग बनाकर जितना विकास के अन्दर रुपया सरकार देती है—वह व्यर्थ जाता है। इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिये। राजस्थान सरकार और माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ तीन लाख रुपया तकावी का देते हैं, पांच लाख सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का देते हैं और ढाई लाख योजना के लिए देते हैं, उनमें से केवल एक लाख रुपया खर्च होता है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मुक्तिलाल जी, रूस में कैसा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूस का फिर बताऊंगा। अभी पांच मिनिट मिले हैं। आप चुप रहो, यार !

माननीय उपाध्यक्षजी, यह हाल है विकास का, तीन लाख रुपया तकावी का देते हैं, पांच लाख सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का देते हैं और ढाई लाख योजना के लिए देते हैं और एक लाख रुपया का खर्चा है। आप देख लीजिये कि आज तक सरकार के पास करोड़ों का हिसाब नहीं आया है और विकास का रुपया उन लोगों में बकाया है, जो चुनाव लड़कर जो लोग आये हैं उनमें हजारों रुपया बाकी है, सरपंच में बाकी है, पंच में बाकी है, प्रधान में बाकी है और एम० एल० ए० बाकी है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : कोई बाकी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : पांच मिनिट खत्म हो गए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुन लें। मैं बताता हूँ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : किसी में बाकी नहीं है। आपकी जिससे नाराजगी हो, उसका नाम लेकर बता दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी किसी से नाराजगी नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी सरपंच, पंच या एम० एल० ए० में से जिससे नाराजगी हो उसका नाम ले लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यार सुनो भी ! आज विकास में, कोआॅपरेटिव में....एक

एक माननीय सदस्य : विकास में कोआॅपरेटिव ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोआॅपरेटिव का रुपया विकास का नहीं है, लेकिन कोआॅपरेटिव का बाकी है, खादी बोर्ड का भी बाकी है। अगर मैं गलत कहूँ तो मैं इस हाउस से इस्तीफा दे दूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऐसा मत करो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोआॅपरेटिव का बाकी होगा। विकास में कोआॅपरेटिव भी आ जाती है, उनके अन्दर बाकी है और जो खादी संस्था बनती है, उसके अन्दर समझ लीजिये या और के अन्दर समझ लीजिए। मैं यह नहीं कहता कि फलां के अन्दर बाकी है। इससे मेरी आत्मा दुःख पाती है कि हमारे रुपये का दुरुपयोग होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पांच मिनिट हो गए है, मुक्तिलाल जी !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपके प्रधान में बाकी होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्यों आप आप बड़बड़ करते हो। पांच मिनिट में घण्टी बजने लगती है।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने कोआॅपरेटिव का रुपया वसूल जरूर किया है लोगों के अन्दर से, लेकिन आज भी करोड़ों रुपया बाकी है। मैं कहता हूँ, करोड़ों रुपया बाकी है कोआॅपरेटिव का कितना ही रुपया वह वाकई नहीं आने वाला है। इसके अलावा कोआॅपरेटिव बैंक बन गई कई जगह पर, उसका रुपया डूब गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बात को देखें कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जितना टैक्स लगाते हैं, उसके बजाय अगर यह सब रुपया वसूल कर लिया जाय तो किसी तरह का आगे टैक्स लगाने की जरुरत नहीं होगी। (समय समाप्ति सूचक घंटी) एक बात दो मिनिट में, माननीय उपाध्यक्ष जी, और कह दूं।

आज जागीरदार खत्म हो गये, राजा लोगों की जागीरें छीन लीं, जागीरें चली गईं, लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेंट वह जागीर लेकर बैठे हैं और फोरेस्ट के अन्दर आज भी किसानों से जागीर का अलग अलग टैक्स वसूल करते हैं, खालसा का अलग है, छोटी जो जागीरें थीं उनका अलग तरह से है। यह मामला पांच छः वर्ष से चल रहा है और हम यहां पर चिल्ला रहे हैं कि फारेस्ट डिपार्टमेंट इस पर काबू करे, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है। सुबह से शाम तक किसान परेशान रहते हैं, उनको पकड़ कर बैठा लेते हैं और पुलिस के हाथ में दे देते हैं, और उसके साथ साथ उनकी खेती, बैल, भेड़ छीन कर ले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष That's all.

Page No. 142

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सरकार को देखना चाहिए कि फोरेस्ट में जो जागीर्स बनी हैं, ये नहीं बनी रहनी चाहिये।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बोहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, ढाई अरब से ज्यादा की धनराशि राजस्थान की इस एग्जीक्यूटिव बाडी का काम करने के लिए इस सदन द्वारा पारित की जाने वाली है। क्यों कि मुझे पहले बोलने का मौका मिला कि मैं पुलिस के सम्बन्ध में अपने विचार रख पाऊं, वैसे समय समय पर मैं इस विषय में ध्यान दिलाता रहा हूं। लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में मौन रही है। जिला चित्तौड़ के लिया जैसा गृह के माननीय उप–मन्त्री साहब कर रहे थे कि वहां के एस० पी० कैसे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर साहब को खास तौर पर कह रहा हूं कि जितनी अनियमिततायें चित्तौड़ के अन्दर पुलिस की व्यवस्था के अन्दर हो रही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह शायद कहीं और देखने में नहीं आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला चित्तौड़ के अन्दर छोटी सादड़ी की तरफ से शास्त्रीजी को सोने में तौलने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी नवम्बर मास के अन्दर और यह कहा गया कि हम शास्त्री जी को सोने में तौल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां से जवाब आता है, चीफ सेक्रेटरी के पास में कि सोना कलेक्टर के पास में जमा करा दिया जाय। उसके बाद में गणपतिलाल नाम के व्यक्ति के द्वारा सतावन किलो सोना कलेक्टर के पास जमा करा दिया जाता है और रसीद बकायदा हासिल कर ली जाती है। उसके बाद में यह तय होता है कि कांग्रेस अधिवेशन जब होगा उस वक्त शास्त्रीजी को तोला जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वह सोना देने के बाद में एक एफ० आई० आर० दर्ज होती है; छोटी सादड़ी के सेठ की तरफ से उसका लड़का एफ० आई० आर० दर्ज कराता हैं, उसमें लिखा जाता है कि हमारे यहां से १५३ किलो सोना, जब हमारे मकान की सफाई हो रही थी, उस वक्त गणपति लाल के यहां जमा करा दिया गया था और वह खा गया है। उसमें दो-चार और आदमियों के नाम और भी बताये गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह मजाक की बात है कि जब वहां चांदमल नाहर और धोकराज नंदवाना जैसी मोटी मोटी पार्टियां हैं तो उनके यहां न रखते हुए उसके यहां क्यों रखा गया ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके पेश्तर कि सोने की सिल्लो के वास्ते कोई केस दर्ज हो, ४०६ में एक एफ० आई० दर्ज की जाती है; वहां गणपतिलाल के यहां से दो क्विन्टल सोना और कितनी ही चांदी और कितना ही रुपया बरामद किया गया जमीन खोद कर। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट चित्तौड़ जिले के हैं, मिस्टर हिरण, जिनके बारे में कई मर्तबा कहा गया है और बल्कि जैसा कि वक्तव्य दिया गया है माननीय मंत्री द्वारा कि ५८ साल की उम्र में आदमी इस स्थिति में नहीं रहता कि वह काम कर सके, actually he is not medically fit. लेकिन वह काम कर रहा है। तो हालत यह हुई कि पाखाना डंडे में भर कर, लकड़ी में पाखाना लगा कर उसे आदमियों के मुंह में ठूंसा गया....

श्री गोकलप्रसाद शर्मा (मांडल) : गलत है, बिल्कुल गलत है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह मैं साबित करने को तैयार हूं। और मैं पेशाब पिलाने का मामला पेश कर सकता हूं। अगर आप जांच कराने को तैयार हों तो मैं साबित कराने को तैयार हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बिल्कुल गलत है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव दे रखा है, उसकी इन्क्वायरी के लिए स्पेशल आफिसर गया हुआ है। मेरे ख्याल में इन बातों को उस वक्त रखें तो अच्छा होगा। इस वक्त इन बातों को छोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल में आप दूसरे विषय पर बोलें। इस मामले को छोड़ दें।

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, ५ तारीख बाद हम फिर मीट कर रहे हैं, लेकिन आज दिन भी वहां पर बहुत आतंक हो रहा है। इस चीज को छोड़िये, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस के कारनामों की यह हद हो रही है कि किसी के गले में कण्ठी देखी कि सोने की है तो पूछते हैं कि कहां से लाये हो, किसी के गले में नेकलेस देखा तो पूछते हैं कि किससे लाये हों। ऐसा होता है कि पुलिस को ठेकेदारी मिल गई है कि जिसके पास सोना पहिना हुआ दिख जाय तो उसको छीन लिया जाय।

इस प्रकार का अन्याय वहां के जिलाधीश और पुलिस कर रही है और सरकार को कई मर्तबा कहा गया मगर सरकार इस बारे में मौन रहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री से कि जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो और अन्याय को रोका जाए, अन्यथा वहां पर हो सकता है कि कोई आदमी मर जावेगा।

इस जिले में कई कत्ल हुए हैं। पुलिस की कस्टडी में मौतें हुई हैं। छोटी सादडी में एक कंजर को जान से मार दिया और वही थानेदार वहां काम कर रहा है। अगर यही हाल रहा और इसी तरह से जनता के सिर पर उसी थानेदार को रखा गया तो मैं यह कहूंगा कि जनता का राज्य नहीं है यह तो तानाशाही है, नादिरशाही है और इसको रोकने के लिए जनता को और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ दो बातें ही निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि घी पर से टैक्स हटा दिया जावे–देशी घी पर से और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि कर दी जावे। बस ये ही दो बातें मुझे अर्ज करनी हैं।

(६.१ म. प.)

वित्तीय समितियों के लिये निर्वाचन तिथि की घोषणा

श्री अध्यक्ष : एक घोषणा है ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि सदन की वित्तीय समितियों—जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति—के चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो ५ अप्रेल, १९६६ के बजाय बुधवार दिनांक १३ अप्रेल, १९६६ को प्रातः ११ बजे से उपरान्त ३ बजे तक होंगे ।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६

पूर्व क्रम से विचार विमर्श एवं पारित

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जितनी आज तकरीरें हुईं, ज्यादातर उन तकरीरों का मकसद सियासी या राजनैतिक था । मैं यह सोच रहा था, जिस समय यह तकरीर हो रही थी कि क्या मैं भी इन तकरीरों का जवाब रियासत से ही दूं या जो इस सदन की मर्यादा का खयाल करके ही तकरीर करूं । कोशिश तो मेरी यही होगी कि इस सदन की मर्यादाओं को ख्याल में रखते हुए और इसकी रोशनी में, जो कुछ मैं कह सकूं, कहूंगा । पेश्तर इसके कि मैं ऐसे मुद्दों पर आऊं जिसके निस्वत मैं साहस से कहता, मैं मुनासिब समझता हूं कि दो-चार मसले जो इन तकरीरें के साथ साथ सरकार से तालुख रखते हैं उनका भी मैं जवाब दे दूं ।

एक माननीय सदस्य ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि जो आर० ए० सी० के सिपाही हैं और मुसीबत में हैं और तकलीफ में से गुजरते हैं और गुजरे हैं अब तक उनकी जो सर्विसेज़ कन्डीशन्स हैं वे अब तक आरजी हैं, इसलिये उनकी सर्विसेज़ को मुस्तकिल किया जावे । मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इस सदन में हैं उनको यह जान कर खुशी होगी कि सरकार ने यह फैसला कर दिया है कि जितने आर० ए० सी० के लोग हैं उनको मुस्तकिल कर दिया जावे, सिवाय एक बटेलियन के ।

एक माननीय सदस्य : एक बटेलियन के लोग टेम्पोरी हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल - वे अब भी हैं ।

श्री भैरोंसिह : (किशनपोल, जयपुर) कौल साहब आप माफ करें, मैंने यह बात नहीं कही थी ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं । मैं उनकी बात करता हूं । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक माननीय सदस्य ने ज़जबात में आकर इस बात के अपने खयाल जाहिर किये कि जैसलमेर और बाड़मेर के लोगो की तरक्की के लिये डेवलपमेंट के लिये कोई प्रावधान नहीं हो सका । मगर उन माननीय सदस्य ने इस बात का खयाल नहीं किया है कि जो जो बोर्डर रोड्स ४ करोड़ की कीमत में बनने जा रही है वे उसकी तरक्की क्या नहीं करती हैं । लेकिन ४ करोड़ की इन रोड्स को डेवलप करने के लिये प्रावधान मिला है ।

इसी तरह से कुछ रिहेबिलिटेशन के मामलों में माननीय सदस्यों ने कहा । मैं यह मानता हूं कि जितना भी रुपया ऐसे

(श्री बालकृष्ण कौल)

मदों में खर्च होता है वह कम है लेकिन इसका भी प्रावधान ४ लाख का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया न किया है, जिसका अभी इसमें जिक्र नहीं है। हमारे पास इतला आई है और करीब ऐसे लोग जो बेआसरा हैं उनको ३।। लाख रुपया सरकार ने भी देने का प्रावधान किया है। इसलिये यह कहना कि उन लोगों का कुछ हो नहीं रहा है, यह ठीक नहीं है। हो सकता है कि यह माननीय सदस्य की निगाह में कुछ नीचा हो जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं। मगर हमारी वित्तीय हालत को देखकर जो कुछ भी सरकार करती है, मैं समझता हूं कि हमारे बूत्ते के बाहर है।

श्रीमान् कुछ माननीय सदस्यों ने एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे के लिये कहा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक माननीय सदस्य उठा सकता है और हर माननीय सदस्य का अलग दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने अपने बजट स्पीच में निवेदन किया कि सरकार के सामने इस वक्त करीब ३।। करोड़ का एक लक्ष्य है इकोनोमी करने का। कहां तक हो सकेगा, कहां तक नहीं हो सकेगा, यह मैं नहीं कह सकता। क्योंकि यह आप पर ही मुनहीसर है। क्या चीज सर्कम्स्टान्सेज से कैफियत से सामने कैसे आती है, यह देखते हुए अगर २।। करोड़ की भी बजट में बचत कर ली तो भी ठीक होगा और मैं समझता हूं कि इससे सारा एडमिनिस्ट्रेशन बेल्कुल बैलेन्स्ड हो जावेगा। इसके एतराजात हो सकते हैं कि माननीय सदस्य का दृष्टिकोण है उसके लिहाज से तब भी नहीं हो तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी स्टिक है जो हर वक्त गवर्नमेंट को मारी जा सकती है। इसमें कोई मयार नहीं, कोई तराजू नहीं। माननीय सदस्य जो इस प्रकार का एतराज उठाते हैं वे इस हुकूमत में आ जावें, वे कितना काम कर सकेंगे, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया यह ऐसी चीज है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई सरकार हो, कोई भी एतराज किया जा सकता है। यह आसान एतराज है जो किया जा सकता है।

श्रीमन्! जो मोटी मोटी बातें थी उनका जवाब मैंने दिया। यों तो कई बातें माननीय सदस्यों ने कहीं, उनका मैं जवाब नहीं दे सकता। जो सुझाव दिये हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बात-चीत करके आपके सुझाव जहां तक हो सकेगा, फाइनेन्स डिपार्टमेंट से मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको फोलो करने की कोशिश करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, आज फिर बात करनी पड़ती है, वह इसलिये करनी पड़ रही है कि मैं इस नतीजे पर आ चुका कि जो यहां बड़ी लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं, उसके पीछे कोई मकसद है और वह मकसद भी कोई बुरा मकसद है। लगातार एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में, किसी न किसी रूप में कुछ प्रश्न उठाये जाते हैं। मैं यह नहीं जानता, उपाध्यक्ष महोदय, कि बाज प्रश्न ऐसे हैं कि यह सदन उनको कहां तक देख सकता है, इसका क्षेत्र कहां तक है। लेकिन क्योंकि इस समय की बातें इस सदन में चलती रहीं और चल रही हैं और एक माननीय सदस्य ने, जो जयपुर से माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने, ललकार कर कहा कि मैं १४ दिन तक इसी

(श्री बालकृष्ण कौल)

विषय पर बोलूगां। तो मेरे लिये जरूरी हो ज्यादा है कि इस विषय पर बात करू । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस नतीजे पर आया हूं कि ये जो विषय सामने हैं और माननीय सदस्य बार बार उठाते हैं यह कोई साइकोलोजिकल केस है और इसलिये मैं इसको साइकोलोजिकली ट्रीट करना चाहता हूँ। जो माननीय सदस्य ने बातें उठाई हैं, मैं इतना निवेदन कर दू कि अपनी मर्यादा का, सदन की मर्यादा का, विधान सभा की मर्यादा का खयाल रखते हुए मैं उन बातों का जवाब दे चुका हूँ, जितना कि इस सदन से ताल्लुक है। पर मालूम होता है कि माननीय सदस्य को उन बातों से तसल्ली नहीं हुई है, न वे समझे कि इस सदन की मर्यादा कहां तक है। इसलिये आज जरा और विस्तार से बात करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने निवेदन किया कि यह एक साइकोलोजिकल चीज है, उसको मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। में केजुअली यह निवेदन करदू कि यह विषय जिस दिन से इस सदन में आना हुआ और जो जो बातें सदन से आई, उस विषय पर, उसके बाद, एक किताब छापी गई, वही विषय है करीब करीब सारा । और, उपाध्यक्ष महोदय, उस किताब को, मैं यह नहीं कह सकता सारी जनसंघ पार्टी का, पर कुछ जनसंघी, उस किताब को बांटते फिरते हैं, बेचते फिरते हैं और एक एक आना लेकर पोकेट में डालते रहते हैं। वह माननीय सदस्य जो यहां तकरीर कर रहे थे, अजमेर तशरीफ ले गये, यहां तकरीर करने के बाद अजमेर में तकरीर की और यह भी बात मेरे कानों में आई कि हुजूर माननीय सदस्य उस अजमेर कान्स्टीट्युएन्सी से खड़े होना चाहते हैं। श्रीमन्! मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य आज तक एक कान्स्टीट्युएन्सी मुतवातिर खड़े नहीं होते, यह उनकी एक स्ट्रेटेजी है, तो उन्होंने देखा कि अब कौनसी जगह ढूंढी जाय। तो उन्होंने देखा कि शायद अजमेर के कुछ लोग मिल जायं और उनसे साजिश करके यह चीज़ शुरू की। इसलिये उन्होंने अजमेर के जनसंघी, जो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे, उनके साथ मिलकर किताब का वितरण किया। जिस दिन कांग्रेस का सेशन हो रहा था उनके साथ मोटर में आये और इस किताब का वितरण यहां किया।

एक बात और है, वह साहब जिसने यह किताब मुरत्तिब की है, वे अखबार वाले जिसके लिये यहां प्रस्ताव आ रहा था कि क्योंकि उसने मेरे ऊपर किताब लिखी है, इसलिये उस पर जो क्रिमिनल केस पहले से चल रहा है, उसका इशारा करते हैं, उसकी वकालात यहां होती है मेरे ऊपर उसने किताब मुरत्तिब की है, तो मैं इशारा करके उसके ऊपर क्रिमिनल केस चला रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की साजिश है जनसंघियों की, वह इसलिये की जा रही है कि माननीय सदस्य को वह क्षेत्र मिल जाय चुनाव के लिये। मैं निवेदन कर दू, ५७ में यह हरकत हो चुकी है, इन्टीग्रेशन के वक्त अजमेर के लोग धोखा खा चुके थे, पर ६२ में वहां की जनता ने हाइएस्ट वोटों से मुझे जिताया है। आज भी कह देना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि वे आयें, उस क्षेत्र ले मेरे सामने खड़े हों, देख लेंगे कि क्या होता है।

(श्री बालकृष्ण कौल)

मैंने निवेदन किया था कि यह साईकोलोजिकल केस है । मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ करप्शन की बातें होती हैं । मैं निवेदन कर दूं एक माननीय सदस्य नसीराबाद से आने वाले हैं, उन्होंने एक एक्ट बताया, कोई भी एन्टी करप्शन विजिलेंस कमिशन में शिकायत कर सकता है । माननीय सदस्य यहां तो बोलते हैं पर एन्टी करप्शन में, विजिलेंस कमीशन में शिकायत नहीं भेज सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वह चीज़ खिलाफ पड़ी तो उनकी जिम्मेदारी लीगल क्या होगी ।

श्रीमान्! मैं निवेदन करूं कि यह कहा कि कौल साहिबा ने डेढ़ लाख का मकान बना लिया, एक इसी प्रकार पी. ए. है, जिसको वे नहीं मानते कि पी० ए० है, सी० एम० के पास है, आज भी नहीं मानते । आज पी. ए. मान लें तो नीचे से ऊपर तक का ढांचा गिर जाता है, मगर नहीं मानते । वे भी मकान बना रही हैं और कहते हैं कि कौल साहब का मकान है, मुझे खुशी है, आप भी बना लीजिये । दोनों गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, बाहर के नहीं हैं । दोनों गवर्नमेंट सर्वन्ट्स के लिये शिकायत की जा सकती है, एन्टी करप्शन में शिकायत की जा सकती है, विजिलेंस कमिशन में शिकायत की जा सकती है, गवर्नमेंट के पास शिकायत की जा सकती है, पर शिकायत उस रास्ते से नहीं की जायगी, क्योंकि वहां प्रूव करने का सवाल है और माननीय सदस्य को मालूम है कि उनकी गर्दन नापी जायगी । मेरे नाम से रखा जाता है, जिससे कि कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।

कहा जाता है कि मिसेज कौल मेरी बीबी है, वह मेरी बीबी आज नहीं, ३० साल से है, ३० साल से वे सरकार की नौकर हैं, इन्डिपेन्डेन्ट हैं और कोई छोटी सब इन्स्पेक्टरी की नौकरी नहीं की है, उन्होंने गजेटेड ऑफीसरी की है by virtue of her own ability. वह नौकरी में हैं, उनसे पूछिये, सरकार से पूछ सकते हैं, माननीय सदस्य पूछ सकते हैं, विजिलेंस कमिशन पूछ सकता है, एन्टी करप्शन पूछ सकता है, वे अपना सारा हाल बता देंगी लेकिन नीयत मुझको डिस्क्रेडिट करके उस कॉन्स्टीट्युएन्सी से जीतने की है, इसलिये यह सारी वारदात हो रही है ।

दूसरी बात कहूं, प्रतिमा का पता तो कीजिये, उसने जमीन कब खरीदी है । मैं तो अब आया हूं, उसकी जमीन ५८ से है, जब से वह यहां आई । वह भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट है, उसकी शिकायत कर दीजिये, सब मालूम हो जायगा । पर गवर्नमेंट सर्वेंट की वे शिकायत नहीं करते क्योंकि प्रूव न हो तो उनकी लीगल जिम्मेदारी आती है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): आपको कैसे मालूम कि ५८ से है?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने तो कहा कि मेरे ३० – ३५ से फेमिली ताल्लुकात हैं । आपको मर्यादा याद नहीं रही ।

मैं निवेदन कर रहा था कि जिसकी करप्शन की बात कर रहे हो, वह रास्ता दूसरा है, सदन नहीं है । लेकिन करप्शन की बात कौन करता है? यह साइकोलाजीकल केस है, करप्शन की बात वह करते हैं, जिस

(श्री बालकृष्ण कौल)

समय जवानी में आये और नौकरी करने लगे, छोटे से ठिकाने की थानेदारी की और वहाँ से निकलना पड़ा, किस बात पर? रिश्वतखोरी पर। वह आदमी आज हमें कहता है कि हम घूस खाते है, उस आदमी के हक में यहां इतनी मोटी फाइल है; यह खबर नही। जो रिश्वत खाता हो, जो रिश्वत से निकला हो, जिसके बैकग्राउंड में रिश्वत ही रिश्वत है, उसकी आंख पर पर्दा ही रिश्वत का होगा और वह सभी को घूस-खोर समझता है, यह है साइकॉलाजी। वह चरित्र की बात करते हैं। कौन कर रहे हैं? जो मशहूर हैं × × × ×। लोगों ने कहा, "कौल साहब, आप क्या सोच रहे हो, × × × ×, आप नहीं समझते क्या है? मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। उस समय तक मैं नहीं समझा कि यह साइकॉलाजीकल केस है। श्रीमान अगर माननीय सदस्य इतना समझते हैं कि ×। अगर आप में ऐसी हिम्मत नहीं है तो आपको किसी के आचरण के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। मेरे वित्तमंत्री के नाते उसका इससे क्या ताल्लुक है? यह तो एक साधारण चीज है। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री ने भी दे दिया। मैं भी कह चुका हूं। मर्यादा को देखते हुए मैंने सदन में सभी बातें कही हैं, विस्तार के साथ कही हैं। यह सदन है, सॉवरेन बोडी है, इस जगह पर सीमा में रह कर बात करें। शरीफ मेरा शराफत में, तो गुंडे ने समझा कि मुझसे डर गया। आप हम पर उंगलियां उठाते हैं, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि कहां थे वे जिस समय हम अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, जिस दिन हिन्दुस्तान आजाद हुआ? उस समय निकले जिस समय नौकरी से बरखास्त किए गए। वहां फिर किसी ने समझाया कि आप इस्तीफा दे दें।

आप चरित्र की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम वहां क्यों जाते हैं? अगर आपके साथ भी किसी के ताल्लुकात है तो आप भी ऐसा करेंगे। हम बदलने वाले नहीं हैं, ये हमारे ताल्लुकात हैं। आपको क्या हक है कहने का सदन के सामने? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये सारी बातें आपके सामने तफसील में कह दीं।

एक चीज और। मैंने कहा एक साजिश है, उसमें पत्रकार भी मिले हुए हैं। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था और पत्रकार साहब ने देखा, एकदम चीखे, 'भैरोंसिंह'। मैंने कहा, आप तशरीफ लाइये। चोर के पैर कहां? उस अखबार के कॉरेस्पोंडेंट यहां बैठते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सा अखबार?

श्री बालकृष्ण कौल : यह साजिश है। मैं नहीं घबराता हूं। साजिश का मुकाबला करूंगा। जनता के आगे आओ मुकाबले में, मुझे खुशी है, दो-दो हाथ हो जायं। आप यह बात उस जगह पर कर रहे हो जहां गवर्नमेंट सर्वेंट अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता और उसको मेरे साथ जोड़ दिया, और इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जो जी में आता है, कह देते हैं। मैंने अब करीब-करीब सब बातों का जवाब दे दिया

× × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री बालकृष्ण कौल) :

है, अगर कोई बात रह गई हो तो उम्मीद है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पॉइंट ऑफ परसनल एक्सप्लेनेशन, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने अपने अभिभाषण में, मैं जो अब तक आरोप लगाता था, उसको स्वीकार किया है यह तो खुशी की बात है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, राजस्व) : किसने ?

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्रीजी ने । उन्होंने कहा कि× × × × × × × ×
× × × ×
× × × × ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No, no.

श्री बालकृष्ण कौल : Where is the point of order ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पोइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन है ।

श्री बालकृष्ण कौल : एक्सप्लेनेशन तो मेरा होगा ।

श्री भैरोंसिंह : अब उन्होंने कहा कि यदि वह लड़की मेरी बहन है तो मुझे समझना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में है कि पर स्त्री मां और बहन के बराबर होती है, प्रतिमा देवी मेरी बहिन है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है; लेकिन सदन में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बहन को मैं × × × × × × × ×।
× × × × ।

(शोरगुल)

श्री बालकृष्ण कौल : (अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या अपने चरित्र की सफाई देते हो ! दूसरों पर क्यों कीचड़ डालते हो....

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-व्यवधान)

हाई कोर्ट में जाओ, अदालत में जाओ, प्रिविलेज मोशन मूव करो । मैं एक बात पूछना चाहता हूं....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री कृष्णकुमार गोयल : मिनिस्टर बनकर दूसरों के जीवन के साथ खेलना चाहते हो....

(अनवरत घन्टी-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज राजस्थान की गद्दी पर बैठे हो, राजस्थान के मंत्री-पद पर हो....

श्री चंदनमल बैद (उप-मन्त्री, उद्योग) : जनता के वोट्स पर बैठे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९६७ के अंदर पता लगेगा । भैरोंसिंह शेखावत तो

× × × × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये ।

Page No. 150

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

क्या लड़ेगा, एक छोटा बच्चा जनसंघ का कांग्रेस के मुकाबले में लड़ेगा ..

(अनवरत घन्टी-व्यवधान)

हम जानते हैं कि कितने की जमीन आपने खरीदी। चार हजार की जमीन आपने पच्चीस हजार में बेची है कोटा में। किसकी बात करते हो ! आपके चरित्र को हम जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जहां तक उस लड़की का सम्बन्ध है, वह मेरी बहिन है, उसको मैंने सदन के समक्ष स्वीकार किया है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि खुशी है कि हमारी संस्कृति के अनुसार हम पर-स्त्री को मां और बहन के समान समझें और मां और बहिन पर जब संकट आया हुआ है तो उस संकट को दूर करने की यथाशक्ति मैं कोशिश करूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं जानना चाहता हूं कि उस बहन ने इनसे कभी शिकायत की या बाप ने, उसकी मां ने, किसने शिकायत की है, यह कौनसा चौधरी है ?

श्री चंदनमल बैद : कौनसा खानखाना है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस बात की खुशी हो रही है कि मुझको उसकी मां ने या बहन ने या बाप ने नहीं कहा, बल्कि मुझे तो उसके पति ने कहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : हा ! हा !

श्री भैरोंसिंह : उसके पति ने कहा कि इस × × × से उसको निकालूं। मैं कोशिश कर रहा हूं और अवश्य सफल होऊंगा।

(शोरगुल-घंटी)

मंत्री महोदय ने कहा कि मुझे पुलिस से बरखास्त किया गया, लेकिन स्वयं ने ही बाद में कहा कि इस्तीफा दे दिया। अब कितने जोर से बात कही और बाद में जोर से तबदीली कर दी। यह प्रश्न पहले भी यहां उठा था, सरकार ने पूरी कोशिश की, जांच की, आप चाहें सर्विस रिकार्ड मेरे पास पड़ा है वह देख लें। जो रेजिग्नेशन मन्जूर हुआ है उसके ऊपर सर्टिफिकेट मिला है, आप चाहें तो देख लें, मुख्य-मंत्री को दिखा दें, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिखा दें। यह बात होते हुए भी अगर आप यह मान कर चलें कि मुझे पुलिस से निकाल दिया तो आप यह समझते हैं कि मैं आपकी आलोचना नहीं करूंगा ? आप समझते हैं कि आपकी बुराइयों को नहीं कहूंगा ? क्या आप यह समझते हैं कि × × × × कुछ नहीं कहूंगा ? क्या आप यह समझते हैं कि × × × के लिए कुछ नहीं कहूंगा ? क्या आप यह समझते हैं कि × × × × के लिए कुछ नहीं कहूंगा ! क्या आप यह समझते है कि × × × × × × वित्त मंत्री के लिए कुछ नहीं कहूंगा ? कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा।

आप कहते हैं कि मैं अजमेर से चुनाव लड़ूंगा इसलिये इनके खिलाफ कह रहा हूं। आपके × × × × के लिए क्या कहा ? कौनसी × × × × के बारे

× × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री भैरोंसिंह)

में कह रहे थे ? आप में हिम्मत होगी तो आप उसको फिर से कहेंगे । आप जिस × × के लिए कहते हैं जिसका एक परसेन्ट तो क्या एक परसेन्ट का सौवां भाग भी मुझे मालूम नहीं है । आप में हिम्मत है तो उसको आप फिर से कहिये ।

(श्री चन्दनमल बैद द्वारा व्यवधान उपस्थित करने पर)

चन्दनमलजी, आपके भी इज्जत है । आपके इज्जत है वैसी हमारे भी इज्जत है । आप बार-बार तालियां बजाते रहे हो जब कौल साहब बोल रहे थे उस समय, मुझे जवाब देने दो ।

श्री चन्दनमल बैद : इसका मतलब यह है कि आपको चाहे जैसे वित्त मंत्री को गालियां निकालने दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब वित्त मंत्री गालियां निकाल रहे थे उस वक्त + +

श्री भैरोंसिंह : + + + + +

श्री चन्दनमल बैद : + +

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : + +

श्री चन्दनमल बैद : + +

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! All these words will be expunged.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या धमकी देते हो ?

श्री चन्दनमल बैद : + + + +

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री चन्दनमल बैद : आप जनसंघी ! जनसंघ की धमकी देते हो !

श्री कृष्णकुमार गोयल: यहां क्या अकड़ रहे हो × × × बाहर आ जाओ ।

श्री चन्दनमल बैद : बहुत देखे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : हजारों रुपयों की जमीन खा गया और आज बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी स्पष्टीकरण करना है ।

एक बात का जिक्र किया और कहा कि पान खा रहे थे और जिस अखबार वाले की ओर संकेत किया, राष्ट्रदूत से आपका मतलब था, राष्ट्रदूत के ही नहीं कई व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने पीछे से आवाज दी । राष्ट्रदूत वाले से कहा उनको क्या कहता है तू आ । यह बात कही, सही है । सही इसलिये कि कौल साहब प्रतिमा को लेकर जा रहे थे । मैं वहीं पान वाले के यहां खड़ा था । एक पत्रकार ने कहा कौल साहब जा रहे हैं । मैंने कौल साहब को देखा । मैं इन्सानियत के

× × श्री अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये ।

+ + अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री भैरोंसिंह)

नाते वित्त मंत्री की उन बातों को नहीं कहना चाहता था जिस तरह से गन्दी गालियां देते हुए वे सड़क पर जा रहे थे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने तो नमस्ते की थी।

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह से पागल करता है, गालियां देते हुए जा रहे थे। पागल की तरह अंगूठा बता कर चल रहे थे। मैं प्रतिमा को बहिन मानकर चलूंगा। कोई बुरी नीयत नहीं है। अंगूठा मुझे क्या बता रहे हो कौल साहब ? चन्दनमल जैसे को बताओ जो रात–दिन इधर-उधर उस पर डोरे डालता रहता है।

श्री बालकृष्ण कौल : अंगूठा कहां दिखाया मैंने तो नमस्ते की थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने सिलसिला छेड़ा है, आरोप लगाकर।

पुस्तक का उल्लेख किया। एक परसेन्ट भी नैतिकता है, कौल साहब ! आप में तो उस किताब वाले के खिलाफ दफा ५०० में क्यों नही मुकदमा चलाते हो ? क्यों सुखाड़िया जी के पैर पकड़ते हो, कौल साहब ? क्यों सुखाड़ियाजी के पैर पकड़ते हो और मिन्नतें करते हो कौल साहब कि उस किताब के लेखक को गिरफ्तार करोओ ? क्यों मिन्नतें करते हो सुखाड़ियाजी को कि उस किताब को जब्त कराओ ? क्यों सुखाड़ियाजी के पीछे पीछे फिरते हो और कहते हो कि मैं आपके लिए इन्दिराजी के पास गया था। उनको हर तरह से प्रेस किया आपके लिए। ये भैरोंसिंह और कुम्भाराम मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं आपके लिए दिल्ली गया और इन्दिरा जी से कहा मौके पर मैं आपके पैरों में टोपी डालता हूं, सुखाड़िया साहब ! आप मुझे भैरोंसिंह से बचाओ यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। किसी प्रकार मेरा पिण्ड छुड़ाओ। कौल साहब, न सुखाड़िया जी, न अन्य कोई आपका पिण्ड छुड़ा सकता है। प्रतिभा से आपको अलग होना पड़ेगा और प्रतिमा से अलग नहीं हुए तो आपको राजस्थान मंत्रिमंडल से निकाल कर छोड़ूंगा ×

× × × × ×

मकान के लिये कहा, मिसेज कौल ने बनाया। मिसेज प्रतिभा ने भी बनाया। मुझे खुशी है उन्होंने इन्कार नहीं किया है। वह मकान प्रतिभा के नाम से नहीं बना है। खुशी की बात है कि आपका उस मकान से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो कुछ पैसा उस पर खर्च हुआ वह केवल मिसेज कौल की कमाई का है। मिसेज कौल ११ वर्ष से डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट पर है, मिसेज कौल के बारे में भी मुझे कुछ नहीं कहना है। आयन्दा अवसर पर कहूंगा। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में मिसेज कौल के बारे में क्या लिखा है, यह हरिदेव जी जोशी जानते हैं। जब वह पी. ए. सी. की रिपोर्ट सदन में रखी जायगी तो इनके क्या काले कारनामे हैं यह वह रिपोर्ट बतायेगी। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि उस तनख्वाह का पाने वाला कौनसा ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो १।। लाख का बंगला बना ले। क्या यह डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ नहीं है।

× × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री बालकृष्ण कौल : मिसेज कौल १९३२ से सर्विस में है। ३५ हजार सरकार से लोन मिला है।

श्री भैरोंसिह : बिल्कुल सही है। ३२ से होंगी। ४७ से होंगी। लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर **११** वर्ष से हैं। या आप बता दीजिये कितने वर्ष से हैं ? मैंने सर्विस के लिये नहीं कहा। मैंने डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट के लिये कहा था। क्या उस पोस्ट पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति १।। लाख का बंगला बना सकता है ? यह जांच काबिल है। × × × × वित्त मन्त्री राजस्थान का, राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला इस हाउस में आकर सफाई न दे सके और दूसरों पर सफाई के निमित्त आरोप लगाये, भैरोंसिह से किसी प्रकार दुश्मनी मान कर चले, अजमेर की चुनौती देता है और कहता कि अजमेर के इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। यह बात तो मेरे दिमाग में पहली बार आयी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक बात।

अजमेर से चुनाव लड़ना चाहिये, यह मेरे दिमाग में पहली बार आया। किस बात की सफाई कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : चैलेन्ज कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिह : चैलेन्ज यह है कि कौल साहब हारेंगे। छोटे से छोटा जनसंघ कार्यकर्ता लड़ेगा और कौल साहब नहीं आवेंगे। और ६७ में विधान सभा में नहीं बैठेंगे, मैं यह चैलेन्ज देकर जाता हूँ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : चैलेन्ज का जवाब सुनने के लिये तो आप नहीं आवेंगे।

श्री भैरोंसिह : और आप जैसे कई + + + +

श्री उपाध्यक्ष - ऐसे अभद्र शब्दों को एक्स्पन्ज किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जिस एक्ट का नाम लिया है एन्टीकरप्शन का, उसके सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इजाजत देनी पड़ती है। गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती है इसलिये सब रख रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : गवर्नमेंट से क्यों इजाजत मांगें ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गवर्नमेंट ही इजाजत देती है। जब तक नहीं देती है तब तक इन्क्वायरी नहीं होती है। यह अधिकार है, इसमें जो-जो चीजें रखी हैं वे गवर्नमेंट के लिये हो जाती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, इस तरह की सारी चीजें हैं, इसलिये इसका क्लेरिफिकेशन दिया जाय। आप विजिलेन्स कमीशन का नाम लेते हैं, उसके अन्दर यह आप छूट दे देते हैं इससे बहुत बड़ा रास्ता खुलता है और गड़-

× × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

+ + अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बड़ी होती है तो उससे पीछा छूटता है। यह कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। सरकार बैठी रहे, चार्ज लगे सरकार पर और क्लेरिफिकेशन नहीं बतला सकें। इसलिये सफाई दीजिये।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : देशी घी के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक ४ अप्रेल को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६.४२ बजे दिनांक ४ अप्रेल, १९६६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५१ का उत्तर देखिये)

नक्शा चालान जो आर. जे. आर. १४१५ के विरुद्ध ओवर लोडिंग में १९६४ में हुए।

न० शु०	चालान कर्ता	सन्	विशेष विवरण
१.	मो० वि० सब-इन्सपेक्टर, उदयपुर	१९६४	४ सवारियां अधिक होने पर चालान जुलाई ६४ में किया जो आर टी० ए० के अक्टूबर सन् ६५ में विचारार्थ रखा गया तथा पेंडिंग में है और आगामी मीटिंग में फिर रखा जा रहा है।
२.	पी० एस० आई० सलूम्बर।	१९६४	३ चालान किए जिनमें एक खारिज दूसरे में २० रुपये व तीसरे में १० रुपये जुर्माना हुआ।
३.	ट्राफिक इन्सपेक्टर, पुलिस, उदयपुर।	१९६४	४ चालान किए जिनमें ४० रुपये, ३५ रुपये, २० रुपये व १५ रुपये क्रमशः जुर्माना हुआ।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ का उत्तर देखिये)

सहायक अभियन्ताओं के पद की नियुक्ति सूची

क्रम सं०	नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	विशेष विवरण
१.	श्री विजय वी० ओक	डिग्री होल्डर	८ मास	
२.	श्री सत्यपाल मदन	,,	११ मास	
३.	श्री एन० के० गोधा	,,	८ मास	
४.	श्री विजय कुमार कासलीवाल	,,	१ वर्ष	
५.	श्री वाई० पी० कोठारी	,,	१० मास	
६.	श्री एस० सी० जैन	,,	१० मास	
७.	श्री डी० एल० कोठारी	,,	६ मास	
८.	श्री रवीन्द्र मोहन गुप्ता	,,	प्राईवेट फर्म में कार्य कर रहे थे ।	कार्यभार नही संभाला ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ का उत्तर देखिये)

निगम द्वारा सेवा से हटाये जाने वाले परिचालकों की सूची डीपोवार निम्न प्रकार है:--

क्रम संख्या	परिचालक का नाम	भ्रष्टाचार मामलों की संख्या
१	२	३
	जयपुर आगार	
१.	श्री भंवर सिंह	१
२.	श्री मोहनलाल	६
३.	श्री ओंकार सिंह	६
४.	श्री पूरणमल	३
५.	श्री कैलाश चन्द	६
६.	श्री मिश्रीलाल	७
७.	श्री निम्मू सिंह	१०
	अलवर आगार	
१.	श्री केवल राम मीना	३३
	कोटा आगार	
१.	श्री भैरोलाल	७
२.	श्री भगवती प्रसाद	४
३.	श्री राम अवतार	११
	जोधपुर आगार	
१.	श्री सीताराम २	४
२.	श्री ओमप्रकाश	२
३.	श्री भेराराम	१
४.	श्री भीमराज	१

अजमेर आगार

१.	श्री मांगूसिंह	२
२.	श्री करणसिंह	२
३.	श्री घनश्याम सोनी	७
४.	श्री रामसिंह	१

उदयपुर आगार

१.	श्री कन्हैयालाल	२

सिरोही आगार

१.	श्री भीमसिंह	१

आबूरोड आगार

१.	श्री दुर्गालाल	३

————

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ का उत्तर देखिये)

Statement showing the quota of Stainless Steel allotted to M/s Narain Dass Shyam Sunder Bhilwara.

ALLOTMENT		RAW MATERIAL RECEIVED. STAINLESS STEEL BY IMPORT.
S.N. PERIOD	ALLOTNENT	RECEIPT ACTUAL
1. October 62/Mar 63.	Rs. 7500/-General	1.707 M.T. Rs. 7500/00
	6000/-Rupee payment.	O . 800 M.T, Rs. 6000/00
2. April/September 63.	Rs. 8450/-General	1.707 M.T. Rs. 8263/00
	Rs. 4000/-Rupee payment.	O. 588 M.T. Rs. 3960/00
3. October 63/Mar 64.	Rs. 11400/-General	3.062 M.T. Rs. 11106/00
4. April/September 64.	Rs. 6000/-General	1.436 M.T. Rs. 6000/00
Total.	Rs. 43350-00	9.300 M.T. Rs. 42834-00
5. April/September 64.	Rs. 1500/-General.	Material Not received.
6. October 64/March 65.	Rs. 3500/-General.	Material Not received.
	Rs. 48350/-	9.300 Rs. 42834-00 Nine tons and 300 Kilos.

ALLOTMENT.	RAW MATERIAL RECEIVED STAINLESS STEEL THROUGH RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION, JAIPUR.	
1. 1963	3.00 M. Ton. 0.450 M. Ton.	3.450 M. T.
2. 1964	0.500 M. T.	0.513 M. T.
3. 1964	0.500 M. T.	0.501 M. T.
Total.	4.450 M. T.	4.464 M. T.
4. Apl-Sept. 64.	1.500 M. T.	Material Not received.
	Five tons 950 Kilos.	Four tons and 464 Kilos.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ का उत्तर देखिये)

औद्योगिक क्षेत्र कोटा में जिन हैवी इन्डस्ट्रीज को भूमि दी गई है उसके ब्यौरे की तालिका

क्रम संख्या १		नाम अलॉटी २		भूमि का विवरण ३	
१.	मैसर्स	राजस्थान स्ट्राबोर्ड	प्लाट नं०	१, १५, व १८ —	२७.६० एकड़
२.	,,	राजस्थान केबल इन्डस्ट्रीज	,,	४, १२, --	१८.७५ एकड़
३.	,,	जे० के० सिन्थेटिक्स वर्क्स लिमिटेड	,,	५ --	७० एकड़
४.	,,	मल्टी मेटल्स	,,	७ —	२३ एकड़
५.	,,	फॉरेन इम्पोर्टस् एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी	,,	६,१०,११ —	३२.६६ एकड़
६.	,,	राजस्थान विनाएल एण्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज	,,		४३०.८ एकड़
७.	,,	राजस्थान सेरेमिक इन्डस्ट्रीज	,,	२८,२९,३० —	१७.०७ एकड़
८.	,,	जे० के० सिन्थेटिक इन्डस्ट्रीज एरेलिक फिल्म इन्डस्ट्रीज	,,	२,३,१३,१४,१६, १७,१९,२०,२१,२२, ३१,३२,३३,३४,३७, और ४०	—१३८.५ एकड़
९.	,,	जे० के० सिन्थेटिक इन्डस्ट्रीज आर्ट सिल्क इन्डस्ट्री	,,	२३,२४,२५,२६,२७, २८,२९, और ३०	—३८.८७ एकड़

यह अलॉटमेन्ट राजस्थान इन्डस्ट्रियल एरिया अलॉटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत किये गये हैं।

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५३ का उत्तर देखिये)

विभागीय कॉलोनियां

नं०शु०	वर्ष	स्कीम	स्थान	स्वीकृत मकानों की संख्या	धनराशि	प्रगति: पूर्ण	प्रगति: अपूर्ण	प्रगति: कार्य शुरू नहीं हुआ	विशेष सुविधाये
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	५५-५६	अनुसूचित जाति	किशनगढ़ रेनवाल	१६	५६०००	१३	२	१	
२.	५६-५७	,,	भागीरथपुरा एवं लालावाला	१०	४६०००	—	—	—	
३.	,,	,,	विमलपुरा	१३	४५५०	१३	—	—	
४.	,,	,,	कुन्दनपुरा	४८	२०१००	४३	३	२	एक पंचायत घर एवं पेय जल कूप की सुविधा और दी गई।
५.	५७-५८	,,	चौमूं	१२	५४००	८	४	—	
६.	,,	,,	सांगानेर	५०	३८०००	२९	१३	८	पंचायत घर, पेय जल कूप व अन्य विकास कार्य हेतु सुविधा दी गई।
७.	,,	,,	फतेहटीबा, जयपुर	४२	३५००० + ४२५०	२६	८	८	,, ,,

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८.	५८-५९	अनुसूचित जाति	पुरानी बस्ती	३५	२६२५०	३३	१	१	
९.	५९-६०	,,	बिछीवाड़ा (बांदीकुई)	१३	९७५०	१२	१	—	
१०.	,,	,,	अमृतपुरी	५०	३७५००	४५	५	—	
११.	,,	,,	गोविन्दगढ़	१५	११२५०	५	१०	—	पंचायत घर, क्रीडा-स्थल, कूप का केस नगर विकास मण्डल के पास चल रहा है।

पंचायत समितियों द्वारा बसाई गई कॉलोनियां

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	६०-६१	अनुसूचित जाति	बैराठ	१६	१३२५०	१६	—	—	
२.	,,	,,	चाकसू	१०	७२००	१०	—	—	
३.	,,	,,	दूदू	१६	१३२५०	—	—	—	विकास अधिकारी दूदू द्वारा नोटिस दिए गए।
४.	,,	,,	गोविन्दगढ़	१६	१३२५०	१६	—	—	
५.	,,	,,	फागी	१०	७२००	५	५	—	
६.	,,	,,	सांगानेर बाढ देवरी	४०	३००००	३०	१०	—	
७.	,,	,,	बस्सी—लालगढ़	५०	३८०००	५०	—	—	
८.	,,	,,	लालसोट—बिनोला	६	४५००	६	—	—	
९.	,,	,,	सिकराय—दुर्गापुरा	१५	१२०००	१५	—	—	
			दोदिया	२५	१७६२५	२५	—	—	

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	दिनांक मार्च २६, १९६६	दिनांक २६ मर्च, १९६६
४	१२	दस्तख्त	दस्तखत
७	१५	गया या ?	गया था ?
७ व ८	क्रमशः २७,१२, १३,२१,२२,२३ व २५	गवर्नमन्ट	गवर्नमेन्ट
८	९,१०	ओर्गेनाइजेशन	आर्गेनाइजेशन
९	१८	मिनिस्ट	मिनिस्टर
,,	२१	जोरज-वरदस्ती	जोर-जबरदस्ती
१०	५	अलॉटमेंन्ट	अलॉटमेन्ट
११	१०	होल्डर्म	होल्डर्स
१२	११,१२	मदि हां तो	यदि हां, तो
१३	१२	श्री भीर्मा ाह	**श्री भीमसिंह**
१६	अन्तिम से ४	यूकिफार्म	युनिफार्म
१७	६	नेक्सट	नेक्स्ट
,,	११	सुगर मिल्स	शुगर मिल्स
,,	१३	**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा**	**५५०. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा**
,,	१६	कितनी जमीन २ कब कब	कितनी कितनी जमीन कब कब
,,	१७,१८	शतों	शर्तों
,,	२०	**उप मंत्रि उद्योग**	**उप मंत्री, उद्योग**
,,	अन्तिम से ३	एरीया में १२५७) ः। २ बीघा	एरिया १२५७) ।ः २ बीघा
१८	१	संख्या ७३२७ वहारा १९५४ बीगा	संख्या ७३२२५ द्वारा १९५४ बीघ
,,	७	पुस्तकालय में रखी गई ।)	पुस्तकालय में रखी गई)
,,	९	को जमीन	की जो जमीन
,,	१०	काश्त	काश्त
१९	१८	**श्री उदयलाल बर्दिया**	**श्री उदयलाल बर्दिया**
२१	६	और ट्रांसफर करेगें, बेचेगें	अगर ट्रांसफर करेंगे, बेचेंगे

१	२	३	४
२१	१०	लेगें	लेगें
,,	२२	चिठ्ठी	चिट्ठी
२३	१६	श्री भील सिंह	श्री भीमसिंह
२४	अन्तिम से ४	नेक्ष्ट	नेक्स्ट
२५	६	श्रौर	श्रोर
२६	१५	बसी	बस्सी
२७	१५	द्विनॉक	द्विनांक
,,	१६	सयिति	समिति
,,	२१	के नाने	के नाते
२८	१४	लय	मय
,,	अन्तिम	स्वी	रखी
२६	१	श्री चनुर्भुज उपाध्याय	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
,,	१०	कार्यवाहा	कार्यवाही
,,	१८	कीनसे	किनसे
,,	२४	मामनीय	माननीय
३०	अन्तिम से ६	(भुनभुतू)	(भुन्भुतू)
३१	शीर्षक	२८ मार्च,	२६ मार्च,
,,	शीर्ष	(श्रीमती मुमित्रा)	(श्रीमती सुमित्रा)
,,	१३	पाले	वाले
,,	१५	(चन्दनमल वैद)	(श्री चन्दनमल वैद)
३२	१२	अध्यक्ष लहोदय,	अध्यक्ष महोदय,
३२ से ३५	—	"श्री चन्दनमलवैद" के स्थान पर	कृपया "श्री चन्दनमल वैद" पढ़ें।
३३	७	आवेदन-पत्र	आवेदन-पत्र
,,	१६	डिपार्टमेंन्ट	डिपार्टमेन्ट
,,	२३	उन	उनको
३४	८	श्री सुमित्रा	श्रीमती सुमित्रा
,,	८	कितने	कितने
३५	३	श्री कृष्णकुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
३६	अन्तिम से ३	तेमल्टी	पेनल्टी
३७	अन्तिम	चेक	चैक
३६	शीर्ष	(श्री तेजाराम गहलोत)	(श्री तेजाराम गहलोत)

१	२	३	४
१४५	२१	द्रोहा	द्रोही
१४६	शीर्षक	वद्भव्य	वक्तव्य
,,	१८	(निम्बॉहड़ा)	(निम्बाहेड़ा)
१४७	१४	श्री निरजननाथ प्रचार्य	श्री निरंजननाथ प्राचार्य
१४८	शीर्षक	यक्तव्य	वक्तव्य
,,	१	करते के	करने के
१४६	३	श्री निरंजनाय प्राचार्य	श्री निरंजननाथ प्राचार्य
,,	६	के	के लिये
१५१	शीर्षक	रावस्थात	राजस्थान
१५३	,,	में	में
१५५	,,	२१ मार्च,	२६ मार्च,
,,	३२,२४	गड़ी बड़ी	गड़बड़ी
१५७	३	करंगे	करेंगे
,,	६	करवे	करने
,,	अन्तिम से ६	कानूक	कानून
१५६	२	हैं।	हूं।
,,	३	अव	अब
,,	७	कांग्रेंस	कांग्रेस
,,	८	पूंजोपतियों को	पूंजीपतियों की
,,	६	यहॉ	यहां
१६०	शीर्षक	शासकीयी वक्तव	शासकीय वक्तव्य
,,	३	वनाये गये है	बनाये गये हैं
,,	४	मुल्क	मुल्क
,,	८	कोई	कोई
,,	१६	अघ	अब
,,	२१	मव	अब
,,	२८	लेफटिस्ट	लेपिटस्ट
१६५	२२	छरा	छुरा
१६६	१	श्री गोकुलप्रशाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसद शर्मा
,,	१५	ओर	और
,,	१६	छरा	छुरा

१	२	३	४
६९	शीर्ष	(भानुप्रसान कराड़िया)	(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)
७२	२	उक्त	उक्त
७३	अन्तिम से ४	प्राडशर	ग्राडसर
"	अन्तिम से ३	(चुरू)	(चूरू) :
७६	शीर्षक	अतार० प्रश्नो०—	अतारांकित प्रश्नोत्तर
"	१६	आप.त्त	आपत्ति
८०	४	राजस्थान से	राजस्थान में
८२	२०	प्रासीडिंग्ज	प्रोसीडिंग्ज
८६	१६	श्री अब्दुलजब्बार : (निम्बाहेड़ा)	श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा)
"	२२	श्री अब्दुल जब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
८७	६	प्रस्ताव	प्रस्तावों
८९	शीर्षक	डंबंध	सम्बन्ध
९०	अन्तिम से ५	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
९२	१३	पुरा	पूरा
"	१८	कामूनों	कानूनों
९३	१६	इश्यू बनाने और जनसंघ	इश्यू बनाना और जनसंघ
९७	अन्तिम से ७	अत्याचाहों	हत्याचारों
९९	शीर्ष	(श्री उमरावसिह ढाबरिया)	(श्री उमरावसिह ढाबरिया)
१०० से १०२	शीर्षक	२९ मार्च, २६	२९ मार्च, ६६
१०१	२३	गई	—
१०२	२३	ढवरियाजी	ढाबरिया जी
"	अन्तिम से ७,६	एस० एस० पो०	एस० एस० पी०
१०३	४	लेफिटस्ट कम्यूनिस्ट	लेफ्टिस्ट कम्युमिस्ट
१०५	११	एक्टीविट	एक्टीविटी
"	१६	व्मक्ति	व्यक्ति
१११	शीर्षक	राजस्थात	राजस्थान
"	१०	ढिटेन्शन	डिटेन्शन
"	अन्तिम से २	देनन्दिन	देनन्दिन
११२	८	सदस्य	सदस्यों
११४	२	रोमल	रोमेलू
"	८	विन्ड-	विन्ड

१	२	३	४
११४	२१	स्मलेटर	स्मेल्टर
,,	२५	हि्त	हित
११५	शीर्षक	वन्द	वन्द
,,	२	चाहिये	चाहिये
,,	२३	उसकी	उसके
११६	१६	अनुदारतापूर्बक	अनुदारतापूर्वक
११७	अन्तिम से ४	डिरयनैस	डियरनैस
,,	अन्तिम	सोशियेलिस्ट	सोशियलिस्ट
११८	७	फंल	फैल
,,	१६	कुट	कटु
,,	२७	रोजमरा	रोजमर्रा
११६	१७	जययुर	जयपुर
,,	१६	के	से
,,	२०	खूबरूसरती	खूबसूरती
,,	२२	मनोभव	मनोभाव
१२०	५	विना	विना
,,	अन्तिम से १२	वहिर्गमन	बहिर्गमन
,,	अन्तिम से ११	**श्री मुकटबिहारीलाल गोयल**	**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल**
,,	अन्तिम	विचार ठीक ढंर	विचार ठीक ढंग
१२२	१७	अव्यस्था	अव्यवस्था
१२३	२०	वाड	बात
१२५	शीर्षक	बन्द में	बन्द के
१२७	५	सक्ते	सकते
१३०	११	बर्डी	बड़ी
१३१	शीर्षक	२६ मार्च, २६	२६ मार्च, ६६
,,	२३	ही	हों
१३६	११	लेफटस्ट	लेपिटस्ट
१३७	शीर्षक	राजस्थात	राजस्थन
१४४	,,	शासकीयी वक्तव	शासकीय वक्तव्य
१४५	,,	बन्व	बन्द
,,	८	है।	है

१	२	३	४
४१	२	एक एलीगेशन्स	एक एलीगेशन
,,	अन्तिम से ५	यातायान	यातायात
४२	१	अयव्वस्था	अव्यवस्था
,,	अन्तिम से ४	श्री हरीप्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा:
४३	अन्तिम	ता	तो
४४	३	मतबल	मतलव
,,	८, १३	श्री हरीप्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
,,	२०	(मथुरादास माथुर;	(श्री मथुरादास माथुर)
४६	१६	वार्डी	वार्डों
,,	अन्तिम से ८	(श्री चन्दनमल वैद्य)	(श्री चन्दनमल वैद)
४९	शीर्ष	(श्री हरिशचन्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
,,	१४	श्री हरिशचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
५०	१५	श्र गणपतिलाल वर्मा	श्री गणपतिलाल वर्मा
५५	अन्तिम से ३	सारे	सारा
५६	१२	वसूस	वसूल
,,	१४	पसा	पैसा
,,	अन्तिम से ३	५६३. श्री जयनारायण सालोदियां	५६६. श्री जयनारायणसलोदिया
५७	१७	श्री सतीशचन्द्र अगृवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
६१	३	५६८। श्री लक्ष्मीवन्द	५६८. श्री लक्ष्मीचन्द
,,	५	गया) :	गया]:
६५	शीर्ष	(श्री जोधसिंह)	—
,,	अन्तिम से ६	किस रकार	कि सरकार
,,	अन्तिम से ४	श्री परसराम मदरेणा	श्री परसराम मदेरणा
६६	१५	श्री परसराम मदेरेणा	,,
,,	२४	बारे लिख	बारे में लिख
,,	अन्तिम से ३	श्री परसराम मदरेणा	श्री परसराम मदेरणा
६७	३	क्वलीफिकेशन	क्वालीफिकेशन
,,	११	श्री परस राम मदरेणा	श्री परसराम मदेरणा
,,	१६	आमात्रित	आमंत्रित
,,	२३	मेटिंग	मीटिंग
६८	अन्तिम से ३	चौमू	चौमू

१	२	३	४
१६७	शीर्षक	संदघ	संबन्ध
,,	अन्तिम से ११	कोइ	कोई
१६८	२	**श्री मथुरेशबहारी माथुर**	**श्री मयुरेशबिहारी माथुर**
,,	१३	बानस	बोनस
,,	१६	पाटीं	पार्टी
१६९	शीर्षक	राजस्थाक	राजस्थान
,,	७	दह	यह
,,	८	जाह	जगह
,,	१५	प्रौत्साहन दे	प्रोत्साहन दे रहे
,,	१६	में	मैं
१७०	३	कारश	कारण
,,	१८	नहीहुई	नहीं हुई
१७१	शीर्षक	-२८ मार्च, ६६	२९ मार्च, ६६
१७३	,,	संबंव में-२९ १मर्च	सम्बन्ध में-२९ मार्च,
,,	अन्तिम से २	दुर्भग्य	दुर्भाग्य
१७५	शीर्षक	संवंध में-२९ मात्र,	सम्बन्ध में -२९ मार्च,
१७८	,,	२९ मार्च २६	२९ मार्च, ६६
१७९	२१	-लव्व है वह भो बन्द ही	-ब्ध है वह भी बन्द हो
,,	अन्तिम से ९	इन्ताम नहीं	इन्तजाम नहीं
१८०	अन्तिम से ११	हे	हूं
१८४	८	करदगे	कर देंगे
,,	१०	पा । के मांननीय	पार्टी के माननीय
१८५	शीर्ष	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
१९०	शं.र्षक	शासकीयी वक्तव	शासकीय वक्तव्य
१९१	,,	राजस्थात	राजस्थान
१९५	१७	**श्री मुकु बिहारीलाल गोयल**	**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल**
१९६	३	**श्री जेठमल बरबड**	**श्री जेठमल बरवड़**
१९९	शीर्षक	२८ मार्च, ६६	२९ मार्च, ६६
,,	९	विना	बिना
,,	१८	सिंकराय	सिकराय
,,	२०	प्रस्ताव	प्रस्ताव
२०१ से २०४	शीर्षक	२९ मार्च, २६	२९ मार्च, ६६

१	२	३	४
२०२	अन्तिम से ४	श्री दामोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
२०३	२	सदस्ों	सदस्यों
,,	अन्तिम से ६	(वित्त मंत्री)	(वित्त मंत्री)
२०६	अन्तिम से १०	(वहिर्गमन)	(बहिर्गमन)
२०७	२,३	इस बहस	इस पर बहस
२०६	शीर्षक	२६ मार्व, २६	२६ मार्च, ६६
२११	अन्तिम	सर्विसेज से लिए	सर्विसेज के लिए
२१४	अन्तिम से १०	ओ	और
२१५	,, ६	पक्की	पक्के
२१७	शीर्षक	विनियौग	विनियोग
२१८	अन्तिम से ६	सेकेटरी	सेक्रेटरी
,,	,, ८	कलैक्टर	कलेक्टर
२२१	७	मुख्य मंत्री की से	मुख्य मंत्री जी से
२२२	शीर्षक	विनेयक	विधेयक
,,	१६	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
२२३	अन्तिम से ३	में	मैं
२२४	२०	राजस्यान	राजस्थान
२२६	२२	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
२३०	१६	जा	का
२३२	८	कन्जवेंटर	कन्जर्वेटर
२३३	स्कम्भ	२३२]	२३३]
२३८	१६	कन्टोवर्सी	कन्ट्रोवर्सी
२३६	अन्तिम से ३	एडजस्टमेंन्ट	एडजस्टमेन्ट
२४०	१	वजट	बजट
२४२	१८	वेचारे	बेचारे
,,	अन्तिम से ६	श्री बालकृष्ण	श्री बालकृष्ण
२४५	१७	त्तो	तो
२४८	११	श्रौर	श्रोर
,,	२३	यहाँ	यहां
२४६	२२	आवश्यनताओं	आवश्यकताओं
२५१	१६	यूनीवर्सिटी	यूनिवर्सिटी
,,	२५	यूनीवर्सिटयों	यूनिवर्सिटियों

१	२	३	४
२५१	२६	योग्यताए'	योग्यताए'
२५४	शीर्षक	विदेयक	विधेयक
२५५	३	अफिसर्स	ऑफिसर्स
,,	१४	मामल।	मामला
२५६	शीर्षक	विनेयक	विधेयक
२५७	२	मुन्शिफ	मुन्सिफ
,,	६	(जोहरी	(जौहरी
,,	१६	श्री निरंजनाथ	निरंजननाथ
,,	२१	इसमैं	इसमें
२५८	४	श्रा	श्री
,,	८	इन्क्वारी	इन्क्वायरी
२५९–६०	शीर्षक	–२८ मार्च	–२९ मार्च
२५९	१७	इन्क्वारी	इन्क्वायरी
२६०	१२	अमोइन्टमेंन्ट्स	अपोइन्टमेन्ट्स
२६१	अन्तिम से ८	सर्वेट्स	सर्वेन्ट्स
२६२	,, ८	"सुखःड़िया	"सुखाड़िया
,,	,, २	है–ड'	हैड
२६३	शीर्षक	विनियोग	विनियोग
,,	७	हुँ०	हूं
,,	१४	जव	जब
,,	अन्तिम	हूँ।	हूं।
२६४	अन्तिम से ४	वात	बात
२६५	५	वयक्तव्य	वक्तव्य
,,	अन्तिम से ५	अचार्य:	आचार्य:
,,	,, २	रात्री	रात्रि
२६६	१	श्री सतांशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	२	मार्नासहजी	मार्नासहजी
,,	८	श्री मनाघातासिंह	श्री मानधातासिंह
,,	अन्तिम से २	सकतहूँ।	सकता हूँ।
१६७	१५	श्री मानधातोसिंह	श्री मानधातासिंह
१६८	शीर्षक	त्रिधेयक	विधेयक
,,	८	इफेक्टिब	इफेक्टिव

१	२	३	४
२६८	१५	विल	बिल
,,	१६	कौ	को
२७०	अन्तिम से ८	श्री चौसरसिह	श्री चौसरसिंह
२७१ से २७४	शीर्षक	-२६ मार्च, ३६	-२६ मार्च, ६६
२७२	अन्तिम से ६	तौ	तो
२७३	१७	टैक्सज	टैक्सेज
२७४	१८	एफिसियनसी	एफिशियेन्सी
२७५	शीर्षक	विनियौग	विनियोग
,,	६	इन्क्वारी	इन्वायरी
,,	अन्तिम से ५	गवर्नमेन्ट ने । गवर्नमेन्ट पर	गवर्नमेन्ट ने गवर्नमेन्ट पर,
,,	,, ३	हमारे मायुर साहब	माथुर साहब
२७६	१६	इन्क्वायरो	इन्क्वायरी
,,	अन्तिम से ६	एटनीडीट	एन्टीडोट
२७७	१	"Dispsortionate	"Disproportionate
,,	६	ग्रौर	ग्रॉफ
,,	८	ग्रोर	ग्रौर
,,	अन्तिम से २	from through	through
२७८	१	पुरे	पूरे
,,	१६	इक्छा	इच्छा
,,	२७	श्री सभापतिः	श्री उपाध्यक्षः
२७६	शीर्षक	२८ मार्च	२६ मार्च,
२८०	५	चौवरी:-	चौधरी :
,,	२१	एम० एल० ए बाघी	एम० एल० ए० में बाथी
२८१	१८	संख्या	संस्था
,,	अन्तिम से २	ग्राय ग्राय	ग्राय
,,	अन्तिम	वड वड़	गड़वड़
२८२	८	को ग्रॉपरेटिव	कोग्रॉपरेटिव
२८३	३	फोरेम्ट	फोरेस्ट
,,	२५	चिट्टी	चिट्ठी
२८४	शीर्षक	विढ़ेयक	विधेयक
२८५	१	श्री गोकलप्रसाद	श्री गोकुलप्रसाद

१	२		४
२८५	६	में	म
२८६	८	सुढार	सुधार
२८७	शीर्षक	वित्तीव	वित्तीय
,,	३	श्री अध्यक्ष:	श्री उपाध्यक्ष
,,	१६	रियासत	सियासत
,,	२७, २८	तकरीरें	तकरीरों
,,	२८	ताल्लुख	ताल्लुक
२८८	अन्तिम से ५	हें	हैं ।
,,	,,	रोड्रस	रोड्स
२८९	१३	बूत्ते	बूते.
,,	२६	मुनहीसर	मुनहसिर
२९०	१४	एड्मिनिरट्रेटिव	एडमिनिस्ट्रेटिव
२९१	२	ज्यादा	जाता
,,	२१	में	मैं
२९२	४–५	कान्स्टीट्युएन्सी मुतवातिर	कॉन्स्टीट्युएन्सी से मुतवातिर
,,	अन्तिम से २	ले	से
२९३	२४	सर्वेन्ट्स	सर्वेन्ट्स
२९३	२८	को	की
२९४	२३	(जोहरी	(जौहरी
२९५	३	वहॉं	वहां
२९६	१८	मेंने	मैंने
,,	२४	धबराता	घबराता
३०१	१४	श्री चन्द्रनमल	श्री चन्दनमल
३०२	३	श्री चन्दनलल	श्री चन्दनमल
३०३	शीर्ष	(श्री भंरोसिह)	(श्री भैरोंसिह)
,,	१८	थी	भी
,,	२१	नही	नहीं
,,	२५	करोओ ?	कराओ !
,,	२६	को	की
३०४	९	छड़ा	छुड़ा
,,	२५	कनेटी	कमेटी
३०५	१६	भेरोंसिह	भैरोंसिह

१	२	३	४
३०७	२	वे	वे
,,	१४	हुँ	हूँ
३०८	स्कम्भ	[२०८	[३०८
३१०	१२	रहै	रहे
३१३	५-कॉलम २	ALLOTNENT	ALLOTMENT
३१४	१	रारांकित	तारांकित